

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए**



**संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2017 की सं. 12**

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2017 की सं. 12**

विषय-सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		ix
विहंगावलोकन		xi
अध्याय I: प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.2	4
उपयोग प्रमाण-पत्र	1.3	5
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.4	6
संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.5	7
प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम	1.6	8
लंबित एटीएन की स्थिति	1.7	9
ड्राफ्ट पैराग्राफ के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर	1.8	10
अध्याय II : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय		
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान		
कपटपूर्ण छुट्टी यात्रा रियायत दावों की प्रतिपूर्ति	2.1	15

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय III : आयुष मंत्रालय		
भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद		
अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त न होना	3.1	17
राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता		
राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान में चिकित्सा देखभाल सुविधाएं, कोलकाता	3.2	18
राष्ट्रीय आयुर्वेदिक औषध विकास अनुसंधान संस्थान, कोलकाता		
निधियों का अवरोधन	3.3	27
अध्याय IV : रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय		
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति		
अधिक भुगतान की गई सब्सिडी पर ब्याज वसूल न करना	4.1	31
अध्याय V : नागरिक विमानन मंत्रालय		
बैंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, बैंगलौर		
न्यासीय कर्तव्य की विफलता के कारण बकाया राशियों की संदिग्ध वसूली	5.1	34
अध्याय VI : कोयला मंत्रालय		
कोयला खान भविष्य निधि संगठन		
निधियों का प्रबंधन	6.1	36
अध्याय VII : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय		
कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)		
एपीईडीए द्वारा अप्रभावी मॉनीटरिंग	7.1	47

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय- VIII : संस्कृति मंत्रालय		
राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी		
भंडारण व्यवस्था पर व्यर्थ निवेश	8.1	52
टैगोर सांस्कृतिक भवन-समूह योजना		
वित्तीय नियमों का पालन न होने के कारण निधियों का अवरोधन व ब्याज की हानि	8.2	53
अध्याय- IX : विदेश मंत्रालय		
राजदूत के निवास हेतु किराए पर परिहार्य व्यय	9.1	55
आन्तरिक नियंत्रण के अभाव के कारण भारत के वाणिज्य दूतावास, सेन फ्रांसिसको में धोखाधड़ी	9.2	58
सरकारी लेखाओं से बाहर प्राप्ति एवं व्यय	9.3	64
नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, बिहार		
नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, बिहार की स्थापना एवं कामकाज	9.4	65
अध्याय-X : वित्त मंत्रालय		
झारखंड में जनजातीय क्षेत्र भत्ता का अनियमित भुगतान	10.1	79
अध्याय XI : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
कार्यालय निदेशक परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, मुंबई		
खराब निधि प्रबंधन के कारण परिहार्य समय एवं लागत का अतिरेक	11.1	81
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन		
जेडएलएन टेबलेट्स की खरीद पर अतिरिक्त व्यय	11.2	84

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाएं (मु.)		
नियमों का उल्लंघन करते हुए एक वाणिज्यिक उपक्रम को किराया मुक्त स्थान	11.3	88
जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडुचेरी		
जेआईपीएमईआर में अधिप्राप्ति प्रथाओं एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पर्याप्तता	11.4	91
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद		
वैज्ञानिकों को अनियमित लाभ देना	11.5	109
क्षेत्रीय चिकित्सा तथा अनुसंधान केन्द्र, डिबरूगढ़		
खराब निधि प्रबंधन	11.6	110
अध्याय XII : गृह मंत्रालय		
सीमांत मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), पटना		
छः साल से निधियों की अवरूद्धता एवं ब्याज की हानि	12.1	112
समन्वय पुलिस वायरलेस निदेशालय		
2011 में पूरे हुए भवनों का कब्जा स्थानांतरित करवाने में सीपीडब्लूडी और डीसीपीडब्लू की विफलता और व्यय प्रतिपादन पर निष्फल खर्च	12.2	113
सीवरेज प्रभारों का अपरिहार्य भुगतान	12.3	115
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)		
बिजली पर अधिक तथा दाण्डिक प्रभारों का परिहार्य भुगतान	12.4	116

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय XIII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
डाक्टर हरी सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर (एमपी)		
वित्तीय प्रबंधन एवं अवसंरचना विकास	13.1	119
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर		
अधिक भुगतान की अनियमित छूट	13.2	133
केन्द्रीय विद्यालय संगठन		
परियोजना केन्द्रीय विद्यालय पर अनियमित व्यय	13.3	134
मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर		
कार्य ठेका तथा सम्पदा प्रबन्धन में अनियमितताएं	13.4	137
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद		
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में निर्माण कार्यकलाप	13.5	151
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की		
निष्क्रिय व्यय	13.6	156
सेवाकर का अनियमित भुगतान	13.7	158
भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कोझीकोड		
पेंशन लाभों का अनियमित भुगतान	13.8	161
इलाहाबाद विश्वविद्यालय		
निष्फल व्यय	13.9	163

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
सरदार बल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत		
वेतन के गलत निर्धारण के कारण अधिक भुगतान	13.10	165
गुजरात विद्यापीठ		
मानव संसाधन प्रबंधन	13.11	167
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड		
चारदीवारी के निर्माण पर निष्फल तथा व्यर्थ व्यय	13.12	174
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय		
चिकित्सा भत्ता का अनियमित भुगतान	13.13	176
असम विश्वविद्यालय, सिल्चर		
निष्फल व्यय	13.14	177
पांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा एलटीसी दावों की अनियमित प्रतिपूर्ति	13.15	181
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर		
कैरियर एडवांस स्कीम के अनियमित कार्यान्वयन के कारण अधिक भुगतान	13.16	185
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		
निधियों का अवरोधन और अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त न करना	13.17	189
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास		
विद्युत खपत पर दण्ड प्रभारों के प्रति परिहार्य व्यय	13.18	190
हैदराबाद विश्वविद्यालय		
अध्यापन संकाय को परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान	13.19	191
हैदराबाद विश्वविद्यालय स्कूल का केन्द्रीय विद्यालय परियोजना स्कूल में अनुचित परिवर्तन	13.20	193

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय XIV : सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे	14.1	197
अध्याय- XV : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय		
सरकारी आवासों की अनाधिकृत कब्जे की निगरानी में विफलता	15.1	205
अध्याय XVI : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन	16.1	206
अध्याय- XVII : खान मंत्रालय		
भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण		
सेवा प्रभारों की वसूली न होना	17.1	222
अध्याय- XVIII : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
त्रुटिपूर्ण योजना बनाने के कारण निष्फल व्यय	18.1	225
अध्याय XIX : पोत-परिवहन मंत्रालय		
मुंबई पतन न्यास		
पार्किंग प्रभारों के संशोधन करने में विफलता के कारण राजस्व की हानि	19.1	227
कोलकाता पतन न्यास		
एक निजी दल से आशवासित सवार सह घाट भाड़ा प्रभारों की कम वसूली	19.2	229
महानिदेशक पोत परिवहन, मुंबई		
प्रत्याशित लाभों की गैर-प्राप्ति तथा निधियों का अवरोधन	19.3	232
विशाखापट्टनम पतन न्यास		
बकाया दावों की गैर-वसूली	19.4	235
शिक्षा शुल्क की अनियमित प्रतिपूर्ति	19.5	235
कोचीन पतन न्यास		
पट्टा करार को तैयार करने में उचित सचेतना की कमी के कारण राजस्व की हानि	19.6	237

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय-XX : कपड़ा मंत्रालय		
राष्ट्रीय जूट बोर्ड		
पूँजीगत आर्थिक सहायता के संवितरण पर योजना उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में विफलता	20.1	239
अध्याय XXI : जनजातीय मामले मंत्रालय		
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमि. (टीआरआईएफईडी)		
कार्यालयी परिसर के अधिग्रहण में हानि	21.1	241
अध्याय XXII : शहरी विकास मंत्रालय		
समापन-सह-अधिभोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होने के कारण वित्तीय हानि	22.1	244
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)		
विभागीय प्रभार वसूल करने में विफलता के कारण हानि	22.2	247
ठेकेदार को अनुचित लाभ	22.3	248
अध्याय XXIII : युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय		
नेहरू युवा केन्द्र संगठन में वित्तीय प्रबंधन (एनवाईकेएस)	23.1	250
अनुबंध	265 - 277	
परिशिष्ट	279 - 340	

प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान की धारा 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा आर्थिक/सामान्य एवं समाज सेवाओं के अंतर्गत उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेनदेनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वह हैं जोकि 2015-16 की अवधि हेतु जाँच लेखापरीक्षा के समय देखे गए थे, तथा जो पूर्व वर्षों में देखे गए थे, लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए गए थे, 2015-16 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को जहाँ कहीं आवश्यक है, भी शामिल किया गया है।

इस लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुरूप संचालित किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं जो सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए हैं। इसमें अधिक भुगतान, परिहार्य भुगतान, निष्फल व्यय, निधियों का अवरोधन तथा खराब योजना आदि से संबंधित ₹676.72 करोड़ के धन मूल्य वाले 62 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

उपयोग प्रमाण-पत्र

मार्च 2015 तक जारी अनुदानों के संबंध में ₹31153.13 करोड़ की राशि वाले 42314 उपयोग प्रमाण-पत्र 33 मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2016 तक (वित्तीय वर्ष जिसमें अनुदान जारी किए गए थे, के 12 महीनों के पश्चात्) बकाया थे।

(पैराग्राफ सं. 1.3)

कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन)

लोक लेखा समिति के अनुदेशों/सिफारिशों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के बीत जाने के पश्चात् भी 51 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी।

(पैराग्राफ सं. 1.7)

राष्ट्रीय होम्योपेथी संस्थान, कोलकाता (एनआईएच)

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा डीजीएचएस एवं भारतीय जन स्वास्थ्य मानदण्डों के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, बाह्य रोगी विभागों में रोगियों को एनआईएच द्वारा प्रदत्त सुविधाएं, तीन ओपीडी में प्रसाधन जल के रिसाव, अपर्याप्त वायुसंचार, अपर्याप्त बैठने की क्षमता तथा वाटर फिल्टर त्रुटिपूर्ण थे। एनआईएच ड्रग्स का पर्याप्त स्टॉक अनुरक्षित करने में विफल रहा, 2013-15 के दौरान किए गए 158 सर्जरियों के प्रति 2015-16 के दौरान केवल एक सामान्य सर्जरी की गई। छत के क्षतिग्रस्त होने के कारण 2013-16 के दौरान बाल चिकित्सा

वार्ड कार्य नहीं कर रहा था तथा 10 बच्चे महिला वार्ड में भर्ती किए गए थे। विभिन्न प्रयोगशाला उपकरणों का उपयोग न होने/कम उपयोग होने के कई उदाहरण थे।

(पैराग्राफ सं. 3.2)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

रियायत दर के अधोमुखी संशोधन के कारण अधिक दी गई सब्सिडी पर ₹25.78 करोड़ का ब्याज वसूल नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ सं. 4.1)

नागरिक विमानन मंत्रालय

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) एयरलाइनों से सुरक्षा शुल्क की शीघ्र वसूली करने के अपने न्यासीयों कर्तव्य को पूरा करे और इसे निलम्बलेख लेखा में जमा करे। परिणामतः एयरलाइनों के प्रति बकाया राशियां संचित हो गईं तथा किंगफिशर एयरलाइन्स के ₹9.19 करोड़ की वसूली संदिग्ध हो गई।

(पैराग्राफ सं. 5.1)

कोयला मंत्रालय

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

बीमांकिक सिफारिशों के गैर कार्यान्वयन के कारण, पेंशन निधि में अत्यधिक कमी, पेंशन निधि लेखे से भविष्य निधि लेखे में निधियों का गलत विपथन, भविष्य निधि की अपने कर्मचारियों के मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन न करने, ब्याज का गलत भुगतान, पेंशन का अतिरिक्त भुगतान, सात वर्षों से अधिक लापता ₹1.71 करोड़ की राशि, कारपोरेट लिक्विड टर्म डिपोजिट स्कीम से चालू खाताओं को न जोड़ने और प्रशासनिक प्रभारों के दरों की समीक्षा न होने के कारण कोल माइन्स भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के वित्तीय हित बुरी तरह प्रभावित हुए।

(पैराग्राफ सं. 6.1)

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय गैलरी आधुनिक कला

एक दशक से अधिक समय से राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में मुख्य पदों को भरने में संस्कृति मंत्रालय की विफलता का परिणाम 16582 कलाकृतियों को उत्कृष्ट भंडारण व्यवस्था में पुनर्स्थापित करने में विफलता में हुआ, जो मार्च 2014 से ₹ 3.81 करोड़ के व्यर्थ व्यय का कारण बना।

(पैराग्राफ सं. 8.1)

टैगोर सांस्कृतिक परिसर योजना

एक परियोजना को मॉनीटर करने और वित्तीय नियमों में वर्णित उचित अनुच्छेद को सम्मिलित करने में संस्कृति मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप टैगोर सांस्कृतिक परिसर के लिए योजना के अन्तर्गत गोवा सरकार को दी गई अप्रयुक्त अनुदान सहायता पर ₹2.14 करोड़ के अवरोधन हुआ और ₹0.86 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 8.2)

विदेश मंत्रालय

चांसरी के अध्यक्ष तथा अन्य द्वारा भारत के वाणिज्य दूतावास, सेन फ्रांसिस्को में धोखाधड़ी के तीन मामलों का पता चला जो आन्तरिक नियंत्रण के अभाव के कारण हुए थे। ये सरकारी स्टाफ कार की सर्विसिंग (₹3.37 लाख), कर्मचारियों को जाली वाहन प्रभारों की बड़े पैमाने पर तथा आवर्ती प्रतिपूर्ति (₹55.21 लाख) तथा स्थानीय मरम्मत फर्म को भुगतान पर प्रकल्पित धोखाधड़ी से संबंधित थे।

(पैराग्राफ सं. 9.2)

भारतीय दूतावास, टोक्यो ने सकूरा उत्सव 2015 के आयोजन के दौरान प्राप्ति तथा व्यय को दूतावास लेखे से बाहर रख कर सामान्य वित्तीय नियमावली तथा प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली का उल्लंघन किया।

(पैराग्राफ सं. 9.3)

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, बिहार

मंत्रालय द्वारा नियमित शासित बोर्ड जैसाकि अधिनियम में प्रावधान था, का गठन नहीं किया गया था। यद्यपि एन्डोमेन्ट समिति बनाई गई थी लेकिन वह अप्रभावशाली थी। विश्वविद्यालय शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु नियम एवं विनियम बनाने में असफल रहा तथा कुलपति तथा ओएसडी (विश्वविद्यालय नियोजन) की नियुक्ति में अनियमितताएं थीं कुलपति तथा ओएसडी (विश्वविद्यालय नियोजन) को ₹57.40 लाख राशि के आयकर की अनुचित प्रतिपूर्ति की गई थी। विश्वविद्यालय समय पर स्कूलों की स्थापना करने में विफल रहा तथा विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण-कार्य आरम्भ नहीं कर सका।

(पैराग्राफ सं. 9.4)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

जेडएलएन टेबलेट्स की अधिप्राप्ति में वित्तीय नियमों का अनुसरण करने में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) की विफलता के कारण ₹2.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 11.2)

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाएं (मु.)

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एचएलएल), आर.के पुरम, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के स्वामित्व वाले भवन में सरकारी तथा निजी रोगियों को नैदानिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। सीजीएचएस लाभभोगियों को 10 प्रतिशत की अपर्याप्त छूट के अतिरिक्त, एचएलएल वर्तमान आदेशों के अनुसार कोई किराया नहीं देती थी जिसके परिणामस्वरूप 2008-09 से दिसम्बर 2016 के दौरान ₹1.72 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 11.3)

**जवाहरलाल इन्स्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च
(जेआईपीएमईआर) पुडुचेरी**

विशेषज्ञ सलाहकार की नियुक्ति के बावजूद, उपकरण की स्थापना में विलम्ब हुआ तथा प्रयोगशालाएं शुरू नहीं हुईं। जेआईपीएमईआर में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में अवसररचना, मानव संसाधन तथा सेवाओं का अभाव था। अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली ओपीडी, ओपीडी में स्क्रीनिंग ओपीडी का अभाव, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं में डॉक्टर-रोगी का घटता अनुपात, नर्सिंग कार्मिकों की अपर्याप्त उपलब्धता, विशेषज्ञता-प्राप्त हस्तक्षेपीय दर्द प्रबंधन केन्द्र, ओटी की अपर्याप्तताएं, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी यूनिट, उन्नत इमेजिंग एवं प्रयोगशाला सेवाओं की अपर्याप्तताएं तथा निजी प्रयोगशालाओं एवं स्केन केन्द्रों पर निर्भरता पाई गई थी।

(पैराग्राफ सं. 11.4)

गृह मंत्रालय

समन्वय पुलिस वायरलेस निदेशालय

समन्वय निदेशालय पुलिस बेटार, कोहिमा, के लिए निर्मित कार्यालय सह आवासीय परिसर में पानी पूर्ति की संभाव्यता, परिसरों के अनाधिकृत कब्जे पर रोक और इलेक्ट्रिकल फिटिंग की चोरी सुनिश्चित करने में सीपीडब्लूडी असफल रहा। परिणामस्वरूप, जुलाई 2011 तक पूर्ण निर्मित परिसरों को हस्तांतरित नहीं किया जा सका था जिससे ₹2.98 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया था।

(पैराग्राफ सं. 12.2)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

डाक्टर हरीसिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान का पूर्णतया उपयोग करने में विफल रहा तथा इसने ₹6.53 करोड़ के अपेक्षाकृत कम ब्याज के साथ अव्ययित राशि वापस की। ये अपने किराएदारों से ₹48.38 लाख का किराया वसूल नहीं कर सका। केन्द्रीय उन्नत यंत्रविन्यास प्रयोगशाला सहित निर्माण

कार्यों में असाधारण विलम्ब हुए थे। निम्नतम बोलीदाता की उपेक्षा, निविदाओं को खोलने के बाद संशोधित बोलियों को स्वीकार करने और कोई कारण बताए बिना तकनीकी रूप से अयोग्य बोलीदाता से उपकरणों की खरीद के द्वारा उपकरण की प्राप्ति में जीएफआर के प्रावधानों के उल्लंघन पाए गये। पुनः निविदा आमंत्रण के बिना उच्च माडल की खरीद पर विश्वविद्यालय ने ₹1.26 करोड़ का अनियमित व्यय किया जो प्रयोगशाला का निर्माण पूरा न होने के कारण असंस्थापित पड़ा रहा।

(*पैराग्राफ सं. 13.1*)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

केवीएस ने लेखा संहिता में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में परियोजना केन्द्रीय विद्यालय (केवी) पर व्यय किया। 31 मार्च 2016 को 81 परियोजना केवी जिनमें से 34 बंद हो गए थे और उनसे वसूली की संभावना बहुत कम थी, से ₹59.67 करोड़ प्राप्य थे।

(*पैराग्राफ सं. 13.3*)

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर

एमएनआईटी का सम्पदा प्रबन्धन पर्याप्त नहीं था क्योंकि एमएनआईटी द्वारा ₹1163.77 करोड़ की कीमत वाली अतिक्रमण भूमि का अधिकार वापस प्राप्त करने और राजस्व विभाग के साथ अपने भूमि अभिलेखों का मिलान करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। एमएनआईटी ने पट्टेधारियों के साथ अनुबन्ध नहीं किया था और समय-समय पर किराये को पुनः निर्धारित नहीं किया गया था परिणामस्वरूप ₹58.67 लाख के किराया राजस्व की हानि हुई और ₹56.98 लाख का किराया पुनर्निर्धारण के बावजूद वसूल नहीं किया गया था। सभी छात्रों को हॉस्टल मुहैया नहीं किया गया था जैसा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की संविधियों के अधीन अपेक्षित था और 30.86 प्रतिशत छात्र हॉस्टल सुविधा से वंचित हुए थे। एमएनआईटी का कार्य ठेका तन्त्र अपूर्ण था क्योंकि आवासीय क्वार्टरों का आवश्यकता से अधिक निर्माण किया गया था। एमएनआईटी ने आर्थिक सहायता के लिए राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट

लिमिटेड (आरईआईएल) को ₹1.47 करोड़ का देय भुगतान किया और ठेकेदार के दावों से ₹3.22 करोड़ रोकने/काटने में विफल हो गया।

(पैराग्राफ सं. 13.4)

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

सीपीडब्ल्यू द्वारा निर्माण कार्य सौंपने में एक से 17 माह के विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹19.35 की अतिरिक्त लागत आई। राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईआईटी), अमेठी में प्रशासनिक तथा अकादमिक भवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹39.81 करोड़ का व्यय करने के बाद भी अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

(पैराग्राफ सं. 13.5)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन चार संस्थान (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, रुड़की, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, भारतीय प्रबन्धन संस्थान, रांची तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना और सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान (भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता) ने बाहर से ली गई सेवाओं पर कुल ₹12.42 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया जबकि ये सेवाएं ऐसे कर के भुगतान से मुक्त थीं।

(पैराग्राफ सं. 13.7)

गुजरात विद्यापीठ

अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ के लिए जीओआई प्रतिमानों के अनुसार पद आधारित रोस्टर अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। अध्यापन तथा गैर-अध्यापन पदों में नियुक्तियां यूजीसी/जीओआई निर्देशों के उल्लंघन में की गई थीं जिसके परिणामस्वरूप ₹2.29 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 13.11)

पांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने छुट्टी रियायत का लाभ लेने के लिए एमओएफ मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में अप्राधिकृत एजेंटों से अपने कर्मचारियों

द्वारा खरीदे गए एयर टिकटों के प्रति 2012-16 के दौरान ₹6.90 करोड का हवाई किराया अनियमित रूप से प्रतिपूर्ति किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खडगपुर ने दावों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के बावजूद ₹1.14 करोड का एलटीसी अग्रिम वसूल नहीं किया जिसमें से ₹19.85 लाख जब्त किया जाना था। एयरलाइनों के साथ दावों के प्रति सत्यापन से भी पता चला कि आईआईटी खडगपुर तथा आईआईटी बॉम्बे द्वारा प्रतिपूर्ति हवाई किराए ₹18.56 लाख तक बढ़ाकर किए गए थे।

(पैराग्राफ सं. 13.15)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे

छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने निर्धारित पाठ्यक्रमों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसका परिणाम छात्रों का पाठ्यक्रम के अनुसूचित समयावधि से अधिक समय तक छात्रावास में रहने में हुआ। शैक्षणिक वर्ष 2010-11, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान दाखिले रूके रहे थे। छात्र अपने निर्धारित पाठ्यक्रमों की समयावधि के बाद भी बगैर किसी छात्रावास शुल्क/छात्रावास प्रभार के ही शैक्षणिक नामावली पर तथा छात्रावासों में बने रहे जिसकी वजह से ₹ 11.83 करोड़ की राजस्व हानि हुई। सेवा कर के अनियमित भुगतान, अग्रिम अदायगी का अधिक दिया जाना/जारी करना तथा बगैर किसी अनुरूप लाभ के परामर्शी शुल्क पर निष्फल व्यय के मामले पाए गए थे।

(पैराग्राफ सं. 14.1)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

पीएमईजीपी की सफलता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न संरचनात्मक कमियों द्वारा बाधित हुई। विभिन्न एजेंसियों के पास योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी निधियां व्यर्थ पड़ी रही। कार्यक्रम कार्यकलापों की निगरानी तथा नियंत्रण खराब था। प्रत्यक्ष सत्यापन में भी पिछला कार्य शेष था। यहां तक कि

जहां पर भी प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था वहां पर भी परिणामों पर आगे की कार्यवाही नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ सं. 16.1)

पोत परिवहन मंत्रालय

मुंबई पतन न्यास

पार्किंग प्रभारों के संशोधन करने के मुंबई पतन न्यास की विफलता का परिणाम पिछले छः वर्षों से केवल रात्रि पार्किंग प्रभारों पर ₹23.10 करोड़ के राजस्व की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 19.1)

कपड़ा मंत्रालय

राष्ट्रीय जूट बोर्ड

राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा 16 जूट इकाईयों को ₹3.80 करोड़ की आर्थिक सहायता प्लांट एवं मशीनों के अधिग्रहण (पूजीगत सहायता) योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में दी गई।

(पैराग्राफ सं. 20.1)

जनजातीय मामले मंत्रालय

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमि. (टीआरआईएफईडी)

जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा पर्याप्त आकलन के अभाव में तथा कार्यालयी परिसर हेतु लागू शर्तों के अनुसार टीआरआईएफईडी की विफलता के परिणामस्वरूप तीसरी किश्त (₹5.20 करोड़) का असामयिक भुगतान, ब्याज का समग्र घाटा (₹3.15 करोड़) तथा रद्द किए गए प्रभारों (₹0.54 करोड़) का अनावश्यक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 21.1)

युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस)

वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक ₹46.73 करोड़ के अव्ययित शेष, जो युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय द्वारा भावी अनुदानों से समायोजित किया जाना अपेक्षित था, सामान्य प्रयोजन अनुदानों में असमायोजित पड़ा था। एनवाईकेएस में चिन्हित निधियों के दुरुपयोग के मामले देखे गए जिसके कारण निधियां व्यर्थ पड़ी रही। एनवाईकेएस ने 2012-13 से 2014-15 तक के वर्षों के वार्षिक लेखाओं को 12 से 19 महीनों तक के विलम्ब से अंतिम रूप दिया था। लेखाओं को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से खरीदा गया टेली सॉफ्टवेयर का एनवाईकेएस द्वारा अनुकूलतम उपयोग नहीं किया गया था। 338 जिलों में, जिला युवा समन्वयक तथा लेखा लिपिक-सह-टंककों की भारी कमी थी। अलीपुर तथा भुवनेश्वर के भुगतान एवं लेखा कार्यालय में भी 13 महीनों से 9 वर्षों तक के लिए ₹1.66 करोड़ राशि की निधियों के व्यर्थ पड़े रहने के उदाहरण देखे गये थे।

(पैराग्राफ सं. 23.1)

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कि, क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों, अन्य लागू नियमों, नियमावली, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है, का उल्लेख करती है। अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों तथा अनुदेशों की वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा विवेक की जांच करना भी शामिल होता है। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की ओर से उसके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। ये मानक वे मानदण्ड निर्धारित करते हैं जिनकी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा संचालन करने में पालन करने की अपेक्षा की जाती है और उनके पालन न होने तथा दुरुपयोग के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन तथा लेखापरीक्षित संस्थाओं के आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में विद्यमान कमी की सूचना देना अपेक्षित होता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से, कार्यकारी अधिकारी को शोधक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने तथा उन नीतियों और निर्देशों को बनाने की अपेक्षा की जाती है, जो संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबंधन का मार्गदर्शन करेंगे, इस प्रकार, ये बेहतर शासन के लिए योगदान दे सकें।

मार्च 2016 के अंतर्गत 102¹ सिविल अनुदानों को सम्मिलित करने वाले सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों के विगत दो वर्षों के दौरान सकल प्रावधान एवं व्यय नीचे तालिका-1 में दिये गये हैं।

¹ इसमें रक्षा सिविल अनुदान (2), दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनुदान (2), संघ शासित क्षेत्र (विधायिका रहित) अनुदान (5), वैज्ञानिक विभाग (10) तथा केन्द्रीय प्राप्तियां (3) शामिल हैं।

तालिका-1: सकल प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

	2014-15			2015-16		
	सकल प्रावधान	सकल व्यय	बचतें	सकल प्रावधान	सकल व्यय	बचतें
राजस्व (प्रभारित)	5,19,519	4,91,298	28,221	5,70,014	5,46,699	23,315
राजस्व (दत्तमत)	10,81,137	9,64,415	1,16,722	10,55,700	9,92,772	62,928
पूँजीगत (प्रभारित)	40,77,324	37,19,863	3,57,461	42,46,002	37,50,287	4,95,714
पूँजीगत (दत्तमत)	1,47,595	1,14,108	33,487	2,56,908	2,39,715	17,194
कुल	58,25,575	52,89,684	5,35,891*	61,28,624	55,29,473	5,99,151*

* 2014-15, में, ₹ 5,51,532 करोड़ सकल बचतों एवं ₹ 15,641 करोड़ के आधिक्य में से ₹ 5,35,891 करोड़ की निवल बचत देय थी। 2015-16 में, ₹ 5,99,151 करोड़ निवल बचतें, ₹ 5,99,361 करोड़ सकल बचत एवं ₹ 210 करोड़ के आधिक्य में देय था।

इस प्रतिवेदन में, 2015-16 तक लेनदेनों की लेखापरीक्षा के फलस्वरूप उद्भूत सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत सिविल मंत्रालयों/विभागों एवं 80 सिविल अनुदानों को आवृत्त करने वाले उनके स्वायत्त निकायों (रक्षा, वैज्ञानिक व पर्यावरण, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी डाक, संघ शासित क्षेत्र (विधायिका रहित), राजस्व एवं रेलवे विभाग को छोड़कर) से संबंधित अभ्युक्तियां शामिल की गयी हैं। इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान किये गये सकल व्यय निम्न तालिका-2 में दर्शाये गये हैं:

तालिका-2: सकल व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	2013-14	2014-15	2015-16
1.	कृषि	26056.69	26572.32	22778.34
2.	आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी	731.55	685.19	1112.14
3.	रसायन एवं ऊर्वरक	72625.25	75411.37	77966.79

4.	नागरिक उड़डयन	6954.59	6626.28	4168.10
5.	कोयला	1329.45	1572.50	1669.72
6.	वाणिज्य एवं उद्योग	6606.51	7438.02	7400.47
7.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	104038.31	129663.57	162384.89
8.	कार्परिट मामले	229.22	226.23	404.48
9.	संस्कृति	1991.73	2069.19	2011.83
10.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का विकास	1878.63	1761.01	2036.68
11.	पेय जल एवं स्वच्छता	11941.03	12201.46	13481.18
12.	विदेश मामले	11807.35	12148.82	14472.95
13.	वित्त	4125322.51	4340806.54	4487273.80
14.	खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग	541.93	596.74	504.44
15.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	31162.47	33046.65	35390.48
16.	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम	1392.57	1621.43	944.46
17.	गृह मामले	55724.67	61573.53	70006.68
18.	आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	1086.24	2735.40	1766.16
19.	मानव संसाधन विकास	91509.98	91249.07	86657.36
20.	प्रौद्योगिकी एवं प्रसारण	2828.22	3158.53	14681.30
21.	श्रम एवं रोजगार	4415.68	4320.66	4832.02
22.	विधि एवं न्याय	1993.35	1932.84	3127.96
23.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2626.12	2767.82	2834.41
24.	खनन	1037.41	868.16	993.80
25.	अल्पसंख्यक मामले	3026.74	3090.51	3654.85
26.	विदेशी भारतीय मामले	84.80	64.09	68.34
27.	पंचायती राज	3462.08	3390.56	208.67
28.	संसदीय मामले	11.36	13.79	15.09
29.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	947.83	1041.80	1127.29
30.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	85418.39	60310.18	31286.74
31.	योजना	1733.38	1808.33	1781.03
32.	विद्युत	5513.69	13817.43	9216.23

33.	राष्ट्रपति, लोक सभा, राज्य सभा, संघ लोक सेवा आयोग, उपराष्ट्रपति का सचिवालय एवं निर्वाचन आयोग	1069.21	1057.98	1189.81
34.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	46011.63	54493.73	84986.39
35.	ग्रामीण विकास	99983.54	111136.62	121366.19
36.	पोत परिवहन	1870.20	1340.21	1689.47
37.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	--	--	1007.47
38.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	5519.90	5802.88	6309.64
39.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	4843.37	4068.78	4178.40
40.	इस्पात	78.02	71.31	31.90
41.	वस्त्र	3954.98	3987.87	4145.98
42.	पर्यटन	1029.20	987.03	903.94
43.	जनजातीय मामले	3839.35	3852.68	4495.18
44.	शहरी विकास	9533.55	13409.64	18752.54
45.	महिला एवं बाल विकास	18038.59	18541.14	17260.28
46.	युवा मामले एवं खेल	1143.78	1144.14	1460.90
कुल		4862945.08	5124484.00	5334036.79

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा करना तथा संसद को सूचित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 तथा 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 से प्राप्त हुआ है। सीएजी, सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम² की धारा 13³ तथा 17⁴ के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा सीएजीद्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए निकायों

² नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971।

³ (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे, से संबंधित लेनदेनों, (iii) सभी व्यापक, विनिर्माण, लाभ एवं हानि

⁴ संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गये भण्डार तथा स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा रिपोर्ट

की लेखापरीक्षा सांविधिक रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 (अधिनियम) की धारा 19(2) के अंतर्गत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों अथवा संस्थाओं) की लेखापरीक्षा जनहित में उसी अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत सीएजी को सौंपी गई है। इसके अलावा, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी) जो मूलतः भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा वित्तपोषित हैं, की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा अधिनियम की धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

1.3 उपयोग प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, वैधानिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों में उपयोग प्रमाण-पत्रों को संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति से 12 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। 33 मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2016 तक देय मार्च 2015 तक जारी अनुदानों में ₹31,153.13 करोड़ की धनराशि के बकाया कुल 42314 उपयोग प्रमाण-पत्रों की स्थिति दर्शाते हुए मंत्रालय/विभाग वार (वित्त वर्ष के 12 माह बाद जिसके लिए अनुदान प्रदान किये गये थे) ब्यौरे परिशिष्ट-1 में दिये गये हैं।

10 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मार्च 2016 तक बड़ी राशि के बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गयी है:

31 मार्च 2016 तक बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2015 को समाप्त अवधि हेतु	
		संख्या	राशि
1.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ⁵	832	1942.98
2.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1671	8855.02
3.	उच्च शिक्षा विभाग	2444	1318.25
4.	शहरी विकास मंत्रालय	304	3113.66


⁵ केवल कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग के आंकड़े शामिल हैं।

5.	जनजातीय मामले मंत्रालय	368	1301.83
6.	आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	543	3091.59
7.	भारी उद्योग विभाग	15	1301.92
8.	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	439	1133.52
9.	विधि एवं न्याय मंत्रालय	7	3125.00
10.	वस्त्र मंत्रालय	4829	1862.53
	कुल	11452	27046.30

1.4 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले प्रलेखों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी, कि लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को अपने लेखे, तीन माह की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेने चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

वर्ष 2014-15 के लिए, 364 सीएबी के लेखाओं की लेखापरीक्षा, सीएजीद्वारा की जानी थी। इनमें से 152 सीएबी के लेखे, देय तिथि के बाद दिये गये थे, जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:



सीएबी जिनके लेखे दिसम्बर 2015 को तीन माह से अधिक विलम्बित थे के विवरण परिशिष्ट-II में दिये गये हैं।

1.5 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर प्रस्तुत प्रलेखों पर समिति ने, अपने प्रथम प्रतिवेदन (1975-76) में, सिफारिश की थी कि स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष लेखांकन-वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर अर्थात आगामी वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किये जाएं।

31 अक्टूबर 2016 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति की स्थिति निम्न प्रकार है:

लेखे का वर्ष	निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गये थे, लेकिन संसद के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किये गये	देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की कुल संख्या
2012-13	11	शून्य
2013-14	09	03
2014-15	13	40

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

सीएबी के विवरण, जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये, **परिशिष्ट-III** तथा **परिशिष्ट-IV** में दिए गए हैं।

1.6 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित प्रत्येक स्वायत्त निकाय द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रमाणित लेखे के साथ संलग्न करके संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16 हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ **परिशिष्ट-V** में दी गई हैं।

वर्ष 2015-16 हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों/मंत्रालयों के लेखाओं में पाई गई महत्वपूर्ण कमियाँ निम्नानुसार हैं:

- (क) 104 स्वायत्त निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी (**परिशिष्ट-VI**)।
- (ख) 91 स्वायत्त निकायों की स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-VII**)।
- (ग) 73 स्वायत्त निकायों की वस्तु-सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-VIII**)।
- (घ) 41 स्वायत्त निकाय प्राप्ति/रोकड़ आधार पर अनुदानों की गणना कर रहे थे, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के साथ संगतपूर्ण नहीं थी (**परिशिष्ट-IX**)।
- (ङ) 139 स्वायत्त निकायों ने ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों की गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं की है (**परिशिष्ट-X**)।


(च) छः स्वायत्त निकायों द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य-ह्रास नहीं दिया गया था (परिशिष्ट-XI)।

(छ) 28 स्वायत्त निकायों ने लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर अपने लेखाओं को संशोधित किया (परिशिष्ट-XII)। लेखापरीक्षा के परिणाम का प्रभाव था परिसंपत्तियों/ देयताओं में ₹ 38.85 करोड़ की निवल वृद्धि और अधिशेष में ₹ 4.32 करोड़ की निवल वृद्धि।

1.7 लंबित एटीएन की स्थिति

संसद को दिनांक 17 अगस्त 1995 को प्रस्तुत अपनी 105वीं रिपोर्ट (10वीं लोकसभा - 1995-96) में लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि सीएजी के प्रतिवेदनों के सभी पैराओं पर कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) 31 मार्च 1996 के बाद से आरंभ होने वाले सदन के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की तिथि से 4 माह की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। तदन्तर, व्यय विभाग के अधीन एक मॉनीटरिंग सैल का सृजन किया गया है जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त विविध लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् रूप से जांच किए गए उपचारी/शोधक एटीएन के संग्रहण तथा समन्वयन और उनको संसद को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार माह की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया है।

2015 मार्च को समाप्त अवधि तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) में शामिल पैराओं पर एटीएन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा से दिसंबर 2016 तक निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई



117 पैराग्राफ में से, जिन पर एटीएन भेजने की आवश्यकता थी, 51 पैरों से संबंधित एटीएन प्राप्त ही नहीं हुए थे, जबकि शेष 66 जिन पर पत्राचार हो रहा था वे विभिन्न चरणों में बकाया थे। वर्ष-वार ब्यौरे **परिशिष्ट XIII** में दर्शाये गये हैं।

1.8 ड्राफ्ट पैराग्राफ के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के अपने उत्तर पैराग्राफों की प्राप्ति के छः सप्ताहों के भीतर प्रेषित करने के निर्देश जारी किए। तदनुसार, ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है तथा निवेदन किया जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर दें।

निम्नलिखित मामलों में मंत्रालयों/विभागों ने कार्रवाई की है तथा वसूलियों के लिए आदेश दिया जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	लेखापरीक्षा द्वारा संकेतित अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि	वसूली गयी राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई
1.	सीजीएचएस मुख्यालय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सी जी एच एस लाभ प्राप्त करने वाले स्वायत्त निकायों से सेवा शुल्क के संग्रहण में विफलता	2.43	13.96	लेखापरीक्षा ने एबी द्वारा लाभ उठाने के साथ सेवा शुल्क को जोड़ने में सीजीएचएस की विफलता की ओर इंगित किया पाँच नमूना परीक्षित मामलों में लेखा परीक्षा द्वारा मामले को उठाने के बाद, सीजीएचएस ने स्थिति का सुमेलन किया और 2012-16 की अवधि में 41 एबी से ₹ 13.96 करोड़ की बकाया राशि की वसूली की।
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	कृषि एवं किसान कल्याण	कॉर्पस पर अर्जित ब्याज राशि की कम वसूली	7.49	8.92	आइसीएआर जीवनयापन हेतु कृषि में जल उत्पादन बढ़ाने के लिए जारी कॉर्पस पर अर्जित ब्याज की वसूली करने में असफल रहा था। यद्यपि इसने कॉर्पस की वसूली की थी लेकिन ब्याज के परिकलन हेतु समूची अवधि की पहचान करने में असफल रहा

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	लेखापरीक्षा द्वारा संकेतित अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि	वसूली गयी राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई
						था। मुद्दे को इंगित किये जाने के बाद इसने कुल अवधि को फिर से गणना करके कॉर्पस पर अर्जित किये गये ₹ 8.92 करोड़ की वापसी की थी।
3.	विशाखापट्टनम पतन न्यास	पोत परिवहन	क्षतियों की लागत अग्रिम बर्थ आरक्षण शुल्क, जलयान संबंधी शुल्कों का कम संग्रहण एवं दाण्डिक प्रभारों का उदग्रहण एवं संग्रहण नहीं होना।	4.94	4.94	लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर ₹ 4.94 करोड़ की कुल धनराशि निम्नलिखित रूप में वसूल की गयी थी: क्षतियों के लागत का कम संग्रहण (₹ 1.74 करोड़) अग्रिम बर्थ आरक्षण शुल्क (₹ 0.70 करोड़), जलयान संबंधी शुल्क (₹ 1.34 करोड़) दाण्डिक प्रभारों का उदग्रहण एवं संग्रहण नहीं होना (₹ 1.16 करोड़)।
4.	शहरी विकास (राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम)	शहरी विकास	दो परियोजनाओं के निर्माण हेतु एनबीसीसी को जारी निधियां एनबीसीसी द्वारा लौटायी नहीं गयी थीं।	7.87 (₹ 3.13 करोड़ के ब्याज सहित)	4.91	एमओयूडी ने एनबीसीसी को दो निर्माण परियोजनाएं असम एवं मेघालय) क्रमशः 2003 एवं 2008 में आबंटित की थी। पहले मामले

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	लेखापरीक्षा द्वारा संकेतित अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि	वसूली गयी राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई
						में निर्माण कार्य को असम सरकार को हस्तांतरित किया गया था परंतु एनबीसीसी ने इसे जारी ₹ 1.88 करोड़ की धनराशि को नहीं लौटाया था। दूसरे मामले में ₹ 2.86 करोड़ की शेष राशि को निर्माण कार्य की समाप्ति के बाद एनबीसीसी को वापस लौटा दिया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दे को उठाने पर, एनबीसीसी ने ₹ 17 लाख के ब्याज सहित ₹ 4.91 करोड़ लौटाया था।
5.	केन्द्रीय लोक निर्माण प्रभाग, बडोदरा	शहरी विकास	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर का प्रेषण न होना	1.82	1.20	अप्रैल 2011 एवं मार्च 2016 के मध्य सीपीडब्ल्यूडी) वडोदरा ने ₹ 1.20 करोड़ भवन एवं अन्य निर्माण का श्रमिक कल्याण उपकर संग्रहित किया लेकिन उसे कल्याण.बोर्ड को प्रेषित नहीं किया था। इस राशि को

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	लेखापरीक्षा द्वारा संकेतित अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि	वसूली गयी राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई
						लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर प्रेषित किया गया। तथापि ₹ 62 लाख के दाण्डिक ब्याज का प्रेषण नियमों के निर्धारणानुसार नहीं किया गया था।
कुल					33.93	

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके एबी से संबंधित 62 पैराग्राफ शामिल हैं, जिसमें ₹ 676.72 करोड़ का धन मूल्य शामिल है। 59 लेखापरीक्षा पैराओं के उत्तर प्राप्त हुए थे तथा उन्हें उचित प्रकार से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

अध्याय II : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

2.1 कपटपूर्ण छुट्टी यात्रा रियायत दावों की प्रतिपूर्ति

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों ने नकली छुट्टी यात्रा रियायत दावे प्रस्तुत किए जिनके परिणामस्वरूप ₹7.06 लाख की अनियमित प्रतिपूर्ति हुई।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा जारी दिनांक 26 सितम्बर 2014 के कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान है "सभी पात्र सरकारी कर्मचारी अपने होम टाउन एलटीसी के एक ब्लॉक को बदल कर उसके बदले पूर्वोत्तर क्षेत्र/अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह/जम्मू एवं कश्मीर में किसी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठा सकते हैं। हवाई यात्रा के पात्र कर्मचारी यह एलटीसी अपने मुख्यालय से इकॉनॉमी क्लास में ले सकते हैं। हवाई यात्रा इकॉनॉमी क्लास में तथा एलटीसी-80 किराए अथवा कम पर केवल एयर इण्डिया द्वारा ही की जा सकती है। हवाई टिकटें सीधे एयरलाइन्स (एयर इण्डिया के बुकिंग काउंटरों, वेबसाइट) से अथवा प्राधिकृत यात्रा एजेंटों अर्थात् मै. बॉमर लॉरी एण्ड कम्पनी, मै. अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूअर्स तथा भारतीय रेलवे खानपान तथा पर्यटन निगम" की सेवाओं का प्रयोग करके ही खरीदी जानी चाहिए।

वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के कर्मचारियों के एलटीसी अभिलेखों की नमूना जांच से उसके चार कर्मचारियों¹ द्वारा दावों की धोखाधड़ी का पता चला जिन्होंने हवाई यात्रा एयर इण्डिया द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए की थी। लेखापरीक्षा ने कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत दावों का एयरलाइन द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों से मिलान किया और पाया कि दावों के साथ प्रस्तुत किए गए बिल जाली थे। कर्मचारियों द्वारा दावा किए गए किराए एयरलाइन को वास्तव

¹ 2 मुख्य तकनीकी अधिकारी, 1 तकनीकी अधिकारी तथा 1 वरिष्ठ वैज्ञानिक।

में दी गई राशि से अधिक थे। इसके अतिरिक्त इन मामलों में हवाई टिकटें वर्तमान नियमों/अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए निजी एजेंटों के माध्यम से बुक कराई गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹7.06 लाख की राशि के दावों की अनियमित प्रतिपूर्ति की गई।

इसे बताए जाने पर (जून 2016), आईएआरआई ने बताया (सितम्बर 2016) कि कर्मचारियों को किए गए एकमुश्त भुगतान की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मामला जुलाई 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय III : आयुष मंत्रालय

भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद

3.1 अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त न होना

समयबद्ध ढंग में अतिथि गृह के निर्माण हेतु निधियां प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप अतिथि गृह अक्रियाशील रहने और अतिथि गृह के निर्माण का अभिप्रेत उद्देश्य ₹1.40 करोड़ का व्यय करने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएवंएफडब्ल्यू), भारतीय औषधि औषधि प्रयोगशाला, गाजियाबाद (पीएलआईएम) में अतिथि गृह/प्रशिक्षण छात्रावास के निर्माण हेतु ₹190.00 लाख (अतिथि गृह के निर्माण हेतु ₹160.00 लाख तथा ₹30.00 लाख अतिथि गृह के सुसज्जा हेतु) का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (जनवरी 2011)।

पीएलआईएम के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (दिसम्बर 2014) से पता चला कि सीपीडब्ल्यूडी ने 12 महीने की निर्धारित समय सीमा के साथ अतिथि गृह का निर्माण कार्य शुरू किया (अप्रैल 2011)। चारदीवारी, पहुंच मार्ग तथा सुसज्जा कार्य को छोड़कर निर्माण कार्य अप्रैल 2013 में पूरा कर लिया गया था। आगे यह भी देखा गया था कि पीएलआईएम ने उपर्युक्त कार्य के लिए 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹190.00 लाख संस्वीकृत लागत के प्रति तीन किशतों में ₹140.00 लाख दिए थे। निदेशक पीएलआईएम ने सीपीडब्ल्यूडी, गाजियाबाद को सुसज्जीकरण सहित निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया (सितम्बर 2014) तथा 2014-15 में शेष राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया। सीपीडब्ल्यूडी ने भवन के निर्माण कार्य के समापन तिथि के तीन वर्ष बीतने के बाद भी निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य (चारदीवारी, पहुंच-मार्ग और सुसज्जीकरण) पूरा नहीं किया।

पीएलआईएम ने उत्तर दिया (सितंबर 2016) कि पहुंच मार्ग, चारदीवारी तथा सुसज्जीकरण के अतिरिक्त निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया था तथा ₹19.70 लाख की अतिरिक्त राशि 31 मार्च 2016 को जारी की गई थी। उसने यह भी कहा कि पहुंच मार्ग तथा सुसज्जीकरण कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत अनुमान, समेकित वित्त प्रभाग के अनुमोदनार्थ मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होगा, निधियां सीपीडब्ल्यूडी को जारी कर दी जाएंगी।

पीएलआईएम का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पीएलआईएम, सीपीडब्ल्यूडी को संस्वीकृति राशि जारी करने में विफल रहा तथा एमएचएण्डएफडब्ल्यू को सज्जीकरण कार्य हेतु ₹28.26 लाख का अनुमान उसके अनुमोदन हेतु लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए जाने के बाद ही भेजा (अगस्त 2016)। अतिथि गृह का विगत तीन वर्षों से इस्तेमाल नहीं हो रहा क्योंकि उसे सीपीडब्ल्यू डी द्वारा सज्जित नहीं किया गया था और पीएलआईएम को सौंपा भी नहीं गया था।

इस प्रकार, अतिथि गृह के निर्माण का अभिप्रेत उद्देश्य ₹140.00 लाख का व्यय करने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि पीएलआईएम समयबद्ध ढंग में परियोजना हेतु निधियां उपलब्ध कराने में विफल रहा।

मामला जून 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (एनआईएच)

3.2 राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान में चिकित्सा देखभाल सुविधाएं, कोलकाता

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा डीजीएचएस एवं भारतीय जन स्वास्थ्य मानदण्डों के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) में रोगियों को एनआईएच द्वारा प्रदत्त सुविधाएं, तीन ओपीडी में प्रसाधन जल के रिसाव, अपर्याप्त वायुसंचार, अपर्याप्त बैठने की क्षमता तथा वाटर फिल्टर त्रुटिपूर्ण थे। एनआईएच ड्रग्स का पर्याप्त स्टॉक अनुरक्षित करने में विफल रहा, 2013-15 के दौरान किए गए 158 सर्जरियों की तुलना में 2015-16 के दौरान केवल एक

सामान्य सर्जरी की। छत के क्षतिग्रस्त होने के कारण 2013-16 के दौरान बाल चिकित्सा वार्ड कार्य नहीं कर रहा था तथा 10 बच्चे महिला वार्ड में भर्ती किए गए थे। विभिन्न प्रयोगशाला उपकरणों का उपयोग न होने/कम उपयोग होने के कई उदाहरण थे।

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (एनआईएच) की स्थापना आयुष मंत्रालय (मंत्रालय) के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1975 में हुई थी। एनआईएच, बीएचएमएस² तथा एमडी³ की डिग्रियां देने के लिए क्रमशः पूर्व स्नातक (यूजी) स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम चलाता है। एनआईएच दिसम्बर 1975 से 60 बिस्तर की क्षमता वाले अस्पताल का संचालन करता है, जिसे बाद में जून 2008 में 100 बिस्तर की क्षमता तक बढ़ा दिया गया था। सरकारी निकाय शीर्षस्थ निकाय है तथा निदेशक, एनआईएच का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। यह पता लगाने के लिए कि एनआईएच रोगियों को प्रभावी चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान कराता है, मई 2016 से सितम्बर 2016 तक एनआईएच की लेखापरीक्षा की गई थी जिसमें 2013-14 से 2015-16 की अवधि शामिल की गई थी। लेखापरीक्षा एनआईएम को उपलब्ध सरकार गए अभिलेखों की नमूना जांच तथा अभिलेखों की संवीक्षा द्वारा की गई थी। अपने उत्तर (दिसम्बर 2016) में एनआईएच ने कहा कि निम्नलिखित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उपचारी कार्रवाई की जा रही है, तथापि अपने दावे के समर्थन में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

3.2.2 अस्पताल का कामकाज

2013-16 के दौरान बाह्य रोगी-विभाग (ओपीडी) तथा अन्तरंग रोगी विभाग (आईपीडी) में उपचारित रोगियों की स्थिति तालिका-1 में दी गई है:

² बेचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी

³ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (होम्योपैथी)

तालिका- 1

वर्ष	ओपीडी		आईपीडी	
	वार्षिक रूप से उपचारित रोगियों की कुल संख्या	दैनिक ⁴ रूप से उपचारित रोगियों की कुल संख्या (रेंज)	वार्षिक रूप से उपचारित रोगियों की कुल संख्या	दैनिक रूप से उपचारित रोगियों की कुल संख्या (रेंज)
2013-14	288051	133-2469	653	08-69
2014-15	303749	174-1956	611	12-53
2015-16	306855	126-2009	654	16-63

3.2.3 बाह्य रोगी विभाग

एनआईएच में एक सप्ताह में छः दिन के लिए 16 ओपीडी का संचालन कर रही थी। एनआईएच रोगियों को औषधालय से निःशुल्क औषधि तथा नाममात्र लागत पर जांच सुविधा⁵ उपलब्ध कराती है। रोगियों को प्रदान की गई सुविधाओं में निम्नलिखित त्रुटियां पायी गई थी:

3.2.3.1 प्रसाधन जल का रिसाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) सिफारिश⁶ करता है कि आन्तरिक सतहों पर तथा भवन के ढांचों में लगातार नमी⁷ तथा जीवाणुओं की वृद्धि से बचा जाना चाहिए अथवा उसे न्यूनतम किया जाना चाहिए क्योंकि उनके कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यह पाया गया था कि बीमों तथा सीलिंग में दरारों के कारण अस्पताल भवन के प्रथम तल से प्रसाधन के पानी का भूमि तल की तीन ओपीडी में रिसाव हो रहा था। उन ओपीडी में निरन्तर नमी का रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए एनआईएच ने कहा (दिसम्बर 2016) कि मरम्मत/नवीकरण से संबंधित मामला, सीपीडब्ल्यूडी के साथ उठाया गया था।

⁴ त्यौहार से लगते दिनों पर रोगियों की उपस्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया था, रेंज सप्ताह के छः दिनों (सोमवार से शनिवार) को ध्यान में रखकर निकाली गई है।

⁵ पैथोलॉजी, जैव-रसायन, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, फेफड़ों के कार्य की जांच, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी।

⁶ आन्तरिक हवा गुणवत्ता: नमी तथा फूँदी के लिए डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देशों का पैरा 5.3

⁷ जल क्षति, रिसाव अथवा वेधन का इतिहास शामिल है।

3.2.3.2 अनुचित वायुसंचार

डब्ल्यूएचओ इस बात की वकालत करता है कि सभी स्थानों में वायुसंचार प्रभावी रूप से वितरित किया जाना चाहिए तथा स्थिर हवा मंडलों से बचा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि ओपीडी कक्षाओं तथा प्रतीक्षा कक्षाओं में घुटन थी और उनमें पर्याप्त वायुसंचार नहीं था। अगस्त 2013 में, यद्यपि ओपीडी प्रभारी ने समुचित वायुसंचार की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल दिया था, तथापि एनआईएच द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एनआईएच अभ्युक्ति स्वीकार की और बताया (दिसम्बर 2016) कि मरम्मत नवीकरण से संबंधित मामला सीपीडब्ल्यूडी के साथ उठाया गया था।

3.2.3.3 अपर्याप्त बैठने/पेयजल की सुविधा

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (डीजीएचएस) के भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार, अस्पतालों में पूछताछ काउंटर, बैठने की समुचित व्यवस्था, पेय जल तथा सीलिंग फैन होने चाहिए। तथापि रोगियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ओपीडी रोगियों के बैठने की व्यवस्था तथा पानी के फिल्टर (9000-12000 लीटर पानी प्रति दिन⁸ की मांग के प्रति विद्यमान दो फिल्टर 2400 लीटर पानी की आपूर्ति कर रहे हैं) अपर्याप्त थे। इसके अतिरिक्त पंजीकरण शैड (टिन की छत वाला) में कोई पंखा नहीं लगाया गया था। इसके अतिरिक्त कोई समर्पित सूचना काउंटर भी नहीं था। एनआईएच ने बताया (दिसम्बर 2016) कि कुर्सियों/आरओ मशीनों की अधिप्राप्ति से संबंधित मामला उठाया गया था। तथापि, पंखों/समर्पित सूचना काउंटर के अनुपलब्धता के मुद्दों पर उत्तर मौन था।

3.2.4 अंतरंग रोगी विभाग

एनआईएच, 100 बिस्तर की क्षमता वाली आईपीडी का संचालन करता है। प्रसूति के लिए चार बिस्तरों तथा बाल-चिकित्सा रोगियों के लिए छः बिस्तरों

⁸ एनआईएच के अनुरक्षण सह भण्डार अधिकारी प्रभारी द्वारा किए गए आकलन के अनुसार।

सहित 48 बिस्तर पुरुष तथा 52 बिस्तर महिला रोगियों के लिए निर्धारित किए गए थे। आईपीडी में देखी गई कमियों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

3.2.4.1 अधिभोग के प्रति बिस्तर उपलब्धता

एनआईएच ने बिस्तरों को 60 से बढ़ा 100 कर दिया था (जून 2008)। तथापि, 2013-16 के दौरान केवल 70 से 72 बिस्तर उपलब्ध थे तथा बिस्तरों का अधिभोग केवल 32 से 38 था। बिस्तरों की कम उपलब्धता का मुख्य कारण अस्पताल की क्षतिग्रस्त छत तथा स्टाफ की 56 प्रतिशत तक कमी थी। एनआईएच ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की और बताया (दिसम्बर 2016) कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा भवन की मरम्मत की कार्रवाई की गई थी। तथापि, स्टाफ की कमी के मामले पर उत्तर में कोई जिक्र नहीं किया गया था।

3.2.4.2 ऑपरेशन थिएटरों का कम उपयोग

एनआईएच में तीन प्रकार की सर्जरियों अर्थात् सामान्य, स्त्री रोग तथा आंख के लिए दो ऑपरेशन थिएटर (ओटी) थे। नियमित सर्जन⁹ के अभाव में, 2013-15 के दौरान की गई 158 सर्जरियों¹⁰ के प्रति 2015-16 के दौरान केवल एक सामान्य सर्जरी की गई थी। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार चूंकि प्रति मास नियुक्ति की अवधि 20 घंटे हैं (एसएफसी द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार) अतः किसी भी सर्जन ने संविदागत आधार पर कार्य की इच्छा नहीं दर्शाई। एनआईएच ने अभ्युक्ति स्वीकार की और बताया (दिसम्बर 2016) कि सीधी भर्ती तथा ओटी के इस्तेमाल के लिए बुलाने के आधार पर सर्जन की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

3.2.4.3 बाल-चिकित्सा वार्ड का अक्रियाशील होना

नर्सिंग होम्स के लिए भारतीय मानक दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.3.8 के अनुसार, बालचिकित्सा क्लिनिक को शिशुओं तथा 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान करनी चाहिए। संक्रमण के जोखिम के कारण बालचिकित्सा क्लिनिक को अन्य क्लिनिकों से अलग करना अनिवार्य है।

⁹ मार्च 2015 में सर्जन की सेवानिवृत्ति के कारण पद खाली हो गया।

¹⁰ 2013-14 में 99 तथा 2014-15 में 59

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीलिंग की क्षति के कारण 2013-16 के दौरान बालचिकित्सा वार्ड क्रियाशील नहीं था तथा 10 बच्चे महिला वार्ड में भर्ती¹¹ किए गए थे। इस प्रकार बाल चिकित्सा वाले रोगियों को व्यस्क रोगियों के साथ रखने से उन्हें संक्रमण का खतरा था। एनआईएच ने टिप्पणी स्वीकार की और बताया (दिसम्बर 2016) कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा भवन की मरम्मत के लिए कार्रवाई की गई थी।

3.2.5 प्रयोगशाला के कामकाज में कमियां

लेखापरीक्षा ने प्रयोगशाला के कामकाज की समीक्षा की तथा निम्नलिखित कमियां पायी:-

3.2.5.1 कई जांच न करना

प्रयोगशाला विंग में क्लिनिकल पैथोलॉजी तथा क्लिनिकल जैव-रसायन विभाग होने के बावजूद, एनआईएच ने 23 आईपीडी रोगियों¹² को सात क्लिनिकल पैथोलॉजी तथा 16 जैव-रसायन जांच बाहर से कराने का निर्देश दिया। एनआईएच ने बताया कि सीमित घंटों¹³ के लिए पैथॉलोजिस्ट की नियुक्ति, योग्य स्टाफ की कमी तथा अपेक्षित उपकरण¹⁴ का अभाव उक्त जांच न करने के कारण थे। एनआईएच ने अभ्युक्ति स्वीकार की और बताया (दिसम्बर 2016) कि एकल प्रयोगशाला तकनीशियन का पद यथाशीघ्र भरने के लिए कार्रवाई की गई थी।

3.2.5.2 अपर्याप्त एक्स-रे सुविधा

एनआईएच का एक्स-रे यूनिट दो तुल्यरूप एक्स-रे मशीनों के साथ चलता है। एक्स-रे रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो तकनीशियन तथा एक संविदागत

¹¹ मार्च 2014, मार्च 2015 तथा मार्च 2016 के अभिलेखों की संवीक्षा पर।

¹² मार्च 2014, मार्च 2015 तथा मार्च 2016 के लिए चुने गए नमूने।

¹³ पैथॉलोजिस्ट को एक महीने में केवल 40 घंटे के लिए ही नियुक्त किया गया है।

¹⁴ एनआईएच अस्पताल में अर्द्ध स्वचालित विश्लेषक की व्यवस्था की गई है जो रिपोर्ट देने में अधिक समय लेता है।

रेडियोलॉजिस्ट को केवल सीमित¹⁴ घंटों के लिए नियुक्त किया गया था यद्यपि दूसरी (नई) एक्स-रे मशीन की मांग (मार्च 2008) डिजिटल मशीन की थी, तथापि, एनआईएच ने बिना किसी दर्ज कारण के तुल्य रूप एक्स-रे मशीन खरीद ली (मार्च 2008)। नई मशीन जुलाई 2010 में लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त, एनआईएच में किए गए 700 एक्स-रे में से, केवल 200 मामलों में ही नई एक्स-रे मशीन का प्रयोग किया गया था तथा अस्पताल ने एक्स-रे रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 से 5 दिन का समय लिया। इसके अतिरिक्त, 13 मामलों में, आईपीडी रोगियों को बाहर से एक्स-रे कराने का निदेश दिया गया था क्योंकि डिजिटल एक्स-रे रिपोर्ट की आवश्यकता थी। एनआईएच ने बताया कि रिपोर्ट को तैयार करने में लिया गया समय रेडियोलॉजिस्ट की सीमित घंटों के लिए नियुक्ति के कारण था। एनआईएच ने यह भी बताया (दिसम्बर 2016) कि एक्स-रे तकनीशियन का रिक्त पद भरने के कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

3.2.6 उपकरण का उपयोग न किया जाना/कम उपयोग किया जाना

प्रशिक्षित स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण चार उपकरणों का प्रापण/संस्थापन के शुरू से ही उपयोग नहीं किया गया था या फिर समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया गया था जैसे (i) रु 45.68 लाख मूल्य की लेपरोस्कोपिक मशीन का उसकी स्थापना (अगस्त 2010) से ही उपयोग नहीं किया गया था और परिणामतः लेपरोस्कोपिक सर्जरी नहीं की जा सकी। (ii) मशीन के पुर्जों (रेफरेक्टोमीटर एवं स्लिट लैम्प) की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण ₹2.29 लाख मूल्य की बायोमीटरी मशीन उसकी खरीद से ही (अप्रैल 2009) इस्तेमाल नहीं की गई थी और परिणामतः नेत्र-विज्ञानी जांच नहीं करवाई जा सकी। (iii) प्रशिक्षित तकनीशियन के अभाव के कारण ₹3.50 लाख मूल्य का ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप अप्रैल 2014 से ही इस्तेमाल नहीं किया गया था और परिणामतः एनआईएच को 10 में से 20 सर्जरी के मामले हर महीने अन्य अस्पतालों को भेजने पड़े, तथा (iv) संबंधित सर्जन की सेवानिवृत्ति के ₹36.93 लाख मूल्य की एण्डोस्कोपिक मशीन मार्च 2015 से इस्तेमाल नहीं की जा सकी। मार्च

¹⁴ एक महीने में 40 घंटे।

2016 मास के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एनआईएच को तीन रोगी सर्जन के अभाव के कारण अन्य अस्पतालों को भेजने पड़े।

एनआईएच ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली और बताया (दिसम्बर 2016) कि उपकरणों के ईष्टतम उपयोग हेतु सीधी भर्ती के द्वारा तथा बुलाने के आधार पर सर्जन की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

3.2.7 ड्रग्स का स्टॉक प्रबंधन

ड्रग्स का स्टॉक प्रबंधन उचित नहीं था जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:-

3.2.7.1 कुछ ड्रग्स न रखना

एनआईएच अनिवार्य ड्रग्स सूची (ईडीएल)¹⁵ तथा एनआईएच ड्रग सूत्र¹⁶ के डॉक्टरों द्वारा आम तौर पर निर्धारित औषधियों की सूची के आधार पर, एनआईएच ड्रग्स खरीदती थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2013-16 के दौरान, ईडीएल की 37 औषधियां तथा एनआईएच सूत्र की 57 ड्रग्स क्रमशः 40 से 434 दिनों तथा 46 से 619 दिनों की अवधि के लिए स्टॉक में उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि यद्यपि डॉक्टरों ने पांच तथा आठ आईपीडी रोगियों को क्रमशः नवम्बर 2014 से फरवरी 2016 के दौरान ईडीएल की तीन औषधियां तथा एनआईएच सूत्र की पांच औषधियां निर्धारित की, तथापि वे इन औषधियों की अनुपलब्धता के कारण रोगियों को प्रदान नहीं की जा सकी। एनआईएच ने बताया (दिसम्बर 2016) कि अपेक्षित ड्रग्स अधिप्राप्त कर ली गई थी तथा रोगियों को प्रदान की जा रही थी।

3.2.7.2 एक्सपायर्ड औषधि

एनआईएच ने ड्रग्स की अधिप्राप्ति/सूची प्रबंधन के लिए कोई पद्धति निर्धारित नहीं की है। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2010 में खरीदी गई ₹10.19 लाख मूल्य की एनआईएच सूत्र की 34 ड्रग्स, अगस्त 2013 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान एक्सपायर हो गईं। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते

¹⁵ मार्च 2013 में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी।

¹⁶ मई 2009 में एनआईएच द्वारा तैयार किया गया।

समय एनआईएच ने बताया (दिसम्बर 2016) कि ड्रग्स की एकसपायरी से बचने के लिए औषधियां का अधिकतम और न्यूनतम स्टॉक अनुरक्षित करने के लिए कार्रवाई की गई थी।

3.2.8 गुणवत्ता आश्वासन का अभाव

लेखापरीक्षा जांच में गुणवत्ता आश्वासन उपायों के अभाव का पता चला जैसा कि निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है:-

- अस्पताल संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण दिशानिर्देशों¹⁷ में विनिर्दिष्ट है कि सभी रोगी देखभाल यूनिटों, अस्पताल रसोई, कैंटीनों तथा छात्रावासों में जीवाणु समूहों के लिए नेमी रूप से अधिमान्यतः महीने में एक बार पेयजल जांच की जाएगी। तथापि, एनआईएच ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पेयजल की जांच नहीं की।
- डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देशों¹⁸ के अनुसार, अस्पताल संबद्ध संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर प्रत्येक अस्पताल को उसका अपनी संक्रमण नियंत्रक नियमपुस्तिका विकसित करनी होती है। तथापि, एन आईएच के पास न तो कोई संक्रमण नियंत्रण पुस्तिका थी और न ही 2013-16 के दौरान अस्पताल संबद्ध संक्रमण जोखिम की रोकथाम का कोई कार्यक्रम।
- अस्पताल नियमपुस्तिका¹⁹ दर्शाती है कि इलेक्ट्रो यान्त्रिक उपकरण जैसे वाशिंग मशीन, जल निकर्षक (स्पिन एवं ड्राई) एवं ड्राई टम्बलर, अस्पताल में उपलब्ध होने चाहिए। एनआईएच में, आईपीडी रोगियों को प्रदत्त लिनन की धुलाई करने के लिए कोई लॉण्ड्री मशीन तथा धोबी नहीं था। इसके अतिरिक्त, ओटी से संबंधित कपड़ों के अतिरिक्त, आईपीडी रोगियों को प्रदत्त लिनन असंक्रमित नहीं थे।
- जुलाई 2014, सितम्बर 2014 तथा अप्रैल 2015 के महीनों में आईपीडी रोगियों पर चूहों के काटने के पांच उदाहरण थे तथा रोगियों को उपचार हेतु अन्य अस्पताल को भेजना पड़ा। तथापि, एनआईएच ने 2013-16 के दौरान केवल तीन महीनों (सितम्बर-नवम्बर 2014) में पेस्ट कंट्रोल कराया।

¹⁷ राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, भारत सरकार द्वारा पैरा 3.4.6 द्वारा जारी।

¹⁸ डब्ल्यूएचओ, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी।

¹⁹ डीजीएचएस, भारत सरकार द्वारा जारी अस्पताल नियमपुस्तिका का पैरा 8.22

एनआईएच ने बताया (दिसम्बर 2016) कि अस्पताल स्टाफ और डाक्टरों का प्रशिक्षण सितम्बर 2016 में हुआ था परन्तु उसमें गुणवत्ता आश्वासन के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की।

3.2.9 निष्कर्ष

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान में चिकित्सा देखभाल सुविधाएं कमियों से ग्रस्त थी जैसे तीन बहिरंग रोगी विभागों में प्रसाधन जल का रिसाव, अनुसूचित वायुसंचार एवं बहिरंग रोगी विभागों में अपर्याप्त बैठने/पेयजल की व्यवस्था, कई औषधियां न रखना, ऑपरेशन थिएटरों का कम उपयोग, बाल-चिकित्सा वार्ड का कामकाज न करना, पेयजल की जांच न करना, संक्रमण नियंत्रण मैनुअल/कार्यक्रम तथा चूहा नियंत्रण कार्य का अभाव कुछ विशेष पथोलॉजिकल जांच न करने तथा विभिन्न प्रयोगशाला उपकरणों के अनुपयोग/कम उपयोग के भी उदाहरण थे।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2016 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय आयुर्वेदिक औषध विकास अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

3.3 निधियों का अवरोधन

राष्ट्रीय आयुर्वेदिक औषध विभाग अनुसंधान संस्थान ने कार्य देते समय तथा भुगतान जारी करते समय सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 (जीएफआर) के नियम 126(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसीएल) की पात्रता का पता नहीं लगाया। आयुष मंत्रालय ने भी जीएफआर के प्रावधान के अन्तर्गत एनपीसीसीएल की पात्रता का पता लगाने के लिए दो वर्ष से अधिक का समय लिया। इसके कारण एनपीसीसीएल के पास ₹14.30 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ तथा अप्रैल 2012 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान ₹1.44 करोड़ के ब्याज की परिणामी हानि हुई।

अगस्त 2010 में संशोधित²⁰ सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के पैरा 126(2) के अनुसार, एक मंत्रालय अथवा विभाग अपनी इच्छा के अनुसार सिविल अथवा इलेक्ट्रिकल कार्य करने के लिए केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) अथवा शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) द्वारा अधिसूचित किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकारी संगठन को उनकी वित्तीय ताकत तथा तकनीकी क्षमता के मूल्यांकन के पश्चात तीस लाख से अधिक की अनुमानित लागत के मरम्मत कार्य तथा किसी मूल्य के मूल कार्य सौंप सकता है।

अक्टूबर 2009 में, सीसीआरएस²¹ ने ख्याति प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों से प्रारंभिक अनुमान आमंत्रित करने के लिए तथा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक औषध विभाग अनुसंधान संस्थान (एनआरआईएडीडी), कोलकाता केम्पस पर नए भवन के निर्माण ईट निम्नतम बोलीदाता को कार्य सौंपने के लिए एनआरआईएडीडी को अनुदेश दिया। तदनुसार, एनआरआईएडीडी ने सरकारी एजेंसियों से आरम्भिक अनुमान आमंत्रित किए (नवम्बर 2009) जिनके प्रति चार एजेंसियों ने अनुमान प्रस्तुत किए। अनुमानों का विश्लेषण करने के पश्चात्, एनआरआईएडीडी ने जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) के अधीन पीएसयू, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसीएस) का चयन किया (दिसम्बर 2011)। तथापि, जीएफआर के अन्तर्गत अपेक्षित एनपीसीसीएस के पात्रता मानदण्ड की पूर्ति का एनआरआईएडीडी द्वारा चुनाव के समय पता नहीं लगाया गया था।

मार्च 2012 में, एनआरआईएडीडी ने ₹43.26 करोड़²² की कुल अनुमानित लागत पर निर्माण कार्य के लिए एनपीसीसीएस के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया। कार्य, निधि जमा कराने की तारीख से तीन वर्ष के अन्दर तीन चरणों में पूरा किया जाना था। एनआरआईएडीडी ने मार्च 2012 में एनपीसीसीएस को कार्य की मांग की तथा एनपीसीसीएस को ₹14.30 करोड़ जमा कराए (मार्च 2012)।

²⁰ का.जा.सं. 15(1)/ई-11(ए)/2010 दिनांक 20 अगस्त 2010, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा।

²¹ केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध के अनुसंधान परिषद।

²² 2009 के लागत स्तर पर।

तथापि, अप्रैल 2012 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष²³ विभाग ने एकीकृत वित्त मंडल (आईएफडी) की अभ्युक्ति परिचालित की कि एनपीसीसीएल, सिविल अथवा इलेक्ट्रिकल कार्य करने के उद्देश्य हेतु एमओयूडी द्वारा अधिसूचित नहीं की गई थी और इसलिए एनपीसीसीएल को कार्य सौंपने के लिए एमओयूडी के साथ परामर्श आवश्यक होगा। परिणामतः एनआरआईएडी ने एनपीसीसीएल को कार्य रोकने का अनुदेश दिया (अप्रैल 2012)। इसके पश्चात् एमओडब्ल्यूआर ने व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया (जुलाई 2012) कि एनपीसीसीएल को एक सार्वजनिक संगठन होने के कारण किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्य सौंपने के उद्देश्य के लिए एमओयूडी द्वारा अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यय विभाग ने डीओई ओएम दिनांक 20 अगस्त 2010 के संदर्भ का उल्लेख करते हुए उत्तर दिया (अगस्त 2012) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि जीएफआर के नियम 126(2) के अन्तर्गत, मंत्रालय अथवा विभाग, अपनी इच्छानुसार, ₹ तीस लाख से अधिक की अनुमानित लाख के मरम्मत कार्य तथा किसी भी मूल्य के मूल सिविल अथवा इलेक्ट्रानिकल कार्य केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सौंप सकता है। बाद में, डीओई द्वारा (अप्रैल 2013) सभी मंत्रालयों/विभागों को अन्य स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसमें यह दोहराया गया था कि सिविल अथवा इलेक्ट्रिकल कार्य करने के लिए केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित एक पीएसयू की पात्रता जीएफआर 126(2) के अन्तर्गत मानी जाए। तदनुसार, डीओई के दिनांक अप्रैल 2013 के स्पष्टीकरण के आधार पर एमओडब्ल्यूआर ने आयुष विभाग को लिखा (अप्रैल 2013) कि एनपीसीसीएल, जीएफआर 126(2) के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्ड पूरा करती थी, अतः उसे सार्वजनिक कार्य संगठन के रूप में अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी, तथा एनपीसीसीएल को जीएफआर 126(2) के अन्तर्गत मानने का अनुरोध किया। दिनांक अप्रैल 2013 के डीओई के स्पष्टीकरण के आधार पर, आयुष विभाग ने एमओडब्ल्यूआर को पुष्टि की (मई 2013) कि एनपीसीसीएल को कार्य जीएफआर 126(2) के अन्तर्गत सौंपे जा सकते थे और बताया कि आईएफडी की सहमति लेने के लिए मामला प्रक्रियाधीन था।

²³ आयुष विभाग को बाद में नवम्बर 2014 से आयुष मंत्रालय बना दिया गया था।

विलम्ब के कारण, आईएफडी ने कार्य के संशोधित लागत अनुमान के बारे में पूछ-ताछ की (मार्च 2014)। एनपीसीसीएल ने कार्य के लिए ₹52.70 करोड़ के संशोधित लागत अनुमान²⁴ प्रस्तुत किए (मई 2014)। सितम्बर 2014 में, आईएफडी ने संशोधित लागत पर कार्य के निष्पादन हेतु सहमति दी तथा अक्टूबर 2014 में, एनआरआईडी ने एनपीसीसीएल को कार्य शुरू करने के लिए सूचित किया। कार्य समापन की निर्धारित तिथि मार्च 2015 से बढ़ा कर अक्टूबर 2017 कर दी। लेखापरीक्षा ने पाया कि मई 2016 तक, केवल 15 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया था तथा एनपीसीसीएल द्वारा ₹14.22 लाख खर्च किए गए थे।

इस प्रकार, एनआरआईडी कार्य सौंपने तथा भुगतान जारी करने से पूर्व जीएफआर के नियम 126(2) की शर्तों के अनुसार एनपीसीसीएल के पात्रता मानदण्ड का पता लगाने में विफल रही। आयुष मंत्रालय भी जीएफआर की सही स्थिति की व्याख्या करने में विफल रहा और उसने जीएफआर के प्रावधान के अन्तर्गत कार्य के निष्पादन हेतु एनपीसीसीएल की पात्रता की पुष्टि करने के लिए दो वर्ष से अधिक का समय लिया (अप्रैल 2012 से सितम्बर 2014)। इसके कारण एनपीसीसीएल के साथ ₹14.30 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ तथा परिणामतः अप्रैल 2012 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान ₹1.44 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

मामला जुलाई/नवम्बर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

²⁴ अक्टूबर 2012 कीमत स्तर पर।

अध्याय IV : रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति

4.1 अधिक भुगतान की गई सब्सिडी पर ब्याज वसूल न करना

रियायत दर के अधोमुखी संशोधन के कारण अधिक दी गई सब्सिडी पर ₹25.78 करोड का ब्याज वसूल नहीं किया गया था।

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) ने यूरिया यूनियों के संबंध में भुगतानों/वसूलियों के लिए बिल प्रस्तुत करने की संशोधित पद्धति शुरू की (26 मार्च 2004)। इस पद्धति के अनुसार, इनपुट कीमतों में कमी तथा परिणामतः गुप रियायत दर में अधोमुखी संशोधन के कारण यूनियों से किसी वसूली के मामले में, अन्तरीय राशि¹ 45 दिनों की अवधि के अन्दर इन यूनियों द्वारा जमा कराई जानी अपेक्षित थी। विलम्बित उधारों पर भारतीय स्टेट बैंक की उधार देने की प्रमुख दरों से 3 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज देय था।

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि रियायत कीमत की कमी की अधिसूचना के परिणामस्वरूप निम्नलिखित तालका में उल्लिखित यूरिया यूनियों को एफआईसीसी को ₹1506.03 करोड की अन्तरीय राशि जमा करानी थी। तथापि, यह देखा गया कि इसके बजाए, एफआईसीसी ने इन यूनियों के बाद के सब्सिडी भुगतानों में से राशियों की वसूली/समायोजन कर लिया था, और यद्यपि उक्त वसूली/समायोजन में 8 से 142 दिनों का विलम्ब था। एफआईसीसी ने ₹25.78 करोड के ब्याज की वसूली नहीं की थी। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

¹ निवल उगाही तथा रियायत की दर के बीच अन्तर

क्र. सं.	यूनिट का नाम	कमी की अधिसूचना की तारीख	निर्धारित तिथि जब तक अन्तरीय राशि यूनिट द्वारा जमा कराई जानी थी	तारीख जिसको एफआईसीसी द्वारा बाद के बिल से अन्तरीय राशि वसूल की गई थी	अन्तरीय राशि की वसूली में (दिनों में विलम्ब)	वार्षिक कमी के प्रति एफआईसीसी द्वारा वसूल की गई राशि (₹करोड में)	नियत तिथि को उधार देने की मुख्य दर	ब्याज की उदग्रहीत की जाने वाली दर (एफआईसीसी की प्राथमिक उधार देने की दर से 3 प्रतिशत अधिक)	ब्याज की वसूली न करना (₹ करोड में) ²
	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)
1.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.-I	01.10.2013	15.11.2013	02.04.2014	137	15.60	14.75	17.75	1.03
		06.01.2015	20.02.2015	06.04.2015	44	53.14	14.75	17.75	1.14
2.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन	26.11.2013	10.01.2014	04.04.2014	83	12.22	14.75	17.75	0.49
		09.06.2015	24.07.2015	12.08.2015	18	207.01	14.45	17.45	1.78
3.	इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स	22.12.2014	05.02.2015	07.04.2015	60	41.44	14.75	17.75	1.20
4.	कृभको	12.09.2013	27.10.2013	22.01.2014	86	119.47	14.55	17.55	4.94
5.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. विजयपुर-II	11.12.2012	25.01.2013	16.04.2013	80	116.89	14.50	17.50	4.48
		10.02.2015	27.03.2015	07.04.2015	10	178.55	14.75	17.75	0.86
6.	नेशनल फर्टिलाइजर्स भटिण्डा	24.06.2015	08.08.2015	17.08.2015	08	515.18	14.45	17.45	1.97
				15.09.2015	37	39.04	14.45	17.45	0.69
7.	टाटा केमिकल्स लि.	30.11.2012	14.01.2013	06.06.2013	142	79.33	14.50	17.50	5.40
		22.01.2015	08.03.2015	07.04.2015	29	128.16	14.75	17.75	1.80
जोड़						1506.03			25.78

इस प्रकार, एफआईसीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने का परिणाम रियायत दर में वृद्धि के कारण लिए गए ऋण के विलंब पर ₹25.78 करोड़ के ब्याज की गैरवसूली में हुआ।

उर्वरक विभाग (डीओएफ) ने उत्तर दिया (मई 2016) कि कभी-कभी बजट की अनुपलब्धता के कारण एफआईसीसी यूरिया यूनिटों को समय पर सब्सिडी

² ब्याज की वसूली न करने की गणना = (कॉलम एफ × कॉलम एच × कॉलम ई)/(100×365)

भुगतान करने में समर्थ नहीं था लेकिन कोई ब्याज अदा नहीं किया गया था। ग्रुप रियायत दर के अधोमुखी संशोधन की विलम्बित वसूली/समायोजन के लिए ब्याज का उद्ग्रहण किया जाता तो यूरिया यूनिट मुकदमेबाजी का सहारा ले सकते थे, और एफआईसीसी अपने पक्ष का बचाव करने लायक नहीं होता।

डीओएफ का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। एफआईसीसी द्वारा ब्याज की वसूली का प्रावधान शुरू किया गया था, और यह संभवायतः जमीनी हकीकत के साथ किया गया था।

अध्याय V : नागरिक विमानन मंत्रालय

बैंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, बैंगलौर (बीआईएएल)

5.1 न्यासीय कर्तव्य की विफलता के कारण बकाया राशियों की संदिग्ध वसूली

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि बीआईएएल एयरलाइनों से सुरक्षा शुल्क की शीघ्र वसूली करने के अपने न्यासीय कर्तव्य को पूरा करें और इसे निलम्बलेख लेखा में जमा करे। परिणामतः एयरलाइनों के प्रति बकाया राशियां संचित हो गईं तथा किंगफिशर एयरलाइन्स के ₹9.19 करोड़ की वसूली संदिग्ध हो गई।

नागरिक विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने बैंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के विकास, निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु बैंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएस) के साथ एक रियायत करार पर हस्ताक्षर किए (5 जुलाई 2004)। करार के अनुच्छेद 8.5.1 में प्रत्येक प्रस्थान करने वाले यात्री से विमानपत्तन नियमावली, 1937 की शर्तों के अनुसार सुरक्षा शुल्क के उद्ग्रहण का प्रावधान था। एमओसीए द्वारा जारी (19 जनवरी 2009) मानक परिचालन पद्धति (एसओपी) की शर्तों के अनुसार, यात्री सेवा शुल्क (सुरक्षा संघटक) (पीएसएफ(एससी)) के रूप में परिभाषित, यह सुरक्षा शुल्क, एयरलाइनों के माध्यम से बीआईएएल द्वारा एकत्र किया जाता है। इसके बदले बीआईएएल से पीएसएफ (एससी) हेतु संबंधित एयरलाइनों से बिल तैयार किया जाना अपेक्षित है। एसओपी की बीआईएएल से अपेक्षा होती है कि वह नियमित रूप से एयरलाइनों से राशियों की उगाही सुनिश्चित करें। बीआईएएल से भी अपेक्षित है कि वह एमओसीए को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं की प्रतियां भेजे।

तथापि, बीआईएएल न्यासीय उत्तरदायित्व निभाने में विफल रहा जिससे एयरलाइनें राशि इकट्ठी करती रहीं। 31 मार्च 2014 तक, एयरलाइनों से बकाया राशि ₹16.77 करोड़ थी जिसमें से ₹9.64 करोड़ एक वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया थी। बकाया राशि और भी बढ़ गई तथा 31 मार्च 2016 को यह ₹17.44 करोड़ थी जिसमें से ₹10.12 करोड़ एक वर्ष की अवधि से बकाया थे।

इसमें से ₹9.19 करोड 2012-13 से किंगफिशर एयरलाइन्स से बकाया थे। किंगफिशर एयरलाइन्स ने सितम्बर 2012 में काम बन्द कर दिया।

यद्यपि एमओसीए को बीआईएएल से आवधिक लेखे प्राप्त हुए थे तथा करार के अनुच्छेद 13.3 में भारत सरकार से अनुरोध के इक्कीस दिनों के अन्दर बीआईएएल द्वारा राशि के भुगतान की मांग करते हुए "बीआईएएल चूक स्थिति" के परिणामों के लिए प्रावधान था, तथापि, एमओसीए ने बीआईएएल को कभी भी बकाया राशि एकत्र करने और उसे निलम्ब लेख लेखा में जमा कराने का निर्देश नहीं दिया। एसओपी ने भी समय पर एयरलाइनों द्वारा राशि का भुगतान ने करने के लिए शास्तिक ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान नहीं किया। ऐसी शर्त के अभाव में, राशियों की वसूली न करने से किंगफिशर एयरलाइन के पास एक ब्याज-मुक्त ऋण संघटित हो गया।

लेखापरीक्षा में मामला उठाए जाने पर (फरवरी 2014), बीआईएएल ने किंगफिशर एयरलाइन्स से वसूल की जाने वाली राशि बढ़े खाते में डालने के लिए एमओसीए का अनुमोदन मांगा (मार्च 2014)। बीआईएएल का प्रस्ताव तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इससे दोषी को एक अनुचित लाभ होगा तथा अपना न्यासीय उत्तरदायित्व पूरा करने में बीआईएएल की विफलता की भी अनदेखी होगी।

इस प्रकार, मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि बीआईएएल एयरलाइनों से सुरक्षा शुल्क की तत्काल वसूली करे और उसे निलम्बलेख लेखा में जमा कराने का अपना न्यासीय कार्य पूरा करे। परिणामतः, एयरलाइनों के प्रति बकाया राशि संचित हो गई तथा किंगफिशर एयरलाइन्स से ₹9.19 करोड की वसूली संदिग्ध हो गई।

मामला मंत्रालय को अप्रैल 2016 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय VI : कोयला मंत्रालय

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

6.1 निधियों का प्रबंधन

बीमांकिक सिफारिशों के गैर-कार्यान्वयन के कारण, पेंशन निधि में अत्यधिक कमी, पेंशन निधि लेखे से भविष्य निधि लेखे में निधियों का गलत विपथन, अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि के निवेश के लिए मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन न करने, ब्याज का गलत भुगतान, पेंशन का अतिरिक्त भुगतान, सात वर्षों से अधिक लापता ₹1.71 करोड़ की राशि, कारपोरेट लिक्विड टर्म डिपोजिट स्कीम से चालू खाताओं को न जोड़ने और प्रशासनिक प्रभारों के दरों की समीक्षा न होने के कारण कोल माइन्स भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के वित्तीय हित बुरी तरह प्रभावित हुए।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), कोयला मंत्रालय (एमओसी) के अधीन भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, कोयला उद्योग (सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र) के सभी पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति अथवा उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, बचत की भावना को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। यह अधिनियम, कोयला कम्पनियों में कार्यरत लोगों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) योजना, पेंशन योजना तथा जमा सम्बद्ध बीमा (डीएलआई) योजना का प्रावधान करने, तथा उन्हें एकमुश्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने, मासिक पेंशन/परिवार पेंशन, बीमा कवरेज आदि का प्रावधान करने के लिए लागू किया गया था।

न्यासी बोर्ड (बोर्ड) योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक एजेंसी है तथा उसमें केन्द्रीय/राज्य सरकार, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त बोर्ड का पदेन सदस्य तथा संगठन का समग्र प्रभारी है। राज्य स्तर पर, योजनाएं, क्षेत्रीय आयुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों में स्थित 24 क्षेत्रीय अधिकारियों (आरओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। सीएमपीएफओ का मुख्यालय झारखण्ड में धनबाद में स्थित है।

सीएमपीएफओ के वित्तीय क्रियाकलापों की समीक्षा की गई थी कि क्या सीएमपीएफओ ने:

- अपने सदस्यों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए अपनी निधियों का प्रभावी ढंग से तथा दक्षतापूर्वक संचालन किया था;
- भविष्य निधि के प्रशासन की लागत को चुकाने के लिए कर्मचारियों से प्रशासनिक प्रभारों की वसूली की समीक्षा की थी;

लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2015-16 की अवधि शामिल थी। मुख्यालय धनबाद तथा झारखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ में स्थित 13 आरओ में अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी।

6.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न सीएमपीएफओ योजनाओं की निधियां प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं की गई थी जिसके कारण संगठनात्मक उद्देश्यों की अभीष्ट से कम प्राप्ति हुई जिसने सदस्यों के वित्तीय हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा, जो मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, सीएमपीएफओ के किसी भी आरओ में नियमित रूप से नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

6.1.2.1 बीमांकिक सिफारिशों को लागू न करना जिसके कारण पेंशन निधि में अत्यधिक कमी हुई

कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस), 1998 के अनुसार, बोर्ड से अपेक्षित है कि वह हर तीसरे वर्ष बीमांकिक की नियुक्ति तथा पेंशन निधि की समीक्षा और मूल्यांकन करे, ताकि योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले अंशदान की दरें अथवा किन्हीं ग्राह्य लाभों का पैमाना अथवा अवधि जिसके लिए उक्त लाभ अनुमत किए जाएं, में यदि आवश्यक हो तो सुधार किए जा सकें।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 1998 में सीएमपीएस के शुरू होने के बाद, पेंशन निधि का बीमांकिक मूल्यांकन हर तीसरे वर्ष नियमित रूप से नहीं किया गया था। अभी तक, पेंशन निधि का बीमांकिक मूल्यांकन 2001, 2005, 2012 तथा 2013 में किया गया परन्तु सिफारिशें कभी भी लागू नहीं की गईं। अक्टूबर 2015 में नियुक्त बीमांकिक से यह अपेक्षित था कि वह जनवरी 2016 तक मूल्यांकन रिपोर्ट (01 अप्रैल 2015 को) प्रस्तुत करे। तथापि, बीमांकिक ने प्रबंधन की पुष्टि के लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट अक्टूबर 2016 में प्रस्तुत की, जिसे अभी भी अन्तिम रूप दिया जाना था (नवम्बर 2016)।
- 31 मार्च 2012 को बीमांकिक की मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच के लिए गठित “अधिकारी ग्रुप समिति” (जिसका प्रतिनिधित्व कोयला मंत्रालय, कोल इण्डिया लिमिटेड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा सीएमपीएफओ द्वारा किया गया था, ने सी एम पी एस 1998 की पुनः मॉडलिंग/पुनः निर्माण तथा मासिक पेंशन की ऊपरी तथा निचली सीमा के कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रावधानों के अनुरूप नियतन की सिफारिश की थी (अक्टूबर 2012)। समिति ने अंशदान की दर के संशोधन द्वारा पेंशन निधि को बढ़ाने की भी सिफारिश की थी (सितम्बर 2013)। ये सिफारिशें अभी लागू की जानी थी (नवम्बर 2016)।
- पेंशननिधि की नवीनतम उपलब्ध मूल्यांकन रिपोर्ट ने ₹ 41,161.25 करोड़ की कुल देयता से उसकी परिसम्पत्तियों के मूल्य (₹ 14,819.46 करोड़) तथा चालू अंशदान (₹ 6,643.21 करोड़) के समायोजन के पश्चात् 31 मार्च 2013 को ₹ 19,698.58 करोड़ का निवल घाटा उजागर किया। बीमांकिक रिपोर्ट की यह राय थी कि यदि घाटे की यह प्रवृत्ति अगले 16 वर्षों तक और चलती रही तो निधि का शेष समाप्त हो जाएगा तथा जिन्होंने पेंशन निधि के लिए अंशदान दिया है उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इस रिपोर्ट में पेंशन निधि की निरन्तरता के लिए 4.91 प्रतिशत (1998 से प्रभावी) की विद्यमान अंशदान दर से बढ़ाकर

उसे वेतन के 19.46 प्रतिशत करने की मजबूती से सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि सीएमपीएस 1998 के अन्तर्गत कोई समीक्षा अथवा संशोधन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बोर्ड की सिफारिश के अनुसार ही होनी चाहिए। चूंकि बोर्ड ने बीमांकिक की रिपोर्टों पर कोई सिफारिश नहीं की थी, अतः पेंशन निधि के लिए अंशदान की दर का संशोधन नहीं किया गया था।

इस प्रकार, बीमांकिक की सिफारिशों के अनुसार पेंशन निधि के अंशदान की दर का संशोधन न किए जाने के कारण, 31 मार्च 2013 को ₹ 19,698.58 करोड़ का बढ़ता हुआ घाटा था जिसका विद्यमान तथा भावी पेंशनरों के वित्तीय हितों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि पेंशन निधि में घाटे को पूरा करने के लिए, सीएमपीएफओ को भविष्य निधि लेखा से निधि के अनियमित विपथन का सहारा लेना पड़ा जिसकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

6.1.2.2 भविष्य निधि लेखा से पेंशन निधि लेखा को निधि का गलत विपथन

कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 के अनुसार, भविष्य निधि योजना के प्रावधानों के अनुसार पीएफ में जमा राशि, निधि के सदस्यों अथवा उनके नामितियों अथवा उत्तराधिकारियों अथवा वैध प्रतिनिधियों के क्रेडिट की राशि के भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए खर्च अथवा विपथित नहीं की जानी चाहिए।

पीएफ योजना की निधि के उपयोग की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- सीएमपीएफओ ने पेंशन निधि का घाटा पूरा करने के लिए 2007-08 से 2014-15¹ के दौरान पीएफ लेखा से पेंशन निधि को ₹3520.14 करोड़ विपथित किए थे। इसमें से, ₹1737.99 करोड़ की राशि पीएफ लेखा को लौटा दी गई थी (अक्टूबर 2014) जिससे ₹1782.15 करोड़ की बकाया

¹ 2015-16 में निधि का कोई विपथन नहीं था।

देयता शेष रह गई थी जो पीएफ लेखा को अभी लौटाई जानी थी (अगस्त 2016)।

- पीएफ लेखे ने 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान विपथित ₹ 613.78 करोड़ पर पेंशन निधि लेखा से कोई ब्याज प्राप्त नहीं किया था, हालांकि सीएमएफपीओ ने उसी अवधि के दौरान अपने सदस्यों को औसतन 8 प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करना पड़ा। बाद में सीएमपीएफओ ने विपथित निधि पर पीएफ लेखा को 6 से 8.75 प्रतिशत की दर पर (2010-11 से 2014-15 तक) ब्याज देना शुरू कर दिया। ब्याज की दर, 2010-11 और 2011-12 के दौरान पीएफ लेखा द्वारा अर्जित 6.92 - 8.55 प्रतिशत की ब्याज दर की तुलना में कम थी। इस प्रकार पीएफ लेखा ने 2007-08 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 75.30 करोड़ का कम ब्याज प्राप्त किया।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि पी एफ लेखा से ₹ 1782.15 करोड़ के अधिक आहरण की राशि आने वाले वर्ष में पेंशन लेखा से पूर्णतः समायोजित कर ली जाएगी। ब्याज की कोई हानि नहीं थी क्योंकि पी एफ लेखे से विपथित राशि, पेंशन शीर्ष के अंतर्गत निवेश से ब्याज अर्जित कर रही थी। पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत निवेशित राशि भी पी एफ निवेश पर लागू दर का अनुसरण किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विपथित राशि 2007-08 से 2009-10 की अवधि के लिए बिना किसी ब्याज के तथा 2010-11 से 2011-12 की अवधि के लिए ब्याज की कम दर पर पीएफ लेखा को लौटा दी गई थी। इसके अतिरिक्त, पीएफ लेखे से पेंशन निधि लेखे को निधि का विपथन स्वयं ही कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) योजना के प्रावधानों का उल्लंघन था।

6.1.2.3 अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि के निवेश हेतु मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन न करना

वित्त मंत्रालय (एमओएफ), आर्थिक मामले विभाग ने गैर सरकारी भविष्य निधियों, वार्धक्य निधियों तथा उपादान निधियों के सरकारी प्रतिभूतियों (55 प्रतिशत), ऋण प्रतिभूतियों/सावधि जमाओं (40 प्रतिशत), धन बाज़ार साधनों (5 प्रतिशत), कम्पनियों के शेयरों (15 प्रतिशत) के निवेश की सीमा

निर्धारित की थी (अगस्त 2008)। यह भी प्रावधान किया गया था किसी भी समय किसी भी श्रेणी में निवेश निर्धारित सीमा के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया था कि:

- निवेश के निर्धारित ढंग का उल्लंघन करते हुए, सीएमपीएफओ ने लेखापरीक्षाधीन अवधि (2011-16) के लिए स्वयं अपने कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) अंशदान की समस्त राशि भारतीय स्टेट बैंक के लघु अवधि जमाओं में निवेश की जबकि निवेश की कुल राशि के 44 प्रतिशत² की अनुमति थी।
- सीएमपीएफओ ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान अपने जीपीएफ अंशदान पर अपने कर्मचारियों को आठ प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान किया। तथापि, सीएमपीएफओ ने उसी अवधि के दौरान सावधि जमाओं के माध्यम से कम दरों (5.25 प्रतिशत तथा 7.75 प्रतिशत) पर ब्याज अर्जित किया। अधिक दर पर ब्याज के भुगतान के परिणामस्वरूप पी एफ में कमी तथा 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान ₹1.56 करोड़ की हानि हुई।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते समय, प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि बोर्ड ने नियुक्त पोर्ट फोलियो प्रबंधक के माध्यम से जीपीएफ के अन्तर्गत निधि का निवेश अनुमोदित किया था। भारत सरकार द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार जीपीएफ के प्रबंधन हेतु निधि प्रबंधक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को नियुक्त किया था तथा एलआईसी को निधि का अन्तरण प्रक्रियाधीन था।

6.1.2.4 ब्याज का गलत भुगतान

सीएमपीएफ योजना में, सदस्यों के पी एफ खातों में सीएमपीएफओ बोर्ड के परामर्श से एम ओ सी द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध राशि पर ब्याज का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2013-14 के लिए, सीएमपीएफओ बोर्ड

² 40 प्रतिशत की निर्धारित सीमा + 40 प्रतिशत का 10 प्रतिशत = 44 प्रतिशत

ने अपने सदस्यों को 8.75 प्रतिशत की दर पर ब्याज की सिफारिश की (जनवरी 2014)। तथापि, एमओसी ने वर्ष 2013-14 के लिए केवल 8.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज का अनुमोदन सम्प्रेषित किया (अक्टूबर 2015)। सीएमपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के पीएफ खातों को 0.25 प्रतिशत अधिक ब्याज (8.75 प्रतिशत -8.50 प्रतिशत) पहले ही क्रेडिट कर दिया था।

तथ्यों को स्वीकार करते समय, प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि ब्याज, बोर्ड द्वारा अनुशंसित दर पर अन्तिम निपटान से पूर्व खातों को क्रेडिट कर दिया जाता है। पिछली प्रथा के अनुसार, सरकार ने बोर्ड द्वारा अनुशंसित दर की ही घोषणा की थी। तथापि, जब 2013-14 के लिए जैसे ही बोर्ड द्वारा अनुशंसित 8.75 प्रतिशत के ब्याज की दर सरकार द्वारा घटा कर 8.50 प्रतिशत कर दी गई, घटी दर के सीएमपीएफओ को सम्प्रेषित करने पर तत्काल कार्रवाई की गई।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर मान्य नहीं है कि एम ओ सी को बोर्ड की सिफारिश सम्प्रेषित करने में असाधारण विलम्ब (दस महीने से अधिक) हुआ तथा एम ओ सी का अनुमोदन लेने में और विलम्ब (नौ महीने का) हुआ जिसके कारण सदस्यों को ब्याज का अधिक क्रेडिट दिया गया। यद्यपि प्रबंधन ने मंत्रालय के सम्प्रेषण के आधार पर ब्याज की कटौती की कार्रवाई की थी, तथापि 575 सेवानिवृत्त/मृत सदस्यों को किए गए ₹0.51 करोड़ की राशि के ब्याज के अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकी।

6.1.2.5 पेंशन का अधिक भुगतान

सीएमपीएफओ ने सीएमपीएस के अन्तर्गत पेंशन के वितरण हेतु आईडीबीआई बैंक, मुम्बई के साथ एक करार किया (दिसम्बर 2004)। लेखापरीक्षा ने देखा कि क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के अधीन गोदावरीखानी के पेंशनरों ने आईडीबीआई बैंक द्वारा पेंशनरों को दोहरे भुगतान के प्रति फरवरी 2006 के महीने में अधिक बकाया राशि प्राप्त की। आईडीबीआई बैंक ने कहा (अप्रैल 2006) कि 10340 पेंशन होल्डरो को ₹18.11 करोड़ का उक्त अधिक भुगतान सी एम पी एफ ओ, धनबाद कार्यालय द्वारा आपूर्त डॉटा के आधार पर किया गया था। फरवरी 2016 तक, आईडीबीआई बैंक ₹14.19 करोड़ की राशि

की ही वसूली कर सका तथा शेष ₹ 3.92 करोड़ की राशि अभी वसूल की जानी थी (अगस्त 2016)।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि शेष वसूल न की गई राशि की वसूली के लिए सम्भव उपाय किए गए थे। पेंशन के वितरण हेतु आईडीबीआईबैंक को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों से बदल दिया गया था।

6.1.2.6 सात वर्षों से अधिक से पता न लगाए जा सके ₹ 1.71 करोड़ के शेष

धनबाद स्थित सीएमपीएफओ मुख्यालय ने अपने दैनिक कार्य चलाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास 16 बैंक खाते अनुरक्षित किए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएमपीएफओ ने 2008 में ₹ 1.71 करोड़³ की कमी का पता लगाया और तभी से उपर्युक्त राशि की वसूली नहीं हुई यह मामला लेखापरीक्षा द्वारा कई बार पृथकलेखापरीक्षा रिपोर्टों में उजागर किया गया था परन्तु बैंक द्वारा इस कमी को मिलान करने तथा उसकी वसूली करने के लिए अभी तक (अगस्त 2016) कोई फलदायक कार्रवाई नहीं की गई थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि ये लापता राशियां वर्ष 2008 तथा उससे पहले से संबंधित थीं। राशि का पता लगाने का प्रयास किया गया था परन्तु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यह भी आश्वासन दिया गया था कि सीएमपीएफओ अब राशि का पता लगाने के लिए बैंकर के साथ समन्वय का प्रयास कर रहा था।

उत्तर में मूल मुद्दे का जिक्र नहीं किया गया था कि उक्त कमी का पहले समाधान क्यों नहीं किया गया तथा कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। इस प्रकार, समुचित वित्तीय नियंत्रण के अभाव के कारण, ₹ 1.71 करोड़ की राशि का सात वर्षों से अधिक तक पता नहीं लगाया जा सका।

³ ₹ 0.95 करोड़ लेखा सं. III (प्रशासनिक लेखा), ₹ 0.73 करोड़ लेखा सं.V (सीएमपीएफओ के कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में तथा ₹ 0.02 करोड़ लेखा सं.VI (सीएमपीएफओ के कर्मचारियों के पेंशन एवं उपदान निधि) में।

6.1.2.7 कारपोरेट लिक्विड सावधि जमा योजना के साथ चालू खातों को न जोड़ना

धनबाद मुख्यालय पर सीएमपीएफओ द्वारा अनुरक्षित सोलह चालू खातों में से, खाता सं.1, निधियों की प्राप्ति और वितरण का मुख्य खाता था। चूंकि चालू खाते में शेष पर कोई ब्याज नहीं मिलता अतः संगठन के लिए यह लाभप्रद था कि वह चालू खातों को, अप्रयुक्त शेष के स्वतः अन्तरण हेतु बैंक की कारपोरेट लिक्विड सावधि जमा (सीएलटीडी) के साथ जोड़े और उन पर ब्याज अर्जित करे।

लेखापरीक्षा ने सीएमपीएफओ, धनबाद के खाता सं.1 में पड़े शेषों की जांच की और देखा कि कोई ब्याज अर्जित किए बिना कि काफी मात्रा में शेष बड़ी अवधियों के लिए अप्रयुक्त पड़े हुए थे। 2014-15 तथा 2015-16 में सात से अधिक दिनों के लिए अप्रयुक्त पड़े हुए शेषों की नमूना जांच से पता चला कि सीएमपीएफओ ₹ 1.66 करोड़ का ब्याज (अक्टूबर 2014 से एसबीआई द्वारा प्रस्तावित सावधि जमाओं पर 7 प्रतिशत की दर पर परिकल्पित) अर्जित करने का अवसर खो दिया।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि सभी चालू खातों को सीएलटीडी योजना के साथ जोड़ने का कार्य अक्टूबर 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा। बाद में सीएमपीएफओ ने कहा (दिसम्बर 2016) कि संगठन के सभी चालू खाते सीएलटीडी में बदल दिए गए थे।

6.1.2.8 प्रशासनिक प्रभारों की दर की समीक्षा न करना

सीएमपीएफओ, निधि के संचालन की लागत को अदा करने के लिए सदस्यों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए भविष्य निधि के अंशदान पर निर्धारित दर पर प्रशासनिक प्रभार एकत्र करता है। इस दर की बोर्ड के परामर्श के केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर समीक्षा की जानी थी। पिछली समीक्षा 1981 में की गई थी जब प्रशासनिक प्रभारों की दर 3 प्रतिशत नियत की गई थी।

लेखापरीक्षा ने सीएमपीएफओ की प्रशासनिक निधि की आय एवं व्यय विवरणियों से देखा कि भविष्य निधि के प्रशासन से संबंधित सभी नियमित व्यय करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के अन्त में क्रमशः ₹ 238.37 करोड़, ₹ 357.63 करोड़ तथा ₹ 266.19 करोड़ के सतत अधिशेष थे। यह अधिशेष एमओसी द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन में

(जैसा कि सीएजी की 2016 की सिविल रिपोर्ट सं.11 के पैरा 4.1 में बताया गया) 2010-11 से 2014-15 के दौरान सीएमपीएफओ के कर्मचारियों द्वारा उपयोग की गई बिजली के लिए ₹ 2.16 करोड़ के बिजली प्रभारों पर अनियमित व्यय करने तथा 2012-13 से 2014-15 के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति हेतु ₹0.88 करोड़ का पूंजीगत व्यय करने के पश्चात् भी उपलब्ध था जो सीएमपीएफ योजना के अनुसार अनुमत नहीं था। उक्त निरन्तर अधिशेषों के बावजूद, सीएमपीएफओ ने विगत 35 वर्षों के दौरान वसूल किए गए प्रशासनिक प्रभारों के दर की समीक्षा नहीं की।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि सीएमपीएफओ, उन्हें भुगतान-योग्य पेंशन, छुट्टी नकदीकरण तथा उपदान के लाभ के सहित केन्द्रीय सरकार के वेतन ढांचे वाले स्टाफ तथा अधिकारियों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं के प्रबंधन हेतु एक स्वनिधिगत स्वायत्त संगठन था। नियोक्ता (कोयला कम्पनियां) पर सीएमपीएफओ द्वारा उद्ग्रहीत प्रशासनिक प्रभारों तथा सी एम पी एस 1998 के प्रति केन्द्रीय सरकार से सीएमपीएफओ द्वारा प्राप्त एक-मुश्त अनुदान को ध्यान में रखते हुए, 2012-13 से 2014-15 के दौरान आय पर व्यय के आधिक्य की प्रतिशतता क्रमशः 53.74, 66.08 तथा 63.26 थी। वार्षिक व्यय 2015-16 में ₹ 120 करोड़ और बढ़ने की उम्मीद थी और यह सातवें वेतन आयोग के प्रभाव के कारण और भी बढ़ जाएगा। चूंकि वार्षिक व्यय संग्रहण के 60 प्रतिशत से अधिक था जिसमें उसके कर्मचारियों को भुगतान योग्य पेंशन, छुट्टी नकदीकरण तथा उपादान के प्रति देयता शामिल नहीं थी और सरकार से इस के प्रति कोई निधिप्राप्त नहीं हुई थी और सरकार से इस के प्रति कोई निधि प्राप्त नहीं हुई थी, सीएमपीएफओ ने उपर्युक्त सहित समस्त भावी देयता को पूरा करने के लिए वार्षिक बचतों से एक कार्पस का सृजन किया। सीएमपीएफओ ने पेंशन, छुट्टी नकदीकरण तथा उपादान के लिए बीमांकिक मूल्यांकन करने के लिए एलआईसी को नियुक्त किया तथा प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार, उसका मूल्यांकन ₹ 800 – ₹ 900 करोड़ तक जा सकता था।

व्यय पर आय के निरन्तर आधिक्य के मद्देनजर प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है जो 2012-13 से 2014-15 के दौरान 34 प्रतिशत तथा 46 प्रतिशत के बीच रहा। इसके अतिरिक्त, अंशदानों की प्रतिशतता होने के कारण प्रशासनिक प्रभारों

का संग्रहण वेतन के संशोधन के प्रति अंशदान के बढ़ने पर भी बढ़ जाएगा। 31 मार्च 2015 को प्रशासन लेखा, ₹ 124.33 करोड़ की परिसम्पत्तियों के प्रति केवल ₹ 2497.76 करोड़ की चालू देयताएं तथा प्रावधान दर्शाता था (देयताएं परिसम्पत्तियों का पाँच प्रतिशत थी)।

6.1.3 निष्कर्ष

सीएमपीएफओ की स्थापना का अभिप्रेत उद्देश्य सदस्यों के लाभ हेतु निर्दिष्ट निधियों के प्रबंधन में अपर्याप्तताओं के कारण गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ था। सीएमपीएफओ पेंशन निधि को अंशदान के संशोधन हेतु बीमांकिक सिफारिश को लागू करने में विफल रहा जो विगत 17 वर्षों में स्थिर रहा जिसके कारण 31 मार्च 2013 को ₹ 19,699 करोड़ का अत्याधिक घाटा हुआ। पेंशन निधि के घाटे को पूरा करने के लिए सीएमपीएफओ ने सदस्यों के भविष्य निधि खाते से निधियों के अनियमित विपथन का सहारा लिया। सीएमपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के पीएफ के निवेश से संबंधित वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और उनके निवेश पर कम ब्याज अर्जित किया। पेंशन के अधिक भुगतान, ब्याज के अनियमित भुगतान लापता शेष भी देखे गए के जो खराब मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण को दर्शाते थे। सीएमपीएफओ ने 35 वर्ष पूर्व नियत कोयला कम्पनियों से एकत्रित प्रशासनिक प्रभारों की दर के औचित्य की समीक्षा नहीं की जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में परिसम्पत्तियां संचित हो गईं।

मामला सितंबर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय VII : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)

7.1 एपीईडीए द्वारा अप्रभावी मॉनीटरिंग

एपीईडीए द्वारा अप्रभावी मानीटरिंग का परिणाम अपेक्षित उद्देश्य हेतु अनुदान के गैर-उपयोग में हुआ। एपीईडीए ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निधियों पर देय ब्याज के प्रति ₹1.77 करोड़ की हानि उठाई, क्योंकि ब्याज के उद्ग्रहण हेतु समान शर्त, मसाला बोर्ड के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में शामिल नहीं की गई थी।

1986 में स्थापित कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), विभिन्न योजनाओं जैसे परिवहन सहायता, बाजार विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास आदि के अन्तर्गत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त, निर्यात, निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों के पंजीकरण, निर्धारित उत्पादों के मानदण्ड एवं विनिर्देशन नियत करने, पैकेजिंग एवं उसके विपणन में सुधार के लिए निर्धारित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विकास में कार्यरत है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) ने 'निर्यात अवसंरचना एवं सहायक क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता (एसआईडी)' योजना के अन्तर्गत गुना, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क¹ की स्थापना अनुमोदित किया (अगस्त 2010)। परियोजना की कुल लागत ₹45.19 करोड़ थी जिसमें भारत सरकार का अंशदान ₹19.00 करोड़ था। एमओसीआई द्वारा मई 2011 में जारी निधि पद्धति के अनुसार, एपीईडीए को 3000 मी.ट. क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के प्रति ₹6.12 करोड़ (₹3.06 करोड़ दो चरणों में) का अंशदान करना था। परियोजना 31 मार्च, 2013 तक पूरी की जानी थी। एमओसीआई

¹ मसाला पार्क, अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के समरूप प्रोसेसिंग सुविधाएं प्रस्तावित करने वाले मसालों तथा मसाला उत्पादों की प्रोसेसिंग तथा मूल्य संवर्धन हेतु औद्योगिक पार्कों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं।

उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में, एपीईडीए ने 24.06.2011 को हुई अपनी 71वीं बैठक में ₹6.12 करोड़ की वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया जो अवसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत मसाला पार्क, गुना, एमपी में 3000 मी.ट. (छ: मॉड्यूल - प्रत्येक चरण में तीन मॉड्यूल तथा प्रत्येक मॉड्यूल 500 मी.ट. क्षमता वाले 675 वर्ग मी. आकार था) के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु मसाला बोर्ड को जारी की जानी थी। समझौता ज्ञापन (एमओयू) 5 जनवरी 2012 को एपीईडीए तथा एसबी के बीच जारी किया गया था।

परिणामतः, एपीईडीए ने मसाला बोर्ड को ₹5.79 करोड़ की कुल राशि जारी की अर्थात् ₹3.06 करोड़ की पहली किश्त फरवरी 2012 में तथा ₹2.73 करोड़ की दूसरी किश्त मार्च 2013 में (प्रोसेसिंग शुल्क के प्रति ₹0.29 करोड़ की राशि सहित)। मसाला बोर्ड ने एपीईडीए को सूचित किया (जुलाई 2016) कि 374 मी.ट. क्षमता का एक कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है (अनुमोदन के अनुसार परिकल्पित 3000 मी.ट. क्षमता के बजाए)। अब तक बनाई गई केवल ₹0.80 करोड़ की क्षमता की आनुपातिक लागत को ध्यान में रखते हुए, एपीईडीए ने ₹4.99 करोड़ की शेष राशि (अर्थात् एपीईडीए द्वारा जारी कुल राशि ₹5.79 करोड़ घटा निर्मित कोल्ड स्टोरेज की ₹0.80 करोड़ की आनुपातिक लागत) वापस करने के लिए मसाला बोर्ड से अनुरोध किया (अगस्त एवं अक्टूबर 2016)। मसाला बोर्ड ने ₹3.84 करोड़ की अप्रयुक्त राशि एपीईडीए को वापिस कर दी (नवम्बर 2016)।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें पायीं:

- (i) एसबी के साथ एमओयू के पैरा 2 (बी) के अनुसार, एपीईडीए द्वारा दूसरी किश्त, ₹3.06 करोड़ की पहली किश्त के लिए फॉर्मेट जीएफआर 19ए में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त करने के पश्चात् ही वित्तीय वर्ष 2012-13 में जारी की जानी थी। तथापि, एपीईडीए ने मसाला बोर्ड से प्राप्त एक यूसी के प्रति ₹2.73 करोड़ की दूसरी किश्त जारी कर दी (31 मार्च 2013) जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि पहले प्राप्त अनुदान का मालगोदाम/कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के उद्देश्य से उपयोग किया गया था।

एपीईडीए ने इस तथ्य की अवहेलना की कि अनुदान केवल कोल्ड स्टोरेज के लिए अनुमोदित किया गया था तथा एमओयू के पैरा 4 के प्रावधानों, जिसमें यह निर्दिष्ट था कि निधि अथवा सुविधा उस उद्देश्य के अतिरिक्त किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा जिसके लिए वह संस्वीकृत किया गया है, के उल्लंघन में उपर्युक्त यूसी के प्रति दूसरी किश्त जारी कर दी। एपीईडीए ने मासिक/त्रैमासिक आधार पर परियोजना की प्रगति की प्रभावी ढंग से मॉनीटरिंग नहीं की। इसके अतिरिक्त, एसबी द्वारा उक्त आवधिक प्रगति रिपोर्टें भेजने की शर्त भी एमओयू में शामिल नहीं की गई थी। एपीईडी को अगस्त 2013 में, जब उसने परियोजना का भौतिक सत्यापन किया, पता चला कि परियोजना पर सृजित अवसंरचना एमओयू के अनुसार नहीं थी क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने के बजाए परियोजना पर मालगोदाम का निर्माण कर दिया गया था।

- (ii) सुविधा के दक्ष कामकाज का निरीक्षण करने तथा परामर्शी भूमिका निभाने के लिए एमओयू क पैरा 7 की शर्तों के अनुसार, मसाला बोर्ड, एपीईडीए, राज्य कृषि/बागवानी विभाग तथा प्रतिनिधियों तथा एपीईडीए के पंजीकृत निर्यातकों को शामिल करते हुए एक मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया जाना था। तदनुसार, मसाला बोर्ड ने 6 फरवरी 2012 को ही, अर्थात् एपीईडीए द्वारा ₹3.06 करोड़ की पहली किश्त जारी करने से पहले, समिति के अपने प्रतिनिधि को नामित किया था। समिति की पहली बैठक 28 फरवरी 2013 को की गई थी, तथापि, एपीईडीए को मई 2013 तक इस प्रगति की जानकारी नहीं थी।
- (iii) परियोजना के लिए भारत सरकार के अंशदान की पहली किश्त जारी करते समय (29 सितम्बर, 2010), एमओसीआई ने कार्यान्वयन एजेंसी को अनुबंध में शास्ति की आवश्यक शर्त शामिल करने का निदेश दिया था, ताकि परियोजना में विलम्ब न हो। तथापि, एपीईडीए तथा एसबी के बीच एमओयू (जनवरी 2012) में उसे शामिल नहीं किया गया था। तथापि, एपीईडीए ने एसबी के साथ किए गए एमओयू में उक्त शर्त शामिल करने पर जोर नहीं दिया, हालांकि उसी अवधि के दौरान अन्य

कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एपीईडीए द्वारा किए गए कुछ एमओयू में विशिष्ट शास्ति की शर्त शामिल थी। इस प्रकार, एमओयू में शास्ति शर्त के अभाव में, एसबी पर एक समयबद्ध ढंग में परियाजना को पूरा कराने की जल्दी नहीं थी।

- (iv) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने के लिए एमओसीआई आदेश (फरवरी 2012 एवं जनवरी 2013) में शर्त (xvii) पर स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि संस्वीकृति की शर्तें पूरी करने में एपीईडीए के विफल रहने की दशा में वह समस्त अथवा आंशिक भुगतान को उस पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित वापस करने की दायी होगी। तथापि, एपीईडीए ने मसाला बोर्ड के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में समान शर्त शामिल नहीं की थी।

इस प्रकार, मसाला बोर्ड को ₹5.79 करोड़ का अनुदान जारी करने के बावजूद, तीन वर्षों से अधिक के विलम्ब के बाद भी 3000 मी.ट. की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का अभिप्रेत उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, एमओयू में शास्ति की शर्त शामिल न करने के कारण (ताकि परियोजना में विलम्ब न हो), एपीईडीए, एसबी से ₹0.87 करोड़ (₹5.79 करोड़ x पांच प्रतिशत शास्ति x तीन वर्ष अप्रैल 2013 से) की शास्ति वसूल करने में विफल रहा।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014) में कहा कि एपीईडीए ने एमओसीआई के निदेशों का अनुसरण नहीं किया तथा मसाला बोर्ड को ₹5.79 करोड़ राशि की वित्तीय सहायता (अनुदान) जारी की। प्रबंधन ने माना कि मॉनीटरिंग कमेटी के गठन पर मसाला बोर्ड के साथ पत्राचार में सम्प्रेषण के अन्तर थे। प्रबंधन ने यह भी सूचित किया, (नवम्बर, 2016) कि मसाला बोर्ड ने ₹3.84 करोड़ वापिस किए (नवम्बर 2016)।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एपीईडीए ने परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के लिए एमओयू में शास्ति के भुगतान हेतु शर्त शामिल करने के लिए मंत्रालय के निर्देशों (मई 2011) का पालन नहीं किया। एसबी द्वारा अनुदान अन्य उद्देश्य के लिए विपथित किया गया था तथा

चार वर्षों से अधिक तक अभिप्रेत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया तथा 3000 मी.ट. का कोल्ड स्टोरेज अभी तक (नवम्बर 2016) निर्मित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, एपीईडीए को एमओसीआई से प्राप्त अनुदान की संस्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ₹1.77 करोड़² की ब्याज का भुगतान करना है। तथापि, अप्रयुक्त अनुदान पर 10 प्रतिशत की दर पर ब्याज के उद्ग्रहण हेतु एसबी के साथ एमओयू में समान शर्त के अभाव के कारण, एपीईडीए, उसे एसबी से वसूल नहीं कर पाएगा।

इस प्रकार, एपीईडीए द्वारा अप्रभावी मॉनीटरिंग के परिणामस्वरूप, अभिप्रेत उद्देश्य के लिए ₹5.79 करोड़ के अनुदान का उपयोग नहीं हुआ क्योंकि तीन वर्ष से अधिक के विलम्ब के पश्चात् कम क्षमता का कोल्ड स्टोरेज बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, एपीईडीए ने मसाला बोर्ड द्वारा वापिस किए गए अप्रयुक्त अनुदान पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज के उद्ग्रहण के संबंध में एमओयू में शर्त शामिल न करने के कारण ₹1.77 करोड़ की हानि उठाई।

मामला दिसंबर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

² फरवरी 2012 में अदा किया गया ₹3.06 करोड़ का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज 4 वर्षों तक अप्रयुक्त रहा = ₹1.22 करोड़
मार्च 2013 में अदा किया गया ₹2.73 करोड़ का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज 2 वर्षों तक अप्रयुक्त रहा = ₹0.55 करोड़

कुल = ₹1.77 करोड़

अध्याय- VIII : संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी

8.1 भंडारण व्यवस्था पर व्यर्थ निवेश

एक दशक से अधिक समय से राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में मुख्य पदों को भरने में संस्कृति मंत्रालय की विफलता का परिणाम 16582 कलाकृतियां को उत्कृष्ट भंडारण व्यवस्था में पुनर्स्थापित करने में विफलता में हुआ। जो मार्च 2014 से ₹3.81 करोड़ के व्यर्थ व्यय का कारण बना।

चूंकि प्रबंधन, भण्डारण तथा इसके संग्रहण में कलाकृतियों की पुनः प्राप्ति करने की वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त थी, इसलिए राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी (एनजीएमए) ने 2009 में निर्मित एक भवन में उत्कृष्ट भंडारण प्रणाली को स्थापित¹ करने का प्रस्ताव (अक्टूबर 2011) रखा। संस्कृति मंत्रालय ने प्रस्ताव को अनुमोदित (जुलाई 2013) कर दिया तथा कार्य ₹3.81 करोड़ की लागत से (मार्च 2014) पूरा हुआ। एनजीएमए ने अब तक (दिसम्बर 2016) 16,582 कलाकृतियों को अपने संग्रहण से नयी भण्डारण व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं किया है।

एनजीएमए संग्रह को स्थानांतरित करने की विफलता के लिए पिछले 10 वर्ष से कला संग्रह के संग्रहालयाध्यक्ष और उप-संग्रहालयाध्यक्ष के पद खाली रहने को आरोपित (फरवरी 2016) किया। एनजीएमए ने आगे सूचित किया (अगस्त 2016) कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), व्यवस्था का निरीक्षण (मई 2016) कर चुका था तथा इसका प्रतिवेदन प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यद्यपि एनजीएमए संग्रहालयाध्यक्ष और उप-संग्रहालयाध्यक्ष के पदों को अगस्त सितंबर 2016 में भर चुका था और सीआईएसएफ का सुरक्षा प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका था (अगस्त 2016), फिर भी एनजीएमए/मंत्रालय ने सुरक्षा प्रतिवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया तथा

¹ जयपुर भवन के नये स्कंध के भूतल में समर्पित क्षेत्र

अभी तक (दिसम्बर 2016) कला संग्रह भी नयी भण्डारण व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2016 में भेजा गया था; जनवरी 2017 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

टैगोर सांस्कृतिक भवन-समूह योजना

8.2 वित्तीय नियमों का पालन न होने के कारण निधियों का अवरोधन व ब्याज की हानि।

एक परियोजना को मॉनीटर करने और वित्तीय नियमों में वर्णित उचित अनुच्छेद को सम्मिलित करने में संस्कृति मंत्रालय की विफलता टैगोर सांस्कृतिक भवन-समूह के लिए योजना के अन्तर्गत गोवा सरकार को दी गई अप्रयुक्त सहायता पर अनुदान ₹2.14 करोड़ के अवरोधन और ₹0.86 करोड़ के ब्याज की हानि के रूप में परिणामित हुई।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) का नियम 209(6) (xi) अनुबंधित करता है कि सहायता अनुदान तथा उस पर ब्याज की वापसी संबंधित अनुच्छेद को स्पष्ट रूप में अनुदान के अनुमोदन पत्र में वर्णित किया जाना चाहिए।

संस्कृति मंत्रालय ने गोवा सरकार को टैगोर सांस्कृतिक भवन-समूह के लिए योजना के अन्तर्गत मार्गोवा स्थित रवीन्द्र भवन कॉम्प्लैक्स, को सुन्दर बनाने की परियोजना हेतु, इस आवश्यकता मांग के साथ कि परियोजना छह माह में पूरी हो जानी चाहिए, ₹2.14 करोड़ सहायता अनुदान के रूप में जारी किए। तथापि, मंत्रालय परियोजना को मॉनीटर करने में विफल रहा, राज्य सरकार ने अन्ततः सूचित किया (सितम्बर 2014) कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया गया और अनुदान को लौटा दिया गया (मार्च 2016)। चूंकि मंत्रालय अनुदान अनुमति पत्र में ब्याज अनुच्छेद को शामिल करने में विफल रहा, अतः ₹0.86 करोड़ के ब्याज की उगाही नहीं की जा सकी।

इस प्रकार मंत्रालय द्वारा परियोजना को मॉनीटर करने और जीएफआर में वर्णित ब्याज अनुच्छेद को अनुमति आदेश में शामिल न कर सकने की

विफलता चार वर्ष तक ₹2.14 करोड़ के अवरोधन और ₹0.86 करोड़ के ब्याज की हानि के रूप में प्रतिफलित हुई।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (जुलाई और सितम्बर 2016) कि ब्याज से संबंधित आवश्यक संशोधन शामिल कर लिए जाएंगे। तथापि मंत्रालय को भी परियोजनाओं की बेहतर मॉनीटरिंग हेतु एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए अनुदान दिए गए थे ताकि निधियाँ बेवजह अवरूद्ध न रहें।

अध्याय- IX : विदेश मंत्रालय

9.1 राजदूत के निवास हेतु किराए पर परिहार्य व्यय

मंत्रालय ने ब्रासिलिया में दूतावास के निवास के बैकल्पिक उपयोग पर निर्णय लेने में विलम्ब किया जिसके परिणामस्वरूप राजदूत के निवास पर किराए के सतत भुगतान पर परिहार्य व्यय हुआ (₹0.60 करोड़)।

विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) ने R\$34,751,780.32 (₹96.53 करोड़)² की अनुमानित लागत पर ब्रासिलिया में भारत आधारित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चांसरी-सह-आवासीय परिसर का निर्माण (भारत सरकार के स्वामित्व वाले एक प्लॉट पर) संस्वीकृत¹ किया। परियोजना लागत के 7 प्रतिशत के परामर्शी शुल्क तथा 3 प्रतिशत के प्रबंधन शुल्क पर एक स्थानीय वास्तुकार सह सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। भारतीय दूतावास, ब्राजील (मिशन) ने मंत्रालय को सूचित किया (जून-जुलाई 2013) कि मुख्यतः जून 2008 में 21 से जून 2013 में 26 तक स्टाफ पद संख्या में वृद्धि, भण्डारण हेतु पर्याप्त स्थान के अभाव आदि, तथा ब्रासिलिया में प्रथम सचिव की अध्यक्षता वाला एक वाणिज्यिक स्कंध स्थापित करने के मंत्रालय के हाल ही के निर्णय के मद्देनजर विद्यमान कार्यालय परिसर अपर्याप्त होगा। अतः मिशन ने प्रस्तावित किया कि नया दूतावास आवास भवन, चांसरी के भाग के रूप में बदल दिया जाए तथा राजदूत को विद्यमान निजी आवास (R\$ 28,184 अथवा ₹7.68 लाख मासिक के किराए पर) में ही रहने की अनुमति प्रदान की जाए।

मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्त (अगस्त 2013) एक सम्पत्ति दल ने मिशन के उपर्युक्त प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की, परन्तु यह सिफारिश भी की कि मिशन को इस संबंध में वास्तुकार सह सलाहकार की राय ले लेनी चाहिए। परिसर नवम्बर 2013 में पूरा किया गया था शेष परिसर (दूतावास आवास के अतिरिक्त) जनवरी 2014 में अधिकृत किया गया था। सम्पत्ति दल की सिफारिश पर निर्णय सम्प्रेषित किए बिना, मंत्रालय ने उसी उद्देश्य के लिए एक

¹ पत्र सं. क्यू/परि./862/22/2011 दिनांक 27 दिसम्बर 2011

² अक्टूबर 2011 के लिए विनियम की सरकारी दर ₹1.00 = 0.036

दूसरा सम्पत्ति दल प्रतिनियुक्त कर दिया (अप्रैल 2014)। दूसरे सम्पत्ति दल ने वास्तुकार सह सलाहकार से परामर्श किया, जिसने यह माना कि मिशन की अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता तथा तत्कालीन राजदूत द्वारा उठाए गए एकान्तता मुद्दे को क्रमशः वर्तमान चांसरी में सुधार द्वारा तथा वास्तुशिल्पीय/भू-दृश्य योजना में उपयुक्त परिवर्तनों से पूरा किया जा सकता है तथा पिछले सम्पत्ति दल की सिफारिश पलट दी। दूसरे दल की सिफारिश को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने मिशन को बिना किसी और विलम्ब के दूतावास निवास को फर्निश करने और उसे अधिकृत करने का निर्देश दिया (जुलाई 2014)। तदनुसार, राजदूत ने 30 सितम्बर 2014 को नव निर्मित दूतावास परिसर अधिकृत कर लिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो सम्पत्ति दलों को अनावश्यक रूप से प्रतिनियुक्त करने तथा निर्णय को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप, अगस्त 2014 में उसके कार्यकाल की समाप्ति तक राजदूत द्वारा निजी परिसर पर जनवरी 2014 से अगस्त 2014 तक आर \$ 224,060 (₹0.60 करोड़) का परिहार्य व्यय हुआ हालांकि दूतावास परिसर पूरा हो गया था तथा कब्जे में लेने के लिए तैयार था।

उत्तर में, मंत्रालय ने विलम्ब का स्पष्टीकरण देते हुए कहा (जुलाई 2016) कि नई अपेक्षाओं के मद्देनजर निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल थी और उसे विभिन्न प्रभागों को भेजना पड़ा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। मंत्रालय को निम्नलिखित कारणों से मिशन का प्रस्ताव रद्द करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं करना चाहिए था:

- (i) मिशन को दूतावास परिसर को चांसरी के भाग के रूप में तथा सुरक्षा स्टाफ सहित अपने अन्य स्टाफ के लिए प्रयोग करने का प्रस्ताव प्रारम्भ में ही मान्य नहीं था क्योंकि दूतावास निवास को अन्य परिसर की तुलना में बढ़िया विनिर्देशनों के साथ बनाया जाता है क्योंकि यह ब्राजील में भारत के राजदूत का सरकारी आवास होता है।
- (ii) नया वाणिज्यिक स्कंध स्थापित करने का निर्णय केवल अस्थायी निर्णय था। वास्तव में उसे आज तक (दिसम्बर 2016) संस्थापित नहीं किया

गया है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि संस्वीकृत पद संख्या जून 2013 में 21 से बढ़ाकर 26 हो गई थी, तथापि कार्यरत पद संख्या किसी भी अवस्था में 18 से अधिक नहीं हुई। अतः कार्यों में सम्भव विस्तार तथा अनुमोदन प्रदान करते समय स्टाफ के प्रत्याशित न होने जो वास्तव में नहीं हुआ, के आधार पर दूतावास परिसर को अधिकृत करने में अनावश्यक विलम्ब करना यदि अनावश्यक नहीं तब भी समयपूर्व निर्णय था।

- (iii) मिशन की मांग का योजना की अवस्था में ही प्रावधान किया जाना चाहिए था न कि तब जब निर्माण कार्य पूरा होने वाला था। किसी भी हालत में, यदि मिशन द्वारा प्रत्याशित सभी अतिरिक्त मांग दूतावास आवास के पुनः डिजाईनिंग द्वारा पूरी कर दी जाती जैसा कि प्रस्तावित किया गया था, तो इसके परिणामस्वरूप दूतावास आवास के 1035.40 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र के प्रति केवल 337 वर्ग मी. की अतिरिक्त मांग होती। अतः मिशन का प्रस्ताव शुरू से ही त्रुटिपूर्ण था और तत्काल रद्द कर दिया जाना चाहिए था।
- (iv) दूसरे सम्पत्ति दल की दूतावास आवास को चांसरी कार्यालयों में न बदलने की सिफारिश, मिशन के वर्तमान चांसरी में संशोधन करके पूरा करने के वास्तुकार सह सलाहकार के पुष्टिकरण पर निर्भर थी। यदि मिशन ने अगस्त 2013 में पहले सम्पत्ति दल की सलाह पर वास्तुकार एवं सलाहकार से परामर्श कर लिया होता तो मंत्रालय नवम्बर 2013 में परिसर को पूरा होने से पहले मिशन का प्रस्ताव रद्द कर देता, तथा राजदूत के सरकारी आवास के किराए पर जारी रखने पर व्यर्थ व्यय न होता।

इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग तथा विलम्ब से की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप राजदूत के निजी निवास के किराए के प्रति ₹0.60 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

9.2 आन्तरिक नियंत्रण के अभाव के कारण भारत के वाणिज्य दूतावास, सेन फ्रांसिस्को में धोखाधड़ी

चांसरी के अध्यक्ष तथा अन्य द्वारा भारत के वाणिज्य दूतावास, सेन फ्रांसिस्को में धोखाधड़ी के तीन मामलों का पता चला जो आन्तरिक नियंत्रण के अभाव के कारण हुए थे। ये सरकारी स्टाफ कार की सर्विसिंग (₹3.37 लाख), कर्मचारियों को जाली वाहन प्रभारों की बड़े पैमाने पर तथा आवर्ती प्रतिपूर्ति (₹55.21 लाख), तथा स्थानीय मरम्मत फर्म को भुगतान पर प्रकल्पित धोखाधड़ी से संबंधित थे।

आन्तरिक नियंत्रण की परिभाषा मोटे तौर पर परिचालनों की प्रभावकारिता तथा दक्षता के उद्देश्यों की प्राप्ति, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित समुचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई प्रबंधन के एक सत्व द्वारा प्रभारित एक प्रक्रिया के रूप में की गई है। एक मजबूत आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र निवारक के रूप में कार्य करता है तथा उपर्युक्त सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में धोखाधड़ी के क्रियाकलापों के अवसर कम करता है। भारतीय वाणिज्यिक दूतावास, सेन फ्रांसिस्को की लेखापरीक्षा (मार्च 2016) के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच से प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के अभाव का पता चला जिसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी, दुर्विनियोग तथा अधिक भुगतान के मामले हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क. व्यक्तिगत कार की सर्विसिंग पर ₹3.37 लाख का कपटपूर्ण व्यय

अभिलेखों से यह देखा गया था कि वाणिज्य-दूतावास ने यूएसडी 5,326.31 (₹3.37 लाख) पर सरकारी स्टाफ कार की सर्विस कराने का दावा किया। इनवॉयस की विस्तृत लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि वाहन की लाइसेंस प्लेट, वर्ष, मेक और रंग के विवरणों के साथ छेड़-छाड़ की गई थी (चांसरी के अध्यक्ष की व्यक्तिगत कार हॉंडा एकार्ड जिसकी साइसेंस सं. सीडीएल-0216 थी, की सर्विसिंग को लाइसेंस संख्या सीडीएल-0206 हॉंडा ओडीसी की सरकारी कार की सर्विसिंग के रूप में दर्शाया गया था) कार सर्विस सेंटर से मूल कार की प्रति की लेखापरीक्षा मांग से छेड़-छाड़ की पुष्टि हो गई।

यह धोखाधड़ी लिपिक (स्थानीय स्टाफ) द्वारा सम्भव की गई थी जिसने उप वाणिज्य दूत (प्रशासन) सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़ते हुए व्यय की संस्वीकृति की टिप्पणी सीधे चांसरी के अध्यक्ष को प्रस्तुत की थी। इसके अतिरिक्त, चांसरी को शक्तियों का प्रत्यायोजन जो स्टाफ कार की मरम्मत और अनुरक्षण पर यूएसडी 5,000 प्रति वर्ष तक सीमित था, को भी चांसरी के अध्यक्ष द्वारा नजरअंदाज किया गया था।

विदेश मंत्रालय ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि उसने लेखापरीक्षा टिप्पणी को गंभीरता से संज्ञान में लिया है और निम्नलिखित कार्रवाई की है:

- क. अनियमित भुगतान चांसरी के अध्यक्ष से वसूल कर लिया गया है तथा सरकारी लेखे में जमा करा दिया गया है;
- ख. चांसरी के अध्यक्ष को अब बगोटा में भारतीय दूतावास में चांसरी के अध्यक्ष के रूप में तैनात कर दिया गया है और उसे अपने प्रभार से मुक्त कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध सतर्कता कार्रवाई शुरू कर दी गई है;
- ग. सेन फ्रांसिस्को के वाणिज्य दूतावास को भविष्य में ऐसी चूकों से बचने के लिए अपने आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तन्त्र को मजबूत करने का परामर्श दिया गया है।

मंत्रालय के उत्तर में उन वाणिज्य दूतावास अधिकारियों/कर्मचारियों पर चूक की कार्रवाई का जिक्र नहीं किया है जिन्हें उक्त बिलों की प्रोसेसिंग तथा व्यय की मॉनीटरिंग का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

ख. जाली तथा स्वयं बनाई गई रसीदों के आधार पर वाहन प्रभारों की अनियमित प्रतिपूर्ति

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के नियम 21 में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक धन से व्यय करने वाले या व्यय प्राधिकृत करने वाले हर अधिकारी को वित्तीय उपयुक्तता के उच्च मानदण्डों का पालन करना चाहिए तथा उसे वित्तीय आदेश तथा कड़ी मितव्ययिता लागू करनी चाहिए। उसमें यह भी कहा गया है कि व्यय को पूरा करने के लिए संस्वीकृत भत्तों की राशि इस प्रकार से नियमित होनी चाहिए कि भत्ते समग्र रूप से प्रापकों को लाभ का स्रोत न हों।

प्रधान मुख्य लेखा-नियंत्रक (पीसीसीए), विदेश मंत्रालय ने नकदी लेखाओं की पश्च-जांच के दौरान भारतीय वाणिज्य दूतावास, फ्रांसिस्को के स्टाफ सदस्यों को वाहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति में गम्भीर अनियमितताएं देखी (जनवरी 2016)। पीसीसीए ने देखा कि वाऊचरों के साथ संलग्न टैक्सी रसीदें स्टाफ द्वारा खुद बनाई गई थी और वे असली प्रतीत नहीं होती थी। पीसीसीए ने दावों/टैक्सी रसीदों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए वाणिज्य दूतावास को अनुदेश दिया। तथापि, मार्च 2016 में लेखापरीक्षा द्वारा लेखाओं की नमूना-जांच में पीसीसीए के आदेश लागू करने के लिए वाणिज्य दूतावास द्वारा किसी कार्रवाई का कोई संकेत नहीं दर्शाया गया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2016) से पता चला कि केवल मार्च 2015 तथा फरवरी 2016 के बीच ही, वाणिज्य दूतावास ने अपने कर्मचारियों को वाहन प्रभारों के प्रति ₹76.58 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की थी जिसमें से ₹55.21 लाख जाली तथा खुद बनाई गई रसीदों पर आधारित थे। अक्टूबर 2015 में वाहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति अधिकतम (₹19.49 लाख) थी, जिसमें से एक कर्मचारी को ₹2.37 लाख प्रतिपूर्ति किए गए थे, जो उसके मासिक वेतन का 166 प्रतिशत बनता था। अक्टूबर 2015 में 17 कर्मचारियों में से प्रत्येक को यूएसडी 500 (₹0.32 लाख) के वाहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की गई थी। अधिकतर मामलों में, टैक्सी के दावों के साथ हाथ से भरी गई टैक्सी रसीदें संलग्न थी।

लेखापरीक्षा ने ऐसी कुछ एजेंसियों से सम्पर्क किया जिनकी दावा की गई रसीदों की वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की गई थी, और उन्होंने पुष्टि की थी **टैक्सियों में रसीदें बनाने वाली मशीनें लगी हुई थी।** वास्तव में, एक केब एजेंसी ने सूचित किया कि टैक्सी रसीदों में दिखाए गए केब नम्बर जिन्हें उनकी फर्म द्वारा जारी करने का दावा किया गया था और वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी उस फर्म से संबंधित नहीं थी। लेखापरीक्षा ने वाणिज्य दूतावास को प्रत्येक टैक्सी रसीद की जांच करने का अनुरोध किया था, परन्तु वाणिज्य दूतावास ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।

यह भी पाया गया था कि वाणिज्य दूतावास ने विदेश में भारत सरकार के प्रतिनिधियों को वित्तीय शक्तियों के नियम 5 के अन्तर्गत उपलब्ध

प्रत्यायोजित शक्ति, जो प्रत्येक अराजपत्रित कर्मचारी को यूएसडी 1,680 (₹1.1 लाख) तक सीमित है, से अधिक वाहन प्रभारों की नेमी रूप में प्रतिपूर्ति की थी। केवल मार्च 2015 तथा फरवरी 2016 के बीच ही, वाणिज्य दूतावास ने 13 स्थानीय कर्मचारियों को प्रत्योजित शक्तियों से अधिक ₹37.99 लाख की प्रतिपूर्ति की थी।

उपर्युक्त मामलों में भी संबंधित कर्मियों ने उप वाणिज्य दूत (प्रशासन) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअन्दाज करते हुए, चांसरी के अध्यक्ष को सीधे ही प्रतिपूर्ति के दावें प्रस्तुत किए थे।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (अक्टूबर 2016) कि मामला गम्भीरता से लिया गया है तथा अधिक राशि की वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जहां वसूलियां चांसरी के स्थानीय कर्मचारियों के संबंध में सम्भव नहीं थी, वहां उत्तरदायित्व उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर नियत किया जा रहा था जिन्होंने बिना संवीक्षा/प्राधिकर के भुगतान प्राधिकृत किए थे। वाणिज्य दूतावास को भी भविष्य में समुचित ध्यान रखने का अनुदेश दिया गया था।

ग. स्थानीय मरम्मत फर्म को भुगतान में संभावित धोखाधड़ी

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के नियम 132 में यह प्रावधान है कि अन्तिम भुगतान केवल कार्य के निष्पादन के प्रभारी अधिकारी के इस व्यक्तिगत प्रमाणपत्र पर ही किया जाएगा कि कार्य अनुबंध करार में निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार ही किया गया है तथा वर्कमैनशिप मानकों के अनुसार है। तत्रैत नियम 146 में यह भी प्रावधान है कि ₹15,000 (यूएसडी 240) से अधिक तथा ₹एक लाख (यूएसडी 1,597) तक लागत के माल अथवा सेवाओं की प्रत्येक खरीद पर, तीन सदस्यों से निहित एक विधिवत गठित स्थानीय समिति, दर, गुणवत्ता तथा विनिर्देशनों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी तथा समुचित आपूर्तिकर्ता की पहचान करेगी। विदेश में भारत सरकार की वित्तीय शक्तियों की अनुसूची 1 में यूएसडी 700 (₹0.44 लाख) तथा यूएसडी 350 (₹0.22 लाख) वार्षिक पर आवर्ती व्यय के

प्रत्येक मामले के लिए क्रमशः श्रेणी I तथा II के कर्मचारियों³ को शक्तियों की सामान्य मौद्रिक सीमा निर्धारित की गई है।

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए), विदेश मंत्रालय ने नकद लेखाओं की पश्च जांच के दौरान देखा (जनवरी 2016) कि वाणिज्य दूतावास छोटे-छोटे कार्यों के लिए एक स्थानीय फर्म⁴ को बड़ी राशियों का भुगतान कर रहा था तथा उच्चाधिकारियों को नजरअंदाज करने के लिए भुगतान विखण्डित किए जा रहे थे। तथापि, मार्च 2016 में लेखापरीक्षा द्वारा लेखाओं की नमूना-जांच ने पीसीसीए की टिप्पणियों पर वाणिज्य दूतावास द्वारा कोई कार्रवाई नहीं दर्शाई।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2016) से पता चला कि केवल मार्च 2015 तथा फरवरी 2016⁵ के बीच ही, वाणिज्य दूतावास ने स्थानीय फर्म को यूएसडी 92,928.73 (₹60.09 लाख) का भुगतान किया था। मार्च 2015 तथा नवम्बर 2015⁶ के बीच, फर्म को विभिन्न छोटे कार्यों⁷ के लिए 236 अवसरों पर यूएसडी 300 की पूरी राशि (₹47.11 लाख का राशि) का भुगतान किया गया था। केवल नवम्बर 2015 में ही, फर्म को 57 अवसरों पर यूएसडी 300 की पूरी राशि का भुगतान किया गया था। ये सभी बिल, उप दूत (प्रशासन) सहित उन्हें, समुचित माध्यम से भेजने के बजाए सीधे चांसरी के अध्यक्ष को ही प्रस्तुत किए गए थे। सभी 57 मामलों में टिप्पणी शुरू करने वाले कर्मचारी का नाम और पदनाम अभिलेख पर उपलब्ध नहीं पाया गया था। सक्षम अधिकारी का इस आशय का कोई प्रमाणपत्र नहीं था कि कार्य

³ श्रेणी I कर्मचारी: दूतावास, उच्चायुक्त, आईएफएस के ग्रेड IV तथा ऊपर के प्रभार डी मामले; श्रेणी II कर्मचारी: विदेशों में भारतीय मिशनों/पदों के प्रभारी अन्य सभी अधिकारी, मिशनों के सभी अधिकारी जो द्वितीय सचिव के पद से कम न हो और जिनकी चांसरी के अध्यक्ष के रूप में घोषणा की गई हो (स्रोत: विदेश में जीओआई के प्रतिनिधि की वित्तीय शक्तियां)।

⁴ मै. जो मेंडोनका होम रिपेयर्स एण्ड रीमॉडलिंग

⁵ वर्तमान लेखापरीक्षा अवधि

⁶ चांसरी के अध्यक्ष का नवम्बर 2015 में स्थानान्तरण हो गया

⁷ पुराने फर्नीचर को हटाना और उसका निपटान करना, चांसरी में डोर-वैल तथा किचन स्ट्रेनर को बदलना। सीजी के निवास पर बल्ब बदलना, सीजी के निवास पर चांसरी के पीछे वृक्षों की ट्रिमिंग करना, सी के निवास पर वेक्यूम क्लीनर तथा हीटर की मरम्मत करना, दस्तावेजों को नष्ट करना, चांसरी की छत में नालियों की सफाई, पेस्ट कंट्रोल, ओसीआई रूम की छत में वातानुकूलन की मरम्मत आदि।

संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया गया है। अभिलेख में उस तारीख का कोई संकेत नहीं था जिस पर काम को पूरा करने का दावा किया गया हो। कुछ मामलों में आईएमएस⁸ में वाउचर का सृजन करने वाले का नाम 'ए' के रूप में दर्शाया गया था, कुछ अन्य मामलों में वाउचर का सृजन प्रणाली प्रशासक के विशेषाधिकार की अवहेलना कर के सृजन किया गया था। अतः आईएमएस पर सूचना की सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध है।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि चांसरी के अध्यक्ष का वाणिज्य दूतावास से स्थानान्तरण (नवम्बर 2015) के पश्चात् उक्त भुगतानों की संख्या घट कर दिसम्बर 2015 में आठ, जनवरी 2016 में शून्य तथा फरवरी 2016 में दो हो गई थी। इसे उस प्रमाणपत्र के मद्देनजर देखा जाना है जो लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुसरण में वाणिज्य दूतावास को दिया गया था, जिसमें फर्म ने यह सूचित किया था कि मरम्मत वास्तव में की गई थी। चांसरी के अध्यक्ष के स्थानान्तरण के पश्चात् सीधी कम होने वाली मरम्मत के बड़ी संख्या के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए फर्म तथा सम्भावित धोखाधड़ी में वाणिज्य दूतावास के अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जांच करने की आवश्यकता है।

वाणिज्य दूतावास ने सूचित किया (अक्टूबर 2016) कि प्रणालियों की समीक्षा की गई थी और अब समुचित देखभाल की जा रही है, तथा आईएमएस से संबंधित मामले सुधार लिए गए हैं। मंत्रालय ने अपने उत्तर में (जनवरी 2017) सूचित किया कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित गंभीर प्रशासनिक मुद्दों के मद्देनजर, पोस्ट को विचाराधीन सभी बिलों को उन संबंधित अधिकारियों/पदाधिकारी से सत्यापित करके प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं, जिनके अनुरोध पर संस्था को निर्माण-कार्य शुरू करने के लिए कहा गया था। पोस्ट को अपने वित्तीय नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ की सलाह भी दी गयी है और वाउचर में उल्लेख के अनुसार निर्माण-कार्य की पुष्टि न हो पाने की स्थिति में, ऐसे सभी मामलों में व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय की जाएगी।

⁸ विदेश मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन एवं लेखाकरण प्रणाली

9.3 सरकारी लेखाओं से बाहर प्राप्ति एवं व्यय

भारतीय दूतावास, टोक्यो ने सकूरा उत्सव 2015 के आयोजन के दौरान प्राप्ति तथा व्यय को दूतावास लेखे से बाहर रख कर सामान्य वित्तीय नियमावली तथा प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली का उल्लंघन किया।

भारतीय दूतावास, टोक्यो (मिशन), चांसरी परिसर में एक वार्षिक 'सकूरा उत्सव' का आयोजन करता है। भागीदार विक्रेताओं से अपेक्षित है कि वे विभिन्न दरों पर मिशन को शुल्क दें। मार्च-अप्रैल 2015 में सकूरा उत्सव के लिए मिशन ने जेपीवाई 6,673,500 (₹35.37 लाख) प्राप्ति का शेष तथा जेपीवाई 3,599,781 (₹19.08 लाख) के व्यय का निरूपित करते हुए दूतावास लेखे में जेपीवाई 3,073,719 (₹16.29 लाख⁹) के समकक्ष राशि जमा कराई।

लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला:

❖ ₹35.37 लाख की उल्लिखित प्राप्तियों में से, सरकारी लेखे में केवल ₹10.12 लाख तत्काल लिए गए थे तथा ₹6.17 लाख, उत्सव के एक से छः महीने बाद जमा कराए गए थे। ₹19.08 लाख का शेष, दूतावास लेखे से बाहर रखा गया था और खर्च कर लिया गया बताया गया था। इस प्रथा के द्वारा, मिशन ने सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 (जीएफआर) के नियम 7, जिसमें यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त धन आर एवं पी नियमावली¹⁰ के नियम 13 जिसमें यह निर्धारित है कि समस्त मौद्रिक लेन-देन उनके होते ही रोकड़ बही में प्रविष्ट किए जाने चाहिए तथा जांच के प्रमाण के रूप में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए, का उल्लंघन किया। इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि मिशन द्वारा प्राप्त तथा खर्च दावित राशियां, वास्तव में प्राप्त तथा खर्च की गई राशियों को निरूपित करती थी।

❖ मिशन ने कुल ₹35.37 लाख के कथित राजस्व हेतु विक्रेताओं को कोई प्राप्तियां जारी नहीं की। इस प्रकार मिशन ने आर एवं पी नियमावली के नियम 21 का उल्लंघन किया जिसमें यह प्रावधान है कि एक कार्यालय, जहां सरकार की ओर से धन प्राप्त हुआ है, के अध्यक्ष को इस बात से संतुष्ट होने के बाद

⁹ मार्च 2015 के लिए 1 जेपीवाई की सरकारी आर ओ ई = ₹0.53

¹⁰ केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली 1983.

कि राशि समुचित ढंग से रोकड़ बही में प्रविष्ट कर ली गई है, अदाकर्ता को उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक रसीद देनी चाहिए।

❖ मिशन ने, भारतीय खाद्य उत्सव को अंशदान, 2 अक्टूबर को स्वागत तथा कलाकार निवासी कार्यक्रमों जैसे कार्यों जिनके लिए विदेश मंत्रालय अथवा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा मिशन को वार्षिक रूप से अलग से बजट प्रदान किया जाता है, के लिए सकूरा उत्सव की प्राप्तियों में से जे पी वाई 472.108 (₹25.02 लाख) का विपथन किया। मिशन ने प्राप्तियों में से, ड्यूटी पर दूतावास स्टाफ (भारत आधारित स्टाफ सहित) जेपीवाई 124,000 (₹0.66 लाख के समान) का मानदेय भी दिया। किसी भी अवस्था पर मिशन ने मंत्रालय को यह नहीं बताया कि निधियों का उक्त विपथन होगा।

❖ लेखापरीक्षा ने 2012-13 तथा 2013-14 में आयोजित सकूरा उत्सव से संबंधित अभिलेखों की मांग की। मिशन ने सूचित किया कि वह अभिलेखों को ढूँढने का प्रयास कर रहा है।

अपने उत्तरों (जून 2016, सितंबर 2016 तथा अक्टूबर 2016) में, मिशन ने तथ्यों तथा आंकड़ों की पुष्टि करते हुए कहा कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों के मद्देनजर, सकूरा उत्सव 2016 के लिए एक संशोधित ढांचा विकसित किया गया है।

मामला विदेश मंत्रालय को जुलाई 2016 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, बिहार

9.4 नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, बिहार की स्थापना एवं कामकाज

मंत्रालय द्वारा नियमित शासित बोर्ड जैसाकि अधिनियम में प्रावधान था, का गठन नहीं किया गया था। यद्यपि एंडावमेंट समिति बनाई गए थी लेकिन वह अप्रभावशाली थी। विश्वविद्यालय शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु नियम एवं विनियम बनाने में असफल रहा तथा कुलपति तथा ओएसडी (विश्वविद्यालय नियोजन) की नियुक्ति में अनियमितताएं थीं कुलपति तथा ओएसडी (विश्वविद्यालय नियोजन) को ₹57.40 लाख राशि के आयकर की अनुचित

प्रतिपूर्ति की गई थी। विश्वविद्यालय समय पर स्कूलों की स्थापना करने में विफल रहा तथा विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कार्य आरंभ नहीं कर सका।

थाईलैंड में चौथे ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन (अक्टूबर 2009) में बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक तथा अध्यात्मिक अध्ययन तथा उनसे संबंधित अथवा उनके समान लक्ष्य हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में बिहार राज्य में नालन्दा विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) की स्थापना का प्रस्ताव किया। उपर्युक्त के अनुसरण में, भारत सरकार ने नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 (अधिनियम), लागू किया जो 25 नवम्बर 2010 से प्रभावी हुआ।

विश्वविद्यालय के आरंभ होने (नवम्बर 2010) से मार्च 2016 के अभिलेखों तथा 2007 से मार्च 2016 तक के विदेश मंत्रालय के अभिलेखों की जनवरी 2016 से जुलाई 2016 के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी। महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है:

9.4.2 नालन्दा परामर्शदाता ग्रुप का गठन

भारत सरकार (जीओआई) ने, नालन्दा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान हेतु, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा साझेदारी के ढांचे तथा पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के बीच सांस्कृतिक विनियम केन्द्र के रूप में श्रेष्ठ व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक नालन्दा परामर्शदाता ग्रुप (एनएमजी) का गठन किया (28 जून 2007)। विश्वविद्यालय के अभिशासन ढांचे हेतु प्रोफेसर अमर्त्य सेन को एनएमजी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था।

एमईए के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि एनएमजी द्वारा उसके गठन से नौ माह की अवधि के भीतर भारत सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट पर अंतिम अनुशंसाएँ प्रस्तुत करना अपेक्षित था, तथापि उसके गठन होने (2007 से 2010) के नौ माह के बाद भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2017) कि एनएमजी नालन्दा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान हेतु मुख्य प्रस्ताव बनाने के उद्देश्य हेतु स्थापित किया गया था तथा एनएमजी की कई सिफारिशें अधिनियम में शामिल कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त, एनएमजी ने नालन्दा विश्वविद्यालय की व्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण

तथा प्रारंभिक कार्य किए तथा इस प्रकार, उसकी गतिविधियां अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत कराई गई।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनएमजी के गठन के संदर्भ शर्तों में स्पष्ट रूप से भारत सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट में नौ महीनों की अवधि के भीतर अंतिम अनुशंसाओं की प्रस्तुतीकरण करना निर्धारित है जिसे एनएमजी करने में असफल रहा।

9.4.3 अधिनियम का कार्यान्वयन

9.4.3.1 शासी-बोर्ड का गठन न करना

अधिनियम की धारा 7 में शासी बोर्ड (जीबी) के गठन का प्रावधान है जिसमें सभापति, उप-सभापति, सदस्य राज्य से पांच सदस्य, विदेश मंत्रालय (एमईए) से कम से कम सचिव के रैंक का एक सदस्य, बिहार राज्य सरकार द्वारा नामित दो सदस्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) से एक सदस्य (अतिरिक्त सचिव के रैंक से कम नहीं) केन्द्रीय सरकार से नामित तीन प्रख्यात अकादमी सदस्य अथवा शिक्षाविद शामिल होंगे।

अधिनियम की धारा 8(1) में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय की सभी नीतियों तथा निदेशों तथा उसके कार्यों के प्रबंधन हेतु जीबी उत्तरदायी होगी अधिनियम की धारा 8(2) में प्रावधान है कि एनएमजी शक्तियों का प्रयोग तथा जी.बी. के कार्यों का निष्पादन एक वर्ष की अवधि तक या उस समय तक जबकि धारा 7 की उपधारा (1) के खंड के (सी) के संदर्भ में सदस्यों को नामित किया गया हो, जो भी पहले हो, करेगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि शासी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है (मार्च 2016)। यह देखा गया था कि एमईए ने अधिनियम के प्रावधानों को दर्शाते हुए कठिनाइयों के हटाने के संबंध में अधिनियम की धारा 41 के प्रावधान का आवाहन किया (नवम्बर 2011) तथा एनएमजी का प्रत्येक समय में एक वर्ष के लिए नवम्बर 2011 तथा नवम्बर 2012 में क्रमशः “एक वर्ष” से “दो वर्ष” तथा “तीन वर्ष” तक समय बढ़ाया। एनएमजी का अनिश्चित काल के लिए समय बढ़ाने के लिए नवम्बर 2013 में अंतिम संशोधन किया गया था,

अधिनियम की धारा 41 के उपबंध, जिसमें यह बताया गया है कि उस प्रावधान जिसमें एनएमजी की समयसूची दी गई थी, को समाप्त करके अधिनियम के प्रारंभ होने से (नवम्बर 2010) तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद कोई आदेश नहीं किए जाएंगे, का उल्लंघन करना था।

यह देखा गया था कि नियमित जीबी के अभाव में सभी प्रमुख निर्णय जैसे नालन्दा विश्वविद्यालय में संविधियों, नियमों एवं विनियमों का निर्माण, पद का सृजन आदि, सितम्बर 2010 से मार्च 2016 के दौरान एनएमजी द्वारा ही लिए गए थे। तथापि, अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार एनएमजी में बिहार सरकार तथा एमएचआरडी की भागीदारी नहीं थी।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2017) कि सदस्य राज्यों के वित्तीय अंशदान की प्राप्ति नहीं होने के कारण, अधिनियम¹² की धारा 7 में परिभाषित जीबी के अनुसार उनकी सदस्यता को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता था और इसलिए जीबी का गठन नहीं हो सका था। जीओआई ने अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जीबी का गठन (नवंबर 2016) बिहार राज्य सरकार एवं एमएचआरडी के सदस्यों के साथ किया।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। भारत, इंडोनेशिया, चीन, आस्ट्रेलिया, लाओस एवं थाईलैंड ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान निधियां प्रदान कर दी थीं और जीबी का गठन पहले ही किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, एनएमजी अंतराल प्रबंधन को ही बंद करना चाहता था।

9.4.4 विश्वविद्यालय का कामकाज

शैक्षिक कर्मचारी, कुलपति, विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति में विभागों की स्थापना के नियम एवं शर्तों को अन्तिम रूप न देने में देखी गई अनियमितताओं की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

¹² तीन वर्षों की अवधि के दौरान सर्वाधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सदस्य राज्यों में से पाँच सदस्यों को सदस्य राज्यों द्वारा मनोनीत किया जाएगा (धारा 7 (1) (ग))।

9.4.4.1 शैक्षिक कर्मचारियों के पदों के लिए सेवा नियम एवं शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना

अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, पुस्तक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी, संविधि द्वारा निर्धारित ढंग एवं सेवा की शर्तों पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 27 (ई) में प्रावधान है कि संविधि द्वारा शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए सेवा विनियम तथा सेवा की शर्तों की व्यवस्था की जाएगी।

यद्यपि परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष, शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के पद हेतु सेवा के नियम एवं शर्तों की संविधि नहीं बनाई गई थी (मार्च 2010) विश्वविद्यालय ने तर्दथ आधार पर शैक्षणिक स्टाफ के रूप में एक डीन, तीन संस्थापक प्रोफेसरों, तीन संयुक्त प्रोफेसरों, आठ सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की थी (मई 2014 से जनवरी 2016)। इसके अतिरिक्त वेतन संरचना में विभिन्न स्तरों पर वेतन नियत किया गया था।

विश्वविद्यालय ने कहा (अक्टूबर 2016) कि विश्वविद्यालय ने पदों को विज्ञापित करते समय सभी शैक्षणिक स्टाफ की सेवा के नियम एवं शर्तें बनायी थी। मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर का समर्थन (जनवरी 2017) किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि नियुक्तियों की शुरुआत के पूर्व ही इनको परिभाषित करने वाली संविधि का निर्माण कर लिया जाना चाहिए था।

9.4.5 नियुक्तियों में अनियमितताएं

विश्वविद्यालय तथा विदेश मंत्रालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की जांच में विभिन्न पदों की नियुक्तियाँ में अनियमितताएं प्रकट हुई थी जिनकी चर्चा नीचे की गई है।

9.4.5.1 रेक्टर के नाम हेतु अनियमित विचार

संदर्भ की जिन शर्तों के अधीन एनएमजी का गठन किया गया था (जून 2007), उसमें रेक्टर की नियुक्ति हेतु सिफारिशें शामिल नहीं थीं।

यद्यपि, एनएमजी के अध्यक्ष ने तीन नामों (डॉ. गोपा सभरवाल, डॉ. रामचंद्र गुहा, डॉ. प्रताप भानु मेहता) की सिफारिश (06 फरवरी 2009) एनएमजी की ओर से एमईए के पास विश्वविद्यालय के प्रथम रेक्टर के रूप में नियुक्ति हेतु की।

उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर, एमईए ने डॉ. गोपा सभरवाल, को सूचित किया (मार्च 2009) कि उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के आरंभिक रेक्टर के रूप में चयनित किया गया है। अतः एनएमजी द्वारा आरंभिक नामों पर विचार करने से तत्संबंधी संदर्भ की शर्तों का उल्लंघन हुआ था।

उत्तर में मंत्रालय ने स्वीकार किया (जनवरी 2017) कि एनएमजी के आरंभिक टीओआर में चयन/सिफारिश हेतु संदर्भ नहीं था लेकिन इसे एनएमजी ने सुझाव दिया था।

9.4.5.2 कुलपति की अनियमित नियुक्ति एवं मनमाने रूप से वेतन निर्धारण

अधिनियम की धारा 15 (1) के अनुसार, कुलपति की नियुक्ति विजिटर¹³ भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस ढंग, उस अवधि, परिलब्धियों तथा सेवा की उन अन्य शर्तों पर की जाएगी जो संविधि द्वारा निर्धारित की गई हों। संविधि की धारा 12(1) में प्रावधान (मार्च 2012) है कि विजिटर द्वारा कुलपति की नियुक्ति शासी परिषद द्वारा अनुशंसित कम से कम तीन व्यक्तियों की सूची में से की जाएगी।

एमईए के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि एनएमजी के संदर्भ की शर्तों में किसी नियुक्ति की सिफारिश नहीं की थी, एनएमजी ने अपनी छठी बैठक में नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कुलपति पदनाम के रूप में केवल एक डॉ. गोपा सभरवाल के नाम की सिफारिश की थी (अगस्त 2010)। एनएमजी ने ₹3.50 लाख का मासिक वेतन भी प्रस्तावित किया।

एमईए ने उपरोक्त सिफारिश के आधार पर डॉ. गोपा सभरवाल को सूचित किया (9 सितम्बर 2010) कि सक्षम प्राधिकारियों ने ₹2.00 लाख मासिक के वेतन के साथ अन्य भत्तों सहित कुलपति- पदनाम के रूप में उनकी नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किया है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में 08 अक्टूबर 2010 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। तथापि, विजिटर ने उनकी नियुक्ति को पूर्वव्यापी प्रभाव से 8 अक्टूबर 2010 से पुष्टि की (मार्च 2012)। तदुपरान्त वि.मं. ने (सितम्बर 2012) डॉ. गोपा सभरवाल को उनकी स्थायीकरण तिथि को बदलते

¹³ भारत के राष्ट्रपति

हुए 25 नवम्बर 2010 अर्थात् जिस तिथि को नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम अस्तित्व में आया, से स्थायी होने की सूचना दी थी।

इसके अतिरिक्त, जीबी¹⁴ ने अपनी पहली बैठक (फरवरी 2011) में वीसी का वेतन ₹2.00 लाख से बढ़ाकर मार्च 2011 से ₹3.50 लाख प्रति माह बिना किसी लिखित कारण के कर दिया जिसे बाद में डॉ. गोपा सभरवाल द्वारा खुद ही अक्टूबर 2011 से ₹2.50 लाख प्रति माह कर दिया गया था। अतः, अनुमोदित वेतन को मनमाने ढंग से बढ़ाये जाने से मार्च 2011 से फरवरी 2016 के दौरान वीसी को ₹37.00¹⁵ लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी, 2017) कि एनएमजी को जीबी में परिवर्तित कर दिया गया था (नवंबर 2010) और इसलिए इसके पास वीसी के पद हेतु नामों की सिफारिश करने की शक्ति थी और यह पुष्टि की कि अन्य नियम एवं शर्तों के साथ उनका वेतन ₹2.00 लाख प्रति माह निर्धारित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि एनएमजी को जीबी की शक्तियां मिलने (25 नवंबर 2010) से बहुत पहले ही एनएमजी ने वीसी के पद हेतु एकल नाम की सिफारिश (अगस्त 2010) की थी।

9.4.5.3 डॉ. अंजना शर्मा की ओएसडी (विश्वविद्यालय विकास) के रूप में अनियमित नियुक्ति।

अधिनियम में विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय विभाग) तथा संकायाध्यक्ष (शैक्षिक योजना) के किसी पद का प्रावधान नहीं था। विश्वविद्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि डॉ. अंजना शर्मा, रजिस्ट्रार/निदेशक वित्त पद हेतु एसएयू¹⁶ में प्रचलित अन्य भत्तों सहित ₹2.00 लाख के नियत मासिक वेतन पर नियुक्त की गई थी (14 जनवरी 2011)। बाद में डॉ. अंजना शर्मा 30 जुलाई 2012 को मिली शासी परिषद की उप समिति द्वारा उसी वेतनमान पर

¹⁴ 25 नवम्बर 2010 से एनएमजी को जीबी का कार्य करना था।

¹⁵ एमईए द्वारा निर्धारित वेतन (₹129.55 लाख) एवं वास्तविक रूप से अर्जित वेतन ₹ 166.55 लाख) में अंतर।

¹⁶ यूएस \$ 30000-45000 वार्षिक के वेतनमान में यूएस \$40000 वार्षिक दर पर ₹2.17 लाख।

संकायाध्यक्ष (शैक्षिक योजना) के रूप में पुनः पदनामित (30 जुलाई 2012) की गई थी।

इस प्रकार, डॉ. अंजना शर्मा की ओएसडी (विश्वविद्यालय विकास) एवं संकायाध्यक्ष (शैक्षिक योजना) के रूप में नियुक्ति अनियमित थी, क्योंकि अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था।

विश्वविद्यालय ने कहा (अक्टूबर 2016) कि शासी परिषद ने संविधि 2012 की धारा 3 (एम) तथा (एन) से उक्त पदों के सृजन की शक्तियाँ प्राप्त की थी मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर का समर्थन (जनवरी 2017) किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डॉ. अंजना शर्मा की नियुक्ति जनवरी 2011 को विशेष इयूटी पर अधिकारी के रूप में की गई थी जबकि संविधि मार्च 2012 के दौरान अधिसूचित किया गया था, अतः उसे संविधि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

9.4.6 आयकर देयता की अनुचित प्रतिपूर्ति

अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य ऐसे विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं का लाभ उठाएंगे जिसे केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय के पास अनुबंध करने के बाद संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षा) अधिनियम 1947 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित करेगी। एमईए ने विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध को अधिसूचित किया (जनवरी 2014) जिसमें प्रावधान था कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ को विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें दिये जाने वाले वेतनों एवं परिलब्धियों से संबद्ध कर में छूट के हकदार होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने क्रमशः नवंबर 2010 एवं फरवरी 2011 से डॉ. गोपा सभरवाल, वीसी एवं डॉ. अंजना शर्मा, विशेष इयूटी पर अधिकारी (डीन, शैक्षणिक योजना के रूप में पुनः पदनामित) की आयकर देयताओं की प्रतिपूर्ति को लाभ प्रदान किया यद्यपि भारत सरकार की अधिसूचना जनवरी 2014 में जारी की गयी थी। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय ने उपरोक्त अधिकारियों को अनुचित लाभ दिया और उनका वेतन बढ़ाकर ₹57.40 की आयकर देयता की प्रतिपूर्ति की।

विश्वविद्यालय ने बताया (जून 2016) कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की अंतरिम अवधि में, जीबी ने शैक्षणिक स्टाफ द्वारा अदा कर की क्षतिपूर्ति हेतु कर देयता को आवृत्त करने के लिए वेतन की समानुपातिक रूप से वृद्धि द्वारा करने का निर्णय लिया (फनवरी 2011)।

विश्वविद्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त लाभ अधिनियम की धारा 21 की संगति में नहीं थे, जो प्रावधान करता है कि कर अवकाश का लाभ भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद ही दिया जा सकता है।

9.4.7 विभागों की स्थापना

अधिनियम की धारा 24 (2) के अनुसार, छः विभाग एवं संविधि द्वारा निर्धारित किसी अन्य विभाग की स्थापना विश्वविद्यालय द्वारा की जानी थी।

जीबी ने ईडी सीआईएल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन को अनुमोदित किया (जुलाई 2012) जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी प्रावधान था कि पहला विभाग 2014-15 में शुरू होगा (2014 की गर्मियों में)।

विश्वविद्यालय ने दो विभागों यथा स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज एवं स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एन्वायरमेंट स्टडीज की शुरुआत द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम का आरंभ किया (2014-15)। यह देखा गया कि उपरोक्त दो विभागों में परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 220 एवं 440 के स्थान पर दो बैचों में अर्थात् 2014-16 एवं 2015-17 में 12 एवं 50 छात्र थे।

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर का परिचालन 2015-16 के दौरान शुरू हुआ, लेकिन अभी तक (मार्च 2016), स्कूल ऑफ लैंग्वेज एवं लिटरेचर की स्थापना नहीं हुई थी।

उत्तर में, विश्वविद्यालय ने बताया (अक्टूबर 2016) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एक संकेतक दस्तावेज है। स्कूलों की रॉल आउट योजना एवं छात्रों के प्रवेश का निर्धारण डीपीआर में तय समय सीमाओं से नहीं हो सकता है। मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर का समर्थन (जनवरी 2017) किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि डीपीआर में परियोजना की संपूर्ण योजना की महत्वपूर्ण अवस्थाओं का प्रावधान होता है।

9.4.8 वित्तीय एवं निर्माण गतिविधियां

विश्वविद्यालय के वित्तीय निष्पादन पर आगामी पैरों में चर्चा की गयी है:

9.4.8.1 अनुदानों का उपयोग

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय ने ₹81.21 करोड़¹⁷ के अनुदान के प्रति 2010-11 से 2015-16 की अवधि में ₹76.37 करोड़ का उपयोग किया और ₹4.84 करोड़ का शेष रह गया।

विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2016) कि विश्वविद्यालय के चरण-I निर्माण को अंतिम रूप देने में विलंब और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के कारण कुछ पदों की रिक्ति होना अनुदान का उपयोग नहीं होने के कारण थे।

मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर को समर्थित किया (जनवरी 2017)।

9.4.8.2 अप्रभावी बाह्य अक्षय निधि समिति

जीबी ने विश्वविद्यालय के अक्षय निधि हेतु संसाधनों को एकत्रित करने के लिए एक बाह्य अक्षय निधि समिति (ईईसी) का गठन¹⁸ किया, जिसे एमईए द्वारा संविधि में अधिसूचित (मार्च 2014) किया गया था। अधिसूचना के अनुसार ईईसी का गठन विश्वविद्यालय के लिए संसाधनों को एकत्रित करने एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक निजी साझेदारी को बढ़ाने में जीबी की सहायता करने के लिए हुआ था।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि ईईसी के गठन के बाद, ईईसी की कोई बैठक नहीं हुई थी (मार्च 2016)। अतः ईईसी बाह्य स्रोतों

¹⁷ ₹2.77 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियों सहित।

¹⁸ 19-20 जुलाई 2012 की अवधि में पटना में आयोजित गवर्निंग बाडी (जीबी) में उल्लिखित मद सं. 3

से अंशदान एकत्रित करने और अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहा जिसके लिए इसका गठन हुआ था।

विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (अक्टूबर 2016) कि वाह्य निधियों को एकत्रित करने के लिए प्रविधि को अंतिम रूप नहीं दिया जाना और कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते नहीं होना, अप्रभावी अक्षय निधि का मुख्य कारण थे।

मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर को समर्थित किया (जनवरी 2017)।

9.4.9 निर्माण गतिविधियां

बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर हेतु 450 एकड़ भूमि का कब्जा दिया था (फरवरी 2011)। भारत सरकार की आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने 2010-11 से 2021-22 की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय को ₹2727.10 करोड़ के बजटीय समर्थन का अनुमोदन किया था। मार्च 2016 तक, विश्वविद्यालय ने चारदीवारी का निर्माण किया और विश्वविद्यालय के चरण-1 परिसर के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की।

चारदीवारी के निर्माण में एवं चरण-1 परिसर के निर्माण हेतु निविदाओं में देखी गयी कमियों पर आगामी पैरों में चर्चा की गयी है।

9.4.9.1 चारदीवारी के निर्माण में निधियों का अवरोधन

नालंदा विश्वविद्यालय के नये परिसर में चारदीवारी के निर्माण हेतु जमा निर्माण आधार पर एक समझौता (03 नवम्बर 2011) बिहार राज्य पुल निर्माण लिमिटेड (बीआरपीएनएनएल) के साथ ₹1019.79 लाख के प्राक्कलित लागत पर किया गया था। अनुबंध के खंड 3 के अनुसार, दो सदस्यीय संयुक्त सदस्यीय समिति (जेएमसी) का गठन (एम सदस्य नालंदा विश्वविद्यालय का और एक सदस्य बीआरपीएनएनएल से) प्रत्येक 15 दिनों में परियोजना की प्रगति को मानीटर करने के लिए किया जाना था तथा भुगतान, निर्माण की प्रगति की जांच करने के बाद किस्तों में किया जाना था।

विश्वविद्यालय को संस्वीकृत/अनुमोदित राशि (अनुबंध का खंड 4) का बीआरपीएनएनएल को अग्रिम के रूप में 30 प्रतिशत का भुगतान करना आवश्यक

था। इसके अतिरिक्त अनुबंध के खंड 6.8 के अनुसार, बीआरपीएनएनएल पर आवधिक अंतराल पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को सूचित करने की जिम्मेदारी थी।

जीबी की तीसरी बैठक (14-15 अक्टूबर 011) में, सदस्य सचिव ने उल्लेख किया कि इस आशा के साथ अन्य गतिविधियों में इसका प्रयोग नहीं होगा चारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए ₹300.00 लाख की राशि विशेष रूप से जारी की गयी थी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय ने बीआरपीएनएनएल को अग्रिम के रूप में ₹300.00 लाख का भुगतान (28 नवंबर 2011) किया गया था। इसके अतिरिक्त यह देखा गया था कि विश्वविद्यालय ने जेएमसी की प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्राप्त किये बिना ही ₹100.00 लाख फिर से जारी कर दिया था (29 मार्च 2012)। कई बार अनुरोध करने के बाद, बीआरपीएनएनएल ने ₹551.007 लाख का अपना पहला बिल प्रस्तुत कर दिया (22 नवम्बर 2012) और शेष राशि प्रदान करने का अनुरोध किया। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय ने ऊपर लिखित अनुबंध के खंड को ध्यान में रखे बगैर ₹500.00 लाख (₹400.00 लाख 07 दिसम्बर 2012 को एवं 21 मार्च 2013 को ₹100.00 लाख) प्रदान कर दिया था। लंबे पत्राचार के बाद बीआरपीएनएनएल ने ₹62.91 लाख का दूसरा बिल प्रस्तुत किया था (18 मार्च 2013)। इस प्रकार, ₹900.00 लाख के कुल अग्रिम के प्रति, बीआरपीएनएनएल ने 31 मार्च 2013 तक ₹613.91 लाख (₹551.00 लाख + ₹62.91 लाख) का बिल प्रस्तुत किया।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के सहायक वित्त अधिकारी ने बीआरपीएनएनएनएल को नालंदा विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर की मरम्मत हेतु अव्ययित राशि को प्रयुक्त करने का निर्देश दिया (20 अक्टूबर 2014) था।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने अनुबंध के प्रावधानों का पालन नहीं किया, मरम्मत कार्य के लिए निधियों का विपथन किया जिसे जीबी द्वारा विशेष रूप से निषिद्ध किया गया था, धनराशि को जेएमसी से प्रगति प्रतिवेदन के साथ-साथ भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना जारी किया, जिससे बीआरपीएनएनएल

के पास ₹286.09 लाख की राशि का अवरोधन हुआ, विश्वविद्यालय ब्याज अर्जित करने से वंचित रहा।

विश्वविद्यालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2016) कि ₹900.00 लाख के अग्रिम निर्गम के प्रति, बीपीआरआरएन ने ₹143.94 लाख का शेष छोड़कर ₹756.06 लाख की राशि का अंतिम बिल प्रस्तुत किया था (अप्रैल 2016)।

मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर का समर्थन किया (जनवरी 2017)।

9.4.9.2 नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण

विश्वविद्यालय ने परिसर के चरण-1 के निर्माण हेतु ई-निविदा जारी (17 फरवरी 2015) की ₹60.50 करोड़ की प्रकल्पित लागत के प्रति ₹65.71 करोड़ की एकल बोली को रद्द कर दिया गया तथा ₹614.00 करोड़ की अनुमानित लागत की नयी समग्र निविदा आमंत्रित की (06 जुलाई 2015)। प्राप्त पांच बोलियों में से, केवल दो बोलियों को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया था। दो सफल बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों (एमईए से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद) को 14 दिसम्बर 2015 को खोला गया और मैजर्स एलएण्डटी ₹774.10 करोड़ की बोली के साथ एल 1 के रूप में उभरा।

चूंकि, पूरी प्रक्रिया, वित्तीय बोलियों को खोलने से, अनुमोदन के अपेक्षित चरणों दरकिनार करने, सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तक के प्रावधानों का अनुसरण नहीं करना और बीडब्ल्यूसी के अनुमोदन प्राप्त किए बिना समझौता-वार्ता करने जैसी कमियां थीं, एमईए के प्रतिनिधि ने 9^{वीं} बीडब्ल्यूसी बैठक में नई निविदा के लिए अनुशंसा की थी। (12 फरवरी 2016)। तदनुसार, विश्वविद्यालय ने नई निविदा करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, एक वर्ष से अधिक बीतने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय परिसर विकास के निर्माण कार्य को प्रदान करने में विफल हुआ था (मार्च 2016)।

उत्तर में, मंत्रालय ने सूचना दी (जनवरी 2017) कि आंतरिक सड़क और जल निकाय की खुदाई के पैकेज का निर्माण कार्य प्रदान किया गया था (सितम्बर 2016) और गैर-आवासीय पॉकेट के लिए निविदा भी आरंभ की थी (सितम्बर 2016)।

9.4.10 निष्कर्ष

मंत्रालय ने, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है, नियमित जीबी का गठन नहीं किया। शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए नियम एवं विनियमों को पांच वर्षों से अधिक की चूक के बाद भी अधिसूचित नहीं किया गया है। अक्क्षय निधि समिति भी प्रचालन में नहीं थीं। वीसी और ओएसडी (विश्वविद्यालय योजना) और ओएसडी (वित्त) की नियुक्ति और वेतन तथा परिलब्धियों के भुगतान करने में अनियमितताएं थीं। छात्रों का नांमांकन प्रक्षेपण से बहुत कम था और परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, एक विभाग खोला नहीं गया था। विश्वविद्यालय प्राधिकारी विश्वविद्यालय परिसर कार्य का निर्माण शुरू नहीं कर सके थे।

अध्याय-X : वित्त मंत्रालय

10.1 झारखंड में जनजातीय क्षेत्र भत्ता का अनियमित भुगतान

झारखण्ड में केन्द्र सरकार के कार्यालयों ने अपने कर्मचारियों को जनजातीय क्षेत्र भत्ता (टीएए) के रूप में ₹4.38 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अनुबंधित¹ किया था कि जनजातीय क्षेत्र भत्ता (टीएए) उन राज्यों में स्वीकार्य नहीं था जहाँ इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया है। चूंकि टीएए झारखण्ड में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं है, तो उसी राज्य में केन्द्र सरकार के कर्मचारी भी टीएए के हकदार नहीं है। लेखापरीक्षा जांच में उजागर हुआ कि झारखण्ड में स्थित केन्द्र सरकार के निम्नलिखित कार्यालयों के कर्मचारियों ने ₹4.38 करोड़ टीएए राशि के रूप में आहरित की थी:-

क्रम सं.	मंत्रालय	कार्यालय	भुगतान किया गया टीएए (₹ लाख में)
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सीजीएचएस, रांची	4.99
		केन्द्रीय मानसिक रोग संस्थान, रांची	105.61
2.	गृह मंत्रालय	सीबीआई, रांची	12.25
		सीटीसी (टी एण्ड आई टी) सीआरपीएफ, रांची	47.64
3.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	इग्नू, रांची	4.03
		जेएनवी ² रांची	12.72
		जेएनवी, जामतारा	4.08
		जेएनवी, सिमडेगा	3.66

¹ व्यय विभाग ओएम सं. 17(1)/98-ई-11(बी) दिनांक 17 जुलाई 1998

² जवाहर नवोदय विद्यालय

		जेएनवी, लोहरडगा	10.58
		जेएनवी, गुमला	8.96
		जेएनवी, लतेहर	7.85
		जेएनवी, डुमका	9.97
		जेएनवी, पाकुर	4.39
		जेएनवी-2, पाकुर	1.38
		जेएनवी, सरायकेला	9.34
		जेएनवी, साहिबगंज	8.68
		जेएनवी, पूर्व सिंहभूम	6.13
4.		जेएनवी, पश्चिम सिंह भूम	6.20
		एनआईएफएफटी, रांची	12.03
		एनआईटी, जमशेदपुर	86.97
5.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	ऑल इंडिया रेडियो, रांची	27.56
		ऑल इंडिया रेडियो, जमशेदपुर	16.55
		दूरदर्शन केन्द्र, रांची	4.96
6.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	ईएसआईसी, अस्पताल जमशेदपुर	14.39
7.	शहरी विकास मंत्रालय	सीपीडब्ल्यू डी, परियोजना खण्ड, रांची	0.69
		सीपीडब्ल्यूडी, हीनू रांची	6.01
कुल			437.62

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2016) और तुरंत उचित कार्रवाई करने हेतु सभी मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकारों को दिशा-निर्देश³ जारी किए।

³ व्यय विभाग ओएम सं. 17(1)/2008-ई-11(बी) दिनांक 21 दिसम्बर 2016

अध्याय XI : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई

11.1 खराब निधि प्रबंधन के कारण परिहार्य समय एवं लागत का अतिरेक

परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई के निर्माण हेतु समयबद्ध ढंग में निधियां जारी करने में मंत्रालय की विफलता के कारण ₹12.44 करोड़ की परिहार्य लागत वृद्धि हुई, ग्यारह वर्ष के पश्चात भी कार्य पूरे नहीं हुए तथा ₹30.91 लाख का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ तथा पट्टा प्रीमियम में वृद्धि हुई।

परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र (एफडब्ल्यूटीआरसी), मुम्बई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मंत्रालय) के अधीन एवं प्रमुख केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान ने सांस्थानिक परिसर (कार्यालय एवं छात्रावास) तथा अवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु ₹1.04 करोड़ की लागत पर जनवरी तथा दिसम्बर 2005 में सिडकों¹ से पट्टे पर कुल 6749.80 वर्ग मी. माप के तीन भूखण्ड खरीदे।

मंत्रालय ने सांस्थानिक परिसर के लिए ₹9.69 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन फरवरी 2007 (भूमि की खरीद के एक वर्ष से भी अधिक के पश्चात) में जारी किया, परन्तु कोई निधियां जारी नहीं की। परियोजना मार्च 2009 तक पूरी की जानी निर्धारित थी। यद्यपि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), जो कर्यान्वयन एजेंसी थी, ने अप्रैल 2007 में निधियों की मांग की थी, तथापि, मंत्रालय ने 25 मार्च 2008 को एक वर्ष के पश्चात् केवल ₹ एक करोड़ जारी किए थे, जो व्ययगत हो गए क्योंकि वे वित्तीय वर्ष के एकदम अन्त में प्राप्त हुए थे। पुनः एक वर्ष के पश्चात् मंत्रालय ने 25 मार्च 2009 को ₹2.50 करोड़ जारी किए और वह भी व्ययगत हो गए। तत्पश्चात् मंत्रालय में जुलाई 2009 में ₹3.00 करोड़ जारी किए। इस समय तक सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ₹3.39 करोड़ की अनुमानित लागत पर जुलाई 2007 (मंत्रालय द्वारा

¹ शहर तथा औद्योगिक विकास निगम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सृजित एक शहर योजना संगठन है।

निधियां जारी होने की प्रत्याशा में) में, आमंत्रित निविदाओं की वैधता भी व्यपगत हो गई, तथा सीपीडब्ल्यूडी ने नई निविदाएं आमंत्रित की जो ₹7.39 करोड़ (निधियां जारी करने में मंत्रालय द्वारा तीन वर्ष से अधिक के विलम्ब के कारण ₹4.00 करोड़ की बढ़ी हुई लागत) के लिए अगस्त 2009 में सौंपी गई थी।

चूंकि मंत्रालय ने निधियां वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई 2009) तक जारी की थी, अतः ठेकेदार ने अगस्त 2009 तथा मार्च 2010 के बीच ₹1.59 करोड़ की राशि का कार्य समाप्त कर दिया, तथा ₹1.41 करोड़ का शेष वित्तीय वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित कर दिया गया था। उसके पश्चात् मंत्रालय समस्त वर्ष 2010-11 के दौरान निधियां जारी करने में विफल रहा, तथा केवल अगस्त 2011 में ₹1.1 करोड़ जारी किए और उसके पश्चात् 31 मार्च 2012 (अर्थात् वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन) ₹ एक करोड़ और जारी किए, जिसमें से, लम्बित बिलों के भुगतान के पश्चात् ₹0.91 करोड़ तत्काल अभ्यर्पित कर दिए गए थे। तब तक मंत्रालय ने पुनः सितम्बर 2012 में ₹0.91 करोड़ जारी किए, ठेकेदार, जिसने निधियों के निरन्तर देर से जारी होने के कारण मई 2011 से ही कार्य धीमा कर दिया था, ने अनुबंध को समय से पूर्व बन्द करने का अनुरोध किया। कार्य समय से पूर्व (30 नवम्बर 2012) बन्द कर दिया गया था तथा लम्बित बिलों का भुगतान करने के पश्चात् ₹0.79 करोड़ अभ्यर्पित कर दिए गए थे।

यद्यपि अनुबंध के समय से पूर्व बन्द होने के कारण तत्काल नए अनुमान प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया था, तथापि सीपीडब्ल्यूडी ने मंत्रालय को प्रस्तुत डीपीएआर² 2012 की शर्तों के अनुसार ₹13.72 करोड़ के नए अनुमान प्रस्तुत करने (नवम्बर 2013) में एक वर्ष से अधिक का समय लिया। मंत्रालय, योजना आयुक्त तथा व्यय विभाग में जांच की प्रक्रिया के दौरान, यह देखा गया (मई 2014) कि डीपीएआर 2014 के अधिसूचित होने के मदेनजर अनुमानों को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता थी। सीपीडब्ल्यूडी ने जनवरी 2015 में संशोधित अनुमान भेजे। अतः मंत्रालय ने फरवरी, 2016 में ₹22.13 करोड़ के संशोधित अनुमान संस्वीकृत किए तथा 28 मार्च 2016 को

² विभागीय प्लैथ क्षेत्र दरें

₹0.99 करोड़ जारी किए, और वे भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ व्यपगत हो गए।

इस प्रकार, निधियां जारी करने में मंत्रालय की निरन्तर निष्क्रियता के कारण मार्च 2009 में पूरी किए जाने के लिए निर्धारित परियोजना में विलम्ब हुआ और वह अधूरी रह गई जिसके परिणामस्वरूप सांस्थानिक परिसर के लिए अनुमानित लागतों में वृद्धि हुई और वे ₹9.69 करोड़ से बढ़कर ₹22.13 करोड़ हो गईं। आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है और इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत भूमि अप्रयुक्त पड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त, सिडको ने जनवरी 2018 तक निर्माण अवधि के विस्तार हेतु ₹30.91 लाख (सांस्थानिक परिसर के लिए ₹22.51 लाख + ₹8.40 लाख) के अतिरिक्त पट्टा प्रीमियम का भुगतान कर दिया है। निर्माण पूरा न होने के मद्देनजर उक्त अतिरिक्त पट्टा प्रीमियम के भुगतान को भविष्य में अदा करते रहने की संभावना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) ने पाया था (दिसम्बर 2012) कि प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गई राशियों से पूर्व सीपीडब्ल्यूडी के साथ एमओयू/अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना सुनिश्चित करने के आदेशों के बावजूद इन आदेशों का अनुसरण नहीं किया गया था, जिसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जानी थी। उनके उत्तरों में, प्रशिक्षण प्रभाग ने स्वयं को सारी जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया था और सीपीडब्ल्यूडी को एमओयू पर हस्ताक्षर न करने के लिए, आईएफडी को स्पष्टीकरणों की आवश्यकता के लिए निधियों के निर्गम के साथ मेल न खाने के लिए, और एफडब्ल्यूटीआरसी को लेखापरीक्षित यूसी प्रस्तुत न करने और कमजोर मॉनीटरिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस परिप्रेक्ष्य के प्रति, जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा का मत है कि एमओयू पर हस्ताक्षर न करना विलम्ब का मुख्य कारण नहीं हो सकता, क्योंकि एमओयू के अभाव में भी निधियां जारी होती रहीं और कार्य जारी रहा (यद्यपि अनियमित रूप से) और डीपीएआर 2014 अनुमोदित कर दिया गया था। यह प्रशिक्षण प्रभाग का उत्तर दायित्व है कि वह अपेक्षानुसार आईएफडी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे तथा लेखापरीक्षित यूसी प्रस्तुत न करने की जांच करे तथा प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करे। यह भी स्पष्ट है कि मंत्रालय उत्तरदायित्व नियत करने के लिए इस व्यर्थ प्रयोग से कोई पाठ सीखने में

विफल रहा, क्योंकि संशोधित डीपीएआर 2016 के आधार पर उसके अनुमोदन के परिणामस्वरूप भी, ₹0.99 करोड़ की राशि 28 मार्च 2016 को जारी की गई थी, जब वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पूर्व उसका प्रयोग किए जाने की कोई संभावना नहीं थी, तथा अब तक (नवम्बर 2016) और कोई राशि जारी नहीं की गई है।

ड्राफ्ट पैराग्राफ मंत्रालय को अक्टूबर 2015 तथा सितम्बर 2016 में जारी किया गया था। अपने उत्तर (फरवरी 2016) में, मंत्रालय सीपीडब्ल्यूडी पर ही आरोप लगाता रहा और स्वयं कोई जिम्मेवारी नहीं ली। मंत्रालय ने आगे बताया (अक्टूबर 2016) कि जनवरी 2018 तक निर्माण अवधि के विस्तार हेतु ₹22.51 लाख के अतिरिक्त पट्टा प्रीमियम का भुगतान सितंबर 2016 में कर दिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण प्रभाग ने सीपीडब्ल्यूडी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किया तथा आईएफडी के आदेश के बावजूद विलंब के लिए जिम्मेदारी तय कर रही है।

इस प्रकार, समय पर निधियां जारी करने में मंत्रालय की विफलता तथा ग्यारह वर्षों से अधिक का परियोजना के विलंब की जिम्मेदारी तय न करने का परिणाम ₹30.91 लाख (₹8.40 लाख + ₹22.51 लाख) के कुल पट्टा प्रीमियम, जिसके और भी बढ़ने की संभावना है, के अतिरिक्त सांस्थानिक परिसर हेतु अनुमानित लागत की ₹9.69 करोड़ से ₹22.13 करोड़ तक वृद्धि में हुआ। इसके अतिरिक्त, आवासीय क्वार्टरों के निर्माण का कार्य अभी डिजाईन अवस्था में भी नहीं पहुंचा।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको)

11.2 जेडएलएन टेबलेट्स की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

जेडएलएन टेबलेट्स की अधिप्राप्ति में वित्तीय नियमों का अनुसरण करने में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) की विफलता के कारण ₹2.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।

नियमों³ में प्रावधान है कि समस्त सरकारी खरीद पारदर्शी, प्रतिस्पर्धा तथा सही ढंग में की जानी चाहिए ताकि धन का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त किया सके। उसके अतिरिक्त, निविदा पूछताछ दस्तावेज में सम्मिलित मांग की प्रत्येक

³ जीएफआर 2005 का नियम 160 तथा माल की खरीद के लिए नीति एवं पद्धति नियमपुस्तिका का पैरा 11.7.5 (2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी)।

अनुसूची उसे विभक्त किए बिना उस अनुसूची के लिए निम्नतम बोलीदाता निविदाकर्ता पर आवृत्त होना चाहिए। तथापि, माल की बहुत बड़ी मात्रा में खरीद के ऐसे बड़े विशेष अवसर हो सकते हैं जहाँ एकल निविदाकर्ता समस्त निविदागत मात्रा की आपूर्ति करने में सक्षम न हो। ऐसे मामलों में, शेष मात्रा का आदेश जहां तक सम्भव हो निम्नतम बोलीदाता निविदाकर्ता (एल-1) द्वारा प्रस्तुत दरों पर दूसरे निम्नतम बोलीदाता निविदाकर्ता (एल-2) को दिया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए उपर्युक्त निविदाकर्ता (अर्थात् एल-2) के साथ मोलभाव किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, यह आवश्यक है कि दो से अधिक बोलीदाता निविदाकर्ताओं को आंतरिक मात्राओं के लिए बहुविध अनुबंध देकर एक अनुसूची की मांग को विभाजित कर दिया जाए। ऐसी सम्भावनाओं का सामान्यतः पहले ही अनुमान लगा लिया जाना चाहिए तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उसका प्रावधान किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको ने 16,84,80,900 टेबलेट्स प्रत्येक को दो समान अनुसूचियों (अर्थात् अनुसूची-I तथा अनुसूची-II) में जेडएलएन टेबलेट्स⁴ की अधिप्राप्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की (जून 2013)⁵। निविदा के मूल्यांकन के पश्चात् दोनों अनुसूचियों के लिए जेडएलएन टेबलेट्स के आपूर्ति आदेश संबंधित एल1 को जारी किए गए थे (सितम्बर 2013) जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

अनुसूची	एल 1 घोषित एजेंसी	मात्रा	यूनिट कीमत ⁶ (₹)	कुल मूल्य (₹ करोड़ में)
अनुसूची-I	मै. मॉयलन लेब्स लि.	16,84,80,900	7.90	133.10
अनुसूची-II	मै. हीटरो लेब्स लि.	16,84,80,900	8.01	134.95

लेखापरीक्षा ने देखा कि चूंकि बोली आमंत्रित करने, बोली मूल्यांकन समिति (बी ई सी) की सिफारिश तथा अनुबंध देने सहित दोनों अधिप्राप्ति आदेशों के लिए सभी प्रक्रियाएं एक ही समय सीमा में हुईं, अतः मांग को दो अनुसूचियों में बांटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा करके, तथा मै. मॉयलन लेब्स

⁴ जिडोव्यूडाईन+लेमिव्यूडाईन+नेवीरेपाईन (300+150+200) एमजी

⁵ राईटस, रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, के माध्यम से जो मुख्यतः परिवहन, अवसंरचना तथा सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में परामर्श के कार्य में कार्यरत है।

⁶ सभी कीमतों में केन्द्रीय बिक्री कर शामिल नहीं है।

की कीमतों के अनुरूप अपनी कीमतें कम करने के लिए मै. हीटरो लेब्स के साथ बातचीत न करके, नाँको ने अनावश्यक रूप से ₹1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

दूसरी ओर, 2014-15 में एक बाद के अवसर पर, हालांकि नाको उसी ड्रग (जेड एल एन टेबलेट्स) की अपेक्षित मात्रा को दो अनुसूचियों में बांटती रही, तथापि उन्होंने दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत कीमतें कम करने के लिए एल1 के साथ बातचीत की। तथापि, नाको उसके पश्चात् दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत एल-1 द्वारा उद्धृत नई कीमतों को मिलाने के लिए पहली अनुसूची के अन्तर्गत उनकी कीमतें कम करवाने के लिए एल-1 के साथ बातचीत करने में विफल रही। परिणामत, नाको ने अनुसूची-1 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति पर ₹20.38 लाख का अतिरिक्त व्यय किया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

अनुसूची	एल 1 षोषित एजेंसी	मात्रा	उद्धृत यूनिट (₹)	बातचीत के बाद यूनिट कीमत (₹)
अनुसूची-I	मै. मॉयलन लेब्स लि.	20,37,91,860	8.25	8.25
अनुसूची -II	मै. हीटरो लेब्स लि.	20,37,91,860	8.42	8.24

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को निम्नलिखित उत्तर दिया (नवम्बर 2016):

- क अधिप्राप्तियां विश्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार अधिशासित की गई थी;
- ख व्यय घरेलू निधियों से पूरा नहीं किया गया था;
- ग विश्व बैंक ने 2010 में सूचित किया था कि बातचीत की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब दिशानिर्देशों में दी गई शर्तें पूरी होती हों (सिक पूरी नहीं होनी चाहिए) अर्थात् या तो गुंजाईश कम हो अथवा जोखिम तथा उत्तरदायित्व पुनः आबंटित किया जाए;
- घ सीवीसी ने पुष्टि की थी कि यदि निधिकरता एजेंसियों के लागू अधिप्राप्ति नियमों में कोई विरोधाभास पाया गया तो अन्तर्राष्ट्रीय

एजेंसियों द्वारा निधिगत परियोजनाओं में उनके दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे;

- ड. सभी बोलियों को रद्द करने से संबंधित विश्व बैंक के दिशानिर्देशा केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लागू होते हैं जो यहां लागू नहीं हैं;
- च. राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली पद्धति तथा विश्व बैंक निषेध कीमत बातचीत की तुलना करने वाली जांच सूची केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लागू होती है जो यहां लागू नहीं है।

मंत्रालय के उत्तर गुमराह करने वाले तथा/अथवा असंगत हैं जिसके निम्नलिखित कारण हैं:

- क विश्व बैंक के दिशानिर्देशों, जीएफआर के विरोधाभासी नहीं है: परिणामतः सीवीसी दिशानिर्देश भी विरोधाभासी नहीं है;
- ख विश्व बैंक के दिशानिर्देशों के खण्ड 1.2 में परियोजना को लागू करने का प्रावधान है और इसलिए परियोजना के अन्तर्गत अनुबंध देना तथा अनुबंधों के प्रशासन का उत्तरदायित्व कर्जदार का है। एक तर्क जो आमतौर पर विश्व बैंक की आवश्यकता का मार्गदर्शक है, वह माल की अधिप्राप्ति सहित, परियोजना के कार्यान्वयन में मितव्ययिता तथा कार्यक्षमता की आवश्यकता है;
- ग यह नगण्य है कि व्यय विश्व बैंक निधियों /उधारों से किया जाता है या भारत की समेकित निधि से मंत्रालय का यह न्यासीय कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि उसे सौंपी गई निधियां व्यर्थ व्यय न हों अथवा उनका गलत इस्तेमाल न हो;
- घ 2010 का विश्व बैंक का स्पष्टीकरण उस समय एलिसा किटों से संबंधित अधिप्राप्ति से उद्भूत विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में था और वह इस मामले में लागू नहीं होता;
- ड. इसी प्रकार, बोलियां रद्द करने से संबंधित दिशा निर्देशों के लिए मंत्रालय का संदर्भ वर्तमान मामले में संगत नहीं हैं जिसमें बोलियों को

रद्द न करने का बल्कि निम्नतम बोलीदाता से बातचीत करने का संदर्भ है;

- च मंत्रालय द्वारा उल्लिखित जांच सूची एल-1, जो उसकी परिभाषा के अनुसार, एक बोली प्रस्ताव का निम्नतम प्रतिक्रियाशील निविदाकर्ता होता है, के साथ पश्च-निविदा बातचीत को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। यह प्रतिबंध सीवीसी के मार्च 2007 के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। यह लेखापरीक्षा का तर्क है कि मंत्रालय को एक ही ड्रग की मांग को उसी बोली के अन्दर पृथक अनुसूचियों में विखण्डित नहीं करना चाहिए था, जिसके परिणामस्वरूप, एल-1 का स्वयं का निश्चय ही संदिग्ध हो जाता है।
- छ कुल मात्रा को बांटने वाली पृथक अनुसूचियां, विश्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा जांच सूची के विपरीत हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ दोनों छोटी फर्मों के हितों को आकर्षित करने तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में है। मांग की बड़ी मात्रा (33.70 करोड़ जेडएलएन टेबलेट्स) को ध्यान में रखते हुए, यदि मंत्रालय ने कुल मात्रा के अन्दर उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार प्रस्तुत बोली के लिए पात्र निर्माताओं को आमंत्रित किया होता, तो छोटी और बड़ी दोनों फर्में बोली में भाग ले सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर कीमतें आती।
- ज जैसा कि ऊपर संदर्भित दूसरे मामले में उल्लेख किया गया है, नाको ने दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत एल-1 के साथ बातचीत की थी। अतः यह तर्क कि बातचीत अनुमत नहीं है, वैद्य नहीं है।

इस प्रकार, एल-1 (पहले मामले में अनुसूची-II के संबंध में तथा दूसरे मामले में अनुसूची-I के संबंध में) के साथ बातचीत में विफल रहने के कारण, नाको ने ₹2.06 करोड़ की राशि का अतिरिक्त व्यय किया।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाएं (मु.)

11.3 नियमों का उल्लंघन करते हुए एक वाणिज्यिक उपक्रम को किराया मुक्त स्थान

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एचएलएल), आर.के.पुरम, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के स्वामित्व वाले भवन में सरकारी तथा निजी रोगियों को नैदानिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। सीजीएचएस लाभभोगियों को 10 प्रतिशत की अपर्याप्त छूट के अतिरिक्त, एचएलएल वर्तमान आदेशों के अनुसार कोई किराया नहीं देती जिसके परिणामस्वरूप 2008-09 से दिसम्बर 2016 के दौरान ₹1.72 करोड़ की हानि हुई।

केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) ने सीजीएचएस औषधालय, आर.के.पुरम में आधुनिक नैदानिक केन्द्र (कारपेट एरिया: 280.81 वर्ग मीटर) स्थापित करने के लिए हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एचएलएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया (दिसम्बर 2007)। एम ओ यू की शर्तों के अनुसार, एचएलएल सीजीएचएस लाभभोगियों को सीजीएचएस दरों (अप्रैल 2012 से 10 प्रतिशत की छूट के साथ) पर नैदानिक सेवाएं प्रदान करती थी, तथा उसे एचएलएल द्वारा नियत प्रभारों पर निजी रोगियों (गैर सीजीएचएस लाभभोगियों) को सेवाएं प्रदान करने स्वतन्त्रता थी।

शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) के अधीन सम्पदा निदेशक, भारत सरकार के विभिन्न संगठनों के कार्यालय भवनों के प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। सम्पदा निदेशक ने विभिन्न अपात्र निकायों (अपात्र वाणिज्यिक संगठनों सहित) को ₹65 प्रति वर्ग मीटर मासिक के कारपेट एरिया पर दिल्ली में जनरल पूल कार्यालय स्थान आबंटित करने के लिए लाइसेंस शुल्क की बाजार दर नियत⁷ की थी। बाद में, सम्पदा निदेशक ने सूचित⁸ किया कि उन मामलों मामलों में जहां उक्त स्थान दिया जाना है, वहां बाजार दर को वार्षिक आधार पर संयोजित 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ 13 जून 1985⁹ के दिशानिर्देशों की शर्तों जिनके अनुसार लाइसेंस शुल्क को प्रति तीन वर्षों में संशोधित किया जाना था, के अनुसार नियत की जाएगी। यद्यपि दिनांक 13 जून 1985 के आदेश निजी स्थान के पट्टे से संबंधित है, तथापि उनमें इलाके में तुलनीय परिसरों के लिए प्रचलित बाजार दर जैसे कारकों के आधार पर किराए के औचित्य की शर्तों के अनुसार संबंधित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

⁷ सम्पदा निदेशक का.जा.सं. 18015(1)/80-पूल IV दिनांक 29 जनवरी 1982

⁸ सम्पदा निदेशक का.जा.सं. 18015-1/92-पूल III दिनांक 16 मार्च 1999

⁹ सीपीडब्ल्यूडी का.जा.सं. 21/8/85 डब्ल्यूआई (डी-जी) दिनांक 13 जून 1985

(सीपीडब्ल्यूडी) अधिकारियों/किराया समिति द्वारा जारी किए जाने वाले किराए के औचित्य के प्रमाणपत्र की अपेक्षा सहित अपात्र श्रेणियों को सरकारी स्थान पट्टे पर देने के लिए लागू अन्तर्निष्ठ सिद्धान्त निहित है।

सीजीएचएस, सीपीडब्ल्यूडी/सम्पदा निदेशक द्वारा वर्णित पद्धति का अनुसरण नहीं करती तथा परिसर के लिए सही किराया (13 जून 1985 तथा 16 मार्च 1999 के आदेशों की शर्तों के अनुसार) निर्धारित करती है, और लेखापरीक्षा में उनका आकलन करना सम्भव नहीं था। इसके बावजूद, लेखापरीक्षा ने ₹1.72 करोड़ का लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया है (29 जनवरी 1982 के पहले आदेशों के अनुसार ₹65 प्रति वर्ग मीटर की दर पर नियत करते हुए तथा 8 प्रतिशत के वार्षिक संयोजन पर किराया बढ़ाने के लिए 1999 के आदेशों के अनुसार)। एक प्रमुख स्थान पर एच एल एल को किराया मुक्त स्थान देकर सीजीएचएस ने 2008-09 से अब तक (दिसम्बर 2016) ₹1.72 करोड़ की हानि उठाई।

सीजीएचएस ने उत्तर दिया (जून 2016) कि एचएलएल एक सरकारी संगठन था तथा दिसम्बर 2007 में हस्ताक्षरित एमओयू में किराए का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, एचएलएल अप्रैल 2012 से सीजीएचएस दरों पर 10 प्रतिशत की छूट दे रहा था, तथा किराए के बदले छूट की वही व्यवस्थाएं एमओयू में जारी रखने का प्रस्ताव किया गया था जो विचाराधीन था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। उद्धृत आदेशों के अनुसार, सीजीएचएस द्वारा जनरल पूल कार्यालय स्थान आबंटित करते समय एमओयूडी के दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना अपेक्षित है। आर के पुरम का एचएलएल केन्द्र, दिल्ली में एक प्रमुख स्थान पर स्थित होने के कारण सीजीएचएस लाभभोगियों (जो एक आश्वस्त व्यापार है) तथा निजी रोगियों से पर्याप्त राजस्व प्राप्त करता है। किसी भी मामले में, एमओयू में अपेक्षित प्रावधानों तथा एमओयूडी के अनुमोदन के अभाव में एचएलएल द्वारा अनुमत छूट के बदले किराए की राशि न लेने का सुझाव वैध नहीं है।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2016 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (जेआईपीएमईआर)

11.4 जेआईपीएमईआर में अधिप्राप्ति प्रथाओं एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पर्याप्तता

विशेषज्ञ सलाहकार की नियुक्ति के बावजूद, उपकरण की स्थापना में विलम्ब हुआ तथा प्रयोगशालाएं शुरू नहीं हुईं। जेआईपीएमईआर में दी जाने वाली तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में अवसरंचना, मानव संसाधन तथा सेवाओं का अभाव था। अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली ओपीडी, ओपीडी में स्क्रीनिंग ओपीडी का अभाव, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं में डॉक्टर-रोगी का घटता अनुपात, नर्सिंग कार्मिकों की अपर्याप्त उपलब्धता, विशेषज्ञता-प्राप्त हस्तक्षेपीय दर्द प्रबंधन केन्द्र, ओटी की अपर्याप्तताएं, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी यूनिट, उन्नत इमेजिंग एवं प्रयोगशाला सेवाओं की अपर्याप्तताएं, निजी प्रयोगशालाओं एवं स्केन केन्द्रों पर निर्भरता पाई गई थी

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर) जिसकी स्थापना 1823 में फ्रांस सरकार द्वारा की गई थी, ईकोल डी मेडिसिन डी पांडिचेरी के रूप में शुरू हुआ था जिसे बाद में धनवन्तरी मेडिकल कॉलेज¹⁰ के रूप में बदल दिया गया था। 1964 के दौरान जेआईपीएमईआर के रूप में अपग्रेडेड तथा बाद में 14 जुलाई 2008 के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित, यह संस्थान चयनित क्षेत्रों में अनुसंधान के अतिरिक्त पूर्व-स्नातक, स्नातकोत्तर तथा सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा पाठ्यक्रम चलाता है। संस्थान में 45¹¹ विभाग हैं जो अंतरंग तथा बाह्य रोगी सेवाएं प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा, जेआईपीएमईआर द्वारा प्रदत्त तृतीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा अधिप्राप्ति प्रथाओं की पर्याप्तता की जांच करने के लिए की गई थी (जुलाई 2016) जिसमें 2012-13 से 2015-16 की अवधि शामिल थी। महत्वपूर्ण निष्कर्ष आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं:

¹⁰ कार्योत्तर के समय पुडुचेरी का भारत सरकार में स्थानांतरण

¹¹ 2013-14 - 43 विभाग, 2014-15 एवं 2015-16 - 45 विभाग

11.4.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

11.4.2.1 चिकित्सा उपकरण की अधिप्राप्ति, स्थापना और उपयोग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चरण II विकास परियोजना¹² के अन्तर्गत जेआईएमईआर को महिला एवं बाल हस्पताल (डब्ल्यूसीएच), शैक्षिक केन्द्र, नए छात्रावास परिसर के निर्माण तथा चिकित्सा उपकरण की समय पर अधिप्राप्ति, स्थापना तथा चालू करने के लिए इन-हाऊस सलाहकार के रूप में एचएलएल लाईफ केयर लिमिटेड (एलएलएल) को नियुक्त करने का अनुदेश दिया (मार्च 2009)।

₹334 करोड़¹³ की लागत पर चिकित्सा उपकरण की 622 मदों के निर्माण तथा अधिप्राप्ति, आपूर्ति, स्थापना तथा चालू करने दोनों का अनुबंध मै. लार्सन एण्ड टुबरो लिमिटेड (एलएण्डटी) को दिया गया था जिसके समापन की अवधि टर्नकी आधार पर स्वीकृति पत्र (एलओए) (मार्च 2010) के पत्र की तिथि से 24 महीने की थी। जेआईपीएमईआर को एलओए¹⁴ से 9 महीने की अवधि के अन्दर (दिसम्बर 2010) विनिर्देशनों को अन्तिम रूप देना था तथा जेआईपीएमईआर ने चिकित्सा उपकरण के विस्तृत विनिर्देशनों को बदलने का अधिकार अपने पास रखा। विद्युत आपूर्ति स्थापना¹⁵ के लिए स्थान, जेआईपीएमईआर द्वारा मार्च 2012 तक मेसर्स एलएण्डटी को दिए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने देखा (जुलाई 2016) कि यद्यपि भवन अप्रैल 2013 तक सौंप दिए गए थे, तथापि कई मामलों में नए/पुराने भवनों में जेआईपीएमईआर के अन्दर उपकरण 1 से 59 महीनों के विलम्ब से स्थापित किए गए थे। लेखापरीक्षा में देखे गए कुछ मामले निम्नलिखित हैं:

¹² परियोजना प्रस्ताव में शिक्षक ब्लॉक का गठन, 400 बिस्तर वाला महिला एवं बाल हस्पताल, छात्रावास परिसर तथा डॉक्टरों के क्वार्टर शामिल थे। अनुबंध करार के अनुसार, एचएलएल अन्य बातों के साथ-साथ समस्त चिकित्सा उपकरण को चालू करने तथा ईपीसी डेवेलपर के माध्यम के निर्धारित तिथि के अन्दर ग्राहक की समस्त सन्तुष्टि पर सौंपनी शामिल था।

¹³ चरण II परियोजना के अन्तर्गत ₹125.25 करोड़ की चिकित्सा उपकरण की लागत तथा ₹208.75 करोड़ की निर्माण लागत।

¹⁴ जेआईपीएमईआर ने रेडियो निदान, एनेस्थोसियोलॉजी तथा साइकेट्री विभागों के उपकरणों को छोड़कर अन्ततः जनवरी 2011 में विनिर्देशन अनुमोदित किए।

¹⁵ डब्ल्यूसीएच तथा शैक्षिक केन्द्र के अतिरिक्त।

- जेआईपीएमईआर द्वारा अपेक्षित स्थान का प्रावधान न किए जाने के कारण ₹9.49 करोड़ लागत के 15 उपकरणों की स्थापना देर हुई। विलम्ब 15 तथा 34 महीनों के बीच थे।
- जेआईपीएमईआर द्वारा सिविल नवीनीकरण/इलेक्ट्रिकल आशोधन पूरा करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹2.28 करोड़¹⁶ लागत के 5 कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी उपकरण की स्थापना में 12 और 37 महीनों के बीच की अवधि का विलम्ब हुआ। मंत्रालय के उत्तर (नवम्बर 2016) में नवीनीकरण कार्य के विलम्ब के कारण उपकरण की स्थापना में विलम्ब का भी उल्लेख किया गया।
- मई 2010 से जनवरी 2013 के दौरान प्राप्त ₹38.91 करोड़ मूल्य के 199 चिकित्सा उपकरणों की 4 तथा 39 महीने के बीच के विलम्ब से जुलाई 2012 तथा अक्टूबर 2015 के बीच महिला एवं बाल हस्पताल तथा शैक्षिक केन्द्र में स्थापना हुई थी, यद्यपि स्थापना हेतु भवन जून 2012 में तैयार थे। मंत्रालय का उत्तर (नवम्बर 2016) कि विलम्ब, विद्युत आपूर्ति लेने में विलम्ब के कारण था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मार्च 2013 में विद्युत आपूर्ति के प्राप्त होने के पश्चात् उपकरण की स्थापना में 1 से 30 महीने का और भी विलम्ब हुआ था।
- ₹1.10 करोड़ की लागत पर खरीदे गए दो उपकरण¹⁷ स्थान की रूकावट के कारण अभी तक नहीं लगाए गए हैं। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली।
- ₹2.74 करोड़ की लागत पर जुलाई 2011 से जनवरी 2013 तक आपूर्ति किए गए 17 उपकरण स्थापित नहीं किए गए (नवम्बर 2016) क्योंकि उपकरण अनुमोदित विनिर्देशन के नहीं थे हालांकि 90 प्रतिशत लागत अर्थात् ₹2.46 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था। यद्यपि मंत्रालय का उत्तर (नवम्बर 2016) दर्शाता है कि उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे थे,

¹⁶ प्रत्येक यूनिट की लागत ₹45.50 लाख थी।

¹⁷ ₹64.71 लाख राशि का मईक्रोस्कोप सहित ईनएनटी डायग्नोस्टिक कम थरेपी यूनिट की आपूर्ति दिसम्बर 2011 में हुई तथा ₹45.07 लाख राशि का डिजिटल पेनोरेमिक एवं सेफालमीट्रिक एक्स-रे इमेजिंग यूनिट जनवरी 2014 में प्राप्त हुआ।

तथापि विभागों ने सूचित किया कि उपकरण अभी लगाए जाने थे (नवम्बर 2016)।

- ₹5.69 करोड़ की लागत पर जुलाई 2012 में रेडियो नैदनिक विभाग को आपूर्ति टेलीरेडियोलॉजी सॉफ्टवेयर सहित चित्र संग्रह एवं संचार प्रणाली (पीएसीएस), विनिर्देशनों के पूरा न होने तथा सॉफ्टवेयर के निचले रूपान्तर की आपूर्ति के कारण रोगी देखभाल तथा हस्पताल डॉटा प्रबंधन प्रणाली के डिजिटिकरण के अभिप्रेत उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किए जा सके। मंत्रालय के उत्तर (नवम्बर 2016), कि स्टेट-ऑफ-आर्ट पीएसीएस की स्थापना कर ली गई है, में अभिप्रेत उद्देश्य (हस्पताल की प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलाइजेशन सहित) के अब प्राप्त होने का कोई वर्णन नहीं है।

अतः उपकरण के विलम्ब/स्थापना न होने के कारण रोगी देखभाल सुविधाओं को नुकसान हुआ था।

11.4.2.2 अनुचित अधिप्राप्ति

एलएण्डटी द्वारा निर्मित एनेस्थिसिया मॉनीटरों की अनुचित अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹0.60 करोड़¹⁸ का अपरिहार्य व्यय हुआ क्योंकि यह जानते हुए कि जीई हेल्थकेयर एनेस्थिसिया मशीन एवं एलएण्डटी मेक के एनेस्थिसिया मॉनीटर, सुरक्षित एनेस्थिसिया के लिए अनुकूल नहीं है। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2016) कि एलएण्डटी द्वारा निर्मित मॉनीटर, चरण। परियोजना में अधिप्राप्त एलएण्डटी मशीनों के साथ प्रयोग किए गए थे। उत्तर लेखापरीक्षा तर्क का समर्थन करता है।

11.4.2.3 निष्क्रिय प्रयोगशाला सेवाएं

लेखापरीक्षा ने देखा कि सैल आधारित थेरेपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले रोगियों के उपचार हेतु ₹55.74 लाख¹⁹ की लागत पर स्थापित इम्यूनोथेरेपी/साईरोथेरेपी यूनिट प्रयोगशाला फंगस फार्मेशन तथा पानी के रिसाव के कारण अक्रियाशील थी। मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि पानी के रिसाव

¹⁸ ₹5.04 लाख की दर पर खरीदे गए 12 अतिरिक्त मॉनीटरों की लागत

¹⁹ उपकरण लागत-कार्यो फ्रीजर ₹18.26 लाख तथा स्टैम सेल सेपरेटर ₹37.48 लाख।

तथा फंगस फार्मेशन को ठीक करने के पश्चात यूनिट अब क्रियाशील है। तथापि, विभाग ने कहा (नवम्बर 2016) कि मरम्मत तथा नवीनीकरण कार्यों के लिए यूनिट बन्द है।

एक अन्य मामले में आईवीएफ प्रयोगशाला के लिए ₹1.03 करोड़²⁰ की लागत पर सृजित अवसरचना बेकार पड़ी रही क्योंकि सिविल निर्माण कार्य, आईवीएफ प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशनों के अनुसार, नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि प्रयोगशाला शीघ्र ही स्थापित कर ली जाएगी।

11.4.3 तृतीय स्तर पर रोगी देखभाल

45 विभागों के साथ यह संस्थान रोगियों को ओपीडी के माध्यम से तथा निजी/सामान्य वार्डों में चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। संस्थान अपने ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सुदूर केन्द्रों के अतिरिक्त व्यापक सुपर स्पेशियलिटी तृतीय स्वास्थ्य देखभाल के रूप में 2131 बिस्तर के हस्पताल का प्रबंधन भी करता है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है:

11.4.4 आपरेशन थियेटर सेवाएं

11.4.4.1 अपर्याप्त ओटी कार्यक्रम

प्रत्येक सर्जिकल विभाग को आबंटित ऑपरेशन थियेटर (ओटी) कार्यक्रम, विभाग द्वारा ओटी सेवाओं/रोगियों के प्रतीक्षा समय, निपटान का समय बढ़ाने के लिए बार-बार किए गए अनुरोधों के बावजूद, नर्सिंग स्टाफ तथा आपरेशन पश्चात् रिकवरी यूनिट की कमी के कारण, 2014 से अपरिवर्तित रही। मंत्रालय का उत्तर (नवम्बर 2016) कि सभी ओटी का सप्ताह में छः दिन प्रातः 8.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक प्रयोग किया जाता है स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त ओटी दिन तथा ओटी समय आबंटित करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया था।

डब्ल्यूसीएच ब्लॉक में स्थापित (अप्रैल, 2013) पूर्णतः सज्जित लेपरोस्कोपिक ओटी तथा ईएमएस ब्लॉक एक ट्रामा ओटी (अक्टूबर, 2014) एनेस्थेतिस्ट की

²⁰ सिविल कार्य ₹27.60 लाख तथा उपकरण लागत ₹75.84 लाख।

कमी के कारण चालू नहीं थे। मंत्रालय का उत्तर (नवम्बर 2016) कि रिक्तियों को भरने के लिए प्रयासों के बावजूद 14 संकाय पद नहीं भरे जा सकते, यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल पुनः प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है कि रोगियों को उपलब्ध सुविधाओं के लाभ सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र अवसंरचना का प्रयोग किया जाए।



अक्रियाशील लेप्रोस्कोपिक ओटी

दुर्घटना आकस्मिक चिकित्सा सेवा (ईएमएस) ब्लॉक में डब्ल्यूसीएच ब्लॉक में आकस्मिता यूनिट में प्रत्येक सर्जिकल विभाग के लिए एक लघु ओटी के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के प्रतिमान आकस्मिक चिकित्सा सेवा (ईएमएस) ब्लॉक में तथा डब्ल्यूसीएच ब्लॉक में ट्रामा क्रिटिकल केयर ओटी में उपलब्ध नहीं थे। मंत्रालय का यह उत्तर (नवम्बर 2016) कि प्रत्येक ओटी यूनिट में उपलब्ध दो ओटी मेजों में से एक का लघु ओटी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सृजित अवसंरचना बड़े ऑपरेशनों के लिए थी।

एमसीआई प्रतिमान, कि एक ओटी यूनिट में न्यूनतम 10 बिस्तर वाला ऑपरेशन पश्चात् रिकवरी यूनिट होना चाहिए, का पालन नहीं किया गया था। सर्जरी के पश्चात् रोगियों को सीधे वार्ड/आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया जाता है (डब्ल्यूसीएच-ओजी विभाग के अतिरिक्त जिसमें 5 विस्तर के पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट का प्रावधान था)। मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि ऑपरेशन पश्चात् रिकवरी रूम नर्सिंग कार्मिक की नियुक्ति के पश्चात् कार्य करेगा जो प्रक्रियाधीन है।

11.4.4.2 नर्सिंग कार्मिकों की नियुक्ति

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण यूनिट (एसआईयू)²¹ प्रतिमानों के अनुसार 2131 बिस्तर²² के लिए नर्सिंग कार्मिकों²³ की आवश्यकता 2344²⁴ है जबकि वर्तमान संस्वीकृत पद संख्या तथा तैनाती की संख्या क्रमशः 1450 तथा 1320 थी। परिणामतः जून 2016 को जेआईपीएमईआर में 1024 (2344-1320) की कमी थी। जेआईपीएमईआर ने 815²⁵ अतिरिक्त नर्सिंग कार्मिक पदों के सृजन की सिफारिश²⁶ की। नव निर्मित/पूर्णतः सज्जित वार्डों तथा आईसीयू के बंद होने का कारण नर्सिंग कार्मिकों की उक्त कमी थी जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

➤ ₹1.61 करोड़ की निर्माण लागत के साथ 18 सामान्य बिस्तरों, 6 अलगाव बिस्तरों तथा 10 आईसीयू बिस्तरों तथा 2 वीआईपी स्यूट स्थापित (अप्रैल 2013) के साथ डब्लूसीएच ब्लॉक में बाल-चिकित्सा आईसीयू परिसर में तीन वार्ड (270,271,272)। अप्रैल 2013 से रोगी देखभाल सुविधाओं के लिए नहीं खोले गए थे जिसके परिणामस्वरूप फर्श पर बिस्तर²⁷ लगाने पड़े तथा उन फर्श बिस्तरों पर नवजात शिशुओं को रखना पड़ा।

²¹ एसआईयू में एक बिस्तर के लिए 1:1:1 के नर्स अनुपात का प्रावधान है।

²² 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान बिस्तर संख्या 2059 है, 2014-15 में 2114 है तथा 2015-16 में 2131 है।

²³ नर्सिंग कार्मिकों में स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, उप नर्सिंग अधीक्षक नर्सिंग अधीक्षक तथा मुख्य नर्सिंग अधिकारी का प्रावधान है।

²⁴ बिस्तर संख्या 2131 * 1.1 = 2344

²⁵ एसआईयू, प्रतिमान (1:1.1) द्वारा गुणा की गई संस्वीकृत बिस्तर संख्या (2059) अर्थात् 2059 * 1.1=2265, 2265-1450=815

²⁶ मंत्रालय को भेजी गई संवर्ग पुनर्गठन रिपोर्ट (2014-15) में 2059 की पद संख्या पर विचार किया गया था।

²⁷ एक सौ फर्श बिस्तर उपलब्ध



फर्श बिस्तरों पर रखे गए नवजात शिशु



पीआईसीयू परिसर में बन्द वार्ड

➤ ₹23.75 लाख (लगभग) की लागत पर निर्मित एसएसबी में दो वार्ड 2009 से चालू नहीं थे।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि नर्सों की भारी कमी के बावजूद, आईसीयू रिकवरी रूम उपलब्ध स्टाफ के साथ खोले जाते हैं। उसने यह भी कहा कि वार्डों को जनवरी 2017 तक शुरू करने के समस्त प्रयास किए जा रहे हैं।

11.4.4.3 इंटरवेंशनल दर्द प्रबंधन केन्द्र की स्थापना न करना

स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने एक इंटरवेंशनल दर्द प्रबंधन केन्द्र²⁸ स्थापित करने के एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया (नवम्बर 2013) परंतु वह अभी भी स्थापित किया जाना है (जुलाई 2016)। टर्मिनल कैंसर से ग्रस्त रोगी जो हड्डियों के भयंकर दर्द से काफी कमजोर हो जाते हैं उन्हें दर्द प्रबंधन के निरन्तर मल्टीमॉडल दर्द प्रबंधन की आवश्यकता होती है, परंतु वर्तमान में उन्हें केवल सप्ताह में एक बार इंटरवेंशन ब्लॉक दिए जाते हैं और उन्हें एनेस्थिसिओलोजी एवं क्रिटिकल केयर विभाग में दाखिल नहीं किया जाता। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार की (नवम्बर 2016)।

²⁸ ₹2.79 करोड़ की अनुमानित लागत

11.4.5 ओपीडी सेवाएं

11.4.5.1 विशिष्टिकृत स्क्रीनिंग ओपीडी की स्थापना

सामान्य/साधारण, स्पेशियलिटी एवं सुपर स्पेशियलिटी उपचार सहित लगभग 7500 रोगी रोज जेआईपीएमईआर में आते हैं। अत्याधिक ज़रूरतमन्द रोगियों को स्पेशियलिटीज/सुपर स्पेशियलिटीज की सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2012²⁹ में अनुमोदित स्क्रीनिंग ओपीडी³⁰ अभी चालू की जानी है और ओपीडी में अत्याधिक भीड़ रहती है (नवम्बर 2016)। मंत्रालय ने कहा कि कार्य नवम्बर 2016 के दौरान पूरा किया जाएगा। तथापि, जेआईपीएमईआर ने सूचित किया था कि निधि की कमी के कारण, केवल सितम्बर 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा।

11.4.5.2 ओपीडी सुविधाएं उपलब्ध न होना

लेखापरीक्षा ने ओपीडी सेवाओं में रोगियों के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदण्डों के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न प्रतिमानों का अनुपालन देखा जैसे विभिन्न विभागों में एक्स-रे देखने वाले बाक्स की अनुपलब्धता, शिकायत बाँक्स की अनुपलब्धता, रोगियों को बुलाने की प्रणाली की अनुपलब्धता, पेयजल, प्रसाधनों की अनुपलब्धता, अपर्याप्त बैठने की व्यवस्था आदि। इस प्रकार, जेआईपीएमईआर, एक तृतीय देखभाल अस्पताल में ओपीडी में रोगियों के लिए सुविधाओं का अभाव था।

मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि आधुनिकीकरण कार्यक्रम के दौरान इन मामलों का ध्यान रखा जा रहा है। तथ्य यह है कि जेआईपीएमईआर प्रतिमानों के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहा।

²⁹ कार्य एलओए की तिथि से 24 महीने के अन्दर पूरा करना होता है। एलओए 30 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया था।

³⁰ स्क्रीनिंग ओपीडी प्रयोगशालाओं तथा रेडिओलोजिकल सेवाओं (एक्स-रे, ईसीजी, इको एवं अल्ट्रासाउंड आदि) सहित सर्जरी, औषधी, ईएनटी, नेत्र चिकित्सा, हड्डी संबंधी तथा दन्त चिकित्सा के लिए परामर्श प्रदान करती है।



नेत्र चिकित्सा संबंधी ओपीडी में बैठने की व्यवस्था के बिना अत्याधिक भीड़ वाला प्रतीक्षा क्षेत्र

11.4.5.3 सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी में डॉक्टर-रोगी अनुपात में गिरावट

चिकित्सा सेवा में पर्याप्त मानवशक्ति एक गम्भीर मामला है जिसका सीधा असर रोगी की देखभाल पर पड़ता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान विभिन्न सुपर स्पेशियलिस्ट विभागों में हर वर्ष प्रति विशेषज्ञ रोगियों के आने की संख्या बढ़ रही थी (6 प्रतिशत से 585 प्रतिशत) (अनुबंध-1)। यह देखा गया था कि पांच³¹ विभागों में यह वृद्धि 100 प्रतिशत से अधिक तथा दो³² विभागों में 200 प्रतिशत से अधिक थी। जबकि रोगियों की उपस्थिति हर वर्ष बढ़ रही थी। डॉक्टर रोगी अनुपात जो 2013-14 में 1:5998 था 2015-16 में बिगड़ कर 1:12094 हो गया। चार सुपर स्पेशियलिस्ट विभाग जैसे एण्डोक्रिनोलॉजी, चिकित्सा ऑनकोलॉजी, नेत्र चिकित्सा तथा चिकित्सा गैस्ट्रोएण्टोलॉजी 2013-14 से नियमित प्रोफेसर के बिना कार्य कर रहे थे। संस्थान द्वारा अभी तक कराए गए एकमात्र रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण (2015-16 में कार्डियोलॉजी विभाग) से पता चला कि अत्याधिक रोगी भार के कारण, रोगी ओपीडी में डॉक्टरों से पर्याप्त समय लेने में असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त, जेआईपीएमईआर को ओपीडी में रोगियों द्वारा प्राप्त देखभाल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए किसी भी ओपीडी की अधिकतम संचालन क्षमता पर अभी अध्ययन करना है।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि 100 और संकाय पदों के सृजन का प्रस्ताव है, परंतु संस्वीकृति पदों को भरने के लिए बार-बार किए

³¹ कार्डियोलॉजी, सीटीवीएस, न्यूरो सर्जरी, एण्डोक्रिनोलॉजी एवं चिकित्सा ऑनकोलॉजी।

³² सर्जिकल, गैस्ट्रोएण्टोलॉजी एवं सर्जिकल ऑनकोलॉजी

गए प्रयास भी कार्परेट क्षेत्र के अस्पतालों के कारण निष्फल सिद्ध हुए उत्तर सुपर स्पेशियलिस्ट में डॉक्टरों की कमी के लेखापरीक्षा तर्क का समर्थन करता है।

11.4.6 आईपीडी सेवाएं

11.4.6.1 क्रियाशील बिस्तरों का ईष्टतम उपयोग नहीं हुआ

2012-13 से 2015-16 की अवधि के लिए संस्वीकृत बिस्तरों तथा क्रियाशील बिस्तरों³³ के विवरण दर्शाते हैं कि यद्यपि क्रियाशील बिस्तर संख्या³⁴ हर वर्ष बढ़ी फिर भी यह वर्ष 2012-13 के लिए संस्वीकृति बिस्तर संख्या (2059) तक नहीं पहुँची। इसके अतिरिक्त, 285020 बिस्तर दिवस अप्रयुक्त रहे थे (अनुबंध-II) जिसके परिणामस्वरूप सर्जरी के लिए प्रतीक्षारत रोगियों को अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजना पड़ा। यह स्वीकार करते हुए कि कुछ बिस्तर अक्रियाशील हैं, मंत्रालय ने सूचित किया कि तथापि, अन्तः रोगियों की संख्या संस्वीकृत पद संख्या से काफी अधिक है। उत्तर में अप्रयुक्त पड़ी रही क्रियाशील बिस्तरों के कारणों का कोई जिक्र नहीं किया गया।

11.4.6.2 सर्जरी के लिए प्रतीक्षारत रोगी

जेआईपीएमईआर में ओटी में सामान्यतः आधे दिन का कार्यक्रम होता है। सर्जरी हेतु प्रतीक्षागत रोगियों के लिए प्रतीक्षा समय, अल्ट्रा साउंड स्केन (दो महीने तक), सीटी स्केन (20 दिन तक), एमआरआई स्केन (5 महीने तक) के लिए सम्भावित प्रतीक्षा समय को छोड़कर 2 सप्ताह से 36 महीने के बीच था (अनुबंध III)। कार्डियोथोरेसिस एवं वैसक्यूलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग ने कहा कि प्रतीक्षा अवधि का रोगियों की स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है तथा उसका उपचार के समग्र प्रभाव पर भी प्रभाव पड़ता है तथा प्रतीक्षा सूची में से लगभग 200 रोगी समय पर उपचार के अभाव के कारण मर जाते हैं। विभागों ने कहा कि प्रतीक्षा सूची ओटीज़ बिस्तर की अनुपलब्धता तथा घंटों को बढ़ाना तभी सम्भव हो सकता है जब स्टाफ की संख्या दुगुनी

³³ एक बिस्तर को क्रियाशील तभी माना जाता है जब बिस्तर वास्तव में स्थापित हो, उसके लिए स्टॉफ हो, सुसज्जित हो और रोगी देखभाल के लिए उपलब्ध हो।

³⁴ 2012-13 में 1618 से 2015-16 में 2044

कर दी जाए। मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि प्रतीक्षा अवधि को कम करने के गहन प्रयास किए जा रहे हैं।

11.4.7 जेआईपीएमईआर में बहु अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम

आर्गन फेल्योर की अन्तिम अवस्था से ग्रस्त लोगों के जीवन को बचाने के लिए अंग प्रतिरोपण को एक प्रभावी विधि के रूप में माना जाता है।

11.4.7.1 ट्रांसप्लांट समन्वयक की अनुपलब्धता

मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम (टीएचओए) 2011 की धारा 11 में अंग प्रत्यारोपण में अन्तर्ग्रस्त अस्पतालों द्वारा प्रत्यारोपण समन्वयक³⁵ की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) अंगों के सौदे से असुरक्षित निर्धन को बचाने के लिए मृतक के अंग प्रतिरोपण को प्रोत्साहित करता है तथा प्रत्यारोपण समन्वयकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेआईपीएमईआर ने एक समर्पित प्रत्यारोपण समन्वयक की नियुक्ति किए बिना, दिसम्बर 2013 में मृतक (शव) अंग जमा करने का कार्यक्रम शुरू किया तथा ईएमएस/ट्रामा देखभाल केन्द्र में 2013-14 से 2015-16 के दौरान 559 मौतों में से केवल 20 शव जमा किए। अंग/टिश्यू प्रतिरोपण क्रियाकलापों के सभी पहलुओं को आयोजित करने तथा बातचीत के उद्देश्य से 06.11.2015 को नियुक्त नोडल अधिकारी ने कहा कि 559 मामलों में से, अंग जमा करने के लिए 56 से 84 (10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत) मामले संभावित मृतक दाता हो सकते हैं। इस प्रकार, समर्पित प्रतिरोपण समन्वयक की अनुपलब्धता के कारण उपर्युक्त अवधि के दौरान कम अंग जमा हुए। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (नवम्बर 2016)।

³⁵ प्रतिरोपण समन्वयक (टीएचओए 2011 की धारा 5)-मानव अंगों अथवा उनके प्रतिरोपण से संबंधित समस्त मामलों के समन्वय तथा उपचार दल तथा प्रतिरोपण दल के बीच सहायक/समन्वय तथा उपचार दल तथा प्रतिरोपण के बीच सहायता/समन्वय के लिए, औषधि कानूनी मामलों की देखभाल करने, मृत/दानकर्ता के परिवार के सदस्यों को समझाने के लिए अस्पताल द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति।

11.4.7.2 अंग जमा करने में अपर्याप्त प्रगति

एक मृतक अंगदाता अंग³⁶ एवं टिश्यू³⁷ दान कर सकता है बशर्ते वे चिकित्सीय रूप से सही स्थिति में हों। डीजीएसएस द्वारा जारी एनओटीपीके मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अनुसार, सभी अंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा वेस्टेज से बचना चाहिए क्योंकि अंग बहुत दुर्लभ होते हैं और जीवन बचा सकते हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों की असमानता में, जेआईपीएमईआर³⁸ ने केवल तीन अंगों अर्थात् किडनी, लीवर तथा कॉर्निया के प्रत्यारोपण हेतु सुविधा स्थापित की थी तथा उसने एक वर्ष (2012-15) में औसत 20 किडनी प्रत्यारोपण किए जो पीजीआईएमईआर चण्डीगढ़ तथा एम्स नई दिल्ली द्वारा किए गए क्रमशः 200 तथा 150 की औसत से काफी कम हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जुलाई 2016 को किडनी प्रत्यारोपण हेतु प्रतीक्षारत रोगियों की संख्या 82 है। जेआईपीएमईआर ने लम्बी प्रतीक्षा के जो कारण बताए वे थे संकाय एवं वरिष्ठ रेजिडेण्ट्स की अत्यधिक कमी, बिस्तरों/स्थान का अभाव तथा किडनी प्रत्यारोपण के लिए समर्पित ऑपरेशन थिएटर का अभाव।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने देखा कि हलांकि जेआईपीएमईआर ने अंग शेयरिंग के लिए एक नीति बनाई थी, परंतु उसने किसी भी अस्पताल के साथ अंग शेयरिंग नहीं की थी। उक्त अंग शेयरिंग प्रबंध के अभाव में, जेआईपीएमईआर अंग ईष्टतम रूप से जमा नहीं कर सकी। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (नवम्बर 2016)।

11.4.8 कैंसर उपचार सुविधा

कैंसर, भारत में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभरा है। मृत्यु का यह एक प्रमुख कारण है।

³⁶ अंग-किडनी, लीवर, हॉट, फेफड़े अंतडियां, पैनक्रियास

³⁷ टिश्यू -दो कॉर्निया, स्किन, हॉट वाल्व, उपास्थि/स्नायु, हड्डियां/नसें, नलिका

³⁸ पीजीआईएमईआर, चण्डीगढ़ ने 7 अंग प्रतिरोपण की तथा एम्स, नई दिल्ली ने पांच अंगों के प्रतिरोपण की सुविधा स्थापित की है।

11.4.8.1 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र का एक पृथक यूनिट के रूप में कार्य न करना

रेडियोथेरेपी विभाग को एक छत³⁹ के नीचे तृतीय स्तर पर एक व्यापक कैंसर उपचार प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र (आरसीसी) का दर्जा दिया गया था और 2008 के दौरान एक पृथक ब्लॉक का निर्माण किया गया था। वर्तमान में, आरसीसी की ऑनकोलोजी की तीन मुख्य शाखाएं हैं अर्थात् रेडिएशन ऑनकोलोजी, चिकित्सा ऑनकोलोजी एवं सर्जिकल ऑनकोलोजी।

जेआईपीएमईआर ने सूचित किया कि एक आदर्श कैंसर केन्द्र में सभी प्रमुख रूपात्मकताएं होनी चाहिए जैसे एक छत के नीचे सर्जरी, रेडियोथेरेपी, चिकित्सा ऑनकोलोजी, एनेस्थिसिया, रेडियो निदान, न्यूक्लियर औषधि, प्रशामक देखभाल, पैथोलाजी, मनोवैज्ञानिक सहायता केन्द्र आदि। लेखापरीक्षा ने देखा कि हालांकि आरसीसी के लिए एक पृथक ब्लॉक है, फिर भी उपर्युक्त अनुभागों में से केवल दो अर्थात् रेडियोथेरेपी तथा चिकित्सा ऑनकोलोजी वहां कार्य कर रहे हैं और अन्य सभी अनुभाग अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग ब्लॉकों में कार्य कर रहे हैं जिसके कारण रोगियों को कठिनाई हो रही है।

इसके अतिरिक्त, आरसीसी को एक पृथक संस्थान के रूप में चलाने के लिए तथा आरसीसी के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी जैसे कैंसर के उपचार, शीघ्र निदान तथा निवारण, जेआईपीएमईआर ने निदेशक, आरसीसी के पद का सृजन किया था। तथापि, आरसीसी विगत दो वर्षों (2014-15 तथा 2015-16) से निदेशक के बिना ही कार्य कर रही है। यद्यपि, मंत्रालय ने कहा (नवम्बर, 2016) कि यूनिट जेआईपीएमईआर का भाग है न कि क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि भारत सरकार ने जेआईपीएमईआर के रेडियोथेरेपी विभाग को ही क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया था (जनवरी 2002)।

11.4.8.2 व्यापक कैंसर उपचार सुविधा

एनपीसीडीएस⁴⁰ के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक तृतीय कैंसर केन्द्र व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करेगा जिसमें देखभाल कैंसर निवारक, शीघ्र पहचान, निदान, थेरेपी का प्रावधान, पश्च देखभाल, प्रशासक देखभाल तथा पुनर्वास

³⁹ जेएपीएमईआर की वेबसाइट

⁴⁰ कैंसर, मधुमेह, कॉडियोवेस्कुलर रोगों तथा स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

शामिल हैं। उक्त व्यापक कैंसर उपचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

➤ **निवारक ऑनकोलोजी**

बचाव ऑनकोलोजी, जो कैंसर की शीघ्र पहचान तथा रोकथाम का मार्ग बनाती है, जेआईपीएमईआर में उपलब्ध नहीं है, हालांकि आरसीसी ने आने वाले 65 से 75 प्रतिशत रोगी उन्नत अवस्था (III एवं IV) में होते हैं।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2016) कि आरसीसी के चरण-3 विस्तार में व्यापक रोकथाम ऑनकोलोजी यूनिट की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

➤ **व्यापक प्रशामक देखभाल केन्द्र का अभाव**

आरसीसी में आने वाले लगभग 70 प्रतिशत कैंसर रोगी, रोग की उन्नत अवस्था में होते हैं, जिनके लिए प्रशामक देखभाल, उपचार की प्रमुख प्रकृति होगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसा व्यापक प्रशामक देखभाल केन्द्र जेआईपीएमईआर में उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि उस पर आरआरसीसी के चरण-3 विस्तार में विचार किया गया है।

➤ **कैंसर उपचार में थेरेपेटिक न्यूक्लियर औषधि का अभाव**

थेरेपेटिक न्यूक्लियर औषधि विभिन्न प्रकार की थेरेपियां⁴¹ दे कर कैंसर उपचार में बड़ी भूमिका निभाती है। यह देखा गया था कि अलगाव वार्ड की अनुपलब्धता के कारण थेरेपियां नहीं की जा रही, हालांकि मार्च 2010 से विशेषज्ञ संकाय उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2016) कि विद्यमान वार्ड में बदलने की कार्रवाई की जा रही है।

11.4.8.3 श्वेतरक्तता अलगाव वार्ड की अनुपलब्धता

श्वेतरक्तता रोगियों/ज्वरविषयक न्यूट्रोपीनिया रोगियों को अलगाव की जरूरत होती है क्योंकि उन्हें गम्भीर संक्रमण होने का अत्यधिक जोखिम होता है। श्वेतरक्तता आगमन अलगाव वार्ड की अनुपलब्धता के कारण, इन रोगियों का

⁴¹ 1311 थेरेपी, 1311 एमआईबीजी थेरेपी, 177 एलयूडीओटीए थेरेपी, 177 एलयूडीटीएमपी थेरेपी।

खुले सामान्य वार्डों में उपचार होता है जिसके कारण उक्त रोगियों की मृत्यु का अत्याधिक जोखिम होता है। मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि इस पर आरसीसी के चरण-3 विस्तार में विचार किया जा रहा है।

11.4.9 उन्नत जांच एवं इमेजिंग सेवाएं

तृतीय देखभाल एक विशेषज्ञ परामर्शी स्वास्थ्य देखभाल है जो प्राथमिक अथवा गौण व्यवसाइयों से रेफरल द्वारा ऐसे संस्थानों में भेजे गए अन्तरंग रोगियों को प्रदान की जाती है जिनमें उन्नत प्रयोगशाला एवं इमेजिंग जांच तथा अत्याधिक निपुण क्लिनिकल प्रबंधन⁴² की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।

11.4.9.1 उन्नत प्रयोगशाला जांच की अनुपलब्धता

लेखापरीक्षा ने देखा कि बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एवं एनोटॉमी विभागों में कई उन्नत प्रयोगशाला जांचें, उपभोज्य पदार्थों तथा तकनीशियनों की कमी के कारण उपलब्ध नहीं थीं। सुसज्जित विभागों तथा प्रयोगशालाओं की उपलब्धता के बावजूद अनुपलब्धता प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं। इसलिए रोगी निजी प्रयोगशालाओं में जाने को मजबूर हैं। मंत्रालय का उत्तर (नवम्बर 2016) कि निधि स्थिति में अब सुधार हो गया है तथा उन्नत जांच जो की जा रही हैं विभागाध्यक्षों के उत्तर (नवम्बर 2016) के अनुरूप नहीं थी कि वे जांच वर्तमान में नहीं की जा रही थी।

11.4.9.2 उन्नत इमेजिंग सेवाओं का अभाव

(i) पीईटी/सीटी स्केन

जबकि एक्स-रे एवं अल्ट्रासाउंड स्केनर, रोगियों को बढ़िया चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए अनिवार्य नैदानिक उपकरण हैं, पीईटी/सीटी स्केन कैंसर रोगियों की पहचान करने में और अधिक उन्नत विधि है। राष्ट्रीय महत्व⁴³ के अन्य संस्थानों के असमान, जनवरी 2012 में उसकी स्थापना के लिए

⁴² 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए तृतीय देखभाल संस्थानों पर योजना आयोग के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट।

⁴³ एम्स नई दिल्ली तथा पीजीआईएमईआर चण्डीगढ़

₹16.53 करोड़ की संस्वीकृति के बावजूद जेआईपीएमईआर के पास पीईटी/सीटी स्केन नहीं था। इसलिए जेआईपीएमईआर, पीईटी/सीटी स्केन लेने के लिए रोगियों को निजी प्रयोगशाला केन्द्रों में भेज रहे थे जहाँ रोगियों को समान स्केन्स⁴⁴ के लिए अलग दरें देनी पड़ती थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि यह जेआईपीएमईआर की दूरदर्शिता के विरुद्ध है और मिशन को भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। मंत्रालय ने इसका कारण, निविदा अपेक्षाओं का पालन करने में अनुभव की जा रही कठिनाईयों का अभाव बताया।

(ii) ओपीजी एक्स-रे

नए खरीदे गए उपकरण के चालू न होने के कारण सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। मंत्रालय ने इसका कारण भूमि तल के आधुनिकीकरण में प्रतिष्ठापन में विलम्ब बताया।

(iii) टेसला एमआरआई

इमेजिंग एवं इंटरवेंशनल पद्धतियों के निष्पादन हेतु अनिवार्य उपकरण नहीं है, यद्यपि वह राष्ट्रीय महत्व⁴⁵ के अन्य संस्थानों में उपलब्ध था। मंत्रालय ने सूचित किया कि उसे अप्रैल 2017 से पूर्व स्थापित कर दिया जाएगा।

11.4.10 सहायता सेवाएं

11.4.10.1 अस्वास्थ्यकर स्थिति में आहार की तैयारी

1966 में स्थापित आहार-विज्ञान विभाग, आहार आवश्यकता के अनुसार समस्त अन्तः रोगियों को आहार⁴⁶ उपलब्ध करता है। प्रति भोजन 860 रोगियों की आवश्यकता को पूरा करने लिए मुख्य रसोई का निर्माण 1964 में

⁴⁴ एक ही मामले में एक निजी प्रयोगशाला ने ₹9,000 प्रभावित किए। दूसरे मामले में निजी प्रयोगशाला ने ₹25,000 प्रभारित किए और बाद में ₹9000 की छूट की अनुमति प्रदान थी और इसी प्रयोगशाला ने एक अन्य रोगी से ₹15,000 प्रभारित किए।

⁴⁵ एम्स, पीजीआईएमईआर, निमहन्स एवं छ: नव स्थापित एम्स

⁴⁶ आहार में वयस्कों तथा बच्चों के लिए सामान्य आहार, तरल आहार, अन्य प्रोटीन आहार, उच्च प्रोटीन तरल आहार, आहार (दूध एवं ब्रेड), कम प्रोटीन आहार, मधुमेह आहार, नरम आहार (कम अवशेष आहार) एवं उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार शामिल है।

हुआ था। अब बिस्तर संख्या में वृद्धि के कारण, आपूर्ति किए जाने वाले आहारों की संख्या भी प्रति भोजन 1750 आहार तक बढ़ गई है। विभाग ने सूचित किया कि वर्तमान स्थिति को पूरा करने के लिए रसोई तथा अन्य सुविधाओं के लिए स्थान अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, संस्थान के पास रोगियों को आपूर्ति से पूर्व खाद्य पदार्थ हेतु सुविधाएं नहीं थी। चूंकि रसोई पुनः मॉडलिंग के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई थी, अतः विभाग ने आधुनिकीकरण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2013)। परंतु एक नई मॉड्युलर रसोई बनाने अथवा विद्यमान रसोई के नवीकरण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (जुलाई 2016)। अतः रसोई, पुरानी, दूषित तथा अस्वास्थ्यकर स्थितियों में काम कर रही है।



रसोई परिसर का दृश्य

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2016) कि रसोई के आधुनिकीकरण का कार्य पहले से ही चल रहा है तथा दिसम्बर 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा।

11.4.11 निष्कर्ष

जेआईपीएमईआर में तृतीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अवसंरचना, मानव संसाधनों तथा प्रदान की जा रही सेवाओं की कमी थी। उपकरण की स्थापना में विलम्ब हुआ था। अत्याधिक भीड़ भाड़ वाली ओपीडी, स्क्रीनिंग ओपीडी का अभाव, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं में डॉक्टर-रोगी का घटता हुआ अनुपात, नर्सिंग कार्मिकों की अपर्याप्त उपलब्धता, विशिष्ट इंटरवेंशनल दर्द प्रबंधन केन्द्र का अभाव, ओटी, लघु ओटी, पश्च-ऑपरेशन रिकवरी यूनिट में अपर्याप्तताएं, उन्नत इमेजिंग एवं प्रयोगशालाओं की अपर्याप्तताएं, निजी प्रयोगशालाओं एवं स्केन केन्द्रों पर निर्भरता पाई गई थीं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

11.5 वैज्ञानिकों को अनियमित लाभ देना

लचीली अनुपूरक योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिकों को पूर्व कालिक प्रभाव से अनियमित पदोन्नति देने के कारण 101 मामलों में ₹2.35 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया गया।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने भारत सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक विभागों में कार्यरत वैज्ञानिकों को स्वस्थाने पदोन्नति के लिए विद्यमान लचीली अनुपूरक योजना (एफसीएस) के आशोधन पर अनुदेश जारी किए (नवम्बर 1998)। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर जारी इन अनुदेशों में वैज्ञानिकों तथा तकनीकी स्टाफ को स्वस्थाने पदोन्नति के लिए न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि तथा मूल्यांकन पद्धति निर्धारित की गई थी। एफसीएस सभी वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विभागों पर लागू था।

इसके अतिरिक्त, उस तिथि जिससे ये पदोन्नतियां दी जानी थी, पर स्पष्टीकरण मांगने के संदर्भ के उत्तर में डीओपीटी ने सम्प्रेषित किया (जुलाई 2002) कि एफसीएस के अन्तर्गत स्वस्थाने पदोन्नतियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके अनुमोदन के पश्चात् आगामी तिथि से प्रभावी होनी चाहिए। बाद में, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, डीओपीटी ने एफसीएस को और आशोधित किया (सितम्बर 2010) तथा संशोधित वेतनमान तथा निर्धारण पद्धतियां शुरू की। तथापि, डीओपीटी ने यह लागू नहीं करते हुए कि पदोन्नति पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती। डीओपीटी ने एफसीएस के अंतर्गत पदोन्नति देने की तिथि से संबंधित अपनी पिछली स्थिति दोहराई (सितम्बर 2012)। अतः एफसीएस के अंतर्गत कोई पदोन्नति पूर्वकालिक प्रभाव से नहीं दी जा सकती।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), जिसका भारत सरकार से भारी मात्रा में वित्तपोषण होता है, ने समय-समय पर यथा संशोधित अपने निर्धारण एवं पदोन्नति नियम, 2007 बनाए तथा डीओपीटी का.जा. दिनांक 9 नवम्बर 1998 के द्वारा सरकार द्वारा उक्त पदोन्नति के लिए निर्धारण

मानदण्ड के अनुसार, एफसीएस के आधार पर वैज्ञानिकों की पदोन्नति का प्रावधान किया।

आईसीएमआर मुख्यालय सहित आईसीएमआर के 33 संस्थानों/केन्द्रों में से, लेखापरीक्षा ने आईसीएमआर (मुख्यालय) तथा दिल्ली/एनसीआर में स्थित में उसके तीन केन्द्रों⁴⁷ में एफसीएस के अंतर्गत वैज्ञानिकों की पदोन्नति के मामलों की नमूना जांच की तथा यह देखा गया कि 466 मामलों में से, पदोन्नति आदेशों की तारीख से छः से 41 महीनों तक पदोन्नति की प्रभावी तिथि को पूर्व तिथि द्वारा जून 2013 से फरवरी 2016 के दौरान, आईसीएमआर द्वारा सभी केन्द्रों में तैनात वैज्ञानिकों की उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति दी गई थी। इसलिए विद्यमान नीति प्रपत्रों का उल्लंघन करते हुए वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया गया था। आईसीएमआर मुख्यालय तथा तीन केन्द्रों में तैनात वैज्ञानिकों से संबंधित ऐसे 101 मामलों में वित्तीय निहितार्थ ₹2.35 करोड़ था।

मामला जुलाई 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, डिब्रूगढ़

11.6 खराब निधि प्रबंधन

क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, डिब्रूगढ़ के अधिशेष निधि के निवेश हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की निवेश पद्धति का पालन न करने के परिणामस्वरूप 2011-15 के दौरान ₹1.04 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज कमाने का अवसर खो गया।

क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र (आरएमआरसी), डिब्रूगढ़, भारत के आठ पूर्वोत्तर राज्यों में जैव-चिकित्सा अनुसंधान करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के क्षेत्रीय केन्द्रों में से एक है तथा उसका सम्पूर्ण निधिकरण आईसीएमआर द्वारा किया जाता है।

⁴⁷ राष्ट्रीय चिकित्सा सांश्लिकीय संस्थान (एनआईएमएस) दिल्ली, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (एनआईएमआर) दिल्ली तथा कोशिका-विज्ञान एवं निरोधी आनकॉलोजी संस्थान (आईसीपीओ), नोएडा, यूपी

आईसीएमआर की वित्त एवं लेखाओं पर हस्तपुस्तिका (हस्तपुस्तिका) में प्रावधान है कि आरएमआरसी, निधियों की तत्काल आवश्यकता के निर्धारण के आधार पर अधिशेष निधियों को अधिकृत बैंक में 91 दिनों/31 दिनों के लघु अवधि जमाओं (एसटीडी) में रख सकता है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के अप्रैल से नवम्बर तक की अवधि के दौरान औसत मासिक व्यय जमा 10 प्रतिशत के बराबर निधियां चालू खाते में रखी जानी चाहिए।

आरएमआरसी, डिब्रूगढ़ ने आईसीएमआर से प्राप्त निधि चालू खाते (खाते) में रखी तथा समय-समय पर एसटीडी में धन निवेश करने के अतिरिक्त दैनिक व्यय के लिए भुगतान किया। लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2016) कि आरएमआरसी डिब्रूगढ़ ने निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखने के पश्चात् हस्तपुस्तिका में निर्धारित निवेश पद्धति का अनुसरण नहीं किया था। न्यूनतम निधि⁴⁸ को अलग करने के पश्चात् आगे निवेश हेतु उपलब्ध ₹0.46 करोड़ तथा ₹13.58 करोड़ के बीच की अधिशेष निधियां थीं। यदि आरएमआरसी ने हस्तपुस्तिका में निर्धारित निवेश पद्धति को ध्यान में रख कर हर महीने अधिशेष निधि का परिकलन किया होता और अधिशेष निधि कम से कम 31 दिन के लिए भी निवेश की होती तो वे 2011-15 के दौरान ₹1.04 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज कमा सकती थीं।

इस प्रकार, अधिशेष निधियों के निवेश हेतु आईसीएमआर की निवेश पद्धति का पालन करने में आरएमआरसी डिब्रूगढ़ की विफलता के परिणामस्वरूप 2011-15 की अवधि में ₹1.04 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज की कमाई का अवसर खो दिया गया।

आरएमआरसी, डिब्रूगढ़ ने कहा (अगस्त 2016) कि सितम्बर 2016 से लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई निवेश की प्रणाली अपनाई जाएगी।

मामला जुलाई 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

⁴⁸ ₹2.15 करोड़ तथा ₹7.36 करोड़ के मध्य

अध्याय XII : गृह मंत्रालय

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सीमांत मुख्यालय, पटना

12.1 छः साल से निधियों की अवरुद्धता एवं ब्याज की हानि

मंत्रालय के भूमि अधिग्रहण का आदेश सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) पटना के छः साल से ₹37.28 करोड़ की अवरुद्धता एवं ₹17.75 करोड़ के ब्याज के रूप में असफलता के रूप में परिणामित हुआ।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) पटना, के प्रस्ताव (अप्रैल 2007) के आधार पर, गृह मंत्रालय ने रिजर्व बटालियन मुख्यालय और सशस्त्र सीमा बल के सीमांत मुख्यालय स्थापित करने हेतु बिहार सरकार से ₹37.28 करोड़ से 73 एकड़ भूमि की खरीद (मार्च-अगस्त 2010) का अनुमोदन किया। जब एसएसबी ने ₹37.28 करोड़ (अगस्त 2010) में जमा करवाए तो बिहार सरकार ने सूचित किया कि 2007 में निर्धारित कीमत को संशोधित (जिस पर एसएसबी ने मंत्रालय से अनुमोदन लिया था) किया जा चुका है और एसएसबी से शेष ₹69.13 करोड़ जमा करने का निवेदन है (संशोधित कीमत के आधार पर) तथापि, मंत्रालय संशोधित प्रस्ताव हेतु इन्कार कर चुका है और एसएसबी को एक नये वैकल्पिक स्थान/कम भूमि हेतु प्रस्ताव भेजने की सलाह दी (जुलाई 2012)। अभी तक (दिसम्बर 2016), एसएसबी ने मंत्रालय का नया प्रस्ताव नहीं भेजा है तथा ₹37.28 करोड़ की जमा पूंजी राज्य सरकार के पास पड़ी है।

मंत्रालय ने लोक लेखा समिति (पीएसी)¹ को अपनी कार्रवाई टिप्पणी को भूमि अधिग्रहण की धीमी प्रगति को अन्य बातों के साथ जोड़ते हुए वादा किया (जून 2016) कि प्रक्रिया को कम-से-कम समय में पूरा करने के लिए भविष्य में सभी प्रयास किए जाएंगे। यह कहने के बाद भी इस विशेष प्रकरण में, एसएसबी ने राज्य सरकार से वैकल्पिक भूमि खरीदने हेतु कोई प्रयास नहीं किया और ₹37.28 करोड़ अवरुद्ध पड़े रहे।

¹ 2015 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 35 'केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में निर्माण गतिविधियों की लेखापरीक्षा' (पैरा सं. 3.1 - भूमि अधिग्रहण में विचलन)

इस प्रकार, एसएसबी पटना की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप छः वर्ष से अधिक के लिए ₹37.28 करोड़ अवरोधन हुआ और फलस्वरूप ₹17.75² करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

एसएसबी पटना तथ्यों की पुष्टि कर चुका है। अगस्त 2016 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

समन्वय पुलिस वायरलेस निदेशालय

12.2 2011 में पूरे हुए भवनों का कब्जा स्थानांतरित करवाने में सीपीडब्लूडी और डीसीपीडब्लू की विफलता और व्यय प्रतिपादन पर निष्फल खर्च।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, कोहिमा, के लिए निर्मित कार्यालय सह आवासीय भवन-समूह में पानी पूर्ति की संभाव्यता, आवासों का अनाधिकृत व्यवसाय रोक और इलेक्ट्रिकल फिटिंग की चोरी सुनिश्चित करने में सीपीडब्लूडी असफल रहा। परिणामस्वरूप, जुलाई 2011 में पूर्ण किए गए परिसर सौंपे नहीं गए थे, जिसके कारण ₹2.98 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

गृह मंत्रालय ने प्रशासनिक अनुमोदन (नवम्बर 2005) प्रदान किया और 1998 में नागालैण्ड सरकार से पट्टे पर ली गई भूमि पर कोहिमा में समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डीसीपीडब्ल्यू) के लिए एक अन्तर्राज्यीय पुलिस बेतार स्टेशन कार्यालय सह आवासीय भवन समूह निर्मित करने हेतु खर्च को भी अनुमोदित किया। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) ने जुलाई 2011 में निर्माण कार्य पूरा किया। तथापि, डीसीपीडब्लू ने कब्जा लेने से मना कर दिया क्योंकि सीपीडब्लूडी ने पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की थी, जबकि अनुमानों में प्रावधान किया गया था।

सीपीडब्लूडी की नियमावली के पैरा 2.7 की शर्तों के अनुसार, सीपीडब्लूडी को निर्माण की पूर्व स्थिति में ही जलापूर्ति की संभाव्यता को सुनिश्चित करना चाहिए था। तथापि, यह पाया गया, कि सीपीडब्लूडी द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में बताया गया कि 2008 तक कुछ मीटर की गहराई तक वहां भूमिगत जल

² 2011-12 और नवम्बर 2016 के बीच 10.19 प्रतिशत से लेकर 7.61 प्रतिशत तक सरकारी उधार लागत पर अनुमानित।

नहीं था और इसीलिए, सीपीडब्लूडी ने बोर-वेल के प्रस्ताव को छोड़ दिया। नागालैण्ड लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने सूचित किया कि पाइप को पानी की सुविधा नहीं हो सकती और भुगतान के आधार पर टैंकर द्वारा पानी की पूर्ति पर सहमति जताई (मई 2011)। इस प्रकार डीसीपीडब्लू समय पर कार्य करने में असफल रहा और मार्च 2014 में इन आवासों की जांच हेतु एक दल भेजा गया, जब यह पाया गया कि कुछ कार्य अधूरे थे। बाद में, जब डीसीपीडब्लू के एक दल ने जनवरी 2015 में दौरा किया ताकि आवासों का अधिग्रहण प्रक्रिया हो सके, यह पाया गया कि बिजली की फिटिंग नहीं हुई थी या क्षतिग्रस्त थी और कुछ क्वार्टरों का अनाधिकृत कब्जा किया गया था। डीसीपीडब्लू के एक दल के जून 2016 में किए गए दौरे में पाया गया कि अनाधिकृत निवासी 200 केवी ट्रांसफार्मर से बिजली पा रहे थे जिसके लिए मार्च 2015 से डीसीपीडब्लू बिजली विभाग को उनकी बिजली प्रभारों का भुगतान कर रहा था।

इस प्रकार निर्माण की पूर्व अवस्था में पेयजल की पूर्ति की संभाव्यता और बाद में आवासों में चोरी और अनाधिकृत कब्जे की सुरक्षा की सुनिश्चितता में सीपीडब्लू की असफलता से जुलाई 2011 में निर्मित आवासों के आबंटन में विलम्ब हुआ और परिणामस्वरूप निर्माण कार्य पर ₹2.98 करोड़ और जुलाई 2016 तक बिजली प्रभार पर ₹6.70 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

डीसीपीडब्लू ने बताया (अगस्त 2016) कि स्टाफ क्वार्टरों को अभी तक अप्राधिकृत निवासियों द्वारा अधिकृत किया हुआ था तथा महानिदेशक (सीपीडब्लूडी) तथा महानिदेशक पुलिस, नागालैण्ड से भी उपचारी कार्रवाई हेतु सम्पर्क किया गया था। मंत्रालय ने यही उत्तर डीसीपीडब्लू को पृष्ठांकित किया था (नवम्बर 2016)।

तथ्य यह रहा कि मंत्रालय तथा डीसीपीडब्लू मामले का पर्याप्त निरीक्षण करने में विफल रहे जिसके कारण परिसरों का कब्जा लेने में असामान्य विलम्ब हुआ।

मामला शहरी विकास मंत्रालय को जुलाई 2016 में सूचित भी किया गया था, उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

12.3 सीवरेज प्रभारों का अपरिहार्य भुगतान

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा 2007-08 से 2015-16 के दौरान ₹1.48 करोड़ के परिहार्य सीवरेज प्रभारों का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दा उठाए जाने के पश्चात् दिल्ली जल बोर्ड ने संस्थान के बिलों से सीवरेज प्रभारों को वसूल करना बन्द कर दिया।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के दिसम्बर 2005 के आदेशों की शर्तों में, सीवरेज रख-रखाव प्रभार³ उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जहां सीवरेज प्रणाली कार्य नहीं कर रही है या जहां सीवर लाइन पहुंचाई ही नहीं गई है।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डीसीपीडब्लू) गृह मंत्रालय के संरक्षण में एक संस्थान, केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई) का संचालन रिज रोड, नई दिल्ली से हो रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीआरटीआई के अपशिष्ट अपवहन हेतु दिल्ली जल बोर्ड की कोई अलग सीवरेज लाइन नहीं थी। सीपीआरटीआई अपने अपशिष्ट हेतु एक सैपटिक टैंक का प्रयोग कर रहा था, जिसकी समय-समय पर सीपीडब्लूडी अपने द्वारा वार्षिक मरम्मत एवं रख-रखाव के भाग के रूप में साफ किया जाता था। सीपीडब्लूडी मैनहोल, गाद/सीवरेज को हटाने, और सैपटिक टैंक की सफाई और ब्लॉक सीवर लाइन की अंशतः या पूर्णतः सफाई के लिए जिम्मेदार था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीसीपीडब्लू इस तथ्य के बावजूद कि वह डीजेबी की सीवरेज लाइन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, डीजेबी को सीवरेज प्रभार का भुगतान कर रहा था और इसका वैकल्पिक सीवरेज अपशिष्ट अपवहन प्रणाली भी थी। वर्ष 2007-08 से 2015-16 के दौरान डीसीपीडब्लू ने ₹1.48 करोड़ के सीवरेज प्रभारों का भुगतान किया जो पूर्णतया परिहार्य था।

इसे इंगित किए जाने पर, डीसीपीडब्लू ने बताया (अप्रैल 2016) कि यह मामला अप्रैल 2014 और मई 2014⁴ में दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया और

³ सीवरेज रख-रखाव प्रभार, सीवरेज प्रणाली के अनुरक्षण हेतु वसूल किया जाता है और पानी के आयतन उपभोग के अनुसार वसूल किया जाता है। वसूली की दर आयतन प्रभार का 50 प्रतिशत थी तथा बाद में दिल्ली जल बोर्ड की दिसम्बर 2009 की अधिसूचना के द्वारा 60 प्रतिशत तक संशोधित की गई

उत्तर में दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया कि "जल उपभोग पर लगे फुटकर खर्चों के प्रावधानों के अनुसार, सीवर प्रभार उनमें से एक है और इसे आवधिक जल प्रभार का 60% परिकल्पित किया गया था। डीजेबी का उत्तर निःसंदेह इसके द्वारा 2005 में लिए गए निर्णय को देखते हुए अनुचित था। लेखापरीक्षा ने स्वतः ही सुनिश्चित किया कि दिल्ली में पूल प्रहलादपुर, खजूर रोड, बुद्ध बिहार (बदरपुर), ज्वाला नगर, शाहदरा इत्यादि में कुछ क्षेत्रों जहां सीवरेज प्रणाली नहीं थी, डीजेबी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों में सीवरेज प्रभार शामिल नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने साथ-साथ यह मामला डीजेबी के साथ सीपीआरटीआई पर सीवर लाइन न होने के बावजूद भी सीवरेज प्रभार लगाने के फैसले पर उठाया। परिणामस्वरूप, डीजेबी ने दिसंबर 2016 में सीपीआरटीआई के बिलों से सीवर प्रभार की उगाही बंद कर दी। यह भी दर्शाता है कि यदि डीसीपीडब्ल्यू इस मामले को जितनी जल्दी 2007-08 में डीजेबी के साथ उठाता, तो सीवरेज प्रभार की अनुचित उगाही से बचा जा सकता था।

डीसीपीडब्ल्यू को डीजेबी के साथ यह मामले जारी रखना चाहिए और सीवरेज प्रभार जोकि पहले ब्याज सहित भुगतान कर दिए गए हैं, को वापस प्राप्त करना चाहिए।

मामला मंत्रालय को सितंबर 2016 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

12.4 बिजली पर अधिक तथा दाण्डिक प्रभारों का परिहार्य भुगतान

सीआईएसएफ ने, संविदा भार से अपेक्षाकृत नेमी रूप से अधिक पावर लेकर छत्तीसगढ़ बिजली प्राधिकरणों को ₹64.15 लाख के अधिक/दाण्डिक प्रभारों का अनावश्यक भुगतान किया।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) बटालियन का विद्युत फैक्टर के रख-रखाव और बिजली के भार की अनुबंध मांग हेतु शंट कैपिटर्स लगाने की विफलता के

⁴ लेखापरीक्षा ने पहले भी 2014 में यह मुद्दा उठाया था।

परिणामस्वरूप परिहार्य ₹79.75 करोड़ को परिहार्य भुगतान में परिणामित हुआ।

क. छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड (सीईबी)⁵ के साथ हुए समझौते (नवीनतम नवंबर 2002) की शर्तों के अनुसार, तीसरी आरक्षित बटालियन, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) भिलाई, छत्तीसगढ़ को 150 केवीए की बिजली भार का अनुमोदन दिया गया। कई वर्षों से, सीआईएसएफ नियमित रूप से इस अनुबंध मांग से अधिक बिजली ले रहा है और अतिरिक्त/दंड प्रभार का भुगतान कर रहा है, परन्तु अनुबंध भार को बढ़ाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अन्ततः, सीआईएसएफ ने (जून 2012) सीएसपीडीसीएल से 300 केवीए तक भार बढ़ाने का निवेदन किया और ₹4.42 लाख की प्रतिदेय सुरक्षा जमा का भुगतान करने को कहा गया (जून 2012) जिसे केन्द्रीय और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में 14 सितम्बर 2005 से अनिवार्य बना दिया गया। अब यह अनिवार्य सुरक्षा जमा भुगतान करने की अपेक्षा, इस आधार पर कि इसका भुगतान पूर्व के समझौते के अनुसार नहीं किया गया है, सीआईएसएफ ने पहले ही छूट मांग ली और जब मनाही हुई तो तीन किशतों में भुगतान करने की अनुमति मांगी जोकि फरवरी 2015 में अनुमोदित हुई। फरवरी 2015 में बिजली का भार 300 केवीए तक बढ़ाया गया और तब तक सीआईएसएफ ने पूर्ववर्ती 12 महीने में तुरंत ₹22.43 लाख अतिरिक्त/दंड प्रभार के रूप में भुगतान किए।

इस प्रकार, सीएसपीडीसीएल के साथ हुए अनावश्यक पत्राचार के परिणामस्वरूप ₹4.42 लाख की आवश्यक प्रतिदेय जमा प्राप्त करने की मनाही कर दी गई और तब इसका किशतों में भुगतान हुआ, सीआईएसएफ ने केवल जून 2012 और फरवरी 2015 तक ₹47.97 लाख के परिहार्य व्यय का वहन किया। कुल मिलाकर अप्रैल 2009 से फरवरी 2015 तक के बीच सीआईएसएफ ने अनावश्यक ₹64.15 लाख अतिरिक्त विद्युत खर्च के रूप में अदा किए। सीआईएसएफ के महानिदेशक के लेखापरीक्षा को दिए गए उत्तर में

⁵ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण (सीएसपीडीसीएल) सहित विभिन्न हस्तियों में 2009 में पुनर्गठित।

(अप्रैल 2016) तथ्य स्पष्ट नहीं हुए। गृह मंत्रालय का उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित है।

ख. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) की दर सूची में, उपभोक्ताओं की उनके मासिक संविदा मांग का 90 प्रतिशत से अधिक तथा 105 प्रतिशत से अधिक नहीं के, औसतन विद्युत फैक्टर का अनुरक्षण करना आवश्यक है। इन श्रेणियों के बीच उपभोग का अनुरक्षण करने में विफलता के कारण पावर फैक्टर तथा विशिष्ट दरों पर मांग अधिभार का भुगतान हुआ। इस प्रकार के अधिभार के बचने के लिए उपभोक्ताओं को शंट कैपिस्टर लगाना अपेक्षित है।

दिसम्बर 2012 से मार्च 2016 की अवधि के लिए बीएसएफ बटालियन एक्स के विद्युत बिलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बटालियन विशिष्ट स्तर पर औसत पावर फैक्टर का अनुरक्षण करने में विफलता के लिए दिसम्बर 2012 से पावर फैक्टर तथा मांग अधिभार का नेमी रूप से भुगतान कर रही थी जिसके परिणामस्वरूप 2012-13 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹72.04 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि बटालियन ने 2015-16 के दौरान चार महीनों में 738 केवीए के संस्वीकृत भार बढ़ा दिया था जिसके परिणामस्वरूप ₹7.71 लाख के मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

शंट कैपिस्टरों को लगाने में विफलता के संबंध में बटालियन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि जेवीवीएनएल ने बीएसएफ पोस्ट पर एक समर्पित लाइन के द्वारा विद्युत की आपूर्ति की तथा लाइन के अनुरक्षण तथा मरम्मत करने जोधपुर डिस्कॉम की जिम्मेदारी थी। उत्तर सुसंगत नहीं है क्योंकि शंट कैपिस्टर लगाना उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2016) कि प्रत्येक बीएफएल पोल पर नए मीटर तथा 33 एमएफडी कैपिस्टर लगाए जाने के बावजूद पावर फैक्टर 90 प्रतिशत नीचे चला गया था। यह उत्तर भी सुसंगत नहीं है क्योंकि यह शंट कैपिस्टर हैं जो निर्धारित सीमा के भीतर औसतन पावर फैक्टर के रख-रखाव को सरल बनाते हैं एवं न कि 33 एमएफडी कैपिस्टर को।

अध्याय XIII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

डाक्टर हरी सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर (एमपी)

13.1 वित्तीय प्रबंधन एवं अवसंरचना विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान को पूर्णतया उपयोग करने में विफल रहा तथा ₹6.53 करोड़ के अपेक्षाकृत कम ब्याज के साथ अव्ययित राशि वापस की। ये अपने किराएदारों से ₹48.38 लाख का किराया वसूल नहीं कर सका। केन्द्रीय उन्नत यंत्रविन्यास प्रयोगशाला सहित निर्माण कार्यों में असाधारण विलम्ब हुए थे। निम्नतम बोलीदाता की उपेक्षा, निविदाओं को खोलने के बाद संशोधित बोलियों को स्वीकार करने और कोई कारण बताए बिना तकनीकी रूप से अयोग्य बोलीदाता से उपकरणों की खरीद के द्वारा उपकरण की प्राप्ति में जीएफआर के प्रावधानों के उल्लंघन देखे गये। पुनः निविदा आमंत्रण के बिना उच्च माडल की खरीद पर विश्वविद्यालय ने ₹1.26 करोड़ का अनियमित व्यय किया जो प्रयोगशाला का निर्माण पूरा न होने के कारण असंस्थापित पड़ा रहा।

राज्य विश्वविद्यालय के रूप में 1946 में स्थापित डाक्टर हरी सिंह गौड विश्वविद्यालय (तत्कालीन सागर विश्वविद्यालय) (विश्वविद्यालय) को भारत सरकार के केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 द्वारा 15 जनवरी 2009 को केन्द्रीय स्थिति प्रदान की गई थी। अध्ययन के 11 स्कूलों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के 36 शिक्षण विभाग हैं जो पूर्व स्नातक स्तर पर 43, स्नातकोत्तर स्तर पर 35 और पीएचडी स्तर पर 32 कार्यक्रम प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा यह निर्धारित के लिए की गई थी (अप्रैल से अगस्त 2016) कि क्या अनुदानों सहित वित्तीय संसाधनों का 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान मितव्ययी रूप से दक्षतापूर्वक और प्रभावी रूप से उपयोग किया गया था लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

13.1.2 वित्तीय प्रबंधन

13.1.2.1 निधियों का कम उपयोग

विश्वविद्यालय का वित्त पोषण मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राप्त अनुदानों के माध्यम से किया जाता है। वर्ष वार वित्तीय स्थिति (अनुबन्ध-IV) से पता चला कि विश्वविद्यालय उपलब्ध निधियों का उपयोग नहीं कर सका। निधियों के अनुपयोग की सीमा 44.34 से 51.08 प्रतिशत के बीच थी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि योजनागत अनुदान के कम उपयोग के कारण केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए इसकी स्थिति में परिवर्तन, नियमित उपकुलपति (वीसी) तथा वित्त अधिकारी की अनुपस्थिति, विश्वविद्यालय की संविधियां तथा अध्यादेश तैयार करने और अनुमोदन में विलम्ब थे।

विश्वविद्यालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमित वीसी की अनुपस्थिति में वीसी के कर्तव्यों का निर्वहन प्रभारी वीसी द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त, अन्य समितियां अर्थात् वित्त समिति तथा भवन निर्माण कार्य समिति (बीडब्ल्यूसी) भी इस अवधि के दौरान कार्यरत थीं।

13.1.2.2 ग्याहरवीं योजना (2007-12) के अन्तर्गत यूजीसी अनुदान का उपयोग न करना

यूजीसी निर्देशों के अनुसार निधियों के अनुपयोग के मामले में, अव्ययित शेष को उस पर अर्जित ब्याज के साथ अनुदानग्राही संस्था द्वारा वापस किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जीएफआर 209(6) (IX) के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज अप्रयुक्त राशि पर प्रभारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विश्वविद्यालय ने सामान्य विकास सहायता (जीडीए) के रूप में XI योजना अवधि (2007-12) के दौरान ₹100 करोड़ और विलयित योजना के लिए ₹1.83 करोड़ प्राप्त किये थे। विश्वविद्यालय XI योजना अर्थात् मार्च 2015 की विस्तारित अवधि तक दो अनुदानों में से क्रमशः केवल ₹82.03

करोड़ तथा ₹0.95 करोड़ का उपयोग कर सका था। विश्वविद्यालय ने यूजीसी को ₹19.41¹ करोड़ वापस किया (दिसम्बर 2015) जिसमें अप्रैल से नवम्बर 2015 तक की अवधि के लिए उस पर ₹0.56 करोड़ का ब्याज शामिल था जबकि ₹7.09² करोड़ की ब्याज राशि वापस किया जाना अपेक्षित था। उस रूप में ₹6.53 करोड़ (₹7.09 करोड़ - ₹0.56 करोड़) ब्याज राशि वापस नहीं की गई थी।

विश्वविद्यालय ने पैरा 13.1.2.1 में यथा उल्लिखित अनुदान के उपयोग न करने के उन्हीं कारणों को उद्धारित किया (अगस्त 2016) परन्तु अपने द्वारा रोके गए अव्ययित शेष पर संस्वीकृत पत्र की शर्तों के अनुसार ब्याज का भुगतान न करने पर कोई टिप्पणी नहीं की।

13.1.2.3 मार्च तथा वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान अत्यधिक व्यय

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों (जुलाई 2011, मई 2012 तथा अक्टूबर 2014) के अनुसार मार्च तथा वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय बजट अनुमानों के क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2011-12, 2012-13 तथा 2014-15 वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय ने सरकारी निर्देशों के उल्लंघन में मार्च तथा उपर्युक्त वित्त वर्षों की अन्तिम तिमाही के दौरान क्रमशः 15.9 से 31.5 प्रतिशत तथा 35.2 से 51.8 प्रतिशत तक खर्च किया।

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 2016) कि अवधि के दौरान अत्यधिक व्यय के कारण अनुदान के आवंटन तथा निर्गम में विलम्ब थे।

¹ जीडीए का ₹17.97 करोड़, विलय योजना का ₹0.88 करोड़ तथा ब्याज का ₹0.56 करोड़ = ₹19.41 करोड़।

² अप्रयुक्त जीडीए ₹658.80 लाख पर ब्याज की राशि (10 प्रतिशत की दर पर अप्रैल 2012 से नवम्बर 2015 तक की अवधि (44 माह) के लिए ₹1796.73 लाख) और ₹49.96 लाख की विलय योजना की अप्रयुक्त राशि पर ब्याज की राशि (10 प्रतिशत की दर पर अप्रैल 2010 से नवम्बर 2015 (68 माह) तक की अवधि के लिए ₹88.17 लाख)।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय को अत्यधिक व्यय से बचने के लिए अनुदान के सामयिक निर्गम के लिए मामले को उपयुक्त स्तर पर यूजीसी के साथ उठाना चाहिए था।

13.1.2.4 ₹48.38 लाख का बकाया किराया

विश्वविद्यालय ने दो बैंकों, डाकघर, एक एटीएम तथा दुकानों आदि सहित 39 भिन्न एजेंसियों को अपने परिसर किराए पर दिये थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹48.38 लाख का किराया आठ महीनों से 40 वर्षों के बीच की अवधियों के लिए इन दुकानों/संस्थानों से बकाया था। विश्वविद्यालय ने पांच एजेंसियों³ के साथ कोई किराया अनुबन्ध नहीं किया था और अन्य 34 दुकानों/एजेंसियों के साथ किराया अनुबन्धों का नवीकरण नहीं किया गया था। किराया अनुबन्धों का नवीकरण न करने के कारण विश्वविद्यालय किराया संशोधित करने के योग्य नहीं था।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि कैम्पस में बैंक तथा डाकघर छात्रों, अध्यापकों तथा स्टाफ को अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए काफी पहले आमंत्रित किए गए थे और किराया अनुबन्ध के अभाव में पूर्वव्यापी तारीख से प्रभारित नहीं किया जा सका था और किराए के लिए नया अनुबन्ध किया जाना है। उन्होंने आगे बताया कि बैंक तथा डाकघर सरकारी दरों पर भविष्य में किराया भुगतान करने को सहमत हो गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दुकानदारों से सभी प्राप्य चालू वित्त वर्ष में वसूल किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 1976 में बैंक को स्थान का मुफ्त आवंटन रद्द कर दिया था और दिसम्बर 1976 से बैंक से किराए का दावा किया था और इसलिए स्थान के मुफ्त आवंटन के रद्द करने की तारीख से किराया अनुबन्ध करना उनका उत्तरदायित्व था।

³ भारतीय स्टेट बैंक, एटीएम (भारतीय स्टेट बैंक), भारतीय स्टेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के बैंक प्रबन्धक तथा डाकघर का आवास।

13.1.2.5 दस वर्षों से ₹31.12 लाख की अप्रयुक्त निधि वापस न करना

विश्वविद्यालय को यूजीसी असिस्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत वनस्पति विज्ञान विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षण तथा अनुसंधान की अवसंरचना मजबूत करने के लिए यूजीसी से ₹35.30 लाख का अनुदान प्राप्त (मार्च 2003) हुआ था। अनुदान अलग बैंक खाते में रखा जाना और 2003-04 के दौरान उपयोग किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹35.30 लाख में से विश्वविद्यालय सितम्बर 2005 तक केवल ₹4.18 लाख का उपयोग कर सका था और ₹31.12 लाख (88.40 प्रतिशत) की शेष राशि दस वर्षों से अधिक समय से विश्वविद्यालय संयुक्त के खातों में अप्रयुक्त (मार्च 2016) पड़ी हुई थी। विश्वविद्यालय ने यूजीसी को उपयोग प्रमाणपत्र भी नहीं भेजा था।

मई 2016 में लेखापरीक्षा द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने के बाद विश्वविद्यालय ने अगस्त 2016 में यूजीसी को ₹31.12 लाख की अप्रयुक्त राशि वापस कर दी।

13.1.2.6 ₹69.72 लाख के मोटर वाहनों की अनियमित खरीद

भारत सरकार के निर्देशों (जुलाई 2011 तथा मई 2012) के अनुसार परिव्यक्त वाहनों के प्रति सहित वाहनों की खरीद प्रतिबंधित थी। ये आदेश स्वायत्त निकायों को भी लागू थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त आदेशों के उल्लंघन में 2011-13 वर्षों के दौरान ₹69.72 लाख मूल्य के छः वाहनों की खरीद की।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि वर्ष 2011-12 में विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पदोन्नति के बाद परिवर्तन चरण में था और प्राथमिक उद्देश्य, तेजी से विकासीय कार्यकलापों के लिए आगे बढ़ना था। वाहन विधिवत् प्रक्रिया अपनाने के बाद खरीदे गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के निर्देशों का उल्लंघन किया।

13.1.2.7 मरम्मत कार्यों का अनियमित निष्पादन

जीएफआर 126 (2) तथा 126 (3) के अनुसार मंत्रालय अथवा विभाग तीस लाख रूपयों तक की अनुमानित लागत के मरम्मत कार्य सीधे करा सकता है जबकि तीस लाख रूपयों से अधिक अनुमानित लागत के मरम्मत कार्य सीपीडब्लूडी, राज्य पीडब्लूडी, अन्य सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्य संगठनों को सिविल अथवा विद्युतीय कार्य करने के लिए सौंपे जाने अपेक्षित हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने जीएफआर 126(2) तथा 126(3) के प्रावधानों के उल्लंघन में 2011-15 की अवधि के दौरान प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से ₹35.37 लाख से ₹60.83 लाख के बीच के कुल ₹8.41 करोड़ के अनुमानित मूल्य के सिविल तथा विद्युतीय प्रकृति के 18 मरम्मत कार्य सीधे निष्पादित कराए।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि सीपीडब्लूडी ने सूचित किया कि वे केवल उन भवनों का मरम्मत कार्य करते हैं जो उनके नियंत्राधीन हैं और आगे बताया कि उनका पूर्णरूपेण इंजीनियरी विभाग है और वे समयबद्ध रीति में ये कार्य करते हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जीएफआर 126(2) के अनुसार ₹30.00 लाख से अधिक अनुमानित लागत के मरम्मत कार्य किसी भी निर्माण एजेंसी को सौंपे जाय जैसा नियम में उल्लिखित है और न केवल सीपीडब्लूडी को। इसके अलावा अपना पूर्ण रूपेण इंजीनियरिंग विभाग होने के बावजूद विश्वविद्यालय अपनी इंजीनियरी शाखा को निष्क्रिय कर मूल कार्य हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता और सीपीडब्लूडी के माध्यम से करा रहा है।

13.1.3 अवसंरचना विकास

विश्वविद्यालय ने अवसंरचना के विकास के लिए सामान्य योजना विकास सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान यूजीसी से ₹100.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया जिसमें शैक्षणिक,

प्रशासनिक तथा आवासीय प्रयोजनों हेतु भवनों का निर्माण और प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद शामिल थी।

13.1.4 निर्माण कार्य

13.1.4.1 एचएससीएल को सौंपे गए कार्य पूर्ण न होना

विश्वविद्यालय ने नामांकन आधार पर ₹45.00 करोड़ की अनुमानित लागत पर एचएससीएल, एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को पांच कार्य आवंटित किए (अगस्त 2011)। एचएससीएल ने आगे दो अथवा अधिक निर्माण कार्य संविदाओं में उन्हें विभाजित कर ₹86.62 करोड़ की निविदा लागत पर विभिन्न ठेकेदारों (खुली निविदा पर आधारित) को ये कार्य सौंप दिए (अगस्त 2011 से सितम्बर 2015)। विश्वविद्यालय ने निविदा लागत स्वीकार करते हुए अनुबद्ध किया कि कार्य उनके आरम्भ से 18 माह के अन्दर पूर्ण हो जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच कार्यों में से केवल एक कार्य (चारदीवारी) निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया गया था (मार्च 2013)। शेष चार कार्य समापन की निर्धारित तिथि (मार्च 2016) से 16 माह से 35 माह तक बीत जाने के बाद भी अपूर्ण थे। इन कार्यों पर ₹63.35 करोड़ का व्यय पहले ही किया जा चुका था (मार्च 2016)। विश्वविद्यालय तथा एचएससीएल के बीच हस्ताक्षरित एमओयू में अनुबद्ध किया कि कार्य के समापन में विलम्ब के लिए एजेंसी प्रभारों के अधिकतम दो प्रतिशत के अध्यक्षीन विलम्ब के प्रत्येक माह के लिए शेष कार्य एजेंसी प्रभारों के 0.10 प्रतिशत की दर पर क्षति का भुगतान करने के लिए निर्माण एजेंसी उत्तरदायी होगी। विश्वविद्यालय ने कार्य के समापन में विलम्ब के लिए एचएससीएल पर कोई शास्ति नहीं लगाई थी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि एचएससीएल को सौंपे गए कार्यों में विलम्ब डिजाइन में परिवर्तन, ठेकेदार की समस्या, विश्वविद्यालय में अशांति, नियमित वीसी की अनुपस्थिति और XI योजना अनुदान की विस्तारित अवधि की समाप्ति के कारण निधियों का जारी न होने के कारण था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमित वीसी की अनुपस्थिति में प्रभारी वीसी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। विश्वविद्यालय मार्च 2012 से मार्च 2015

तक तीन वर्षों की वृद्धि के बाद भी ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत अपने कार्य निष्पादित करने में विफल हो गया। इसने पूर्णरूपेण इंजीनियरी शाखा होने पर भी विश्वविद्यालय की ओर से निगरानी प्रणाली की कमी दर्शाई।

13.1.4.2 प्रतिशतता और वास्तुशिल्पीय प्रभारों के प्रति ₹5.27 करोड़ का परिहार्य भुगतान

कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय तथा एचएससीएल के बीच एमओयू में अन्य बातों के साथ परियोजनाओं की वास्तविक अन्तिम लागत पर एचएससीएल को सात प्रतिशत एजेंसी प्रभारों/विभागीय प्रभारों का भुगतान शामिल था। बीडब्लूसी की तीसरी बैठक (अगस्त 2011) में यह निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय परियोजना लागत के 2 प्रतिशत की दर पर वास्तुशिल्पीय शुल्क का भुगतान करेगा। विश्वविद्यालयों ने 2011-16 की अवधि के दौरान प्रतिशतता प्रभारों (एजेंसी प्रभारों) के रूप में एचएससीएल को ₹4.10⁴ करोड़ का भुगतान किया। प्रतिशतता प्रभारों के अलावा, विश्वविद्यालय ने भी इन निर्माण कार्यों के संबंध में डिजाइन परामर्श के लिए उसी अवधि के दौरान एचएससीएल को वास्तुशिल्पीय प्रभारों के रूप में ₹1.17 करोड़⁵ का भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने नामांकन आधार पर सीपीडब्लूडी, जो केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित स्वायत्त निकायों से किसी विभागीय/प्रतिशतता प्रभारों का उदग्रहण नहीं करता है, से सम्पर्क किए बिना एचएससीएल को वे कार्य सौंप दिए।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि विश्वविद्यालय ने फरवरी 2011 में आयोजित बीडब्लूसी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पूर्व में इसको सौंपे गए निर्माण कार्यों के निष्पादन में सीपीडब्लूडी द्वारा किए गए अनुचित विलम्ब का परिहार करने के लिए एचएससीएल के माध्यम से कार्य कराने का निर्णय लिया था। तथापि उपर्युक्त पैरा 13.1.4.1 के अंतर्गत जैसा पूर्व में उल्लेख किया गया एचएससीएल को सौंपे गए पांच कार्यों में से चार 16 से 35 महीने बीत जाने के

⁴ ₹63,85,21,620×7/109 = ₹4,10,05,976

⁵ ₹63,85,21,620×2/109 = ₹1,17,15,993

बाद भी अपूर्ण पडे हुए थे। इस प्रकार सीपीडब्लूडी के बजाय एचएससीएल को कार्य सौंपने और प्रतिशतता प्रभारों के प्रति ₹5.27 करोड़ का भुगतान कर विश्वविद्यालय ने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था क्योंकि एचएससीएल द्वारा निष्पादित कार्यों में विलम्ब थे।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि आरम्भ में निक्षेप कार्य के रूप में सीपीडब्लूडी को कार्य सौंपा गया था और इसको ₹11.00 करोड़ की राशि जारी की गई थी परंतु सीपीडब्लूडी ने क्वार्टरों का केवल मरम्मत कार्य करने के बाद ₹7.70 करोड़ वापस कर दिया और उसके बाद कार्य एचएससीएल को सौंपे गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय ने निक्षेप की शेष राशि वापस करने के लिए सीपीडब्लूडी से स्वयं कहा था। बाद में विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2013 से अक्टूबर 2015 की अवधि के दौरान सीपीडब्लूडी को नौ कार्य सौंपे। तथ्य यह हैं कि एचएससीएल को प्रतिशतता वास्तुशिल्पीय प्रभारों के लिए ₹5.27 करोड़ भुगतान करने के बाद भी विलम्ब विद्यमान हैं।

13.1.5 केन्द्रीय यन्त्र-विन्यास प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की खरीद

विश्वविद्यालय ने अन्तर शैक्षणिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सभी उत्कृष्ट उपकरणों के साथ केन्द्रीय यंत्र-विन्यास प्रयोगशाला (प्रयोगशाला) स्थापित करने का निर्णय लिया (मई 2010) और प्रयोगशाला के लिए 28 उन्नत उपकरण की खरीद के लिए दो बोली प्रणाली (तकनीकी तथा वाणिज्यिक) के अन्तर्गत निविदाएं आमंत्रित कीं (दिसम्बर 2011)। निविदाएं आमंत्रित करने की अन्तिम तारीख 9 जनवरी 2012 थी। तथापि विश्वविद्यालय को केवल 24 उपकरणों की आपूर्ति हेतु बोलियां प्राप्त हुईं। उस रूप में केवल 24 उपकरणों की विश्वविद्यालय द्वारा खरीद की गई थी।

विश्वविद्यालय यह कहते हुए कि कार्यवृत्त खो गए थे और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, लेखापरीक्षा को 24 उपकरणों में से 16 की तकनीकी समिति द्वारा निविदाओं के मूल्यांकन के कार्यवृत्त प्रस्तुत नहीं कर सका था। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत हैं:

13.1.5.1 निम्नतम बोलीदाता की अनदेखी

विश्वविद्यालय ने पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्ट मीटर सिस्टम (एक्सआरडी) और थिन फिल्म एण्ड रिपेटवेल्ड एनालेसिस की खरीद हेतु बोलियां आमंत्रित कीं (दिसम्बर 2011)। विश्वविद्यालय को जनवरी 2012 में तीन बोलियां प्राप्त हुईं। सभी तीन बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य पाए गए थे और वित्तीय मूल्यांकन हेतु सिफारिश की गई।

बोलियों के मूल्यांकन के बाद वित्तीय समिति ने ₹49.92 लाख के मूल्य पर एल-1 बोलीदाता, मै. आईआर टेक्नालाजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुम्बई से मद की खरीद की सिफारिश की। तथापि वित्तीय समिति की सिफारिशों की अवहेलना कर खरीद आदेश मै. ब्रुकर एएक्सएस एनालिटिकल इन्सट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (एल-2), जिसने ₹57.43 लाख की दर उद्धरित की, को जारी किया गया था। परिणामतः विश्वविद्यालय ने ₹9.19 लाख (वास्तविक भुगतान के समय पर विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर आधारित) का अतिरिक्त व्यय किया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त उपकरण के संबंध में उपसाधन कोई कोटेशन आमंत्रित किए बिना/औचित्य बिना एल-2 से ₹19.86 लाख में खरीदे गए थे जो जीएफआर के नियम 151 का उल्लंघन करता है।

विश्वविद्यालय ने यह स्वीकार करते हुए (अगस्त 2016) कि ब्रुकर एएक्सएस एनालिटिकल इन्सट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली एल-2 था, बताया कि उसने बाद में ₹5.00 लाख की राशि के उपसाधनों और दो वर्षों के लिए मुफ्त उपकरण प्रचालक का प्रस्ताव दिया था। विश्वविद्यालय ने भविष्य में उचित सावधानी बरतने का भी आश्वासन दिया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय समिति ने निम्नतम बोलीदाता से मद की खरीद की सिफारिश की थी। अन्तिम तारीख की समाप्ति के बाद मुफ्त उपसाधन तथा उपकरण प्रचालक के संशोधित प्रस्ताव की स्वीकृति, जीएफआर के नियम 160 (XI) के प्रतिकूल थी जो कहता है कि बोलियों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि की समाप्ति के बाद अपनी बोलियां बदलने अथवा संशोधित करने के लिए बोलीदाताओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

13.1.5.2 निम्नतम बोलीदाता की अनदेखी और मूल्य बोली में निविदा पश्चात्
संधोधन: ₹8.99 लाख का अतिरिक्त व्यय

विश्वविद्यालय ने जनवरी 2012 में आईसीपी-एमएस की खरीद हेतु चार बोलियां प्राप्त की जिनमें से केवल तीन बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य थे और वित्तीय मूल्यांकन⁶ की सिफारिश की गई थी। वित्तीय मूल्यांकन समिति द्वारा खरीद हेतु निम्नतम बोलीदाता मै. परकिन एल्मर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा की सिफारिश की गई थी (जनवरी 2012)।

बाद में दो फर्मों यथा मै. परकिन एल्मर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड तथा मै. लैब इण्डिया एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी संशोधित दरें⁷ दोबारा प्रस्तुत की (मार्च-अप्रैल 2012), जिसके कारण अभिलेख में नहीं पाए गए थे। मै. परकिन एल्मर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा दोबारा निम्नतम था परन्तु इसके तथ्य के बावजूद

6

क्र.सं.	फर्म का नाम	यूएसडी में कीमत	भारतीय मुद्रा में 49.65 की दर पर (विनिमय दर दिनांक 26.01.2012)
1.	मै. परकीन एल्मर (इण्डिया) प्रा.लि., वडोदरा	125900	62,50,935
2.	मै. एजिलेंट टेक्नोलॉजी प्रा.लि., अहमदाबाद	158198	78,54,507
3.	मै. लैबइण्डिया एनालिटिकल प्रा.लि., वडोदरा	163680	81,26,712

7

क्र.सं.	फर्म का नाम	दिनांक	यूएसडी में कीमत	भारतीय मुद्रा में 49.65 की दर पर (विनिमय दर दिनांक 26.01.2012)
1.	मै. लैबइण्डिया एनालिटिकल प्रा.लि., वडोदरा	30/04/2012	144000	71,49,600
2.	मै. परकीन एल्मर (इण्डिया) प्रा.लि., वडोदरा	13/03/2012	133300	66,18,345+3,90,000 कुल =70,08,345

खरीद आदेश लैब इण्डिया एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा को उपर्युक्त उपकरण की खरीद हेतु दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि खरीद बोलियों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि की समाप्ति के बाद अपनी बोलियां बदलने के लिए बोलीदाताओं को अनुमत कर जीएफआर के नियम 160 (XI) के उल्लंघन में की गई थी। उस रूप में मै. लैब इण्डिया एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा को अनुचित लाभ दिए गए हैं। यदि खरीद आदेश दरें संशोधित करने से पूर्व मै. परकिन एल्मर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा को जारी किया गया होता तो विश्वविद्यालय को ₹8.99 लाख (₹71.50 लाख - ₹62.51 लाख) की बचत हुई होती।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि इन दो बोलीदाताओं के बीच अन्तर केवल ₹1.41 लाख था और मै. लैबइण्डिया एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा ने ₹6.79 लाख के उपसाधनों का मुफ्त प्रस्ताव दिया था। उस रूप में मै. लैबइण्डिया का मूल्य अधिकारियों द्वारा एल-1 के रूप में अनुमोदित किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि भविष्य में उचित सावधानी बरती जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निविदाएं खुलने के बाद संशोधित बोलियां प्राप्त करने और निम्नतम बोलीदाता, मै. परकिन एल्मर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा की अनदेखी करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे। इसके अलावा उपसाधनों तथा अतिरिक्त यंत्र से संबंधित कोई शर्त तथा निबंधनों का बोलियां आमंत्रित करते समय उल्लेख नहीं किया गया था। अन्तिम तारीख की समाप्ति के बाद मुफ्त उपसाधनों तथा प्रचालक के संशोधित प्रस्तावों की स्वीकृति जीएफआर 2005 के नियम 160(XI) के प्रतिकूल थी

13.1.5.3 अनियमित खरीद के परिणामस्वरूप ₹1.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे

खुली निविदा के आधार पर वित्तीय मूल्यांकन समिति ने एमडीएस बायो-एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड से 352360 अमरीकी डालर के मूल्य पर 400 मेगाहर्ट्ज की आबजरवेशन फ्रीक्वेंसी के साथ 'न्यूक्लीयर मैगनेटिक रिसोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर' (एनएमआरएस) खरीदने की सिफारिश की (जनवरी 2012)। तथापि विश्वविद्यालय ने उसी पूर्तिकार से 595250 अमरीकी डालर की कीमत पर 500 मेगाहर्ट्ज की आबजरवेशन फ्रीक्वेंसी के साथ जेएनएम-ईसीएक्स 500

एफटी एनएमआर नामक एनएमआरएस के भिन्न उन्नत माडल की खरीद हेतु अनियमित रूप से खरीद आदेश दे दिया।

इस प्रकार विश्वविद्यालय ने उपकरण की खरीद पर ₹1.26 करोड़ का अनियमित व्यय किया था। भिन्न माडल की खरीद करने के लिए अभिलेखों पर कोई औचित्य नहीं था जो संस्तुत माडल की अपेक्षा लगभग 69 प्रतिशत महंगा था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इसके संस्थापन हेतु अपेक्षित प्रयोगशाला के निर्माण का कार्य पूरा न होने के कारण उपकरण इसकी खरीद (अक्टूबर 2012) से तीन वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी असंस्थापित पड़ा हुआ था। इस बीच उपकरण की वारंटी दिसम्बर 2015 में समाप्त हो गई थी। प्रयोगशाला के पूरा न होने के कारण तीन वर्ष से अधिक समय से उपकरण निष्क्रिय पड़ा रहा।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2016 एवं अगस्त 2016) कि दूसरा माडल (500 एफटी) उपकुलपति के मौखिक आदेश पर खरीद गया था क्योंकि जेएमएम ईसीएक्स 400 एफटी एनएमआर भविष्य में अप्रचलित हो जाना था। उन्होंने आगे बताया कि वे आशावान थे कि प्रयोगशाला निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण हो जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि भविष्य में उचित सावधानी बरती जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा पहचान किए गए उपकरण की आवश्यकता 400 मेगाहर्ट्ज की आबजरवेशन फ्रीक्वेंसी के साथ एनएमआरएस की थी। यदि विश्वविद्यालय ने उच्च माडल का निर्णय लिया होता तब उन्हें पुनः निविदा आमंत्रण करना चाहिए था। इसके अलावा विश्वविद्यालय का तर्क कि 400 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला एनएमआर भविष्य में अप्रचलित हो जाना था, मान्य नहीं है क्योंकि मार्च/जून 2016 तक अनेक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक संस्थान जैसे आईआईटी, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मोहाली 400 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले एनएमआर उपयोग कर रहे थे।

13.1.5.4 तकनीकी रूप से अयोग्य फर्म से उपकरण की अनियमित खरीद

विश्वविद्यालय ने दो बोली प्रणाली के अन्तर्गत “पावडर एक्सरे डिफरेक्टोमीटर सिस्टम” की खरीद हेतु निविदाएं आमंत्रित कीं (नवम्बर 2011)। तीन फर्मों के प्रस्तावों

में से केवल एक फर्म मै. पैनालीटिकल, नागपुर का प्रस्ताव तकनीकी समिति द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी तीन बोलीदाताओं की मूल्य बोली जीएफआर 152 के उल्लंघन में तकनीकी बोलियों के साथ-साथ खोली गई थीं। इसके अलावा यद्यपि फर्म मै. ब्रुकर एएक्सएस एनालिटिकल इन्सट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई का प्रस्ताव तकनीकी रूप से अस्वीकार्य पाया गया था फिर भी विश्वविद्यालय ने 09 फरवरी 2012 को अर्थात् निविदा की अन्तिम तिथि अर्थात् 30 नवम्बर 2011 से दो माह से अधिक बीत जाने के बाद संशोधित वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इसे अनुमत किया। विश्वविद्यालय ने अन्तिम तिथि के बाद फर्म की संशोधित बोली स्वीकार की और ₹56.22 लाख के मूल्य पर इसको खरीद आदेश जारी किया। इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने केवल तकनीकी रूप से अयोग्य फर्म से उपकरण की खरीद की बल्कि मै. ब्रुकर एएक्सएस एनालिटिकल इन्सट्रूमेंट प्रा. लि., मुम्बई को अनुचित लाभ भी पहुँचाया तथा इनस्ट्रूमेंट की खरीद पर ₹0.77 लाख का अतिरिक्त व्यय भी किया।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि उन्होंने एल-1 फर्म अर्थात् मै. ब्रुकर एएक्सएस एनालिटिकल इन्सट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अंधेरी, मुम्बई से उपकरण की खरीद की थी और यह खरीद परियोजना प्रभारी, जो तकनीकी विशेषज्ञ था, की सिफारिश पर की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जीएफआर 2005 के नियम 152 तथा 160 (XI) के अनुसार वित्तीय बोली केवल ऐसी फर्म की खोली जानी चाहिए जिसके प्रस्ताव तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाए गए हैं और निविदाओं के प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तारीख के बाद कोई संशोधन अथवा परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि मै. ब्रुकर एएक्सएस एनालिटिकल इन्सट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अंधेरी तकनीकी रूप से अयोग्य पाया गया था इसलिए वित्तीय बोली खोली नहीं जानी चाहिए था।

13.1.6 निष्कर्ष

विश्वविद्यालय खरीद, निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुदानों का उपयोग नहीं कर सका जिसका परिणाम ब्याज सहित निर्गत अनुदानों की वापसी में हुआ। वित्त वर्षों की अन्तिम तिमाही और माह के दौरान अत्यधिक व्यय हुआ था। विश्वविद्यालय अपने किराएदारों से बकाया किराया वसूल नहीं कर सका।

विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करने में असाधारण विलम्ब थे। विश्वविद्यालय ने निम्नतम बोलीदाता की अनदेखी करने, निविदाएं खोलने के बाद संशोधित बोलियां स्वीकार करने और कोई कारण दर्ज किए बिना तकनीकी रूप से अयोग्य बोलीदाता से उपकरण खरीदने के द्वारा उपकरण के प्रापण में जीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

मामले की सूचना मंत्रालय को दिसम्बर 2016 में दी गई थी; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर

13.2 अधिक भुगतान की अनियमित छूट

गवर्नर बोर्ड ने अपने संकाय को किए गए ₹59.38 लाख की राशि के अधिक भुगतान की वसूली पर अनियमित छूट दी थी जिसकी लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर वसूली की जा रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित रूप से केन्द्र सरकार द्वारा निधिकृत तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) के संकाय के वेतनमानों के बारे में सूचना दी थी (अगस्त 2009 और सितम्बर 2009)। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009-10 से 2012-13 के दौरान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जोधपुर ने 15 नए नियुक्त संकाय का प्रारंभिक वेतन उनकी पात्रता से अधिक स्तरों पर निर्धारित किया था। संस्थान की वित्त समिति ने अधिक भुगतानों की वसूली की अनुशंसा की थी (27 नवम्बर 2014) जिसके आधार पर दो शिक्षकों जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, उनसे ₹6.41 लाख की वसूली की गई थी। हालांकि, गवर्नर बोर्ड ने वसूली छोड़ न दी जाए और शेष संकाय को उच्च परिलब्धियां जारी रखने का निर्णय लिया (27 अप्रैल 2015)। मार्च 2016 तक 13 शिक्षकों का ₹0.59 करोड़ तक की राशि का अधिक भुगतान किया गया था।

गवर्नर बोर्ड का वसूली छोड़ने का निर्णय कार्मिक मंत्रालय⁸ के आदेशों का उल्लंघन करता था जिसमें बताया गया था कि ऐसी छूट प्रदान करने के लिए व्यय विभाग के अनुमोदन की आवश्यकता थी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और सूचित किया (नवम्बर 2016) कि आईआईटी, जोधपुर को अतिरिक्त भुगतान को रोकने और अतिरिक्त भुगतानों की वसूली करने का निर्देश दिया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

13.3 परियोजना केन्द्रीय विद्यालय पर अनियमित व्यय

केवीएस ने लेखा संहिता की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में परियोजना केन्द्रीय विद्यालय पर व्यय किया। 31 मार्च 2016 को 81 परियोजना केवी जिनमें से 34 बंद हो गए थे और उनसे वसूली की संभावना बहुत कम थी, से ₹59.67 करोड़ प्राप्य थे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अधीन एक स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) केन्द्रीय विद्यालय (केवी) की स्थापना और प्रबन्ध करता है। केवी की योजना इस शर्त पर कि इन विद्यालयों के चलाने पर सभी आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय प्रयोजक एजेंसियों द्वारा दिया जाएगा, पर उनके अनुरोध पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू)/भारत सरकार (जीओआई) के स्वामित्व के उच्च शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के बच्चों को भी दी गई थी। केवीएस हेतु लेखा संहिता के परिशिष्ट 23 के पैराग्राफ 2 के अनुसार विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताएं, क्षेत्रीय कार्यालय तथा केवीएस मुख्यालय को सूचना देते हुए चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल तथा अक्टूबर में अग्रिम रूप में दो किश्तों में संबंधित केवी के बैंक खाते में जमा करने के लिए बजटीय निधियां (आवर्ती और अनावर्ती) जारी करके प्रायोजित एजेंसी द्वारा पूर्ण की जानी अपेक्षित हैं।

⁸ कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, डीओपीटी ओएम दिनांक 6 फरवरी 2014 तथा 2 मार्च 2016

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2004 की सं. 4) में लेखापरीक्षा ने प्रायोजक एजेंसियों द्वारा देयों का भुगतान न करने का उल्लेख किया था क्योंकि वर्तमान/कार्यरत परियोजना विद्यालयों तथा बन्द परियोजना विद्यालयों से मार्च 2003 तक क्रमशः ₹12.73 करोड़ तथा ₹11.84 करोड़ की राशि बकाया थी। बाद में पीएसी ने अपनी 2006-07 की छियालीसवीं रिपोर्ट में सलाह दी कि केवीएस को प्राप्य राशि वसूल करने के उद्देश्य से जीओआई के अन्य विभागों के समन्वय से एमएचआरडी द्वारा मामला शीघ्र सुलझाया जाय। समिति ने आगे सिफारिश की कि केवीएस को भविष्य में सावधान रहना चाहिए और पीएसयूज वाले ऐसे परियोजना स्कूलों को खोलने और चलाने की अपनी नीति पर भी पुनः विचार करना चाहिए ताकि ऐसे दृष्टान्तों को घटने से बचाया जा सके।

लेखापरीक्षा जांच (जुलाई 2015 तथा जुलाई 2016) में प्रकट हुआ कि मार्च 2016 तक 161 परियोजना विद्यालय थे जिनका 34 बन्द तथा 47 कार्यरत विद्यालयों से ₹59.67 करोड़ के प्राप्य वसूली योग्य थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि उन मामलों में जहाँ प्रयोजक एजेंसियों ने अपेक्षित भुगतान करने में चूक की वहाँ केवीएस ने स्टाफ के वेतन एवं भत्ता और अन्य आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च को पूरा करने के लिए सरकारी अनुदानों को विपथित किया। निम्नलिखित तालिका दोषी प्रायोजक प्राधिकरणों से वसूली योग्य राशियों को दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	बन्द विद्यालय	वर्तमान विद्यालय	कुल
1.	2011-12	14.71	11.22	25.94
2.	2012-13	14.61	18.40	33.02
3.	2013-14	14.74	28.58	43.33
4.	2014-15	14.74	40.39	55.14
5.	2015-16	15.10	44.56	59.67

तालिका से यह देखा जा सकता है कि बन्द परियोजना विद्यालयों से बकाया राशि 2011-12 से 2015-16 तक ₹14.61 करोड़ से ₹15.10 करोड़ के बीच थी और वर्तमान विद्यालयों के संबंध में 2011-12 में ₹11.22 करोड़ से 2015-16 में ₹44.56 करोड़ तक बढ़ गई है। सरकारी अनुदानों के विपथन की नियमित प्रथा न केवल वित्तीय रूप से अविवेकी है बल्कि बजटीय प्रबन्धन और व्यय

नियंत्रण सिद्धान्त के भी विरुद्ध है। इससे मुख्य उद्देश्य, जिसके लिए ऐसा बजट आवंटित किया गया था, भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। यद्यपि सीएजी प्रतिवेदन 2004 की सं. 4 में प्रबन्धन/मंत्रालय के ध्यान में मामला लाया गया था और 2006-07 की 46वीं पीएसी रिपोर्ट की विशेष सिफारिशों कि मामला केवीएस को प्राप्य राशि वसूल करने के उद्देश्य से जीओआई के अन्य विभागों के समन्वय से एमएचआरडी द्वारा शीघ्र सुलझाया जाय परन्तु केवीएस ने अपनी वसूली प्रक्रिया को सरल तथा कारगर नहीं किया है क्योंकि बन्द परियोजनाओं से वसूली मार्च 2003 को समाप्त से मार्च 2016 को समाप्त तक क्रमशः ₹11.84 करोड़ से ₹15.10 करोड़ और वर्तमान विद्यालयों से ₹12.73 करोड़ से ₹44.56 करोड़ तक बढ़ गई है।

केवीएस ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2016 तथा अगस्त 2016) कि मामले की नियमित निगरानी की जा रही थी और इसे आयुक्त और माननीय एचआरएम-सह-अध्यक्ष, केवीएस तथा अन्य मंत्रालयों के माननीय प्रभारी मंत्रियों जिनके अधीन परियोजना विद्यालय कार्य कर रहे हैं, के स्तर पर उठाया जा रहा था। आगे यह बताया गया कि प्रशासनिक मंत्रालय के प्रयासों के परिणामस्वरूप ₹1.83 करोड़ की वसूली हुई है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना केवी को बड़ी संख्या में बंद कर दिया गया है तथा प्रचलित परियोजना केवी से भी बड़े भुगतान देय है, यह सिफारिश की जाती है कि सरकार प्रत्याशित उद्देश्य की पूर्ति की तुलना में परियोजना केवी की संस्थापन प्रक्रिया की समीक्षा करें तथा उपयुक्त कार्रवाई करें। वसूली प्रक्रिया को भी पीएसी के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आक्रामक से प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

मामला जुलाई 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर

13.4 निर्माण कार्य ठेका तथा सम्पदा प्रबन्धन में अनियमितताएं

एमएनआईटी का सम्पदा प्रबन्धन पर्याप्त नहीं था क्योंकि एमएनआईटी द्वारा ₹1163.77 करोड़ की कीमत वाली अतिक्रमण भूमि का अधिकार वापस प्राप्त करने और राजस्व विभाग के साथ अपने भूमि अभिलेखों का मिलान करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। एमएनआईटी ने पट्टेधारियों के साथ अनुबन्ध नहीं किया था और समय-समय पर किराया पुनः निर्धारित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹58.67 लाख के किराया राजस्व की हानि हुई और ₹56.98 लाख का किराया पुनर्निर्धारण के बावजूद वसूल नहीं किया गया था। सभी छात्रों को हॉस्टल मुहैया नहीं किया गया था जैसा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संविधियों के अधीन अपेक्षित था और 30.86 प्रतिशत छात्र हॉस्टल सुविधा से वंचित हुए थे। एमएनआईटी का कार्य ठेका तन्त्र अपूर्ण था क्योंकि अधिक आवासीय क्वार्टरों का निर्माण किया गया था। एमएनआईटी ने आर्थिक सहायता के लिए आरईआईएल को ₹1.47 करोड़ का अनुचित भुगतान किया और ठेकेदार के दावों से ₹3.22 करोड़ रोकने/काटने में विफल हो गया।

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी⁹), जयपुर भारत सरकार (जीओआई) तथा राजस्थान सरकार (जीओआर) के संयुक्त उद्यम के रूप में 1963 में स्थापित किया गया था। 26 जून 2002 को कॉलेज ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) का स्तर प्राप्त किया और 15 अगस्त 2007 को संसद के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित हुआ। संस्थान पूर्णतया मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), जीओआई द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

संस्थान का प्रबन्ध शासी बोर्ड (बीओजी) द्वारा किया जाता है जिसकी वित्त समिति, भवन तथा कार्य समिति (बीडब्ल्यूसी) और सीनेट द्वारा की जाती है। अकादमी का प्राचार्य होने पर निदेशक और संस्थान का कार्यकारी अधिकारी संस्थान के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं।

⁹ पुराना मालवीय क्षेत्रीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय

विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) 2013-16 की अवधि के लिए अप्रैल 2016 से अगस्त 2016 के बीच की गई थी। 2013-16 के दौरान एमएनआईटी द्वारा किए गए ₹313.02 करोड़ के संस्वीकृत/ठेका मूल्य वाले 60 कार्यों में से ₹284.57 करोड़ के संस्वीकृत/ठेका मूल्य वाले 33 कार्यों का नमूना मुख्य तथा अन्तर्गस्त संस्वीकृत व्यय के आधार पर विभिन्न मानदण्ड¹⁰ पूरे कर स्तरीकृत प्रतिदर्श विधि के आधार पर चयन किया गया था।

13.4.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

13.4.3 एमएचआरडी से वित्तपोषण

एमएचआरडी द्वारा जारी योजनागत अनुदान और किए गए व्यय के वर्षवार ब्यौरे नीचे तालिका में प्रदर्शित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एमएनआईटी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक योजना			एमएचआरडी से प्राप्त अनुदान	निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों हेतु निर्माण एजेंसियों को जारी निधियां	किया गया व्यय
	निर्माण और नवीनीकरण गतिविधियां	अन्य गतिविधियां	कुल			
2013-14	145.53	46.74	192.27	58.00	41.83	36.55
2014-15	101.34	22.85	124.19	100.00	72.90	84.25
2015-16	250.27	52.43	302.70	72.00	80.33	76.44
कुल	497.14	122.02	619.16	230.00	195.06	197.24

2013-16 के दौरान, एमएनआईटी द्वारा प्रस्तुत ₹619.16 करोड़ की वार्षिक योजनाओं में से एमएचआरडी ने केवल ₹230.00 करोड़ जारी किए जो कुल वार्षिक योजना का 37 प्रतिशत था। यद्यपि निर्माण कार्यकलापों के लिए ₹497.14 करोड़ की आवश्यकता थी परन्तु एमएनआईटी निर्माण कार्यों के लिए निर्माण एजेंसियों को ₹195.06 करोड़ जारी कर सका। एमएनआईटी ने

¹⁰ ₹10 लाख तक (10 प्रतिशत), ₹10 लाख से अधिक से ₹50 लाख तक (50 प्रतिशत), ₹50 लाख से अधिक से ₹100 लाख तक (50 प्रतिशत), ₹100 लाख से अधिक तक (100 प्रतिशत) निर्माण कार्यों तथा 01 अप्रैल 2013 को ₹ 100 लाख से अधिक (50 प्रतिशत) के चालू निर्माण कार्यों की संस्वीकृत राशि

एमएचआरडी द्वारा निधियों के कम निर्गम के कारण और एमएचआरडी से शेष निधियां जारी करने के लिए किए गए प्रयास भेजे नहीं थे।

एमएनआईटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि 2013-14 तथा 2015-16 के लिए योजित महत्वपूर्ण मुख्य कार्य आरम्भ/पूर्ण नहीं किए जा सके और एमएचआरडी से निधियों के कम निर्गम के कारण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों को भी निधियां जारी नहीं की जा सकीं।

13.4.4 सम्पदा प्रबन्धन

13.4.4.1 राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि का उपयोग

जीओआर ने 1964 तथा 1979 के बीच 192.01 हेक्टेयर (हेक्टे) भूमि आवंटित की। आवंटित भूमि और मार्च 2016 तक एमएनआईटी के पास उपलब्ध भूमि के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र. सं.	एमएनआईटी को आवंटित भूमि		एमएनआईटी के नाम दर्ज भूमि (तहसीलदार सांगनेर के पत्र 20-03-2002 एवं 21-12-2002 के अनुसार)		
	आदेश सं. एवं दिनांक	क्षेत्र	जीओआर द्वारा अन्य को हस्तान्तरित भूमि		एमएनआईटी के नाम में भूमि क्षेत्र
			हस्तान्तरिती का नाम	क्षेत्र	
1.	63/12-08-1964 एवं 82/28-08-1972	29.86	केन्द्रीय विद्यालय सं. 3	5.05	131.62
2.	63/15-06-1966 एवं 218/14-12-1979	13.35	सरकारी विभाग	35.40	
3.	63/15-06-1966 एवं 27-07-1967 एवं 81/28-08-1972	128.78	अन्य के नाम	17.51	
4.	62/27-06-1966 एवं 80/28-08-1972	20.02	कम माप/दर्ज	2.43	
	कुल	192.01	कुल	60.39	131.62

तहसीलदार, सांगनेर की सीमांकन रिपोर्ट (दिसम्बर 2012) के अनुसार, एमएनआईटी के नाम में आरम्भ में 192.01 हेक्टे भूमि थी परन्तु एमएनआईटी के नाम में वास्तव में 131.62 हेक्टेयर (जामाबन्दी के अनुसार 130.64 हेक्टेयर ब्यौरे राजस्व विभाग, जीओआर की बेवसाइट पर उपलब्ध) दर्ज की गई

थी और शेष 60.39 हेक्टे प्राइवेट पार्टियों और अन्य सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों विभागों को हस्तान्तरित की गई थी। यद्यपि 131.62 हेक्टेयर का स्वामित्व एमएनआईटी के नाम हस्तान्तरित किया गया परन्तु मुकदमाधीन 8.48 हेक्टेयर सहित ₹1163.77 करोड़¹¹ मूल्य की 25.73 हेक्टेयर अतिक्रमित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनआईटी ने राजस्व विभाग के साथ अपने अभिलेखों का मिलान नहीं किया और जीओआर द्वारा उनको हस्तान्तरित 192.01 हेक्टेयर में से अन्य पार्टियों को 60.39 हेक्टे के हस्तान्तरण के कारणों की जांच नहीं की थी। इसके अलावा 17.25 हेक्टेयर (25.75 हेक्टेयर-8.48 हेक्टेयर) अतिक्रमित भूमि के मामले में सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2011-12 का 13) के पैराग्राफ सं. 3.5.1 में लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बावजूद भूमि का अधिकार वापस प्राप्त करने के लिए गत 14 वर्षों से एमएनआईटी द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।

एमएनआईटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि उन्होंने एमएनआईटी कैम्पस से अतिक्रमण हटाने के लिए और की भूमि जो आरम्भ में एमआईसी को आवंटित की गई थी, को हस्तान्तरित करने के लिए जीओआर के विभिन्न अधिकारियों से अनुरोध किया है। तथापि अतिक्रमण हटाने और अन्य एजेंसियों को हस्तान्तरित भूमि के पुनः हस्तान्तरण के लिए 2011 के बाद प्रभावी प्रयास नहीं किए गए थे।

13.4.4.2 वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए स्थान आवंटन

एमएनआईटी ने अपने कैम्पस के अन्दर वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए विभिन्न सत्त्व को स्थान आवंटित किया। पाई गई कमियों यथा अनुबन्ध न करना, किराए के पुनर्निर्धारण में विलम्ब और किराए की कम वसूलियों पर नीचे चर्चा की गई है:

¹¹ इस क्षेत्र के लिए जिलास्तरीय पंजीकरण एवं स्टम्प विभाग, जीओआर द्वारा निर्धारित दर के अनुसार 257300 वर्ग मी.×₹42,530 प्रति वर्ग मी.

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम (आवंटन की तारीख)	लेखापरीक्षा आपत्ति
1.	आईसीआईसीआई बैंक ¹² (04-10-1972) और एटीएम (08-09-2004)	अनुबन्ध नहीं किया गया (मार्च 2016)। यद्यपि एमएनआईटी ने (अगस्त 2010) 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि किए जाने के लिए ₹54496 प्रतिमाह सीपीडब्ल्यूडी प्रतिमानों के अनुसार किराया पुनः निर्धारित किया परन्तु ₹353 का मासिक किराया वसूल करना जारी थी परिणामस्वरूप सितम्बर 2010 से अगस्त 2016 के दौरान ₹50.20 लाख (10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ) किराये की कम वसूली हुई।
2.	(i) काफी कार्नर (28.02.2003), (ii) डाकघर (22.11.1971), (iii) मिल्क बूथ (उपलब्ध नहीं), (iv) कपड़ा धुलाई तथा आयरन शॉप (31.10.2003) (v) बार्बर शॉप (19.05.2004), (vi) उपहार को आपरेटिट शॉप (उपलब्ध नहीं) (vii) मै. 1589 कोर (11-07-2014)	पट्टाधारियों के साथ निष्पादित किसी अनुबन्ध के अभाव में मासिक किराया गत तीन से 14 वर्षों के दौरान संशोधित नहीं किया गया था। तथापि यदि मासिक किराए पीडब्ल्यूडी प्रतिमानों के आधार पर पुनर्निर्धारित किया गया होता जैसा आईसीआईसीआई बैंक के लिए पुनर्निर्धारित किया गया होती तो दिए गए 197.44 वर्गमीटर स्थान के लिए ₹58.67 लाख (₹412.75 प्रति वर्ग मीटर की दर पर) का किराया सितम्बर 2010 तथा अगस्त 2016 के बीच वसूल किया जा सकता था।
3.	भारतीय स्टेट बैंक	अनुबन्ध उपलब्ध नहीं करवाया गया। यद्यपि मासिक किराया एमएनआईटी द्वारा ₹52127 पुनर्निर्धारित (अगस्त 2015) किया गया था परन्तु अगस्त 2015 से अगस्त 2016 तक की अवधि के लिए ₹6.78 लाख का संशोधित मासिक किराया वसूल नहीं किया गया था।

एमएनआईटी ने बताया (नवम्बर 2016) कि वाणिज्यिक स्थानों का किराया निर्धारित करने के लिए मुख्य अभियन्ता, सीपीडब्ल्यूडी को कहा है (अक्टूबर 2016) और वाणिज्यिक स्थान के पट्टे के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक अनुबन्ध किया गया है (अगस्त 2016)। उन्होंने आगे बताया कि कैम्पस में एक राष्ट्रीयकृत बैंक रखने के उद्देश्य से एसबीआई को प्रचालन आरम्भ करने

¹² पुराना बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड

की अनुमति दी गई थी और अस्थाई रूप से मुफ्त परिसर दिया गया था परन्तु अदा पट्टा अनुबन्ध के अन्तर्गत आईसीआईसीआई बैंक को प्रस्तुत दरों पर वाणिज्यिक स्थान मुहैया किया जा रहा है।

तथापि, जहाँ किराया पहले ही पुनर्निर्धारित किया गया है वहाँ संशोधित किराया वसूल न करने के कारण बताए नहीं गए हैं।

13.4.4.3 अपर्याप्त हॉस्टल आवास

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) की पहली संविधियों की धारा 38(1) प्रावधान करती है कि प्रत्येक संस्थान एक आवासीय संस्थान होगा और सभी छात्र तथा अनुसंधान स्कालर संस्थाओं द्वारा निर्मित हॉस्टलों तथा आवास के हॉल में रहेंगे। एमएनआईटी में 2013-14 से 2015-16 के दौरान नामांकित छात्रों/स्कालरों, हॉस्टल क्षमता और संस्थान के हॉस्टलों में नामांकित छात्रों/स्कालरों के वर्षवार ब्यौरे निम्नवत थे:

वर्ष	छात्रों की संख्या/अपेक्षित आवास	उपलब्ध हॉस्टल सीटों की संख्या	हॉस्टलों ¹³ में ठहराए छात्रों की संख्या	एमएनआईटी द्वारा न दी गई हॉस्टल सुविधा	
				छात्रों की संख्या	प्रतिशतता
2013-14	4298	3111	3024	1274	29.64
2014-15	4400	3119	3009	1391	31.61
2015-16	4407	3119	3028	1379	31.29
कुल	13105	9349	9061	4044	30.86

लेखापरीक्षा ने देखा कि संविधियों में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद छात्रों/स्कालरों (नामांकित 2922 में से 1044 छात्राएं) के कुल नामांकन के औसत 30.86 प्रतिशत अपर्याप्त आवास सुविधा के कारण 2013-14 से 2015-16 के दौरान हॉस्टल सुविधा से वंचित हो गए थे।

एमएनआईटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि हॉस्टल सुविधा मात्र यूजी छात्रों के लिए पर्याप्त है और संस्थान में नामांकित सभी छात्र/स्कालर हॉस्टल आवास लेने के इच्छुक नहीं थे। तथापि, 884 बिस्तर वाला महिला हॉस्टल

¹³ हॉस्टल की सीटों से कम छात्रों की संख्या को स्थान प्रदान किया जाना कार्यालयों, अथितिकक्षों आदि हेतु स्थान का उपयोग किये जाने के कारण था तथा कुछ कमरों क्षतिग्रस्त हैं।

निर्माणधीन है और निधियों की उपलब्धता के अध्येधीन 1500 बिस्तर वाला बॉय हॉस्टल योजना के अधीन है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि छात्रों की इच्छा सुसंगत नहीं है क्योंकि संविधि संस्थान के कैम्पस में छात्रों के अनिवार्य आवास का अधिदेश करती है और अपवाद मामलों में जहाँ निदेशक किसी छात्र/स्कालर को उसके अभिभावक के साथ रहने की अनुमति देता है, इस प्रकार की सीट के किराए का भुगतान छात्र/स्कालर द्वारा वहन किया जाएगा। यह उल्लेख करना भी प्रसंगिक है कि सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2011-12 का 13) के पैराग्राफ 3.5.5 द्वारा एमएनआईटी में अपर्याप्त हॉस्टल सुविधाओं के बावजूद संस्थान में नामांकित सभी छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा देने के लिए एमएनआईटी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

13.4.5 कार्य की आयोजना में कमियां

13.4.5.1 अधिक आवासीय क्वार्टरों का निर्माण

एमएनआईटी को लागू जीओआई के आवास नियमों के प्रावधानों के अनुसार ₹10000 का ग्रेड पे तथा ₹67000 से ₹74999 का मूल वेतन आहरित करने वाले अधिकारी क्रमशः टाइप VI ए एवं VI बी क्वार्टरों के हकदार हैं और जहाँ टाइप VI आवास टाइप VI ए एवं VI बी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है वहाँ टाइप VI के लिए पात्र सभी स्टाफ एक साथ समूहित किया जाएगा। एमएनआईटी में ₹10000 के ग्रेड पे में अधिकारियों की संस्वीकृत संख्या, 44, 44 तथा 68 थी और तैनात व्यक्ति वर्ष 2013-14, 2014-15, तथा 2015-16 के दौरान क्रमशः 46, 44 तथा 41 थी। कोई भी अधिकारी ₹10000 के ग्रेड पे से अधिक वेतन आहरित नहीं कर रहा था। एमएनआईटी के पास एक टाइप ए (निदेशक के लिए आरक्षित) और 17 टाइप बी क्वार्टर थे (₹10000 के ग्रेड पे आहरित करने वाले अधिकारी हकदार)।

एमएनआईटी ने 198 टाइप VI क्वार्टरों के निर्माण करने का निर्णय किया (अक्टूबर 2012)। कार्य ₹115.52 करोड़ के लिए सौंपा गया था (जनवरी 2014) और ₹94.50 करोड़ की राशि सीपीडब्ल्यूडी के पास जमा की गई थी (अगस्त 2016)। लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनआईटी ने 68 हकदार अधिकारियों की

संस्वीकृत संख्या और 18 टाइप VI क्वार्टरों की उपलब्धता के अनुसार 50 अतिरिक्त क्वार्टरों की आवश्यकता के प्रति 198 टाइप VI क्वार्टरों का निर्माण करने का निर्णय लिया। यह आगे पाया गया था कि बीडब्ल्यूसी बैठक (अक्टूबर 2012) की कार्यसूची/कार्यवृत्त में 198 क्वार्टरों के निर्माण के लिए कोई औचित्य उपलब्ध नहीं था।

एमएनआटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि 198 क्वार्टरों का कार्य पांच से दस वर्षों की समय सीमा में संस्थान में शिखर गुणवत्ता प्रोफेसरों के कम से कम 200 पद आकर्षित करने, भर्ती करने और सुरक्षित रखने की दृष्टि के साथ आरम्भ किया गया था। तथापि संस्थान इस आवासीय परिसर के ब्लाकों में छात्रों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनः प्रतीक्षा कर रहा होगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अपने छात्रों को हॉस्टल सुविधा, जो संविधि के अनुसार अनिवार्य था, मुहैया करने की अपेक्षा अधिक आवासीय आवास का निर्माण खराब आयोजना दर्शाता है। आवासीय परिसर में छात्रों को स्थान देने का तर्क तत्काल व्यवहार्य नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है और उससे राजकोष पर भार पड़ेगा।

इस प्रकार, ₹86.35 करोड़ की लागत पर अधिक 148 (198-50) टाइप VI क्वार्टरों का निर्माण एक योजना विफलता थी।

13.4.5.2 तकनीकी संस्वीकृति न दिया जाना

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तक का खण्ड 2.5 एवं 2.5.1 अनुबद्ध करता है कि तकनीकी संस्वीकृति एक गारंटी होती है कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से सुदृढ़ है और कि अनुमान सही तैयार किए जाते हैं और पर्याप्त डाटा पर आधारित हैं।

एमएनआईटी के सम्पदा अनुभाग द्वारा निष्पादित 11 कार्यों में, ₹6.05 करोड़ राशि के अनुमानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा टीएस नहीं दिया गया था। यह दर्शाता है कि अनुमानों की कार्य आरम्भ करने से पूर्व उचित प्रकार संवीक्षा नहीं की गई थी।

एमएनआईटी ने बताया (नवम्बर 2016) कि संस्थान भिन्न स्तर के अधिकारियों में निहित शक्तियों वाले निर्माण कार्य विभाग के समान ढांचा नहीं रखता है। संस्थान एनआईटी संविधियों के प्रावधानों के अनुसार बीडब्ल्यूसी/बीओजी के अनुमोदन पर कोई कार्य आरम्भ करता है। तथापि टीएस जारी करने का पालन किया जाएगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एमएनआईटी की पूर्णरूपेण सम्पदा शाखा है जिससे ₹96.27 करोड़ मूल्य के सिविल कार्य कराए गए हैं। तकनीकी सुदृढ़ता और अनुमानों की यथातथ्यता सुनिश्चित करने के लिए भिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा अनुमान की जांच करना अपेक्षित है और तथ्य यह शेष रहे कि उल्लिखित कार्यों में टीएस नहीं दिए गए थे।

13.4.6 कार्य सौंपने में अनियमितताएं

13.4.6.1 वित्तीय बोली का गलत मूल्यांकन परिणामस्वरूप उच्च दरों पर कार्य सौंपा गया।

एमएनआईटी ने विवेकानन्द लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स (वीएलटीसी) के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की (जून 2012)। कार्य एल 1 होने पर मै. केएमवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (केएमवी) जिसने ₹62.07 करोड़ उद्धारित किए, को सौंपा गया था (सितम्बर 2012)। बातचीत के बाद उद्धारित दर आगे ₹61.97 करोड़ तक कम की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मिट्टी कार्य की मद सं. 9¹⁴ की मात्रा निविदा दस्तावेजों में 47910 के बजाय 479100 वर्गमीटर के रूप में गलत उल्लेख की गई थी, जो पूर्व बोली बैठक (15.06.2012) में सुधारी गई थी। मै. रीनेसेंस बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड (एल-4) की वित्तीय बोली में इस मद की दर का कार्य की वास्तविक मात्रा को ध्यान में रखकर ₹3.58 लाख के स्थान पर ₹3.58 करोड़ के रूप में गलत प्रकार उल्लेख किया गया था। यदि एमएनआईटी ने वित्तीय बोलियों का उचित प्रकार मूल्यांकन किया होता तो मै. रिनाइसेंस की दर ₹61.69 करोड़ के रूप में होती और वे एल-1 होते। इस प्रकार वित्तीय बोलियों

¹⁴ मैदान की सतह ड्रैसिंग

के अनुचित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कार्य ₹0.38 करोड़ तक अधिक दरों पर सौंपा गया (₹62.07 करोड़- ₹61.69 करोड़)।

एमएनआईटी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (नवम्बर 2016) और उत्तर दिया कि स्थान पर वास्तविक निष्पादन पर, केएमवी की राशि में रीनाइसेंस बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड से कम ₹0.88 करोड़ है।

13.4.6.2 बातचीत के माध्यम से कार्य का अनियमित सौंपा जाना

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम-पुस्तक का खण्ड 20.4.7 अनुबद्ध करता है कि बातचीत, यदि आवश्यक पाया जाए, केवल निम्नतम निविदादाता तक सीमित की जानी चाहिए। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के प्रावधान भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सिफारिशों के अनुसार एल-1 बोलीदाता को छोड़कर पश्च-निविदा बातचीत पर प्रतिबन्ध का उल्लेख करता है।

मै. जैन इरीगेशन सिस्टम लिमिटेड (एल-1) ने '300 केडब्ल्यूपी (प्रत्येक 50 केडब्ल्यूपी की 6 यूनिटें) की रूफ टाप एसपीवी प्रणाली की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, परीक्षण, चालू करने और अनुरक्षण' के लिए ₹488.55 लाख का निम्नतम मूल्य उद्धारित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनआईटी ने इन दरों का मै. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) को प्रस्तुत किया इन दरों की स्वीकृति पर ठेका आरईआईएल को दिया गया था (जून 2013)। एमएनआईटी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम-पुस्तक के प्रावधानों के उल्लंघन में थी।

एमएनआईटी ने बताया (नवम्बर 2016) कि निविदा मूल्यांकन की कार्यप्रणाली पूर्वनिर्धारित थी और बोली दस्तावेज में स्पष्टतया दी गई थी, सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया पारदर्शी तथा उचित रीति में निष्पादित की गई थी और कोई पश्च-निविदा बातचीत नहीं की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एमएनआईटी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम-पुस्तक के प्रावधानों और एल-3 के साथ पश्च निविदा बातचीत की राशि जो जीएफआर/सीवीसी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन था, के प्रतिकूल थी।

13.4.7 कार्य के निष्पादन में अनियमितताएं

13.4.7.1 ₹1.47 करोड़ का अनुचित भुगतान

300 केडब्ल्यूपी (प्रत्येक 50 केडब्ल्यूपी की 6 यूनिटें) की रूफ टॉप सोलर फोटो वाल्टिक (एसपीवी) की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, परीक्षण, चालू करने और अनुरक्षण का कार्य आदेश ₹4.89 करोड़ (₹1.47 करोड़ की 30 प्रतिशत आर्थिक सहायता सहित) की कुल परियोजना लागत पर आरईआईएल को दिया गया था (जून 2013)। कार्य अगस्त 2014 में पूर्ण हुआ था। कार्य आदेश की शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार एमएनआईटी को 30 प्रतिशत आर्थिक सहायता समायोजित करने के बाद आरईआईएल को ₹3.42 करोड़ का भुगतान करना अपेक्षित था।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के अन्तर्गत एमएनआईटी में 300 केडब्ल्यूपी परियोजना संस्वीकृत की (दिसम्बर 2013) और 31 अगस्त 2014 तक वैध थी। एमएनआरई की संस्वीकृति के अनुसार, आरईआईएल एमएनआईटी को आर्थिक सहायता राशि का कर निवल बीजक प्रस्तुत करेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि आरईआईएल ने एमएनआरई से प्राप्त आर्थिक सहायता राशि घटाए बिना बीजक प्रस्तुत किए और एमएनआईटी ने कार्य आदेश साथ ही साथ एमएनआरई संस्वीकृति के उल्लंघन में दिसम्बर 2014 में ₹4.38¹⁵ करोड़ का भुगतान कर दिया।

एमएनआईटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि एमएनआरई ने आगामी परियोजनाओं के लिए सीएफए संस्वीकृत किया और इसलिए इस परियोजना हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं थी।

एमएनआईटी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एमएनआरई का पत्र (दिसम्बर 2013) स्पष्टतया उल्लेख करता है कि उपर्युक्त परियोजना सीएफए के लिए संस्वीकृत की गई थी और 31 अगस्त 2014 तक वैध थी। इसके अलावा एमएनआईटी ने भी आरईआईएल से आर्थिक सहायता की राशि का दावा किया

¹⁵ अनुबंध की शर्त के अनुसार ₹46.00 लाख की कटौती के बाद

है (अगस्त 2015)। इस प्रकार, एमएनआईटी ने आर्थिक सहायता के लिए आरईआईएल को ₹1.47 करोड़ का अनुचित भुगतान किया।

13.4.7.2 निविदा शर्तों के अनुसार ठेकेदार के बिलों से राशियों की कटौती न करना

निम्नलिखित चार मामलों में, ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य की धीमी प्रगति, कार्य का विलम्बित समापन और विद्युत प्रभारों के लिए चार ठेकेदारों से ₹294.66 लाख की राशि की कटौती नहीं की थी:

क्र.सं.	कार्य का नाम (ठेकेदार का नाम)	अपनाए न गए सीपीडब्ल्यूडी प्रावधान/निविदा शर्तें	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	एमएनआईटी का उत्तर और लेखापरीक्षा की आगे टिप्पणियां
1.	वीएलटीसी का निर्माण (मै. केएमवी प्रोजेक्ट्स)	ठेका की सामान्य शर्तों का खण्ड 5 प्रावधान करता है	यद्यपि ठेकेदार भौतिक माईलस्टोन प्राप्त करने में विफल हो गए परन्तु निविदा शर्तों के अनुसार	एमएनआईटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016)
2.	एसटीपी का निर्माण (मै. एसएस इंजीनियरिंग कारपोरेशन)	कि ठेकेदार को अनुसूची एफ में निर्धारित माईलस्टोन के अनुसार कार्य भौतिक प्रगति प्राप्त करनी पड़ती है और भौतिक माईलस्टोन प्राप्त न करने के मामले में कार्य के निविदा मूल्य पर प्रतिशतता राशि (कार्य के भिन्न चरणों के लिए निर्धारित) ठेकेदार के भुगतान से रोकी जानी थी।	माईलस्टोन प्राप्त करने में विफल हो गए परन्तु निविदा शर्तों के अनुसार ₹284.29 लाख रोके नहीं गए थे परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता हुई।	कि कार्य डिजाइन तथा ड्राइंग के देरी से अंतिम रूप देने और अन्य कारणों से विलम्बित हुआ था और विलम्ब तथा शास्ति का निपटान अन्तिम भुगतानों के समय पर किया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एमएनआईटी द्वारा किसी बाधा रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था और कार्यों की स्थितिवार प्रगति की न तो निगरानी की गई थी और न ही विलम्ब के लिए समय सीमा की वृद्धि संस्वीकृत की गई थी।
3.	धातुकर्मीय इंजीनियरी विभाग का नवीकरण (मै. वर्धमान फेब टेक)	कि ठेकेदार को अनुसूची एफ में निर्धारित माईलस्टोन के अनुसार कार्य भौतिक प्रगति प्राप्त करनी पड़ती है और भौतिक माईलस्टोन प्राप्त न करने के मामले में कार्य के निविदा मूल्य पर प्रतिशतता राशि (कार्य के भिन्न चरणों के लिए निर्धारित) ठेकेदार के भुगतान से रोकी जानी थी।	माईलस्टोन प्राप्त करने में विफल हो गए परन्तु निविदा शर्तों के अनुसार ₹284.29 लाख रोके नहीं गए थे परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता हुई।	कि कार्य डिजाइन तथा ड्राइंग के देरी से अंतिम रूप देने और अन्य कारणों से विलम्बित हुआ था और विलम्ब तथा शास्ति का निपटान अन्तिम भुगतानों के समय पर किया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एमएनआईटी द्वारा किसी बाधा रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था और कार्यों की स्थितिवार प्रगति की न तो निगरानी की गई थी और न ही विलम्ब के लिए समय सीमा की वृद्धि संस्वीकृत की गई थी।

4.	एक अतिरिक्त तल का निर्माण एवं अतिथि गृह सं. 1 में शौचालय एवं रसोई का नवीकरण (मै. किशन सहाय मीना)	अनुबन्ध के खण्ड 2 के अनुसार निविदागत मूल्य पर विलम्ब के लिए 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर (प्रतिदिन पर संयोजित किए जाने के लिए) क्षतिपूर्ति लगाई जानी थी यदि ठेकेदार निर्धारित समय अवधि के अन्दर कार्य पूरा करने में विफल होता है जो कार्य के निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	यद्यपि ठेकेदारों ने समापन की निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूरा नहीं किया परन्तु क्षतिपूर्ति के उद्ग्रहण बिना समय सीमा वृद्धि संस्वीकृत की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनआईटी में बाधा रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था और विलम्ब के लिए ₹10.37 लाख की क्षतिपूर्ति उद्ग्रहीत न करने के कारण बताए नहीं गए थे।	एमएनआईटी ने बताया (नवम्बर 2016) कि निविदा की शर्तों तथा निबन्धनों का पालन करने का उत्तरदायित्व सीपीडब्ल्यूडी का है तथापि सीपीडब्ल्यूडी ने कोई उत्तर नहीं भेजा है।
----	--	--	--	---

13.4.7.3 ठेकेदार के बिलों से सांविधिक कटौतियों तथा अग्रिमों की कम वसूली/वसूली न करना

निम्नलिखित मामलों में रायल्टी, मूल्यवर्धित कर, सेवाकर तथा अग्रिमों के लिए ठेकेदारों से ₹27.83 लाख की राशि कम वसूली गई/वसूली नहीं गई थी जैसी नीचे चर्चा की गई है:

क्र. सं.	कार्य का नाम (ठेकेदार का नाम)	अपनाए न गए सीपीडब्ल्यूडी प्रावधान/निविदा शर्तें	लेखापरीक्षा आपत्ति	एमएनआईटी का उत्तर और लेखापरीक्षा की आगे टिप्पणियां
1.	अनुबन्ध-V में विस्तृत 12 कार्यों में	खनन विभाग जीओआर के परिपत्र (नवम्बर 2011 एवं जनवरी 2013) के अनुसार प्रत्येक ठेकेदार कार्य आरम्भ करने से पूर्व लघुअवधि परमिट (एसटीपी) प्राप्त करें अथवा सम्बन्धित खनन इंजीनियर से रायल्टी निर्धारित कराए और निर्धारित दर पर तदनुसार रायल्टी का भुगतान करे।	यद्यपि ठेकेदारों ने जीओआर परिपत्रों की शर्तों का पालन नहीं किया परन्तु ₹18.42 लाख की रायल्टी ठेकेदार के बिलों से वसूली नहीं गई थी/कम वसूली गई थी।	तीन मामलों में लेखापरीक्षा के कहने पर ₹.0.51 लाख की रायल्टी वसूली की गई है और शेष मामलों में या तो इसका प्रस्ताव किया गया है अथवा ठेकेदार को रायल्टी जमा करने के लिए कहा गया है जैसा एमएनआईटी द्वारा सूचित किया गया (नवम्बर 2016)।
2	अनुबन्ध-VI में विस्तृत पांच मामलों में	जीओआर द्वारा जारी परिपत्र (मार्च 2015) के अनुसार मूल्य वर्धित कर (वैट) ठेकेदार से 01 अप्रैल 2015 से तीन प्रतिशत के स्थान पर छः प्रतिशत की दर पर वसूल किया जाना है।	₹5.80 लाख का वैट ठेकेदारों से कम वसूल किया गया था।	तीन मामलों में लेखापरीक्षा के कहने पर ₹3.87 लाख का वैट वसूल किया गया है, एक मामले में ठेकेदार को शेष वैट जमा करने के लिए कहा गया है जैसा एमएनआईटी द्वारा सूचित किया गया (नवम्बर 2016) और शेष एक मामले में कोई उत्तर नहीं भेजा गया था।
3.	वीएलटीसी में यूपीवीसी विंडोज का प्रावधान एवं स्थापित करना (मै. यूनीसिस्टम)	सेवाकर (एसटी) मूल्य निर्धारण) द्वितीय संशोधन नियम 2012 का नियम 2ए (ii)(ए), कार्य ठेका के लिए प्रभारित कुल राशि के 40 प्रतिशत पर एसटी का भुगतान किया जाएगा।	40 प्रतिशत के बजाय कार्य मूल्यों के 70 प्रतिशत पर एसटी का दावा किया गया था ठेकेदार को ₹3.61 लाख की राशि के एसटी का अधिक भुगतान हुआ।	एमएनआईटी ने बताया (नवम्बर 2016) कि 70 प्रतिशत मूल्य पर प्रदत्त एसटी सही था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यूपीवीसी विंडोज का प्रावधान करने और स्थापित करने के कार्य पर कार्य के मूल्य का 40 प्रतिशत एसटी लगता है।

13.4.7.4 अग्रिम का निपटान न करना

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तक के अनुसार निक्षेप कार्यों के प्रति लेखाओं का समाधान शीघ्र किया जाना है ताकि राशि लम्बे समय तक असमाशोधित नहीं रहती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि आवास विकास संस्थान लिमिटेड को प्रदत्त ₹22.12 लाख का अग्रिम 15 वर्षों से अधिक समय से बकाया था और समाशोधित/वसूल नहीं किया गया था। एमएनआईटी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि लेखा के समाशोधन और निपटान के लिए प्रयास किए जाएंगे।

13.4.8 निष्कर्ष

एमएनआईटी अतिक्रमित भूमि के निराकरण के लिए प्रभावी प्रयास करने में विफल हुआ। किराए के पुनर्निर्धारण में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि उठाई और पट्टाधारियों से संशोधित किराया वसूल नहीं किया गया था। संस्थान 30.86 प्रतिशत नामांकित छात्रों को हॉस्टल आवास प्रदान करने में विफल हुआ और आवासीय क्वार्टरों का अधिक निर्माण किया गया था। वित्तीय बोली के गलत मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एक अपात्र फर्म को उच्च दर पर कार्य दिया गया। आर्थिक सहायता प्राप्त न करने के कारण अनुचित भुगतान के मामले, कार्य की धीमी प्रगति के कारण ठेकेदारों से सांविधिक देय राशि की वसूली न किए जाने और कटौती न किए जाने के मामले पाए गए थे।

मामला सितम्बर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

13.5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में निर्माण कार्यकलाप

सीपीडब्ल्यू द्वारा कार्य सौंपने में एक से 17 माह के विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹19.35 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। आरजीआईआईटी, अमेठी में प्रशासनिक तथा अकादमिक भवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया जिसकी परिणामस्वरूप ₹39.81 करोड़ का व्यय करने के बाद भी अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

सूचना प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में 1999 में स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (संस्थान) और सम्बद्ध क्षेत्र को 2000 में भारत सरकार द्वारा डीम्ड-विश्वविद्यालय स्थिति प्रदान की गई थी। भारत सरकार ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 प्रस्तुत किया और अधिनियम की अधिसूचना के बाद देश के अन्य चार एमएचआरडी वित्तपोषित आईआईआईटी के सहित आईआईआईटी इलाहाबाद 01 दिसम्बर 2014 से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हो गए। राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी (आरजीआईआईटी, अमेठी) 11वीं योजना अवधि (2007-2012) के दौरान स्वतन्त्र इकाई के रूप में विकसित किए जाने के लिए संस्थान के विस्तार कैम्पस के रूप में स्थापित किया गया था (अप्रैल 2005)।

2011-12 से 2015-16 के दौरान संस्थान ने आईआईआईटी, इलाहाबाद तथा आरजीआईआईटी, अमेठी में निर्माण कार्यकलापों पर ₹ 171.09 करोड़ खर्च किया। 2011-12 से 2015-16 तक पांच वर्षों के निर्माण कार्यकलापों के लिए आईआईआईटी, इलाहाबाद की लेखापरीक्षा की गई थी और अभिलेखों की जांच के दौरान पाई अनियमितताओं पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

13.5.2 कार्य सौंपने में अनियमितता

13.5.2.1 अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि संस्थान ने 2008-09 से 2012-13 तक के दौरान सीपीडब्ल्यूडी को दस प्रमुख कार्य सौंपे। यद्यपि संस्थान ने सीपीडब्ल्यूडी को प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति (एएण्डईएस) सूचित की परन्तु सात कार्यों के ठेका निर्णय निविदा आमंत्रण प्रक्रिया आदि के समापन में विलम्ब के कारण विलम्बित हुए थे। कार्य के निर्णय में विलम्ब एक माह से 17 माह के बीच थे (एएण्डईएस के अनुमोदन की तारीख से कार्य सौंपने के लिए छः माह की उचित समय सीमा (ऊपरी सीमा देने के पश्चात)। लेखापरीक्षा ने पाया कि सात कार्यों के लिए एएण्डईएस ₹ 84.07 करोड़ था और इन निर्माण कार्यों को सौंपने में देरी के कारण निविदागत लागत ₹103.45 करोड़ तक बढ़ गई। निविदा लागत की प्रतिशतता वृद्धि 10.58 प्रतिशत से 33.25 प्रतिशत तक के बीच थी। इस प्रकार सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य सौंपने में विलम्ब परिणामस्वरूप ₹19.35 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि अनुमान काफी पहले तैयार किए गए थे और अनुमान तैयार करने तथा कार्य सौंपने के बीच विभिन्न कार्यकलाप हुए हैं।

संस्थान का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देरी मुख्यतया निविदा आमंत्रण प्रक्रिया के समापन के कारण थी और निविदा दस्तावेज अनुमानित लागत में वृद्धि के अनुमोदन हेतु संस्थान को भेजे नहीं गए थे।

13.5.2.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीडब्ल्यूडी ने संस्थान की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना आठ कार्यों में ₹239.02 लाख मूल्य की 237 अतिरिक्त मदों और ₹154.71 लाख मूल्य की 32 स्थानापन्न मदों का निर्माण किया।

सीपीडब्ल्यूडी ने बताया (सितम्बर 2016) कि अतिरिक्त मदों/स्थानापन्न मदों पर चर्चा की गई थी और निर्माण स्थल पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई थी और बाद में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन अभिलेख पर लिया गया था।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त मदों/स्थानापन्न मदों का निर्माण/अनुमोदन केवल सीपीडब्ल्यूडी अधिकारी से लिया गया था और अतिरिक्त/स्थानापन्न मदों के लिए संस्थान की सहमति नहीं ली गई थी।

13.5.2.3 सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तक का पैरा 14.1 बताता है कि ₹50,000 से अधिक लागत के अत्यावश्यक प्रकृति का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद कार्य आदेशों पर दिया गया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि संस्थान ने 2011-12 से 2015-16 तक के दौरान दो फर्मों¹⁶ को कार्य आदेश देने से ₹31.43 लाख राशि के सात लघु कार्य, निविदा आमंत्रण बिना यद्यपि ये अत्यावश्यक प्रकृति के नहीं थे निष्पादित किए गए।

उत्तर में, संस्थान ने बताया (दिसम्बर 2016) कि निदेशक ने लघु कार्यों के निष्पादन हेतु उचित अनुमोदन दिया है। संस्थान का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त कार्य अत्यावश्यक प्रकृति के नहीं थे और केवल अत्यावश्यक प्रकृति कार्य आदेशों पर किए जा सकते थे।

¹⁶ मै. श्री ग्लास प्लाईवुड इलाहाबाद, मै. कोहली एन्टरप्राइजेज

13.5.3 ₹39.81 करोड़ का व्यय करने के बाद भी अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त न करना

माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने आरजीआईआईटी अमेठी में संस्थान का विस्तार कैम्पस स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया (अप्रैल 2005)। सीपीडब्ल्यूडी ने आरम्भ तथा समापन की क्रमशः अगस्त 2011 तथा अगस्त 2013 होने पर ₹39.78 करोड़¹⁷ से आरजीआईआईटी अमेठी में अकादमिक तथा प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु मै. एनएस कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ एक अनुबन्ध किया (अगस्त 2011)। समापन तारीख दिसम्बर 2013 तक बढ़ाई गई थी।

मई 2011 से दिसम्बर 2014 तक के बीच निर्माण के दौरान संस्थान ने निक्षेप कार्य के रूप में सीपीडब्ल्यूडी को ₹39.81 करोड़ (सिविल कार्यों के लिए ₹33.91 करोड़ और विद्युत मण्डल के लिए ₹5.90 करोड़) का भुगतान किया।

यह पाया गया कि ठेकेदार ने समापन (दिसम्बर 2013) की निर्धारित तारीख के प्रति केवल 62 प्रतिशत कार्य पूरा किया था (मार्च 2014) और निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य रोक दिया गया।

- मार्च 2014 तक मै. एनएस कन्स्ट्रक्शन को ₹26.18 करोड़ की राशि का तथा अन्य दलों को सिविल निर्माण कार्यों हेतु भुगतान किया गया था।
- मै. एनएस कन्स्ट्रक्शन को ₹2.41 करोड़ की राशि अदा की थी तथा अन्य दलों को कार्य की समाप्ति के पश्चात भुगतान किया गया था।
- इसके अलावा यद्यपि मार्च 2014 में कार्य बन्द हो गया था परन्तु सीपीडब्ल्यूडी के विद्युत मण्डल ने आरजीआईआईटी अमेठी को अविरल विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए 33 केवीए स्वतन्त्र फीडर के निर्माण हेतु यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) गौरीगंज अमेठी को ₹3.42 करोड़ का भुगतान (05.02.2015) किया। संस्थान ने यूपीपीसीएल से प्रतिदाय लेने के लिए सीपीडब्ल्यूडी से अनुरोध किया परन्तु यूपीपीसीएल ने आज तक राशि वापस नहीं की थी।

¹⁷ सिविल कार्य ₹ 37.49 करोड़ और विद्युतीय कार्य ₹ 2.29 करोड़

- इसके अलावा सीपीडब्ल्यूडी के विद्युत मण्डल ने भी ₹6.57 करोड़ की निविदागत लागत से प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन के लिए आरजीआईआईटी अमेठी में हीट वेन्टीलेटेड एयरकण्डीशन (एचवीएसी) प्रणाली का आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, परीक्षण तथा चालू करने के लिए मै. वोल्टास लिमिटेड, नई दिल्ली (ठेकेदार) के साथ एक अनुबन्ध किया (मार्च 2013)। निक्षेप कार्य के रूप में सीपीडब्ल्यूडी को ₹5.90 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। ठेकेदार ने सभी मशीनरी तथा उपकरणों की आपूर्ति कर दी (अक्टूबर 2013, दिसम्बर 2013, मार्च 2014 तथा मार्च 2015) और ठेके की शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार ठेकेदार को ₹4.01 करोड़ का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार निक्षेप कार्य के रूप में सीपीडब्ल्यूडी को ₹39.81 करोड़ (सिविल कार्य के लिए ₹33.91 करोड़ और विद्युत मण्डल के लिए ₹5.90 करोड़) का भुगतान किया गया था। जिसमें से ₹36.02 करोड़ (सिविल कार्यों के लिए ₹32.01 करोड़ और एचवीएसी के लिए ₹4.01 करोड़) का ठेकेदारों को भुगतान किया गया था और ₹3.79 करोड़ की शेष राशि सीपीडब्ल्यूडी के पास लम्बित है।

आगे यह पाया गया था कि कार्यों की पूर्वाबन्धी पर भवन निर्माण कार्य समिति (बीडब्ल्यूसी) की 28वीं, 29वीं तथा 30वीं बैठक में क्रमशः जुलाई 2014, अक्टूबर 2014 तथा अप्रैल 2015 में चर्चा की गई थी और 31वीं बीडब्ल्यूसी बैठक में स्वीकार किया गया था (अक्टूबर 2015) परन्तु संस्थान के प्रबन्धन बोर्ड (बीओएम) ने बन्द न करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2015) और अतिरिक्त अनुदान जारी करने के लिए एमएचआरडी से सम्पर्क किया।

उत्तर में, संस्थान ने बताया (दिसम्बर 2016) कि वर्तमान आरजीआईआईटी भवन बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा अकादमिक उद्देश्य उन्नत करने के लिए उपयोग किया जाना है।

संस्थान का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य को 62 प्रतिशत समापन के पश्चात रोक दिया गया था तथा ₹39.81 करोड़ (₹3.79 करोड़ सीपीडब्ल्यूडी के

पास लंबित थे) का व्यय किया गया था इसलिए आरजीआईआईटी, अमेठी के परिसर का विस्तार करने का उद्देश्य निष्फल रहा।

मामला दिसम्बर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की

13.6 निष्क्रिय व्यय

एनएच-58 के पार सीवर लाइन और रूड़की तथा सहारनपुर परिसरों में एसटीपी का निर्माण करने के लिए आईआईटी रूड़की की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप सीवर लाइन के निर्माण पर किया गया ₹15.06 करोड़ का व्यय निष्क्रिय हो गया जिसे समापन की निर्धारित तारीख से चार वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी उपयोग नहीं किया जा सका था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की (संस्थान) के परिसर में सीवरेज प्रणाली तथा सीवरेज संसाधन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गवर्नर मण्डल (बीओजी) ने अपनी 27वीं बैठक में ₹23.23 करोड़ तथा ₹4.83 करोड़ की लागत पर क्रमशः रूड़की तथा सहारनपुर परिसरों के लिए एसटीपी तथा संसाधित बहिःस्राव के पुनर्चक्रण सहित सीवरेज प्रणाली के निर्माण करने का अनुमोदन किया (मार्च 2010)। निर्माण कार्य में एसटीपी तथा माने गए बहिःस्राव के पुनर्चक्रण सहित सीवरेज प्रणाली का डालना शामिल था। तदनुसार कार्य के आरम्भ की तारीख से समापन समय 15 माह होने के साथ संस्थान तथा एनबीसीसी¹⁸ के बीच रूड़की तथा सहारनपुर परिसरों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर किया गया था (सितम्बर 2010)। संस्थान ने कार्य के निर्माण हेतु एनबीसीसी को रूड़की परिसर के लिए ₹5.80 करोड़ तथा सहारनपुर परिसर के लिए ₹1.20 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया गया जिसे अंतिम बिल में समायोजित किया जाना था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला (सितम्बर 2015) कि सीवर लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ हुआ था (जनवरी 2011) और भवनों से सीवर लाइन जोड़ने राष्ट्रीय राजमार्ग के पार सीवर लाइन बिछाने तथा रूड़की परिसर के लिए

¹⁸ राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड

एसटीपी के निर्माण को छोड़कर पूर्ण हो गया था (मार्च 2012)। सहारनपुर परिसर में एसटीपी का केवल 60 प्रतिशत पूर्ण हुआ था। संस्थान ने मार्च 2012 तक कार्यस्थल पर निष्पादित कार्य के प्रति एनबीसीसी को ₹15.06 करोड़ (रूड़की परिसर के लिए ₹12.05 करोड़ और सहारनपुर परिसर के लिए ₹3.01 करोड़) का भुगतान किया। रूड़की परिसर में एसटीपी का कार्य स्थानीय ग्रामीणों¹⁹ द्वारा आन्दोलन के कारण रोक दिया गया था (सितम्बर 2012)। साथ ही रूड़की परिसर में देखी गई समान समस्या का पूर्वानुमान कर सहारनपुर में भी कार्य निलम्बित किया गया था।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 58 को पार कर संस्थान भवन से एसटीपी स्थल²⁰ तक सीवर लाइन बिछानी जानी थी। एनएच-58 पार करने के लिए कार्य आरम्भ करने से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआई), देहरादून से एनओसी प्राप्त की जानी अपेक्षित थी परन्तु उसे अभी प्राप्त नहीं किया था और उस रूप में एनएच-58 के पार सीवर लाइन का निर्माण नहीं किया जा सका।

अतः सीवर लाइनों पर ₹15.06 करोड़ (रूड़की परिसर के लिए ₹12.05 करोड़ और सहारनपुर परिसर के लिए ₹3.01 करोड़) का व्यय निष्फल और समापन की निर्धारित तारीख से चार वर्ष बीत जाने के बाद भी उपयोग नहीं किया जा सका।

संस्थान ने उत्तर दिया (जून 2016) कि उन्होंने कुछ गंधहीन प्रौद्योगिकी से आईआईटी, रूड़की के परिसरों के अन्दर नए संस्थान पर एसटीपी के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ की गई है जिसके लिए सलाहकार पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है। संस्थान ने आगे बताया कि इस परियोजना पर किया गया व्यय निष्फल नहीं है क्योंकि कुछ छोटे कार्यों जैसे भवनों को कनेक्शन और राजमार्ग की सड़क पार करने को छोड़कर उन्होंने पूर्ण सीवरेज प्रणाली पहले ही डाल दी थी। एनएचएआई से अनुमोदन एनबीसीसी द्वारा जारी रखा जा रहा है।

¹⁹ चांदमारी खंजरपुर गांव

²⁰ चांदमारी खंजरपुर गांव

संस्थान का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संस्थान के सलाहकार ने आज तक (नवम्बर 2016) नए एसटीपी स्थान की कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी और एनएचएआई से एनओसी अभी भी प्राप्त की जानी है।

मामला अगस्त 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

13.7 सेवाकर का अनियमित भुगतान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन चार संस्थान (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, रुड़की; बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, भारतीय प्रबन्धन संस्थान, रांची तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना) और सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान (भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता) ने बाहर से ली गई सेवाओं पर कुल ₹12.42 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया जबकि ये सेवाएं ऐसे कर के भुगतान से मुक्त थीं।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार ने 1 जुलाई 2012 से शिक्षण संस्थानों को अथवा द्वारा दी गई कुछ सेवाओं को सेवा कर से मुक्त किया (अधिसूचना सं. 25/2012-सेवाकर दिनांक 20 जून 2012)। अधिसूचना ने स्पष्ट किया कि मुक्त सेवाओं में अन्य बातों से साथ ऐसी सेवाएं शामिल हैं जो शिक्षण संस्थानों द्वारा सामान्य तथा स्वयं की जाती हैं परन्तु किसी अन्य व्यक्ति से आउटसोर्स सेवाओं के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि ऋणात्मक सूची में प्रवेश के बल पर यह स्पष्ट था कि शिक्षा से संबंधित सभी सेवाएं सेवा कर से मुक्त हैं (परिपत्र सं. 172/7/2013-एसटी दिनांक 19 सितम्बर 2013)। इन सेवाओं में हॉस्टल, गृह व्यवस्था, सुरक्षा सेवाएं, कैन्टीन आदि भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच संस्थानों में सुरक्षा, निर्माण, गृह व्यवस्था तथा खानपान व्यवस्था आदि जैसी सेवाएं करने के प्रति ठेकेदारों द्वारा दी गई सेवाएं सेवाकर के भुगतान से मुक्त थीं परन्तु सेवाकर के रूप में ₹12.42 करोड़ का भुगतान किया गया, ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

संस्थान का नाम	आउटसोर्स एजेंसी का नाम	आउटसोर्स सेवा	भुगतान की अवधि	भुगतान की गई सेवाकर की राशि (₹ लाख में)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)				
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रुड़की	बेदी एण्ड बेदी एसोसिएट्स	आतिथ्य, खानपान एवं प्रबन्धन सेवाएं	जुलाई 12- फरवरी 16	5.00
	सिबेक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स (प्रा.) लिमि.	गृह व्यवस्था सेवाएं	2012 - 2016	81.93
	पेरेग्रीन गार्डिंग प्राई. लिमि.	सुरक्षा सेवाएं	जून 14- अगस्त 15	46.19
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ	श्री साई नाथ एसोसिएट्स	लैब सहायक, रसोइया, सैनीटेशन, गृह व्यवस्था सेवाएं	दिस. 12 - मार्च 16	132.70
	सिटी हाक्स मैनपावर सर्विसेस एण्ड कनसलटेंसी	सुरक्षा सेवाएं	सित. 13 - दिस. 14	18.06
	सिक्वोरिटी साल्यूशन सर्विसेज	सुरक्षा सेवाएं	दिस. 14- अप्रै. 15	8.71
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रांची	रांची सिक्वोरिटी प्रा.लि.	सुरक्षा सेवाएं	जुलाई 12 - दिस. 15	26.05
	अरीबा हाउसकीपिंग एजेंसी	हाउसकीपिंग सेवाएं	जुलाई 12 - दिस.15	13.62
	सीएमसी लिमि.	सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का प्रबन्धन एवं सेवाएं	सित. 12 - अग. 15	16.63
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	शापूर्जी पालोर्जी एंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (एसपीसीएल)	निर्माण सेवाएं	2013-14 से 2014-15	780.00
	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी)			56.00
सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमएसपीआई)				
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	इण्डियन एक्स सर्विसेज लीग	सुरक्षा सेवाएं	जुला. 12 - जन. 15	25.22

(आईएसआई), कोलकाता			(अप्रै. 13 को छोड़कर)	
	एसएण्डआईबी सर्विसेज	सुरक्षा सेवाएं	अप्रै. 13	0.54
	एनआईएस मैनेजमेंट प्राई. लिमि.	गृह व्यवस्था सेवाएं	जुला. 12 - जन. 15	31.25
कुल अनियमित भुगतान				1241.90

आईआईटी रुड़की ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि बेदी एण्ड बेदी एसोसिएट्स तथा सिबेक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स (पी.) लिमि. द्वारा दी गई सेवाएं ऊपर कथित अधिसूचना के अन्तर्गत मुक्त नहीं हैं। पेरिग्रिन गार्डिंग प्राई. लिमि. को सेवाकर का भुगतान अगस्त 2015 से बन्द कर दिया गया है। बीबीएयू ने उत्तर दिया (मई 2016) कि सेवाकर भुगतान श्री साई नाथ एसोसिएट को किया जा रहा था क्योंकि फर्म जनशक्ति सेवाएं प्रदान कर रही थी और पैनीटेशन एवं सुरक्षा से सम्बन्धित सेवा प्रदाताओं के बिलों पर सेवाकर का भुगतान बन्द कर दिया गया था।

आईआईएम रांची ने उत्तर दिया (जून/अगस्त 2016) कि सेवाकर का भुगतान जनवरी 2016 से बन्द कर दिया गया था और यह भी बताया कि उन्होंने पहले ही प्रदत्त सेवाकर के प्रतिदाय हेतु दावा प्रस्तुत कर दिया है। आईआईटी पटना ने बताया (अगस्त 2016) कि माननीय उच्च न्यायालय (सीडब्ल्यूजेसी सं.16965 दिनांक 03 मार्च 2016 में) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का समर्थन किया है तथा सेवा कर आयुक्त को संबंधित कर दाता को सेवा कर की वापसी का निर्देश दिया है। तदनुसार, आईआईटी पटना ने सेवा प्रदाताओं को सेवाकर की वापसी हेतु कहा है।

आईएसआई कोलकाता ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016/जनवरी 2017) कि उन्होंने फरवरी 2015 से सेवाकर का भुगतान बन्द कर दिया था और सेवाकर विभाग को प्रतिदाय दावा दायर कर दिया है (जनवरी 2016)। एमएसपीआई ने आईएसआई, कोलकाता के विचारों की पुष्टि की (नवम्बर 2016)।

आईआईटी रुड़की तथा बीबीएयू के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तीन ठेकेदारों द्वारा दी गई सेवाएं “सहायक शैक्षिक सेवाओं” के अन्तर्गत आती हैं और ऐसी सेवाएं बनती हैं जिन्हें अन्यथा शैक्षिक संस्थाएं सामान्यतया स्वयं करती हैं।

मामला जून-अगस्त 2016 में एमएचआईडी को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2007 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कोझीकोड

13.8 पेंशन लाभों का अनियमित भुगतान

भारत सरकार के अनुमोदन बिना कर्मचारियों को जीपीएफ एवं पेंशन विस्तारक के परिणामस्वरूप उचित संस्वीकृति बिना पेंशनरी लाभों के लिए किया जा रहा ₹61.20 लाख का व्यय

भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कोझीकोड²¹ (आईआईएमके) के कर्मचारी आईआईएमके कर्मचारी अंशदान भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित किए जाते हैं। 24 अक्टूबर 2000 को यह सूचित करते हुए आईआईएमके द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था कि संस्थान के शासक बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए जीपीएफ-सह-पेंशन योजना लागू करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन किया था और मामला अनुमोदन हेतु भारत सरकार को भेजा गया है। परिपत्र में यह भी बताया गया कि एमएचआरडी उन कर्मचारियों के संबंध में योजना लागू करने को सहमत हो गया है जो संस्थान जॉइन करने से पूर्व ऐसे संगठन में कार्य कर रहे थे जहां यह योजना चालू थी और उसे अपनाया था।

चूँकि आईआईएम प्रारंभ से ही अंशदायी भविष्य निधि योजना को अपना रहा था, इसलिए बीओजी द्वारा इन कर्मचारियों को साभनि-सहपेंशन योजना में लाना दिनांक 16 मार्च 2000 के व्यय विभाग (डीओई) के पत्र, जिसमें यह बताया गया है कि पेंशन योजना इस डीओई के अनुमोदन को व्यक्त किए बिना स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं की जाएगी, का उल्लंघन थी।

²¹ आईआईएम के 1 जुलाई 1997 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन उच्च शिक्षा का संस्थान है।

नौ कर्मचारियों, जिन्होंने विभिन्न पेंशन वाले संगठनों से त्यागपत्र देने के बाद आईआईएमके जाँइन किया था, ने जीपीएफ-सह-पेंशन योजना के लिए आवेदन किया। कर्मचारियों के अनुरोधों के आधार पर उनके पेंशनरी लाभ भी उनके पूर्व नियोक्ताओं से आईआईएमके²² को हस्ताक्षरित किए गए थे। इन नौ कर्मचारियों में से दो सेवा²³ से सेवानिवृत्त हो गए हैं और आईआईएमके को जीपीएफ योजना लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय/कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन से संबंधित एचआरडी मंत्रालय से किसी अन्तिम सूचना बिना ₹83.63 लाख के कुल पेंशनरी लाभ अदा²⁴ किए गए थे।

इसके अलावा एमओएफ ओएम दिनांक 8 सितम्बर 1983 के अनुसार, 10 वर्ष अथवा अधिक की अर्हक सेवा के साथ पेंशन योजनाओं द्वारा शासित किसी स्वायत्त निकाय के स्थाई कर्मचारी अन्य संगठन में विलयन पर यथानुपात पेंशन के हकदार हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि यथानुपात पेंशन का यह नियम लागू करने पर भी ₹61.20 लाख (पूर्व नियोक्ताओं से प्राप्त ₹22.43 लाख समायोजित करने के बाद) की राशि के प्रदत्त शेष पेंशनरी लाभ उचित संस्वीकृति बिना थे।

इसे बताए जाने पर²⁵ आईआईएमके ने उत्तर दिया (मार्च/जून तथा अक्टूबर 2016) कि संस्थान की कार्रवाई एमएचआरडी के पत्र दिनांक 12 जुलाई 2000 पर आधारित थी जिसने शर्त लगाई कि पेंशनरी लाभों का उपयोग करने वाले संस्थानों से संकाय तथा स्टाफ नए आईआईएम में उसे सुरक्षित रखने को अनुमत होंगे। तथापि, जून 2016 में एचआरडी मंत्रालय को एक संदर्भ किया गया था और उत्तर प्रतीक्षित था।

वित्त मंत्रालय/कार्मिक, लोक शिकायत एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अनुमोदन बिना पेंशन लाभों का विस्तार अनियमित था। इसके अलावा एमएचआरडी पत्र दिनांक 12 जुलाई 2000 कहता है कि इस संबंध में अतिरिक्त सचिव (पेंशन) के साथ बैठक का मामले पर अन्तिम निर्णय करने के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है।

²² जून 2001 तथा मार्च 2008 के बीच

²³ फरवरी 2004 तथा मई 2012

²⁴ 2015-16 तक

²⁵ अक्टूबर 2015/मई 2016

मामला मंत्रालय को जुलाई 2016 में सूचित किया गया था, उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

13.9 निष्फल व्यय

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन बिना तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र में बेली फार्म में निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था जो माननीय उच्च न्यायालय निर्देश का उल्लंघन था परिणामस्वरूप ₹4.99 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (अप्रैल 2011)²⁶ के द्वारा निर्देश दिया कि इलाहाबाद शहर में गंगा नदी तथा यमुना नदी, गंगानदी के निकटवर्ती भाग (संगम) के उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) से 500 मीटर के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (एडीए) तथा जिला प्रशासन को कथित क्षेत्र में कोई निर्माण न किए जाने को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया था।

सीपीडब्ल्यूडी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय (एयू) में संकाय क्वार्टरों²⁷ के निर्माण का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अगस्त 2011)। एयू की भवन तथा निर्माण कार्य समिति ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए संकाय क्वार्टरों के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया (नवम्बर 2011)। लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने एडीए से निर्माण का अनुमोदन नहीं लिया था। एयू ने प्रशासनिक अनुमोदन कर दिया (जून 2012) और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा यथा प्रस्तुत (फरवरी 2012) ₹843.40 लाख की अनुमानित लागत के प्रति ₹833.47 लाख का व्यय संस्वीकृत कर दिया। सीपीडब्ल्यूडी ने 22 जून 2014 को समापन की निर्धारित तारीख के साथ

²⁶ पीआईएल सं. 4003/2006 में, गंगा प्रदूषण बनाम यूपी राज्य तथा अन्य

²⁷ बेली फार्म, इलाहाबाद के ऊपरी भाग (प्लॉट सं. 85, ग्राम बेली अपरहिर, तहसील सदर, जिला इलाहाबाद) में (टाईप IV-16 सं., टाईप V-8 सं. तथा टाईप VI-6 सं.)

उपर्युक्त कार्य आरम्भ कर दिया (मार्च 2013)। एयू ने उपर्युक्त कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी को ₹427.50 लाख²⁸ (सितम्बर 2014) प्रदान कर दिए।

संयुक्त सचिव, एडीए ने सूचित किया (जनवरी 2014) कि एयू द्वारा किया गया निर्माण कार्य एचएफएल के 500 मीटर के अन्दर आता है जहाँ निर्माण कार्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं एडीए ने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य बन्द करने के लिए विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया (फरवरी 2014)। विश्वविद्यालय ने नोटिस का पालन किया और कार्य²⁹ बन्द करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को कहा (फरवरी 2014)। सीपीडब्ल्यूडी ने ₹499.09 लाख³⁰ (फरवरी 2014 तक) का व्यय करने के बाद कार्य बन्द कर दिया जिसके प्रति एयू ने ₹427.50 लाख का भुगतान किया।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि विश्वविद्यालय के प्रमुख निर्माण कार्य विभिन्न सांविधिक समितियों के संकल्प के अनुसार किए गए हैं। विश्वविद्यालय अपनी निर्माण परियोजनाओं में एडीए के मार्गनिर्देशों का पालन करता है और एडीए ने समितियों के संकल्प पर कभी आपत्ति नहीं की है।

विश्वविद्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय को निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व एडीए से अपेक्षित अनुमति लेनी चाहिए थी। इसलिए विश्वविद्यालय ने एडीए के अनुमोदन बिना बेली फार्म में निर्माण कार्य का परिणाम ₹4.99 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

मामला जून 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

²⁸ अप्रैल 2013 में जारी ₹277.50 लाख तथा सितम्बर 2014 में ₹150.00 लाख

²⁹ लगभग 60 प्रतिशत कार्य (ढांचा कार्य) समाप्त था

³⁰ सीपीडब्ल्यूडी-65 (अगस्त 2016) के अनुसार

सरदार बल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत

13.10 वेतन के गलत निर्धारण के कारण अधिक भुगतान

अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी किए बिना अकादमिक ग्रेड पे ₹9,000 के साथ पीबी-4 में उन्हें रखने के कारण सहायक प्रोफेसरों के संबंध में वेतन के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹2.69 करोड़ तक वेतन का अधिक भुगतान हुआ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), जीओआई ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार कर्मचारियों के वेतन संशोधन का अनुपालन कर केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं (सीएफटीआई) में शिक्षण तथा अन्य स्टाफ के वेतन के संशोधन हेतु निर्देश जारी किए (अगस्त 2009)। निर्देशों के अनुसार, सीएफटीआई की वेतन संरचना एमएचआरडी के पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के अनुसार सामान्यतया वही होगी जैसी विश्वविद्यालयों के अध्यापक को दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि सभी पदोन्नतियां निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर और एमएचआरडी पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2008 द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन होंगी। वेतनमानों का संशोधन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों तथा योजना के अन्य प्रावधानों के अध्यक्षीन था। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्यापकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए निम्नतम अर्हताओं पर विनियम और उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय, 2010 (विनियम) दिनांक 30 जून 2010 जारी किए।

विनियमों के अनुसार पदधारी रीडर तथा लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड), जिन्होंने 1 जनवरी 2006 को ₹12,000, ₹18,300 (पूर्व संशोधित) के चालू वेतनमान में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, अकादमिक ग्रेड पे (एजीपी) ₹9,000 के साथ पे बैंड-4 ₹37,400- ₹67,000 में रखे जाएंगे और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः पदनामित किए जाएंगे। पदधारी रीडर तथा लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड) जिन्होंने 1 जनवरी 2006 को अथवा के बाद ₹12,000- ₹18,300 के चालू वेतनमान में तीन वर्ष पूरे कर लिए थे उस ग्रेड में उनके सेवा के तीन वर्ष पूरे करने तक एजीपी ₹8,000 के साथ पीबी-3 ₹15,600-₹39,100 में उचित चरण पर रखे

जाएंगे और उसके बाद ₹9,000 एजीपी के साथ उच्च ₹37,400-₹67,000 के उच्च पीबी-4 में रखे जाएंगे और तदनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः पदनामित किए जाएंगे। इसी प्रकार ₹8,000 के एजीपी में शिक्षण के तीन वर्ष पूरे करने वाले सहायक प्रोफेसर इन विनियमों द्वारा निर्धारित अर्हक शर्तों के अध्यक्षीन ₹37,400-₹67,000 + एजीपी ₹9,000 के पीबी-4 में जाने और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नामित किए जाने के पात्र होंगे।

एमएचआरडी ने भी स्पष्ट किया (अगस्त 2010) कि विनियम जारी करने तक जनवरी 2006 को अथवा उसके बाद नियुक्त रीडरों का प्रवेश वेतन ₹8,000 के एजीपी के साथ पीबी-3 में ₹23,890 निर्धारित किया जाय। यह उपर्युक्त अवधि के दौरान पदोन्नत लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड) को भी लागू होगा। ऐसे रीडर/लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड) तीन वर्षों के बाद ₹9,000 के एजीपी के साथ पीबी-4 के निम्नतम को जाएंगे।

सरदार बल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत (एसबीएनआईटी, सूरत) की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि जनवरी 2006 तथा जून 2010 के बीच एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत/नियुक्त 20 संकायों के संबंध में वेतन एमएचआरडी निर्देशों तथा यूजीसी विनियम 2010 के उल्लंघन में ₹8,000 के एजीपी में अध्यापन के 3 वर्ष पूरे करने से पूर्व ₹9,000 के एजीपी के साथ पीबी-4 ₹37,400-₹67,000 में निर्धारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2006 से जून 2016 तक की अवधियों के बीच ₹2.69 करोड़ तक डीए तथा एचआरए सहित एजीपी के साथ मूल वेतन का अधिक भुगतान हुआ।

एसबीएनआईटी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की (जून 2015)। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एसबीएनआईटी, सूरत के शासक बोर्ड (बीओजी) के समक्ष रखी गई थी और बीओजी ने इन संकायों के सम्पूर्ण वेतन निर्धारण की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की (अक्टूबर 2015)। समिति ने अपनी रिपोर्ट (जुलाई 2016) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार करती हैं और कर्मचारियों के कष्ट का परिहार करने के लिए चरणबद्ध रीति में अधिक भुगतान की वसूली की सिफारिश की। समिति ने आगे पाया कि वर्तमान स्थिति कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में अपर्याप्त नियंत्रण तथा सन्तुलन के कारण पैदा हुई और सन्तुलित प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की क्योंकि ऐसे

वेतन निर्धारित करने की कवायद 7वें सीपीसी के प्रस्तावित सिफारिशों के कारण निकट भविष्य में उत्पन्न होगी। बाद में, एसवीएनआईटी ने बताया (अगस्त 2016) कि समिति की रिपोर्ट आगामी बैठक में बीओजी को प्रस्तुत की जाएगी।

मामला अक्टूबर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; इनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

गुजरात विद्यापीठ

13.11 मानव संसाधन प्रबंधन

अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ के लिए जीओआई प्रतिमानों के अनुसार पद आधारित रोस्टर बनाए नहीं जा रहे थे। अध्यापन तथा गैर-अध्यापन पद में नियुक्तियां यूजीसी/जीओआई निर्देशों के उल्लंघन में की गई थीं परिणामस्वरूप ₹2.29 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

गुजरात विद्यापीठ (जीवीपी) की स्थापना 18 अक्टूबर, 1920 को महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और 16 जुलाई, 1963 को यूजीसी अधिनियम के अधीन माने गए विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त किया। जीवीपी बाम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के अधीन पंजीकृत एक पब्लिक ट्रस्ट है। उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार विद्यापीठ के दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं।

जीवीपी की लेखापरीक्षा जीवीपी में कार्यरत अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन निर्धारण से संबंधित नियमों तथा विनियमों के अनुपालन की सीमा अभिनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2009 से मार्च 2016 की अवधि के लिए जनवरी-फरवरी 2015 तथा जून 2016 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अगस्त 2015 में जीवीपी को तथा फरवरी 2016 में मंत्रालय को सूचित किए गए थे। जीवीपी के उत्तर (सितम्बर 2015, अप्रैल 2016 तथा जून 2016) पैरा में उचित प्रकार शामिल किए गए हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं।

13.11.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

13.11.2.1 आरक्षण के प्रतिमानों का पालन न करना

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने पद आधारित आरक्षण (पीबीआर) रोस्टर के कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी किए (जुलाई 1997)। इसके अलावा, यूजीसी में अध्यापन तथा गैर-अध्यापन पदों के लिए जीओआई की आरक्षण नीति का पालन करने के लिए और जीओआई की सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एससी/एसटी/ओबीसी/शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) की पिछली रिक्तियों को भरने के लिए भी जीवीपी को समय पर निर्देश जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जीओआई तथा यूजीसी के निर्देशों के बावजूद, जीवीपी के अध्यापन तथा गैर अध्यापन स्टाफ के लिए 2009-2016 के दौरान पीबीआर रोस्टर तैयार नहीं किया था और उसके अनुसार पदों को भरा नहीं था परिणामस्वरूप अध्यापन स्टाफ में एससी, एसटी तथा ओबीसी का कम प्रतिनिधित्व हुआ। 2009-16 के दौरान, प्रोफेसर के अध्यापन पद पर एससी तथा एसटी श्रेणी का प्रतिनिधित्व शून्य था और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर एसटी श्रेणी का प्रतिनिधित्व शून्य था। जीवीपी आरक्षित श्रेणी के लिए उद्दिष्ट रिक्त अध्यापन पदों को भरा नहीं था।

जीवीपी ने बताया (जनवरी 2016) कि पीबीआर रोस्टर बनाए गए हैं और रिक्त पदों के भरने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह दर्शाने कि रिक्त आरक्षित पद भरने के लिए भर्तियों, यदि कोई हो, के लिए विशेष अभियान चलाया गया, के लिए लिखित में कोई अभिलेख नहीं पाए गए थे।

13.11.3 नियुक्तियों और विभिन्न पदों के वेतनमानों के आहरण में अनियमितताएं

13.11.3.1 लेखापरीक्षा को भेजी गई सूचना तथा अभिलेखों और अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर यह देखा गया था कि विभिन्न पदों के लिए की

गई कुछ नियुक्तियों और दिए गए वेतनमान यूजीसी विनियमों तथा जीओआई प्रतिमानों के अनुसार नहीं थे।

क्र. सं.	पद का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	प्रबन्धन का उत्तर
1.	पुस्तकालय सहायक	जीवीपी ने सीधी भर्ती के माध्यम से पुस्तकालय सहायकों की चार नियुक्तियां की थीं (फरवरी 2011-जून 2012) और नियुक्ति की तारीख को इन नियुक्त कर्मचारियों की आयु भर्ती नियमों के अनुसार अधिकतम निर्धारित आयु से अधिक थी।	जीवीपी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि ऐसे कर्मचारियों की आयुसीमा को माफ करने का प्रस्ताव यूजीसी को भेजा जा रहा है।
2.	रीडर (बायो गैस रिसर्च)	डॉ. प्रदीप आचार्य को 1 नवम्बर 1993 से प्रभावी बायो गैस रिसर्च में रीडर के रूप में नियुक्त किया गया था लेकिन यूजीसी नियमों के अंतर्गत आवश्यक पीएचडी उनके पास नहीं थी। उन्होंने अपनी पीएचडी 26 मई 2005 में पूरी की थी। इस प्रकार, 1 नवम्बर 1993 से प्रभावी डॉ. आचार्य की रीडर के रूप में नियुक्ति अनियमित थी।	जीवीपी ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) तथा मार्च 2016 तक की अवधि हेतु ₹30.61 लाख की अंतरिम विभेदक ³¹ राशि सूचित की (जून 2016)। अन्तिम कार्रवाई/वसूली जीवीपी द्वारा अभी की जानी थी।
3.	रीडर (आर्चीवल विज्ञान)	जीवीपी के प्रशासन में अनियमितताओं की जांच करने के लिए नियुक्ति एक सदस्यीय आयोग ³² ने देखा कि (मार्च 2006) सुश्री बिन्दुवासीनी जोशी लेक्चरर होने के भी योग्य नहीं थी परन्तु अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अध्यापन अनुभव रखे बिना रीडर (एएस) के रूप में नियुक्त की गई थी। इसलिए रीडर (आर्चीवल विज्ञान) के पद पर उसके चयन पर प्रतिकूल रूप से टिप्पणी की। रीडर के रूप में अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए यूजीसी	जीवीपी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि सुश्री बिन्दुवासीनी का मामला कार्योत्तर अनुमोदन देने के लिए यूजीसी को दोबारा भेजा गया है। अन्तिम कार्रवाई/वसूली जीवीपी द्वारा अभी की जानी थी।

³¹ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर जीवीपी द्वारा प्रस्तुत देय एवं आहरण विवरणी के आधार पर

³² यूजीसी ने गुजरात विद्यापीठ की वित्तीय तथा प्रशासनिक अनियमितताओं की जाँच करने हेतु एक सदस्य की नियुक्ति की थी।

		शिथिलिकरण प्राप्त नहीं किया गया है।	
4.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	<p>श्रीमती रक्षाबेन पटेल को 27 मार्च 1983 से पुस्तकालय सहायक के रूप में नियुक्त और आगे 1 अगस्त 1988 से सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर इस शर्त के अध्यक्षीन कि अभ्यर्थी दो वर्षों के अन्दर मास्टर्स आफ लाइब्रेरी साइंस उत्तीर्ण करेगा जो सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता थी, पदोन्नत किया गया था। उसने 1990 में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी उत्तीर्ण किया है। इसलिए 1 अगस्त 1988 से सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में पदोन्नति अनियमित थी क्योंकि उसके पास पदोन्नति के समय अपेक्षित योग्यता नहीं थी।</p> <p>विज्ञापन के आधार पर, श्रीमती रक्षाबेन पटेल 24 अक्टूबर 1996 को सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/लेक्चरर (अध्यापन पद) के रूप में दोबारा भर्ती की गई थी। नियुक्ति ब्यौरे यूजीसी को भेजे गए थे (नवम्बर 1999) और आयोग ने इस आधार कि वह नेट/स्लेट से सम्बन्ध नहीं थी, पर प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए अपनी असमर्थता को बताया (जनवरी 2002)।</p> <p>यूजीसी द्वारा प्रस्ताव की गैर-स्वीकृति पर, श्रीमती रक्षाबेन पटेल को सहायक पुस्तकाध्यक्ष के पिछले पद पर वापस लौटा दिया गया था, जिस पर उन्हें 1 अगस्त, 1988 को नियुक्त किया गया था, 13 जून 2007 के आदेश के अनुसार लियन के रूप में विचार किया गया। श्रीमती रक्षाबेन पटेल की नियुक्ति अक्टूबर 1996 में सहायक पुस्तकाध्यक्ष/व्याख्याता के रूप में की गई थी, जब वह</p>	<p>जीवीपी ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹59.61 लाख की अन्तरिम विभेदक राशि सूचित की (जून 2016)।</p> <p>अन्तिम कार्रवाई/वसूली जीवीपी द्वारा अभी की जानी थी।</p>

		अपेक्षित योग्यता नहीं रखती थीं जो अनियमित था।	
5.	मुख्य लिपिक	<p>श्री प्रहलाद जी परमार को ₹950-1,500 के वेतनमान में 3 जनवरी 1990 को कनिष्ठ लिपिक सह टंकण के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में चयन समिति निर्णय के आधार पर उसे ₹4,500-7,000 के निर्धारित वेतनमान के प्रतिकूल ₹5,000-8,000 के वेतनमान में 1 दिसम्बर 1997 को सांख्यिकीय सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार श्री पीजी परमार को सांख्यिकीय सहायक के पद में अनियमित रूप से उच्च वेतनमान दिया गया था।</p> <p>इसके अलावा जीवीपी ने उसे 3 जनवरी 1990 से अर्थात् पूर्वव्यापी प्रभाव से कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्ति की तारीख से मुख्य लिपिक के रूप में नियुक्त किया था (24 सितम्बर 2004)। पूर्वव्यापी प्रभाव से मुख्य लिपिक के पद पर नियुक्ति और प्रहलाद जी परमार को पदोन्नतियों तथा एमसीपी के दिए गए परिणामी लाभ अनियमित थे।</p>	<p>जीवीपी ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹13.25 लाख की अन्तरिम विभेदक राशि सूचित की (जून 2016)।</p> <p>जीवीपी द्वारा अन्तिम कार्रवाई/वसूली अभी की जानी है।</p>
6.	कैशियर	<p>श्री जयेश चौहान कैशियर 1 जून 2000 तथा 31 दिसम्बर 2010 की अवधि के दौरान विभिन्न वेतन आयोगों द्वारा यथा निर्धारित वेतनमानों की अपेक्षा अधिक वेतन मान आहरित कर रहा था।</p> <p>श्री जयेश चौहान द्वारा आहरित अनियमित उच्च वेतनमान मुख्य लिपिक के पद के बराबर माना गया था और इसलिए अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था (01 जनवरी 2011) जो अनियमित भी था।</p>	<p>जीवीपी ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और मार्च 2016 तक की अवधि तक के लिए ₹11.56 लाख की अन्तरिम विभेदक राशि सूचित की (जून 2016)।</p> <p>जीवीपी द्वारा अन्तिम कार्रवाई/वसूली अभी की जानी है।</p>

7.	आन्तरिक लेखापरीक्षक	यूजीसी निर्देश (मई 1989) के अनुसार जीवीपी के गैर-अध्यापन स्टाफ का वेतनमान 01 अप्रैल 1989 से केन्द्रीय वेतन प्रतिरूप से बराबर था। श्री दिनेश भाई सी राणा निर्धारित वेतन मान की अपेक्षा उच्च वेतन मान पर 01 जुलाई 1997 से आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त थे। 01 जुलाई 1997 से 13 मार्च 2003 तक की अवधि के लिए आहरित उच्च वेतन मान जोकि आंतरिक लेखापरीक्षक पद पर नियुक्ति के दौरान था को अनियमित किया जाना अपेक्षित था।	जीवीपी ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹18.92 लाख की अन्तरिम विभेदक राशि सूचित की (जून 2016)। जीवीपी द्वारा अन्तिम कार्रवाई/वसूली अभी की जानी है।
8.	लिपिकीय सेवाएं	शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) जीओई ने जीवीपी में स्टेनोग्राफर का वेतनमान ₹380-700 निर्धारित किया (जनवरी 1978)। इसके अलावा यूजीसी निर्देश (मई 1989) के अनुसार जीवीपी के गैर अध्यापन स्टाफ 1 अप्रैल 1989 से केन्द्रीय वेतन के प्रतिरूप के बराबर लाए जाने हैं। श्री सेवन्तीभाई पांचाल, निजी सचिव, श्री शैलेश त्रिवेदी और सुश्री प्रीती शाह स्टेनोग्राफर नियुक्ति की तारीख से लेखापरीक्षा की तारीख तक निर्धारित वेतनमान की अपेक्षा उच्च वेतन मान आहरित कर रहे थे। आगे इसके परिणामस्वरूप एसीपी/एमएसीपी का गलत आहरण हुआ।	जीवीपी ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और मार्च 2016 तक की अवधि के लिए इन तीन कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः ₹15.72 लाख, ₹16.94 लाख और ₹11.74 लाख की अन्तरिम विभेदक राशि सूचित की (जून 2016)। अन्तिम कार्रवाई/वसूली जीवीपी द्वारा अभी की जानी है।
9.	लेक्चरर	श्रीमती शशिबाला पंजाबी 26 सितम्बर 2006 को जीवीपी में पीबी-3 ₹15600-39100 जीपी 6000 में लेक्चरर के रूप में नियुक्त की गई थी। उसने जीवीपी में नया पद ज्वाइन करने के लिए पिछले संगठन में सहायक प्रोफेसर (सलेक्शन ग्रेड) के रूप में अपना त्याग पत्र भेजा था।	जीवीपी ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली (सितम्बर 2015) और मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹ 50.25 लाख की अन्तरिम विभेदक राशि सूचित की (जून 2016)।

	<p>जीवीपी 26 सितम्बर 2006 से पे बैंड पीबी 4 ₹34700-57000 जीपी 9000 में वेतन निर्धारित कर वेतनमान तथा वेतन सुरक्षा दोनों दिए जिसे वह अपनी नियुक्ति के वेतनमान जीपी 6000 के साथ ₹15600-39100 के पीबी 3 के लेक्चरर के स्केल में वेतन निर्धारित करने के बजाय उसके पूर्व संगठन में आहरित कर रही थी।</p> <p>चूंकि जीवीपी में लेक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिए उसका आवेदन उचित माध्यम से नहीं आया था इसलिए एफआर 22 बी के प्रावधानों के साथ पठित एमओएफ ओएम सं. 3379-ई.।।।(बी)/165 दिनांक 17 जून 1965 के अनुसार वेतन सुरक्षा की पात्र नहीं थी और उस स्केल में रखी जानी चाहिए थी जिसमें वह नियुक्त की गई थी अर्थात् जीपी 6000 के साथ ₹ 15600-39100 के पीबी-3 लेक्चरर के रूप में।</p>	<p>जीवीपी द्वारा अन्तिम कार्रवाई/वसूली अभी की जानी है।</p>
--	--	--

13.11.4 निष्कर्ष

जीओआई प्रतिमानों के अनुसार अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ के लिए पद पर आधारित रोस्टर बनाए नहीं गए थे। अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ की नियुक्तियों में यूजीसी दिशा-निर्देशों तथा जीओआई प्रतिमानों के अन्तर्गत निर्धारित योग्यताओं, आयु मानदण्ड आदि से विचलन किए गए थे। यूजीसी दिशा-निर्देशों/विनियमों के उल्लंघन में उच्च पद पर पूर्वव्यापी चयन, उच्च वेतनमानों की अनुमति और उच्चवेतन का निर्धारण के मामले देखे गए थे।

मामला फरवरी 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड

13.12 चारदीवारी के निर्माण पर निष्फल तथा व्यर्थ व्यय

आईआईटी रुडकी की सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसने स्पष्टतया बताया कि स्थान उचित नहीं था क्योंकि क्षेत्र सीस्मिक जोन IV में आता है और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रतिबलों के निकट है, की अनदेखी कर नए स्थायी कैम्पस पर चारदीवारी के निर्माण के परिणामस्वरूप निष्क्रिय के रूप में स्टील कार्य पर ₹2.56 करोड़ और घेराबन्दी कार्य तथा एजेंसी प्रभारों के भुगतान पर ₹0.78 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

श्रीनगर (गढ़वाल) में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड का स्थाई कैम्पस स्थापित करने के लिए एनआईटी कैम्पस के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थान³³ का भू तकनीकी सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुडकी से एनआईटी ने अनुरोध किया (मार्च 2012)। आईआईटी रुडकी द्वारा प्रस्तुत (मई 2012) स्थान सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कि प्रस्तावित क्षेत्र सीस्मिक जोन IV में आता है और भूभाग बहुमंजिला भवन निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है।

मानव विकास संसाधन मंत्रालय (एमएचआरडी) ने एक स्थान चयन समिति (समिति) गठित की (मई 2013)। समिति ने कैम्पस हेतु स्थानीय प्रशासन तथा सीपीडब्लूडी के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से स्थान का निरीक्षण किया और पाया (जून 2013) कि प्रस्तावित भूमि उपयुक्त है और एनआईटी, उत्तराखण्ड के 'स्थाई कैम्पस' के लिए सिफारिश की। उत्तराखण्ड सरकार ने एनआईटी को चयनित स्थान की 310 एकड़ भूमि मुफ्त हस्तान्तरित कर दी (दिसम्बर 2013)।

एनआईटी की भवन एवं निर्माण कार्य समिति (बीडब्लूसी) ने चारदीवारी के निर्माण के लिए डिजाइन तथा ₹13.27 करोड़ मूल्य के अनुमान का अनुमोदन कर दिया (अगस्त 2013)। एनआईटी ने छः माह के निर्माण के निर्धारित समय के साथ एनबीसीसी (इंडिया) लि. (एनबीसीसी) को स्थाई कैम्पस की चारदीवारी

³³ ग्राम सुमारी जिला पौड़ी

के निर्माण का कार्य सौंप दिया (मार्च 2014)। एनआईटी ने एनबीसीसी को अग्रिम के रूप में चारदीवारी के निर्माण के लिए ₹ चार करोड़ और स्थान विकास के लिए ₹ एक करोड़ का भुगतान किया (मार्च 2014)।

एनबीसीसी ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि चारदीवारी के स्ट्रैच सी में जिसमें वन बहुत घना और भूभाग ढालू था, चारदीवारी का नमूना तैयार किया गया है और नमूना अनुमोदित करने तथा चारदीवारी के प्रतिरूप के लिए निर्णय देने के लिए आईआईटी रुडकी को कहा। क्योंकि न तो आईआईटी रुडकी टीम ने स्थान का दौरा किया और न ही कोई निर्णय लिया इसलिए एनबीसीसी ने कार्य रोक दिया (दिसम्बर 2015)। एनबीसीसी ने ₹3.34 करोड़ (स्टील कार्य के लिए ₹2.56 करोड़, घेराबन्दी कार्य का ₹0.52 करोड़ और एजेंसी प्रभारों के रूप में ₹0.26 करोड़) पर चारदीवारी (स्ट्रैच सी को छोड़कर) का कार्य पूरा किया (जनवरी 2015) जो बीडब्लूसी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

शासक बोर्ड ने अपनी बैठक (06 जनवरी 2016) में चारदीवारी की प्रगति पर चर्चा की और नए स्थान के आवंटन में एमएचआरडी से सहायता मांगने का निर्णय लिया क्योंकि वर्तमान स्थान भूस्खलनों, भूकम्पों तथा बादल फटने के लिए सम्भावित था। यह पाया गया था कि एचआरडी मंत्री ने मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सूचित किया (जून 2016) कि घेराबन्दी का एक भाग भूस्खलन के कारण ढह गया था और स्थान भूस्खलनो, भूकम्पों तथा बादल फटने से सम्भावित है और एनआईटी स्थाई कैम्पस के लिए वैकल्पिक उचित भूभाग प्रदान करने का अनुरोध किया।

इस प्रकार स्थान जो उपयुक्त नहीं था पर चारदीवारी का निर्माण करने के परिणामस्वरूप घेराबन्दी कार्य एवं एजेंसी प्रभारों पर किया गया ₹0.78 करोड़ का व्यय निष्फल और स्टील कार्य पर ₹2.56 करोड़ का व्यय निष्क्रिय हो गया।

एनआईटी ने बताया (जुलाई 2016) कि आईआईटी रुडकी की सिफारिश के अनुसार स्टील घेराबन्दी की सिफारिश की गई थी और एनबीसीसी द्वारा संस्थापित की गई थी, जिसे हटाया जा सकता है और सीढ़ीदार करने के बाद पुनः संस्थापित किया जा सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनआईटी को चारदीवारी का निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व कैम्पस हेतु आवंटित भूमि की अनुपयुक्तता के बारे में पता था। यद्यपि स्टील कार्य पर ₹2.56 करोड़ का व्यय निष्क्रिय था जिसे पुनः संस्थापित किया जा सकता है परन्तु घेराबन्दी कार्य और एजेंसी प्रभारों पर ₹0.78 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

मामला अगस्त 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

13.13 चिकित्सा भत्ता का अनियमित भुगतान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ने सिविल सेवा (मेडीकल अटेंडेंस) नियम 1944 और सामान्य वित्तीय नियमावली 209 (6) (IV) (क) के प्रावधानों के उल्लंघन में 2013-16 के दौरान ₹1.96 करोड़ का सम्बन्धित वर्ष की पहली जुलाई को उनके वेतन के बारहवें भाग के बराबर अपने कर्मचारियों को मासिक चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) के कर्मचारियों को सीएस (एमए) नियमावली³⁴, 1944 द्वारा शासित³⁵ किया जाता है। इन नियमावली के नियम 2 के नीचे भारत सरकार का निर्णय 9 ₹100 प्रति माह प्रति कर्मचारी जो आंतरिक/दूरवर्ती क्षेत्रों, 5 कि.मी. के घेरे के कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक मौजूद नहीं था में कार्य कर रहे, के निर्धारित चिकित्सा भत्ते के भुगतान का प्रावधान करता है। सरकार द्वारा 03 जून 2015 से भत्ते का आहरण किया गया था।

आईजीएनटीयू के 90 प्रतिशत के अधिक वार्षिक व्यय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता अनुदान से पूरा किया जाता है। सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 209 (6) (iv) (क) अनुबंध करता है कि वित्त

³⁴ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जो केन्द्रीय सरकार (स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, को लागू केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचारक) नियमावली, 1944

³⁵ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु नियमावली के अध्यादेश 48 के अनुसार

मंत्रालय से परामर्श की आवश्यकता वाले असाधरण मामलों को छोड़कर अनुवर्ती अनुदान, जो उनके वार्षिक व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक हैं, प्राप्त कर रहे संस्थानों के कार्यालयों की सेवा के नियम एवं शर्तें उनसे अधिक नहीं होनी चाहिए जो भारत सरकार के कर्मचारियों की समान श्रेणियों को लागू है। तथापि, यह पाया गया था कि 01 जुलाई 2013 से, आईजीएनटीयू ने अपने कर्मचारियों को वर्ष के दौरान प्रत्येक माह के यथानुपात एक माह के वेतन (मूल वेतन+ग्रेड वेतन+मंहगाई भत्ता) के बराबर चिकित्सा व्ययों का, स्वयं-प्रमाणन के आधार पर, दावा करना अनुमत किया। तदनुसार, आईजीएनटीयू ने जुलाई 2013 से मार्च 2016 के दौरान ₹1,108.00 से ₹9,372.00 प्रति माह के बीच चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे कर्मचारी सहित ₹1.96 करोड़ का व्यय किया। स्वयं प्रमाणन पर किए गए ऐसे भुगतानों के अतिरिक्त आईजीएनटीयू ने अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को चिकित्सा व्ययों के प्रति ₹0.26 करोड़ की प्रतिपूर्ति भी की थी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2016) तथा सूचित किया कि आईजीएनटीयू को अधिक भुगतान की वसूली करने का निर्देश दिया गया था तथा विश्वविद्यालय को अपने कर्मचारियों की सेवा के नियम एवं शर्तें, जो सब मिलाकर, उनसे अधिक न हो जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की समान श्रेणियों को लागू है, तैयार करने की सलाह दी गई है।

असम विश्वविद्यालय, सिल्चर

13.14 निष्फल व्यय

निधि का सम्पूर्ण प्रावधान करने में असम विश्वविद्यालय, सिल्चर (एयूएस) की विफलता के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण ई-गवर्नेंस परियोजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइ. लिमि. को ₹60.02 लाख का भुगतान जारी करने और एचआर माड्यूल में अनेक कमियां होने के बावजूद ₹37.50 लाख की बैंक गारंटी न भुनाने की एयूएस की कार्रवाई अनियमित थी। इसके अलावा, परियोजना पुनः परिचालित करने में एयूएस की निष्क्रियता ने परियोजना पर किए गए ₹1.75 करोड़ के व्यय को निष्फल प्रस्तुत किया।

असम विश्वविद्यालय, सिल्चर (एयूएस) ने ₹3.75 करोड़ की कीमत पर डिजिटलाइजेशन और ई-गवर्नेंस साल्यूशन (परियोजना) और सहायता का कार्य प्राइस वाटर हाउसकूपर्स प्राइ. लिमि. को सौंपा (अगस्त 2011)। तदनुसार, एयूएस ने चार माँड्यूलों तथा दो एप्लीकेशन पोर्टलों से बनी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पीडब्लूसी के साथ एक अनुबन्ध किया (सितम्बर 2011)। पीडब्लूसी ने सितम्बर 2011 में कार्य आरम्भ किया और एक माँड्यूल अर्थात् एचआर माड्यूल अप्रैल 2012 में गोलिव घोषित कर दिया। पीडब्लूसी ने अक्टूबर 2012 तक अन्य माड्यूलों/पोर्टलों का हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर³⁶ संस्थापित किया और नवम्बर 2012 से जून 2014 तक की अवधि के दौरान ₹1.75 करोड़³⁷ की राशि का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2016) ने दर्शाया कि यद्यपि पीडब्लूसी ने एचआर माड्यूल गोलिव घोषित किया (अप्रैल 2012) परन्तु वह सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि एयूएस ने देखा (जनवरी 2013) कि केवल एक सब-माड्यूल³⁸ कार्य कर रहा था जिसमें भी अनेक कमियां थीं। तथापि, जुलाई 2013 में एयूएस तथा पीडब्लूसी ने संयुक्त रूप से एचआर माड्यूल से स्वयं को अभ्यस्त करने और पर्याप्त ज्ञान/विशेषज्ञता एकत्र करने के लिए अन्तिम प्रयोक्ताओं को पर्याप्त समय देने का निर्णय लिया। तदनुसार, अस्थाई रूप से परियोजना निलम्बित करने की संयुक्त सहमति हुई थी और गोलिव सपोर्ट अवधि अनुबन्ध में उल्लिखित अप्रैल 2015 के स्थान पर दिसम्बर 2013 तक सीमित ली गई थी। परियोजना को पुनः आरम्भ करने और पारस्परिक स्वीकार्य शर्तों तथा निबन्धनों के साथ नया करार पुनः करने के लिए भविष्य में स्थिति की संयुक्त रूप से समीक्षा करने के लिए भी सहमति हुई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्प्यूटर सेंटर का जेनसेट छात्रों द्वारा जबरदस्ती बाहर ले जाया गया था (मार्च 2014) और मई 2014 में सर्वर नष्ट हो गए

³⁶ चिरस्थाई लाइसेंस वाला

³⁷ पीडब्लूसी को ₹ 1.75 करोड़ का कुल भुगतान किया जिसमें (i) ई-गवर्नेंस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ₹ 115.25 लाख (नवम्बर 2012), (ii) लाइसेंस फीस की शेष राशि के लिए ₹ 17.97 लाख (मार्च 2013) (iii) एचआर माड्यूल लागत का 75 प्रतिशत ₹31.31 लाख (मई 2013) और (iv) एचआर माड्यूल लागत का शेष 25 प्रतिशत ₹ 10.73 लाख (जून 2014) शामिल थे।

³⁸ अनुपस्थिति प्रबन्धन

जिससे संस्थापित हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर मई 2014 से निष्क्रिय हो गए। एयूएस ने जून 2015 में दी परियोजना पुनःचालू बनाने के लिए पेडअप सपोर्ट के लिए पीडब्ल्यूसी को प्रस्ताव किया परन्तु पीडब्ल्यूसी ने पेड-अप सपोर्ट प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया (अगस्त 2015)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2016) में परियोजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियों का पता चला:

- क. एयूएस ने ₹3.75 करोड़ की कुल लागत के प्रति ₹1.75 करोड़ का वित्तीय सहयोग प्रदान किया (सितम्बर 2011)। इस प्रकार, एयूएस के पास शेष ₹2.00 करोड़ का वित्तीय प्रावधान नहीं था। निधि का ऐसा अप्रावधान सम्पूर्ण परियोजना का कार्यान्वयन न होने का एक कारण था क्योंकि परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) ने स्वीकार किया (मार्च 2013) कि परियोजना के लिए उपलब्ध निधि अपर्याप्त थी और एयूएस केवल ₹1.75 करोड़ मूल्य के लक्ष्य अर्थात ओरेकल सॉफ्टवेयर लाइसेंस, हार्डवेयर लागत तथा एचआर माड्यूल प्राप्त कर सकेगा।
- ख. पीडब्ल्यूसी से अनुबन्ध के अनुसार, एयूएस को परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान निगरानी तथा पीडब्ल्यूसी के साथ समन्वय के लिए एक कोर कमेटी गठित करनी थी। परियोजनाओं की निगरानी हेतु एयूएस ने दो समितियां यथा परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) तथा कोर समिति (सीसी) का गठन किया (सितम्बर 2011)। अभिलेखों से पता चला कि परियोजना निगरानी समिति पीएमसी की पहली बैठक जनवरी 2013 में आयोजित हुई जब परियोजना पहले ही अप्रैल 2012 में गो-लिव घोषित की जा चुकी थी। इसने दर्शाया कि पीएमसी ने कार्यान्वयन चरण की निगरानी नहीं की थी। इसके अलावा, एयूएस ने या तो पीएमसी द्वारा अथवा सीसी द्वारा पीडब्ल्यूसी के साथ समन्वय स्थापित करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था।
- ग. एयूएस के उपकुलपति ने पाया (जनवरी 2013) कि एचआर माड्यूल का केवल छुट्टी अनुभाग (अनुपस्थिति प्रबन्धन) कार्य कर रहा था। उस अनुभाग में भी अनेक कमियां देखी गई थीं और वीसी ने सुझाव दिया कि पीडब्ल्यूसी को और भुगतान करने से पूर्व सम्पूर्ण प्रगति की देखभाल की

जानी आवश्यक है। अभिलेखों से पता चला कि यद्यपि पीएमसी ने परियोजना का निष्पादन असन्तोषजनक पाया (फरवरी 2013) परन्तु अनुबन्ध की शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार पीडब्लूसी को लाइसेंस फीस की शेष राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। तदनुसार, मार्च 2013 में पीडब्लूसी को ₹17.97 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, पीएमसी ने पीडब्लूसी को देय 75 प्रतिशत एचआर माड्यूल की लागत जारी करने की सिफारिश की (मार्च 2013) जबकि 25 प्रतिशत शेष एचआर माँड्यूल के सुगत तथा वांछित कार्यचालन से सम्बन्धित विश्वविद्यालय की पूर्ण सन्तुष्टि के बाद जारी की जानी थी। तदनुसार ₹31.32 लाख (एचआर माड्यूल लागत का 75 प्रतिशत) का मई 2013 में पीडब्लूसी को भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्त प्रयोक्ताओं से प्रतिपुष्टि³⁹ (जुलाई 2013) से एचआर माँड्यूल के कार्यान्वयन तथा कार्यचालन से सम्बन्धित सकल असन्तुष्टि का प्रकटन हुआ जो पीडब्लूसी द्वारा अनसुलझा रहा। जिस पर एयूएस तथा पीडब्लूसी के बीच बैठक (जुलाई 2013) के दौरान यह पारस्परिक सहमति हुई थी कि पीडब्लूसी ने कहीं अधिक पूर्ण किया था और एचआर तथा सभी संबंधित माड्यूल एयूएस को सुपुर्द किया गया था जो प्रचालन में थे। ₹10.73 लाख (एचआर माड्यूल लागत का 25 प्रतिशत) की बकाया राशि पीडब्लूसी को जारी करने का भी निर्णय लिया गया था, जिसका जून 2014 में भुगतान किया गया। इस प्रकार, एयूएस ने एचआर माड्यूल में अनेक कमियों के बावजूद ₹60.02 लाख का भुगतान जारी किया जो अनियमित था।

घ. आरएफपी⁴⁰ के खण्ड 4.8 के अनुसार, एयूएस ने अनुबन्ध की शर्तों तथा निबन्धनों के अनुसार पीडब्लूसी द्वारा सन्तोषजनक निष्पादन हेतु प्रतिभूति के रूप में 30 जून 2015 तक वैधता अवधि के साथ मार्च 2012 में पीडब्लूसी से ₹37.50 लाख की बैंक गारंटी प्राप्त की। तथापि, एचआर माड्यूल में अनेक कमियों के बावजूद एयूएस ने बैंक गारंटी को भुनाया नहीं था।

³⁹ अनुबन्ध के अनुसार प्रतिपुष्टि के आधार पर पीडब्लूसी को सुधार करने थे।

⁴⁰ प्रस्ताव का अनुरोध

ड. कुछ तकनीकी तथा विद्युत मामलों के कारण परियोजना मई 2014 से निष्क्रिय थी परन्तु एयूएस ने पेडअप सपोर्ट मुहैया करने के लिए पीडब्लूसी द्वारा इनकार (अगस्त 2015) के बाद अन्य एजेंसी लगाने के द्वारा परियोजना पुनः परिचालन बनाने के लिए कोई आगे कार्रवाई आरम्भ नहीं की। एयूएस की ऐसी निष्क्रियता ने परियोजना को निष्क्रिय बना दिया जिससे परियोजना पर किया गया ₹1.75 करोड़ का कुल व्यय निष्फल हो गया।

इस प्रकार, निधियों का सम्पूर्ण प्रावधान करने में एयूएस की विफलता के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण परियोजना लागू नहीं हुई। एचआर माड्यूल में अनेक कमियों का सामना करने के बावजूद पीडब्लूसी को ₹60.02 लाख का भुगतान अनियमित था और ₹37.50 लाख की बैंक गारंटी को न भुनाने में औचित्य का अभाव था। इस प्रकार, परियोजना पुनः चालू बनाने के लिए एयूएस की ओर से निष्क्रियता से पीडब्लूसी को किया गया ₹1.75 करोड़ (फुटनोट सं. 37 देखें) का सम्पूर्ण भुगतान निष्फल हो गया।

एसूएस ने बताया (नवम्बर 2016) कि वे परियोजना दोबारा आरम्भ करने का रास्ता खोजने के लिए वर्तमान हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक स्थिति मूल्यांकन समिति गठित करेंगे।

मामला सितम्बर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

13.15 पांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा एलटीसी दावों की अनियमित प्रतिपूर्ति

पांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने छुट्टी रियायत का लाभ लेने के लिए एमओएफ मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में अप्राधिकृत एजेंटों से अपने कर्मचारियों द्वारा खरीदे गए एयर टिकटों के प्रति 2012-16 के दौरान ₹ 6.90 करोड़ का हवाई किराया अनियमित रूप से प्रतिपूर्त किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर ने दावों के विलिंबित प्रस्तुतीकरण के बावजूद ₹1.14 करोड़ का एलटीसी अग्रिम वसूल नहीं किया जिसमें से ₹19.85 लाख जब्त किया जाना था। एयरलाइनों के साथ दावों के प्रति सत्यापन से भी पता चला कि भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान खडगपुर तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बोम्बे द्वारा प्रतिपूर्त हवाई किराए ₹18.56 लाख तक स्फीत किए गए थे।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई यात्रा के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (एमओएफ) द्वारा जारी (सितम्बर 2010) दिशा-निर्देशों के अनुसार एयर टिकट सीधे एयरलाइनों⁴¹ से अथवा प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों यथा मै. वामर लारी एण्ड कम्पनी, मै. अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूर्स तथा भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी⁴²) की सेवाओं का उपयोग करने के द्वारा खरीदी जानी थीं।

एलटीसी बिलों की नमूना जांच से पता चला कि जांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) ने स्वयं/परिवार सदस्यों का एलटीसी प्राप्त करते समय वायु यात्राएं करने के लिए अपने कर्मचारियों को 2012-13 से 2015-16 तक के दौरान 932 मामलों में ₹6.90 करोड़ का वायु किराया प्रतिपूर्त किया जैसा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई	मामलों की संख्या	प्रतिपूर्ति राशि (₹ करोड़ में)
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर (आईआईटीके)	731	5.04
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बोम्बे (आईआईटीबी)	100	1.05
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल (एनआईटीडब्ल्यू)	2	0.02
4.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय (यूओए)	87	0.59
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर (एनआईटीएच)	12	0.20
	कुल	932	6.90

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि वायुयात्रा के समर्थन में इन सीएबी के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत हवाई टिकट प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों के अतिरिक्त एजेंटों से खरीदे गए थे। चूंकि हवाई टिकटों की खरीद एमओएफ मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में की गई थी इसलिए ₹6.90 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनियमित थी।

⁴¹ बुकिंग काउन्टरों पर/एयरलाइनों की वेबसाइट पर

⁴² डीओपीटी ऑएम सं. 31011/6/2002-स्था.(क) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार इस कदर तक आईआरसीटीसी प्राधिकृत है।

आगे संवीक्षा से निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला:

- (i) सीसीएस⁴³ (एलटीसी) नियम 1988 के नियम 15 (VI) के साथ पठित अग्रिमों पर नियमों के सारसंग्रह के नियम 52 (2) के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार जहां कोई अग्रिम एलटीसी के लिए आहरित किया गया है वहां अन्तिम बिल वापसी यात्रा के समापन के एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अधिकारी, जिसने अग्रिम संस्वीकृत किया, तत्काल अग्रिम की एकमुश्त वसूली करे और एक बार ऐसी वसूली की जाती है तो इसे ऐसा माना जायेगा मानो अग्रिम आहरित नहीं किया गया था और दावा तीन माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जाना अनुमत किया जाएगा जिसकी विफलता में यह स्वतः जब्त हो जाएगा। आईआईटीके में लेखापरीक्षा ने 141 मामलों में पाया (दिसम्बर 2016) कि ₹1.14 करोड़ के एलटीसी अग्रिम दिए गए थे परंतु प्रतिपूर्ति के दावे एक माह की निर्धारित तारीख से एक तथा 728 दिनों के बीच विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए गए थे। दावों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के बावजूद, आईआईटीके ने ₹1.14 करोड़ के एलटीसी अग्रिमों को एकमुश्त वसूल नहीं किया। इसके अलावा 20 मामलों में ₹19.85 लाख के कुल दावे तीन माह की निर्धारित तारीख से दो तथा 668 दिनों के बीच विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए गए थे। दावों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के बावजूद दावों को जब्त करने के बजाय आईआईटीके ने ₹19.85 लाख की अनियमित रूप से प्रतिपूर्ति की।
- (ii) सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के नियम 14 के अनुसार जहां सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई अग्रिम आहरित नहीं किया गया है वहां यात्राओं पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए दावा वापसी यात्रा के समापन के तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाना है और ऐसा करने में विफलता पर सम्पूर्ण दावा जब्त किया जाना है। आईआईटीके में लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच मामलों में ₹3.43 लाख के कुल दावे निर्धारित तारीख से 11 तथा 201 दिनों के बीच विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए गए थे। दावों के विम्बित

⁴³ केन्द्रीय सिवल सेवा

प्रस्तुतीकरण के बावजूद, आईआईटीके ने दावों को जब्त करने के बजाय दावों की अनियमित रूप से प्रतिपूर्ति की।

(iii) लेखापरीक्षा में एयर इण्डिया के अभिलेखों के साथ आईआईटीके तथा आईआईटीबी के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत दावों का प्रति सत्यापन किया और देखा कि दावित किराए ₹18.56 लाख तक स्फीत किए गए थे जैसा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई	मामलों की संख्या	स्फीत राशि (₹ लाख में)
1.	आईआईटी खडगपुर	80 ⁴⁴	11.21
2.	आईआईटी बॉम्बे	37 ⁴⁵	7.35
	कुल	117	18.56

इस प्रकार, सीएबी ने एलटीसी प्राप्त करने के लिए एमओएफ मार्गनिर्देशों का उल्लंघन कर अप्राधिकृत एजेंटों से उनके कर्मचारियों द्वारा खरीदे गए हवाई टिकटों के प्रति 2012-16 के दौरान ₹6.90 करोड़ के हवाई किरायों की अनियमित रूप से प्रतिपूर्ति की। इसके अलावा, दावों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के बावजूद आईआईटीके ने ₹1.14 करोड़ का एलटीसी अग्रिम वसूल नहीं किया जिसमें से ₹19.85 लाख जब्त किया जाना था। आईआईटीके ने दावों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के बावजूद ₹3.43 लाख के दावों को भी जब्त नहीं किया था जहां कोई अग्रिम नहीं दिया गया था। एयरलाइनों के साथ दावों के प्रति सत्यापन से भी पता चला कि आईआईटीके तथा आईआईटीबी द्वारा प्रतिपूर्ति हवाई किराए ₹18.56 लाख तक स्फीत किए गए थे।

आईआईटीके ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली और बताया (सितम्बर 2016) कि मै. बामर लारी एण्ड कम्पनी, मै. अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूर्स तथा भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के माध्यम से टिकटें बुक करने के लिए सभी स्टाफ सदस्यों को परामर्श जारी किया गया था और

⁴⁴ शेष 651 मामलों (731-80) में एयरलाइन्स से कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई थी।

⁴⁵ शेष 63 मामलों (100-37) एयर इंडिया से अलग एयरलाइन्स से संबंधित है जिनकी हवाई टिकटों के ब्यौरे के अभाव में जांच नहीं की जा सकी थी।

कि एलटीसी खर्चों की प्रतिपूर्ति एलटीसी-80 किराए के अन्दर थी जैसा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया।

आईआईटीबी ने भी लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली और बताया (फरवरी 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेख किए जाने पर एयर इण्डिया बेबसाइट/काउन्टरों से अथवा तीन सरकार प्राधिकृत एजेंसियों से सीधे हवाई टिकटें बुक करने के लिए सभी कर्मचारियों को परिपत्र जारी किया गया था। 37 मामलों में अधिक प्रतिपूर्ति के संबंध में, आईआईटीबी ने बताया (फरवरी 2016) कि एलटीसी-80 किरायों का दावा सीमित कर प्रतिदाय/वसूली पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

एनआईटीडब्ल्यू ने बताया (फरवरी 2017) कि कर्मचारियों को असावधानी के कारण प्रतिपूर्ति की गई थी तथा भविष्य में, वह एलटीसी की प्रतिपूर्ति के नियमों एवं विनियमों का सख्ती से पालन करेगा। यूओए तथा एनआईटीएच ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था (जनवरी 2017) जबकि उनको क्रमशः दिसंबर 2016 तथा दिसंबर 2015 में मामला सूचित किया गया था।

आईआईटी खडगपुर तथा आईआईटी बॉम्बे का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दोनों संस्थानों ने सीसीएस (एलटीसी) नियम 1988 और भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का उल्लंघन कर अपने कर्मचारियों के एलटीसी दावों की प्रतिपूर्ति की।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था तथा उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर

13.16 कैरियर एडवांस स्कीम के अनियमित कार्यान्वयन के कारण अधिक भुगतान

एमएचआरडी के निर्देशों का उल्लंघन कर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत संकाय सदस्यों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप ₹1.46 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

5वें केन्द्रीय वित्त आयोग (सीपीसी) के बाद केन्द्रीय वित्तपोषित डिग्री स्तर तकनीकी संस्थानों में अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन से सम्बन्धित मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) आदेश (अक्टूबर 1998) की 'कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएस)' के पैरा 1(iii) के अनुसार सहायक प्रोफेसर तथा ऊपर के ग्रेडों में जाने के लिए निम्नतम पात्रता मानदण्ड पीएचडी होगा। बिना पीएचडी अध्यापक लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड) (वेतनमान ₹12,000- ₹18300) के स्तर तक जा सकते थे। एमएचआरडी ने स्पष्ट किया (मई 2007) कि सलेक्शन ग्रेड लेक्चरर उनके पीएचडी प्राप्त करने की तारीख से सहायक प्रोफेसर के रूप में उन्नयन हेतु माने जाएंगे। बाद में, एमएचआरडी ने सीएस के अन्तर्गत संकाय की पदोन्नति के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए (मार्च 2012):

- (i) चयन समिति की सभी सिफारिशों केवल बोर्ड द्वारा सिफारिशों के अनुमोदन की तारीख अथवा बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत किसी बाद की तारीख से प्रभावी होंगी। जो भी हो सिफारिशों का पूर्वव्यापी कार्यान्वयन नहीं होगा (या तो वित्तीय अथवा सैद्धान्तिक)।
- (ii) संस्थान द्वारा पहले ही कार्यान्वित पे बैंड अथवा ग्रेड पे की कोई पदोन्नति अथवा वृद्धि की शीघ्र ही विधिवत् गठित चयन समिति द्वारा समीक्षा/जांच कराई जानी चाहिए।
- (iii) पीएचडी बिना संकाय सदस्य एजीपी की कोई वृद्धि अर्जित नहीं करेगा जब तक पीएचडी डिग्री प्राप्त नहीं करेगा।

6वें सीपीसी के कार्यान्वयन के बाद, एमएचआरडी ने वर्तमान पदधारियों के वेतन निर्धारण हेतु फिटमेंट तालिकाएं परिचालित कीं (जून 2009)। फिटमेंट तालिकाओं के अनुसार लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड) का पे बैंड ₹15,600-₹39100 जमा एकेडमिक ग्रेड पे (एजीपी) ₹8000 प्रति माह था। इसके अलावा 6^{वें} सीपीसी की सिफारिशों पर वेतनमानों का संशोधन अपनाकर एमएचआरडी ने वेतन के निर्धारण हेतु निर्देशों का नया सेट जारी किया (अगस्त 2009) जिसके अनुसार पीएचडी की डिग्री वाले और ₹7000 प्रतिमाह के एजीसी में तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ सहायक प्रोफेसर ₹8000 प्रतिमाह के एजीसी में जाने के पात्र होंगे।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जमशेदपुर ने 16^{वीं} शासक बोर्ड (बीओजी) बैठक में इसके अनुमोदन (नवम्बर 2011) के बाद सीएस (5^{वाँ} सीपीसी के अनुसार) लागू किया और 75 संकाय सदस्यों को पदोन्नत किया। इसके अलावा 18^{वीं} बीओजी बैठक (मार्च 2013) में बीओजी ने काल्पनिक वेतन वृद्धि के साथ 6^{वाँ} सीपीसी के अनुसार संशोधित वेतनमान में 1 जनवरी 2006 से संकाय का वेतन निर्धारण अनुमोदित किया। तदनुसार, एनआईटी ने 1 जनवरी 2006 से सैद्धान्तिक निर्धारण और 29 नवम्बर 2011 से वित्तीय लाभ दर्शाते हुए संशोधित वेतन निर्धारण आदेश जारी किए (अगस्त 2013)।

पदोन्नत 75 संकाय सदस्यों में से 21 संकाय सदस्यों के वेतन निर्धारण आदेशों की लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में पता चला कि:

- (i) एनआईटी ने पीएचडी डिग्री बिना 16⁴⁶ लेक्चरर (सलेक्शन ग्रेड) को ₹9000 के एजीपी में सहायक प्रोफेसर पदोन्नत किया गया और एमएचआरडी परिपत्रों के उल्लंघन में पूर्वव्यापी सैद्धान्तिक लाभ भी दिया, परिणामस्वरूप नवम्बर 2011 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹1.34 करोड़⁴⁷ का अनियमित भुगतान हुआ।
- (ii) एनआईटी ने एमएचआरडी परिपत्रों के उल्लंघन में पांच संकाय को पूर्वव्यापी सैद्धान्तिक लाभ दिया परिणामस्वरूप नवम्बर 2011 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹0.12 करोड़⁴⁸ का अनियमित भुगतान हुआ।

उत्तर में एनआईटी ने बताया (अगस्त 2016) कि:

- (i) एमएचआरडी ने अध्यापकों तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समान संवर्गों के लिए आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के तहत 6^{वाँ} सीपीसी का कार्यान्वयन अधिसूचित किया जिसमें यह उल्लेख किया गया

⁴⁶ 15 लेक्चरर पीएचडी नहीं थे और एक लेक्चरर (श्री बीके प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर (सीईडी) ने अगस्त 2009 में अपनी पीएचडी उसने अभी पीएचडी की डिग्री प्राप्त नहीं की थी, में एजीपी ₹9,000 में पदोन्नति दी गई थी।

⁴⁷ अनियमित भुगतान केवल मूल वेतन के आधार पर परिकल्पित किया गया है और मंत्रों को नहीं लिया गया है। श्री बीके प्रसाद के मामले में अनियमित भुगतान परिकल्पित नहीं किया गया है क्योंकि पीएचडी पूरी करने के बाद उसका वेतन नियम प्रक्रिया के समापन के बाद निर्धारित किया जाना था।

⁴⁸ अनियमित भुगतान को केवल मूल वेतन के आधार पर परिकल्पित किया है तथा भर्तों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

था कि पदधारी रीडर तथा लेक्चर (सलेक्शन ग्रेड) जिन्होंने 1 जनवरी 2006 को ₹12,000 - ₹18,300 के वर्तमान वेतनमान में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, ₹9,000 के एजीपी के साथ ₹37,400 - ₹67,000 के पे बैंड में रखे जाएंगे और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः नामित किए जाएंगे। वेतन निर्धारण आदेश दिनांक 4 जून 2009 के द्वारा एमएचआरडी द्वारा अधिसूचित निर्धारण तालिका के अनुसार 6^{वें} सीपीसी के अन्तर्गत किया जाना था। किसी संकाय को एमएचआरडी के उपर्युक्त आदेश की अपेक्षा के अनुसार ₹8,000 के एजीपी में 3 वर्ष पूरे किए बिना एजीपी ₹9,000 नहीं दिया गया है।

- (ii) सीएस के मामले में, एमएचआरडी ने विभिन्न मामलों पर समय-समय पर दिशा-निर्देश दिए थे। तथापि, अन्तिम निर्णय संस्थान पर छोड़ दिया गया है। इसलिए बीओजी ने अपनी 18^{वीं} बैठक में उन संकाय सदस्यों के वेतनमान में 1 जनवरी 2006 से सैद्धान्तिक वेतन वृद्धियों का देना अनुमत किया जो 5^{वें} सीपीसी के अनुसार सीएस के अन्तर्गत पदोन्नत किए गए हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि:

- (i) 5^{वें} सीपीसी के अन्तर्गत सीएस स्पष्ट कहता है (अक्टूबर 1998 तथा मई 2007) कि पीएचडी का मानदण्ड सहायक प्रोफेसर के उन्नयन हेतु अपेक्षित है।
- (ii) एमएचआरडी ने मार्च 2012 में जारी अपने आदेश के द्वारा स्पष्ट तथा उल्लेख किया कि चयन समिति की सफारिशों (या तो वित्तीय अथवा सैद्धान्तिक) का पूर्वव्यापी कार्यान्वयन नहीं होगा।

इस प्रकार, एनआईटी जमशेदपुर ने सीएस के अनुचित कार्यान्वयन के माध्यम से ₹1.46 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

मामला अगस्त 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उसका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

13.17 निधियों का अवरोधन और अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त न करना

2009 में तिरुवनंतपुरम तथा कन्नूर में सरकारी महिला महाविद्यालय में दो महिला छात्रावास के निर्माण के लिए यूजीसी द्वारा जारी अनुदान सात वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो उपयोग किए गए और न ही वापस किए गए थे परिणामस्वरूप ₹1.27 करोड़ (ब्याज सहित) की निधियों का अवरोधन हुआ और अभिप्रेत उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

छात्रावासों तथा अन्य संरचनात्मक सुविधाएं मुहैया करने के उद्देश्य से यूजीसी ने "महिला छात्रावासों के निर्माण" के लिए विशेष योजना के अन्तर्गत केरल में दो महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु दो महाविद्यालयों⁴⁹ को ₹75 लाख का अनुदान संस्वीकृत किया (मार्च 2009)। जीएफआर के नियम 209 (6) (ix) के अनुसार बॉण्ड की शर्त के अनुपालन में विफलता अथवा उल्लंघन की दशा में अनुदानग्राही दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के साथ अनुदान की पूर्ण अथवा आंशिक राशि भारत के राष्ट्रपति को वापस करने का दायी है।

यूजीसी के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आवंटित अनुदान न तो उपयोग किए गए थे और न ही सात वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी इन महाविद्यालयों द्वारा वापस किए गए थे। जीएफआरके उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार उन पर देय ब्याज ₹52.50 लाख बना। इसके परिणामस्वरूप ₹1.27 करोड़ (ब्याज सहित) की निधियों का अवरोधन हुआ और महिला छात्रावासों के निर्माण का अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

अपने उत्तर (अप्रैल 2016) में यूजीसी बंगलौर ने बताया कि दस प्रतिशत ब्याज के साथ अनुदान वापस करने तक इन महाविद्यालयों को आगे अनुदानों का जारी करना उन्होंने बन्द कर दिया था।

मामला अप्रैल 2016 में एमएचआरडी को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

⁴⁹ सरकारी महिला महाविद्यालय, वाजूथाकोड, तिरुवनंतपुरम को जनवरी तथा मार्च 2009 में ₹25 लाख प्रत्येक की 2 किस्तों में 2009 के दौरान ₹ 50 लाख जारी किए गए थे तथा सरकारी बर्नन महाविद्यालय, थालसरे, कन्नूर को मार्च 2009 में ₹ 25 लाख जारी किये गए थे।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

13.18 विद्युत खपत पर दण्ड प्रभारों के प्रति परिहार्य व्यय

आईआईटी, मद्रास ने संस्वीकृत मांग, की गैर-समीक्षा तथा वृद्धि के कारण अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक के दौरान अनुबंधित मांग से अधिक शास्ति के प्रति ₹1.05 करोड़ का परिहार्य व्यय किया था।

तमिलनाडु विद्युत नियामक आयोग (टीएनईआरसी) को टैरिफ संरचना के अन्तर्गत हाई टेंशन (एचटी) उपभोक्ताओं के लिए किसी माह के अधिकतम मांग प्रभार उस माह में दर्ज वास्तविक किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) मांग अथवा संस्वीकृत मांग के 90 प्रतिशत जो भी अधिक हो के आधार पर उद्ग्रहीत किए जाएंगे। इसके अलावा जब कभी उपभोक्ता संस्वीकृत मांग से आगे बढ़ जाता है तब केवल अधिक मांग तमिलनाडु विद्युत आपूर्ति कोड 2010 के पैरा 5(2)(i) के अनुसार सामान्य दर को दोगुने पर शास्ति के रूप में प्रभारित की जाएगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास का जून 2010 से 6000 केवीए की संस्वीकृत अधिकतम मांग के साथ एचटी सर्विस कनेक्शन है। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) द्वारा संस्वीकृत मांग में क्रमिक वृद्धि/कटौती के बीच अनुमत अन्तराल एक वर्ष है। आईआईटी, मद्रास ने मार्च 2016 में 6000 केवीए से 7000 केवीए तक कराए मांग में वृद्धि करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईआईटी मद्रास की संस्वीकृत मांग (6000 केवीए) अप्रैल 2012 से बढ़ रही है। सितम्बर 2011⁵⁰ से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान 55 माह में से 33 में संस्वीकृत मांग बढ़ गई थी और 6003 केवीए तथा 7155 केवीए के बीच थी। यह भी देखा गया था कि 2013 तथा 2015 के दौरान अवसंरचना में पर्याप्त वृद्धि हुई थी जिसके परिणामस्वरूप विद्युत खपत में भी वृद्धि हुई थी। अवसंरचना में वृद्धि के संदर्भ में संस्वीकृत मांग की समीक्षा करने में विफलता जैसा खपत पैटर्न से स्पष्ट है, के परिणामस्वरूप तमिलनाडु

⁵⁰ आईआईटी मद्रास सितम्बर 2011 अर्थात जून 2010 में 6000 केवीए की वृद्धि से एक वर्ष और निर्णय लेने तथा प्रक्रियाओं के लिए 3 माह के कुशन से संस्वीकृत मांग में वृद्धि/कमी कर सका।

एवं संवितरण उत्पादन निगम लिमिटेड को ₹1.05 करोड़⁵¹ की शास्तियों का भुगतान हुआ।

उत्तर में मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास के उत्तर का समर्थन किया (अगस्त 2016) जिसमें बताया गया (जुलाई 2016) कि शास्ति का परिहार करने के उद्देश्य से करार मांग में कोई अवास्तविक वृद्धि अतिरिक्त भुगतान का कारण बन सकती है तब भी जब अधिकतम मांग करार से कम है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने द्वारा अधिकतम मांग कम करने के लिए और 6000 केवीए से 7000 केवीए तक करार में मांग में वृद्धि (मार्च 2016) कर आगे कार्रवाई की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खपत पैटर्न संस्वीकृत मांग से लगातार बढ़ गया जिस पर अप्रैल 2012 से शास्ति लगी। आईआईटी मद्रास ने जून 2010 से अपनी संस्वीकृति मांग की समीक्षा प्रत्येक 12 माह में एक बार करने का विकल्प था। दर्ज मांग स्वीकृत मांग से नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के पूर्ण होने के बाद भी लगातार बढ़ गई। संस्वीकृत मांग में वृद्धि के बाद भी बचत शास्ति के रूप में अतिरिक्त भुगतानों की अपेक्षा अधिक हुई। आईआईटी मद्रास ने लेखापरीक्षा में मामला उठाए जाने के बाद अपनी करार मांग संशोधित करने की कार्रवाई की।

इस प्रकार, आवधिक समीक्षा करने और उचित समय पर करारगत मांग बढ़ाने में आईआईटी मद्रास की विफलता के कारण ₹1.05 करोड़ की शास्ति का परिहार्य भुगतान हुआ।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

13.19 अध्यापन संकाय को परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान

हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा अवकाश अवधियों के दौरान पूरे कलेण्डर माह के लिए ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधियों के लिए अध्यापन संकाय को परिवहन भत्ता तथा उस पर महंगाई भत्ता (डीए) के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹95.96 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

⁵¹ खपत पैटर्न की समीक्षा करने के लिए आईआईटी को पर्याप्त कुशन देने के बाद प्रदत्त रायल्टी अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक मानी गई है।

भारत सरकार परिवहन भत्ता नियम शर्त अनुबंध करता है कि अवकाश स्टाफ को परिवहन भत्ता अवकाश के दौरान अनुमेय नहीं होगा जब ऐसा अवकाश अवधि, सभी प्रकार की छुट्टी सहित, सम्पूर्ण कलेण्डर महीना (ने) बनता है। इसके अलावा छुट्टी/प्रशिक्षण/दौरा आदि के कारण पूरे कलेण्डर माह के लिए इयूटी से अनुपस्थिति के दौरान कर्मचारियों को परिवहन भत्ता स्वीकार्य नहीं था। यदि अनुपस्थिति एक माह से भी अधिक है तब यह ऐसी अनुपस्थिति द्वारा पूर्णतया सम्मिलित कलेण्डर महीना (ने) के लिए भी स्वीकार्य नहीं होगा। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप परिवहन भत्ता (टीए) की नई दरों के साथ ने नियम 1 सितम्बर 2008 से लागू हुए थे।

हैदराबाद विश्वविद्यालय ने एकेडमिक वर्षों 2012-13 से 2015-16 के दौरान अध्यापन संकाय के लिए अवकाश अवधि के रूप में निम्नलिखित अवधियां अधिसूचित कीं:

क्र.सं.	एकेडमिक वर्ष	अवकाश	अवकाश की अवधि	पूर्ण माह जिसके लिए परिवहन भत्ता तथा उस पर डीए पात्र नहीं है
1.	2012-13	शीतकाल	1.12.2012 से 1.1.2013	दिसम्बर 2012
		ग्रीष्मकाल	11.5.2013 से 12.6.2013	शून्य
2.	2013-14	शीतकाल	2.12.2013 से 1.1.2014	शून्य
		ग्रीष्मकाल	17.5.2014 से 30.6.2014	जून 2014
3.	2014-15	शीतकाल	2.12.2014 से 1.1.2015	शून्य
		ग्रीष्मकाल	18.5.2015 से 30.6.2015	जून 2015
4.	2015-16	शीतकाल	09.12.2015 से 03.01.2016	शून्य
		ग्रीष्मकाल	16.05.2016 से 30.06.2016	जून 2016

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च/जुलाई 2016) कि यद्यपि संकाय 2012-13 से 2015-16 तक के एकेडमिक वर्षों की अवकाश अवधियों के दौरान दिसम्बर 2012, जून 2014, जून 2015 तथा जून 2016 में पूरे कलेण्डर माह के लिए इयूटी से अनुपस्थित थे परन्तु ₹95.96 लाख का परिवहन भत्ता (टीए पर महंगाई भत्ता सहित) का उपर्युक्त परिवहन भत्ता नियमों के उल्लंघन में चार पूर्ण कलेण्डर महीनों के लिए अध्यापन संकाय को भुगतान किया गया था।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2016) कि उन्होंने अवकाश के दौरान अध्यापकों को परिवहन भत्ता अदा किया था क्योंकि उन्होंने अनुसंधान के

संबंध में पीएचडी स्कालरों को मार्गदर्शन अथवा अन्य अध्ययन अथवा प्रशासनिक कार्य के लिए कलेण्डर माह में कम से कम कुछ दिनों के लिए अपने स्कूलों/विभागों में उपस्थिति दी और अधिनियम तथा विश्वविद्यालय की संनिधियों में निहित शक्तियों के बल पर विश्वविद्यालय ने एकेडमिक तथा अनुसंधान पहलुओं को ध्यान में रखकर अध्यापकों को परिवहन भत्ते का भुगतान किया था।

विश्वविद्यालय का उत्तर इस तथ्य कि मंत्रालय निर्देश (दिसम्बर 2008) तथा यूजीसी विनियम 2010 (जून 2012 में जारी) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामतः केन्द्र सरकार कर्मचारियों के समान अध्यापकों को यथा लागू परिवहन भत्ता सहित भत्तों के भुगतान की शर्त लगाते हैं, के दृष्टिगत स्वीकार्य नहीं था।

इसके अलावा अवकाश के दौरान उपस्थिति पर सूचना प्रदान करने के लिए अध्यापन संकाय के लिए अनिवार्य बनाकर लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा परिपत्र जारी करना (अक्टूबर 2016) इस तथ्य को रेखांकित करता है कि अवकाश के दौरान परिवहन भत्ते के भुगतान के लिए 2012-13 से 2015-16 के दौरान ऐसी सूचना प्राप्त करने की कोई प्रथा नहीं थी। इसलिए पूर्ण कलेण्डर महीना (नों) को शामिल कर अवकाश अवधि के दौरान अध्यापन संकाय को ₹95.96 लाख के परिवहन भत्ता (टीए पर महंगाई भत्ता सहित) का अनियमित भुगतान हुआ था।

मामला जून 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

13.20 हैदराबाद स्कूल विश्वविद्यालय का केन्द्रीय विद्यालय परियोजना स्कूल में अनुचित परिवर्तन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्वीकृति के बिना हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर स्कूल (यूएचसीएस) के केन्द्रीय विद्यालय परियोजना स्कूल में अनुचित परिवर्तन के परिणामस्वरूप केवी परियोजना स्कूल के शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतन एवं भत्तों के प्रति ₹7.07 करोड़ का परिहार्य

व्यय में हुआ जबकि उनका यूएचसीएस शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ का कम उपयोग प्रस्तुत किया गया।

विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद ने अपनी 156वीं बैठक (जून 2012) में यूएचसीएस के केन्द्रीय विद्यालय परियोजना विद्यालय में परिवर्तन को स्वीकृत किया। केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नई दिल्ली ने भी 01 अप्रैल 2013 से एक नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति (मार्च 2013) सूचित की। विश्वविद्यालय ने अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2013 के माध्यम से यूएचसीएस के मौजूदा शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ को तीन विकल्प प्रस्तुत किए (i) शिक्षण स्टाफ 31 मार्च 2016 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए केवीएस में प्रतिनियुक्ति पर जाए (अथवा) वे जो प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक नहीं हैं उन्हें विश्वविद्यालय में कार्य सौंपा जा सकता है, (ii) शिक्षण स्टाफ, जिन्होंने योग्य सेवा के 20 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करने के इच्छुक हैं, वह ऐसा कर सकते हैं (iii) गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवाओं का इस प्रकार से उपयोग किया जाएगा जिसे विश्वविद्यालय के ऐसे विद्यालयों/विभागों/केन्द्रों/अनुभागों में उपयुक्त समझा जाएगा।

चूंकि किसी भी यूएचसीएस शिक्षक ने केवीएस में प्रतिनियुक्ति का विकल्प नहीं चुना था इसलिए विश्वविद्यालय ने केवीएस, नई दिल्ली को केवी परियोजना विद्यालय चलाने हेतु शिक्षकों की पर्याप्त संख्या प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के प्रबन्ध करने का अनुरोध (अप्रैल 2013) किया। बाद में, विश्वविद्यालय ने केवी परियोजना विद्यालय खोलने हेतु केवीएस, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया (मई 2013)।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों (जनवरी-अप्रैल 2016) की लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि विश्वविद्यालय ने अपने विभिन्न विद्यालयों/विभागों/केन्द्रों में यूएचसीएस के 31 शिक्षण स्टाफ तथा सभी गैर-शिक्षण स्टाफ की पुनर्नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त, 10 प्राथमिक तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को विश्वविद्यालय के पूर्व प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की गई थी जिसने शिक्षण सेवाओं के कम उपयोग होने को प्रस्तुत किया।

केवी परियोजना विद्यालय हेतु अतिरिक्त निधियों के विश्वविद्यालय के अनुरोध (नवम्बर 2014, मई 2015, जुलाई 2015 तथा सितम्बर 2015) को यूजीसी (फरवरी 2015, दिसम्बर 2015 तथा मार्च 2016) द्वारा इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया था कि विश्वविद्यालय में पहले ही परिसर विद्यालय था तथा इसने विश्वविद्यालय परिसर में एक केवी की स्थापना हेतु इसकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। यूएचसीएस शिक्षकों को केवीएस विद्यालय में समावेश हेतु विश्वविद्यालय के अनुरोध (नवम्बर 2014) को भी केवीएस, नई दिल्ली द्वारा अस्वीकृत (दिसम्बर 2014) कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय द्वारा मामले में गठित एक समिति ने भी केवी को बंद करने तथा यूएचसीएस को दोबारा खोलने की सिफारिश (मार्च 2015) की है।

इस प्रकार, किसी भी शिक्षक ने मार्च/अप्रैल 2013 में, अर्थात् मई 2013 में केवीएस के साथ एमओयू किए जाने से पूर्व, केवीएस में प्रतिनियुक्ति हेतु विकल्प नहीं चुना था तथा विश्वविद्यालय एमएचआरडी/यूजीसी की स्वीकृति के बिना केवी परियोजना विद्यालय की स्थापना करने के अपने निर्णय के साथ आगे बढ़ा। इसका परिणाम केवी परियोजना के शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹7.07 करोड़ का शिक्षण स्टाफ का कम उपयोग प्रस्तुत किया है।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2016) कि विश्वविद्यालय समुदाय की मांग को ध्यान में रखते हुए मौजूदा यूएचसीएस को केवी परियोजना विद्यालय में बदलने का निर्णय तथा गैर-शिक्षण स्टाफ को विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यालयों/विभागों/केन्द्रों/अनुभागों में पुनः तैनात किया गया था तथा प्राथमिक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की सेवाओं का विश्वविद्यालय के पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में उपयोग किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय मौजूदा यूएचसीएस को केवी विद्यालय में बदलने का निर्णय लेने से पूर्व यूएचसीएस स्टाफ के भविष्य के कैरियर हित को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने में विफल था। शिक्षण स्टाफ की विश्वविद्यालय के अन्य विभागों तथा पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में पुनः तैनाती का परिणाम उनकी शिक्षण सेवाओं के गैर-उपयोग/कम उपयोग में

हुआ। समिति की रिपोर्ट (मार्च 2015), जो केवी विद्यालय को बंद करने तथा यूएचसीएस को दोबारा खोलने की सिफारिश करती है, ने स्पष्ट किया कि निर्णय उपयुक्त योजना के बिना लिया गया था। यूएचसीएस के केवी विद्यालय में ऐसे परिवर्तन पर यूजीसी द्वारा भी आपत्ति की गई थी।

मामला जुलाई 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XIV : सूचना और प्रसारण मंत्रालय

14.1 भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे

छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके निर्धारित पाठ्यक्रमों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसका परिणाम छात्रों का पाठ्यक्रम की निर्धारित समयावधि से अधिक समय तक छात्रावास में रहने में हुआ। शैक्षणिक वर्ष 2010-11, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान दाखिले रुके रहे थे। छात्र अपने निर्धारित पाठ्यक्रमों की समयावधि के बाद भी बगैर किसी छात्रावास शुल्क/छात्रावास प्रभार के ही शैक्षणिक नामावली पर तथा छात्रावासों में बने रहे जिसकी वजह से ₹11.83 करोड़ की राजस्व हानि हुई। सेवा कर के अनियमित भुगतान, अग्रिम अदायगी का अधिक दिया जाना/जारी करना तथा बगैर किसी अनुरूप लाभ के परामर्शी शुल्क पर निष्फल व्यय के मामले पाए गए थे।

‘भारतीय फिल्म संस्थान’ की स्थापना सन् 1960 में पुणे के तत्कालीन प्रभात स्टूडियो परिसर में की गई थी। संस्थान का सन् 1971 में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के रूप में पुनः नामांकन किया गया था। सत्तर के दशक में नई दिल्ली स्थित टेलीविजन स्कंध को पुणे में स्थानान्तरित करते हुए फिल्म और टेलीविजन के प्रशिक्षण को एक ही छत के नीचे लाया गया था। एफटीआईआई सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है तथा शासी परिषद (जीसी) एफटीआईआई के सर्वोच्च निकाय के रूप में समस्त प्रमुख नीतिगत निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है।

एफटीआईआई, फिल्म एवं टेलीविजन शाखाओं में विभिन्न अवधि के डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। वर्ष 2010-11 से 2015-16 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा की गई थी (जून 2016)। उत्तरवर्ती पैराग्राफों (अनुच्छेदों) में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

14.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

संस्थान फिल्म एवं टेलीविजन, दोनों शाखाओं में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें फिल्म शाखा के पांच-तीन वर्षीय/एक-2 वर्षीय/एक-1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीजीडीसी) तथा टीवी शाखा में चार-1 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं जिसमें फिल्म एवं टीवी प्रस्तुती के विभिन्न पहलुओं को आच्छादित किया जाता है।

14.1.2.1 पाठ्यक्रमों का समय पर पूरा न होना

छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमने पाया कि वर्ष 2008 से 2012 के बीच 6 दीर्घावधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों नामतः दो से तीन वर्षों व निर्धारित समापन अवधि वाले पाठ्यक्रमों में कुल 352 उपलब्ध सीटों पर केवल 315 छात्रों को ही दाखिला दिया गया था। इनमें से 212 छात्र अर्थात् कुल दाखिल किए गए छात्रों का 67.30 प्रतिशत अभी भी उनके प्रोजेक्ट, शैक्षणिक अभ्यासों की पूरा न कर पाने की वजह से अभी भी नामावली में दर्ज थे। इसमें 94 छात्र अर्थात् 44.34 प्रतिशत (2008 के 49 छात्र एवं 2009 बैच के 45 छात्र) जो उनके पाठ्यक्रमों के निर्धारित समापन से तीन वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने पर भी नामावली में दर्ज थे।

हमने पाया कि संस्थान के पास ऐसे छात्रों की अवधि में विस्तार हेतु न तो कोई विशिष्ट नियम मौजूद है और न ही शैक्षणिक परिषद या शासी परिषद से ऐसे समूह विस्तार के लिए किसी प्रकार का अनुमोदन लिया गया था। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रमों के निर्धारित समापन के पश्चात् ट्यूशन शुल्क एवं छात्रावास शुल्क भी नहीं लिया गया था। अतः छात्र अपने पाठ्यक्रमों की निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी, बगैर किसी शुल्क/छात्रावास प्रभार अदा किए नामावली में दर्ज थे तथा छात्रावास में रह रहे थे। नामांकित छात्रों की काफी बड़ी प्रतिशत की वजह से संस्थान के शैक्षणिक एवं अन्य अवसंरचनात्मक ढांचे पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

छात्र पुस्तिका (स्टूडेंट हैंडबुक) के पैरा-10 के नीचे की गई टिप्पणी के अनुसार एक छात्र को अपने पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर छात्रावास का कमरा तथा

परिसर छोड़ना होता है। अग्रिम तौर पर ₹500/- प्रतिदिन के भुगतान पर निदेशक और रजिस्ट्रार की संस्वीकृति मिले बिना किसी भी छात्र को अवधि से अधिक रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने पाया कि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि जिन 212 छात्रों ने अभी तक अपनी पढाई पूरी नहीं की है वे बगैर किसी शुल्क का भुगतान किए छात्रावास में रह रहे थे। संस्थान को 31 मार्च 2016 तक ₹11.83 करोड़ की राजस्व हानि (पाठ्यक्रमों की विस्तारित अवधि हेतु शुल्क न प्रभारित करने की वजह से ₹2.78 करोड़ तथा अवधि से अधिक समयावधि, तक छात्रावास में रहने की वजह से ₹9.05 करोड़ की गैर वसूली की वजह से) हुई।

इसके अतिरिक्त, हालांकि अद्वारह (18) छात्रों ने ₹8.21 लाख राशि की अपनी नियमित ट्यूशन, छात्रावास एवं अन्य शुल्क भी नहीं दी, फिर भी इन्हें नियमावली में किसी प्रावधान के न होने के बावजूद छात्रावास में रहकर पढाई जारी रखना अनुमत किया गया।

एफटीआईआई ने बताया (सितम्बर 2016) कि छात्रों की समय पर अपना काम पूरा न करने की समस्या थी तथा संस्थान के पास ऐसी समस्या से निपटने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी। इसने आगे यह भी कहा गया कि मई 2017 तक अधिकांश पिछला बकाया (बैकलॉग) निपटा लिया जाएगा। छात्रावास प्रभारों के संबंध में इसमें बताया गया कि हॉस्टल में अवधि से अधिक रहने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।

14.1.2.2 प्रवेश प्रक्रिया में बाधा तथा इच्छुक उम्मीदवारों को अवसर से वंचित रखना

हमने पाया कि पिछले बैचों के छात्रों का बड़ी प्रतिशतता में जारी रहना आगे के बैच वर्षों पर व्यापक प्रभाव डालेगा। विलंबित पाठ्यक्रमों के फलस्वरूप और अधिक देरी हुई चूंकि विलंबित छात्रों के अभ्यास कार्य उनके कनिष्ठ छात्रों के साथ उलझ जाते थे जिससे अवसंरचनात्मक उपलब्धता मुद्दे उभर कर सामने आए। इसका परिणाम संस्थान द्वारा वर्ष 2010, 2014 एवं 2015 के दौरान

नए दाखिले नहीं किए जाने से हुआ (वर्ष 2014 के एक वर्षीय चार टीवी पाठ्यक्रमों को छोड़कर)।

किसी भी शैक्षणिक वर्ष में दाखिला प्रक्रिया पूर्ण न होने से ऐसा प्रमुख संस्थान स्थगित करने का प्रयोजन ही विफल हो जाता है इसके अतिरिक्त देश के अग्रणी फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में छात्रों को दाखिला लेने से वंचित करता है तथा परिणामस्वरूप उम्मीदवारों से ट्यूशन शुल्क की गैर वसूली के रूप में ₹4.57 करोड़ की हानि हुई।

एफटीआईआई ने बताया (सितम्बर 2016) कि वर्ष 2015 में अशांति और बैकलॉग के समाशोधन न होने की वजह से 2010-11, 2014-15 एवं 2015-16 शैक्षणिक वर्षों के दौरान दाखिले रुके हुए थे।

14.1.2.3 विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा शुल्क की तर्कसंगतता

वर्ष 2003 से 2005 बैचों के दौरान विभिन्न अवधि के टेलीविजन एक्टिंग, एनीमेशन एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स, फीचर फिल्म, स्क्रीनप्ले राइटिंग के चार प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम एवं आर्ट डायरेक्शन में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। इन पाठ्यक्रमों के प्रारंभ में प्रभारित की जाने वाली ट्यूशन शुल्क ₹50000 से ₹120000 के बीच थी। जीसी ने दिनांक 19 अगस्त 2011 को आयोजित इसकी 120वीं बैठक में उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की शुल्क वर्ष 2012 बैच के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की तर्ज पर घटाकर ₹36,300/- कर दी। हालांकि तथ्य यही रहा कि एक्टिंग जैसे पाठ्यक्रमों की शुरुआत स्वतः समर्थित पाठ्यक्रमों के तौर पर ही की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012 से एनिमेशन एवं कंप्यूटर ग्राफिक पाठ्यक्रम (डेढ़ वर्ष) को बिना कोई कारण बताए बंद कर दिया गया था।

इस परिप्रेक्ष्य में जिसमें उच्चतर एवं विशिष्ट शिक्षा का खर्च निरंतर बढ़ता जा रहा है, एफटीआईआई के लिए यह अनिवार्य है कि मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क तय करते समय एक पुनर्गठन करें व तर्कसंगत नीति निर्धारण करें।

एफटीआईआई ने बताया (सितम्बर 2016) कि शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाए जाने के प्रस्ताव पर शैक्षणिक परिषद एवं शासी परिषद की आगामी बैठकों में चर्चा की जाएगी।

14.1.2.4 जीसी की अपर्याप्त कार्यप्रणाली

एफटीआईआई नियमावली के अनुसार जीसी की प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम तीन बैठकें करेगी तथा दो बैठकों के बीच पांच माह से का अंतराल नहीं होना चाहिए। तथापि जीसी ने 2014-15 में एक बार भी बैठक नहीं की तथा 2015-16 के दौरान केवल एक ही बैठक की। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 में प्रथम एवं द्वितीय बैठक के बीच पांच माह से अधिक का अंतराल था।

एफटीआईआई ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2016) कि सरकार ने जून 2015 में ही एफटीआईआई समिति का पुनर्गठन किया था जो कि दिनांक 04.03.2014 से ही प्रभावी है। इसके अतिरिक्त 09.06.2015 से 07.01.2016 के बीच कोई भी जीसी नहीं थी तथा छात्र आंदोलनों की वजह से वर्ष 2015-16 के पूर्वार्ध में बैठकों का आयोजन नहीं हो सका था।

तथापि, तथ्य यह रहा कि एफटीआईआई नियमावली प्रदत्त बैठकों की संख्या वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान आयोजित नहीं हो पाई।

14.1.2.5 परामर्शदाताओं के संबंध में निष्फल व्यय

क. जी.एफ.आर. के नियम 168 और 169 के अनुसार विशिष्ट कार्यों के लिए परामर्शदाताओं का चयन, संभाव्य उम्मीदवारों के लघु-सूचीयन के पश्चात् ही किया जाना चाहिए। संस्थान ने मई 2013 में संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में श्री माइकल जोसफ की नियुक्ति ₹70,000/- प्रतिमाह की समेकित परिलब्धियों पर परामर्शदाता (शैक्षणिक) के पद पर यह सुनिश्चित करने के लिए की कि नया पाठ्यविवरण वर्ष 2014 से लागू किया जा सके। परामर्शदाता को जून 2013 से जून 2014 की अवधि के दौरान ₹6.53 लाख की राशि अदा की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएफआर प्रावधानों के अनुसार कोई भी विज्ञापन नहीं निकाला गया था तथा संभाव्य उम्मीदवारों का लघु-सूचीयन भी नहीं किया

गया था। तथापि, श्री जोसफ ने शैक्षणिक परिषद के निर्देशानुसार पाठ्यविवरण संबंधी कार्य भी पूरा नहीं किया था। इस प्रकार नया पाठ्यविवरण नवम्बर 2015 तक भी पूरा नहीं हो पाया था जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। अंततः नया पाठ्यविवरण, एफटीआईआई की स्वतः पहल कदमियों पर 2016 बैच से ही लागू हो पाया। इस प्रकार, ₹6.53 लाख का व्यय निष्फल था।

ख. संस्थान ने अप्रैल 2010 में संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत बनाने संबंधी अध्ययन के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु मैसर्स हेविट एसोसिएट्स नामक परामर्शी फर्म को नियुक्त किया। परामर्शी (सलाहकार) द्वारा तैयार की गई डीपीआर, सितम्बर 2010 में आयोजित कार्यशाला में कई विशेषज्ञों एवं स्टेकहॉल्डर्स (पणधारकों) के बीच वितरित की गई थी। परामर्शदाता की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, क्योंकि एक प्रख्यात फिल्मकार, विद्वान एवं भारतीय राष्ट्रीय फिल्म लेखागार के पूर्व निदेशक, श्री पी.के. नागर की अध्यक्षता में पणधारकों की समिति द्वारा एफटीआईआई के लिए इसे अनुपयुक्त पाया गया था। इस प्रकार समिति ने पूरी रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया था। जिसका विचार था कि रिपोर्ट में दूरदर्शिता का अभाव था, रिपोर्ट सतही थी तथा इसमें विषय तथा उसके संदर्भ की अपर्याप्त समझ विद्वमान थी। उपर्युक्त कार्य के लिए परामर्शदाता को ₹18.87 लाख की कुल धनराशि का भुगतान किया गया था। इसका परिणाम रिपोर्ट के खारिज/अस्वीकृत करने तथा ₹18.87 लाख के निष्फल व्यय में हुआ।

14.1.2.6 ऑल इण्डिया रेडियो (आकाशवाणी) के सिविल निर्माण स्कंध (सीसीडब्लू, एआईआर)को ₹431.36 लाख की धनराशि का अपरिपक्व वितरण

सीपीडब्लूडी नियमपुस्तिका के अनुसार सरकारी अनुदान से पूरी तरह से वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के जमा निर्माण कार्यों के मामले में कार्य की अनुमानित लागत का 33.33 प्रतिशत अग्रिम तौर पर जमा किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् कार्य की प्रगति पर मासिक लेखाओं के प्रस्तुतिकरण के साथ मासिक बिलों के माध्यम से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती

है। पहली किश्त के तौर पर प्राप्त की गई 33.33 प्रतिशत राशि अनुमानित व्यय के अंतिम भाग के समायोजन हेतु प्रतिधारित करनी चाहिए। नियमपुस्तक के अनुसार समनुदेशिनी प्राधिकारी तथा संबंधित लोक निर्माण संगठन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी तैयार किया जाना अपेक्षित है।

एफटीआईआई ने जीएफआर 126 के अनुसार 24 फरवरी 2014 को क्रमशः ₹4.12 करोड़ एवं ₹3.29 करोड़ की धनराशि की वित्तीय संस्वीकृति तथा व्यय की मंजूरी लेने के बाद सीसीडब्लूएआईआर, को एक लोक निर्माण संगठन को स्टूडियो फ्लोर एक्टिंग (एसएफए) तथा क्लास रूम थियेटर (सीआईटी) का निर्माण कार्य सौंपा था। ₹1.37 करोड़ व ₹1.10 करोड़ के अग्रिम भुगतान के अनिवार्य प्रावधानों के विरुद्ध फरवरी 2014 व अक्टूबर 2015 के बीच सीसीडब्लूएआईआर को ₹3.50 करोड़ तथा ₹3.29 करोड़ का भुगतान किया गया। इसका परिणाम क्रमशः ₹2.13 करोड़ तथा ₹2.19 करोड़ राशि के अधिक अग्रिम भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त सीसीडब्ल्यू, एआईआर के साथ सीपीडब्लूडी की नियमपुस्तिका के अनुरूप कोई समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी हस्ताक्षरित नहीं किया गया।

एफटीआईआई ने बताया (दिसम्बर 2016) कि पेड़ काटने की अनुमति मिलने में देरी की वजह से निर्माण कार्य वास्तव में सितम्बर 2016 में ही शुरू हो पाया। इस प्रकार, लगभग समग्र जमाराशि 31 मार्च 2016 तक अवरूद्ध पडी रही।

14.1.2.7 ₹61.23 लाख के सेवा कर का अनियमित भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 25/2012 के तहत तथा तदनुरूपी संशोधन सं. 6/2014-एस.टी. दिनांक 11.07.2014 के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को अथवा द्वारा दी जा रही सेवाओं तथा सहायक शैक्षिक संवाओं पर सेवा कर से छूट प्रदान की है। अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया था कि एफटीआईआई, पुणे ने विभिन्न एजेंसियों से सुरक्षा, हाउसकीपिंग तथा सफाई जैसी विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाया है तथा वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि के लिए उपर्युक्त सेवा प्रदाताओं को सेवाकर के माध्यम से ₹61.23 लाख की कुल राशि का भुगतान

किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹61.23 लाख की सीमा तक सेवाकर का अनियमित भुगतान हुआ।

एफटीआईआई ने बताया (सितम्बर 2016) कि अगस्त 2016 से सेवा कर का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा पहले किए जा चुके सेवा कर के भुगतान की वापसी की मांग प्रगति पर है (प्रक्रियाधीन है)।

14.1.3 निष्कर्ष

एफटीआईआई यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि इसके प्रतिष्ठित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र निर्धारित अवधि में अपने पाठ्यक्रमों को पूरा कर सकें तथा इसलिए नामांकित छात्रों का बड़ा प्रतिशत संस्थान की नामावली में बना रहा। इससे न केवल संस्थान के सीमित बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पडा बल्कि इसके कारण उन उम्मीदवारों को परोक्ष रूप से अवसर की हानि भी हुई जो संस्थान में केवल इस वजह से दाखिला नहीं ले पाए क्योंकि संस्थान में पहले की बड़ी संख्या में पुराने छात्र मौजूद थे। संस्थान ने किसी भी अनुरूप लाभ के बिना परामर्श शुल्क पर, अग्रिम भुगतान अधिक जारी करने पर तथा सेवाकर के अनियमित भुगतान पर निष्फल व्यय किया।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2016 में सौंपा गया; जनवरी 2017 तक मामला प्रतीक्षित था।

अध्याय- XV : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

15.1 सरकारी आवासों की अनाधिकृत कब्जे की निगरानी में विफलता

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अपने आवासीय परिसरों के अनाधिकृत कब्जे की निगरानी में विफलता का परिणाम ₹0.42 करोड़ के लाइसेंस शुल्क तथा हर्जाने प्रभार की गैर वसूली में हुआ।

पंजाब सरकार के दस कर्मचारी जो कि कर्मचारी राज्य बीमा, निगम, (ईएसआईसी) अस्पताल लुधियाना में प्रतिनियुक्ति पर थे, उन्हें 28 फरवरी 2010 से अपने मूलविभागों में प्रत्यावर्तित किया गया था। नियमानुसार इन प्रत्यावर्तित कर्मचारियों को कार्यमुक्ति की तारीख से दो माह के अंदर ईएसआईसी आवास, जिसमें वे रह रहे थे, को खाली करना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2016) कि इनमें से पांच कर्मचारियों ने 56 से लेकर 73 माह तक की देरी के पश्चात सरकारी आवास खाली किया। शेष पांच कर्मचारियों ने 6 वर्ष की देरी के पश्चात भी सरकारी आवास खाली नहीं किया। पूरी अवधि के दौरान, ईएसआईसी अनाधिकृत कब्जा करने वालों से खाली कराने तथा नोटिस जारी करने हेतु कोई कार्रवाई करने में विफल रहा। अदत्त लाइसेंस शुल्क तथा हर्जाना किराया ₹0.42 करोड़ (नवम्बर 2016 तक) था।

उत्तर में, ईएसआईसी, लुधियाना ने बताया (दिसम्बर 2016) कि सभी पांच अनाधिकृत कब्जा करने वालों को बेदखली आदेश जारी किए गए थे तथा बकाया वसूली की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

यह मामला श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा महानिदेशक ईएसआईसी, नई दिल्ली के पास सितम्बर 2016 को भेजा गया; उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित है।

अध्याय XVI : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

16.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन

पीएमईजीपी की सफलता कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न संरचनात्मक अंतरालों की वजह से बाधित हुई थी। योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी निधियां कई एजेंसियों के पास व्यर्थ पड़ी रही। इस कार्यक्रम कार्यकलापों की निगरानी तथा नियंत्रण खराब था। प्रत्यक्ष सत्यापन में भी पिछला कार्य शेष था। यहां तक कि जहां पर भी प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था वहां पर भी परिणामों पर आगे की कार्यवाही नहीं की गई थी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (मंत्रालय), भारत सरकार ने (अगस्त 2008 में) पूरे देश में पहली पीढ़ी के उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक क्रेडिट लिंकड सब्सिडी (कार्यक्रम) प्रोग्राम का शुभारंभ किया। पीएमईजीपी में दो योजनाओं का विलय कर दिया गया, नामतः प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)। मंत्रालय पीएमईजीपी को तीन कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ राज्य स्तर पर बैंकों के समन्वय में एक केंद्रीय क्षेत्रक कार्यक्रम के रूप में चलाता है। इन तीन एजेंसियों (आईए)के नाम हैं:- खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी), विभिन्न राज्य खादी एवं ग्रामाद्योग बोर्ड (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी)। केवीआईसी 'राष्ट्रीय नोडल एजेंसी' है तथा अन्य आईए (कार्यान्वयन अभिकरणों) को निधियां भेजती हैं।

पीएमईजीपी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी नई स्व-रोजगार परियोजनाएं/लघु उद्योगों की स्थापना करके रोजगार के अवसर सृजित करना।

- ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग के लिए उनकी अपनी जगह पर सतत् और स्थायी रोजगार प्रदान करके उनकी अर्जन-क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी रोजगार में समग्र वृद्धि में योगदान करना।

जो लाभार्थी अपनी नई परियोजनाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित कराते हैं उन्हें एक प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है जो उनकी परियोजना लागत के निधि के लाभ के रूप में मार्जिन राशि कहलाती है। कार्यक्रम के सुविधा कार्यक्रमों के लिए तीनों आईए को बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिन्केज (बीएफएल¹) शीर्षों के अंतर्गत निधियां केवीआईसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। कार्यक्रम और इसकी प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं पर तथा इसके प्रक्रम संचित्र पर **अनुबंध VII** में सविस्तार चर्चा की गई है।

यह कार्यक्रम-**VII**वी योजना अवधि में भी जारी रखने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित था। अगस्त 2008 में स्थापना के बाद तथा मार्च 2016 तक 3,65,168 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया था जिसमें ₹7367.40 करोड़ की सरकारी आर्थिक सहायता (सब्सिडी) भी शामिल थी। इस अवधि के दौरान कार्यक्रम के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को **संलग्नक- VIII** में दर्शाया गया है। मार्च 2016 तक पीएमईजीपी में रोजगार सृजन में 67 प्रतिशत की उपलब्धि रही, समर्थित परियोजनाओं की संख्या के संबंध में 70 प्रतिशत तथा जारी की गई मार्जिन राशि के संबंध में 95.7 प्रतिशत उपलब्धियों की सूचना थी। हालांकि यह निष्पादन/प्रदर्शन, अनुमोदित कार्य के फार्मूले के अनुसार आंका गया था तथा यह जमीनी वास्तविक प्रदर्शन नहीं दर्शाता।

¹ बीएफएल का आशय जागरूकता कैंप, कार्यशाला (वर्कशॉप), ई-ट्रेकिंग, बेब प्रबंधन (मैनेजमेंट), प्रचार-प्रसार (पब्लिसिटी), प्रत्यक्ष समापन, ईडीपी प्रशिक्षण (ट्रेनिंग), प्रदर्शनियां आदि से है।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां/उपलब्धियों का उपयोग विवेकपूर्ण, दक्षतापूर्ण तथा पारदर्शी ढंग से किया गया था, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा तथा इसके कार्यान्वयन के बीच कोई अंतराल विद्यमान है तथा क्या कार्यक्रम के आशातीत उद्देश्यों की प्राप्ति निरंतर एवं स्थायी रोजगार सृजन द्वारा की गई थी। लेखापरीक्षा में कार्यक्रम की शुरुआत से अर्थात् अगस्त 2008 से मार्च 2016 तक की अवधि का लेखापरीक्षण किया गया। लेखापरीक्षा का आयोजन अप्रैल-मई 2016 तथा नवंबर-दिसंबर 2016 के दौरान किया गया था। 'केवीआईसी मुख्यालय (एचक्यू) कार्यक्रम निदेशालय' के अभिलेखों की संवीक्षा नीतिगत दिशा-निर्देशों, निगरानी-तंत्र तथा समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय के लिए की गई थी। इसके अतिरिक्त केवीआईसी के दो (2) क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् राज्य कार्यालय, महाराष्ट्र (एसओएम) तथा कर्नाटक के राज्य कार्यालय का चयन विस्तृत क्षेत्र स्तरीय निरीक्षण के लिए किया गया था। नोडल बैंकों तथा वित्तीयन शाखाओं में प्रचलित प्रणालियों (सिस्टम) की नमूना जांच दो² नोडल बैंकों तथा चौदह³ वित्तीयन शाखाओं के दौरे के माध्यम से की गई।

² मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ इण्डिया।

³ ओरिण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स-वसाई पश्चिम, यूको बैंक-कान्दीवली वेस्ट, देना बैंक-सापेले, एसबीआई-धानू एवं पालगढ़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र-नवली तथा दहानू देना बैंक-चिनचनी, शाखा, महाराष्ट्र विजया बैंक-संजय नगर, केनरा बैंक-संजय नगर, कृष्णा राजापुरम एवं डीजी हल्ली, बैंगलुरु, कर्नाटक में एचआरबीआर के अभिन्यास पर स्थित यूको बैंक-फ्रेजर टाउन आईओबी

16.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

16.1.3 निधि प्रबंधन

16.1.3.1 मार्जिन राशि (एमएम) सब्सिडी तथा बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिन्केज (बीएफएल) निधि का उपयोग

कार्यक्रम के तहत निधियों का अंतरण मंत्रालय से केवीआईसी-मुख्यालय को केवीआईसी-मुख्यालय से क्षेत्रीय कार्यालयों को तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से नोडल से बैंकों को निधियों की तदनुसूची मांग के बगैर अथवा निधियों के तत्काल उपयोग की तत्काल गुंजाइश के बिना ही कर दिया गया था जिसकी वजह से धनराशि, बचत बैंक खातों में बेकार ही पड़ी रही। निधियों के अंतरण की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:-

- वर्ष 2015-16 के दौरान पीएमईजीपी का बजट देर से अर्थात् फरवरी-2016 में ही संशोधित किया गया था। मंत्रालय द्वारा ₹ 85.82 करोड़ की धनराशि 16 फरवरी 2016 को जारी की गई तथा ₹ 318.46 करोड़ की अन्य राशि 22 मार्च-2016 से 31 मार्च-2016 के बीच प्राप्त हुई। वर्ष के अंत में इस तरह की देरी से प्राप्ति की वजह से मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में ₹ 481.75 करोड़ तक की धनराशि पड़ी रही।
- महाराष्ट्र के राज्य कार्यालय (एसओएम) में ₹ 22 करोड़ से ₹ 39 करोड़ की धनराशि केवीआईसी-मुख्यालय को अंतरित की गई जोकि चार अवसरों⁴ पर पीएमईजीपी मुख्य खाते में (अप्रैल 2009 से मार्च 2015 तक) दो से छः माह तक बेकार पड़ी रही। मुख्य खाते में से निधियों का अंतरण विभिन्न नोडल बैंक खातों में बगैर किसी एमएम निधियों के आवंटन की तदनुसूची मांग के किया गया जो कि दीर्घावधि तक बेकार पड़ी रही तथा बाद में इसे वापस मंगाना पड़ा।

⁴ ₹39.19 करोड़, 26 जुलाई 2013 से 01 जनवरी 2014 तक बेकार पड़े रहे, ₹33.26 करोड़, 11 नवंबर 008 से 06 मई 2009 तक बेकार पड़े रहे, ₹28.33 करोड़, 14 अप्रैल 2009 से 06 जून 2009 तक बेकार पड़े रहे, ₹22.00 करोड़, 14 नवंबर 2014 से 16 मार्च 2015 तक बेकार पड़े रहे

- कर्नाटक राज्य कार्यालय में 'मुख्य खाते में' ₹18 करोड़ से ₹26 करोड़ की धनराशि 15 दिनों से ज्यादा अवधि तक बेकार पड़ी रही (जुलाई 2012 से सितंबर 2013)। इसके अलावा, सिंडिकेट बैंक में कर्नाटक में स्थित तीन आईए में नोडल बैंक खातों में ₹ 5.67 करोड़ की रकम बगैर किसी संवितरण के 40 दिनों से ज्यादा अवधि तक (जुलाई 2012 से सितंबर 2012) तक बेकार पड़ी रही। बैंक ऑफ बड़ौदा में डीआईसी (आईए में से एक) नोडल बैंक खाते में 40 दिनों से अधिक अवधि तक ₹ 0.91 करोड़ का शेष था (सितंबर 2013 से नवंबर 2013)।
- नागालैण्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में ₹12.65 करोड़ की धनराशि बगैर किसी एकल संवितरण के पांच माह तक (जून 2014 से अक्टूबर 2014) खर्च नहीं हो पाई। पॉण्डिचेरी (पुदुचेरी) के क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2013-14 के ₹2.83 करोड़ के लक्ष्य के प्रति ₹4.84 करोड़ प्राप्त हुई। यह लक्ष्य 2014-15 में एक करोड़ तक संशोधित किया गया। हालांकि अतिरिक्त धनराशि एक से दो वर्षों तक रोकी गई/धारित की गई तथा मार्च 2015 में ₹0.97 करोड़ तक की धनराशि फरवरी 2016 में ₹0.73 करोड़ तथा शेष धनराशि ₹1.34 करोड़ वर्ष 2016-17 के दौरान नोडल बैंक खातों के बंद होने पर वापिस लौटाई गई।
- लक्षद्वीप क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष के लक्ष्य के अनुसार नवंबर 2014 में ₹2.58 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, हालांकि क्षेत्रीय कार्यालय का प्रदर्शन बेहद खराब रहा (पीएमईजीपी की स्थापना से अब तक ₹0.50 करोड़ से कम की धनराशि खर्च की गई) जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2015 के दौरान (₹1.08 करोड़) फरवरी 2016 (₹0.27 करोड़) में निधि वापसी की गई।
- मार्च 2014 में पीएमईजीपी के प्रचार-प्रसार अभियान के लिए मंत्रालय द्वारा केवीआईसी-मुख्यालय को ₹16.23 करोड़ बीएफएल निधियों का आवंटन किया गया जो कि समय-समय पर बगैर किसी उपयोग के केवीआईसी-मुख्यालयों में फ्लैक्सी टर्म डिपोजिट में जमा रही। जनवरी 2016 तक, केवीआईसी-मुख्यालय में ₹ 11.47 करोड़ की धनराशि खर्च नहीं हो पाई।

- केवीआईसी के बिहार क्षेत्रीय कार्यालय का बीएफएल के तहत अप्रैल 2013 में प्रारंभिक शेष ₹3.28 करोड़ था। इसमें से मार्च 2016 तक केवल ₹0.49 करोड़ धनराशि का ही उपयोग हो पाया तथा 2013-14 में ₹1.17 करोड़, 2014-15 में ₹0.50 करोड़ एवं 2015-16 में ₹0.90 करोड़ राशि मुख्यालय को वापिस लौटाई गई।

प्रबंधन ने (अगस्त 2016 तथा नवंबर 2016) में अपने प्रत्युत्तर में बताया कि वर्ष की पिछली दो तिमाहियों के दौरान बैंक सैंक्शन उच्चतर गति पर हैं तथा बकाया बैंक सैंक्शन की वजह से वर्ष 2015-16 के दौरान अतिरिक्त निधियां जारी की गईं, जिनका उपयोग नोडल बैंक स्तर पर एमएम सैटलमेंट में देरी के कारण नहीं हो पाया। जहां तक केवीआईसी मुख्यालय पर समयबद्ध तरीके से वीएफएल निधियों के गैर उपयोग का प्रश्न है, प्रबंधन ने बताया कि चुनाव पूर्व आचार संहिता लागू होने, नए आयोग की वजह से नीतिगत बदलावों तथा इन गतिविधियों में लगने वाले न्यूनतम समय की वजह से, विस्तृत कार्य-योजना होने पर भी वे निधियों का उपयोग नहीं कर सके। पॉण्डीचेरी, नागालैण्ड तथा लक्षदीप राज्यों को निधि अंतरण, लक्ष्यों के अनुरूप है तथा नोडल बैंक खाते बंद करके (जुलाई 2016) निधियां वापिस ले ली गई हैं।

अपने प्रत्युत्तर में (नवंबर 2016) मंत्रालय ने बताया कि सब्सिडी की पहली किश्त वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान जारी की गई तथा दूसरी किश्त, प्रथम किश्त के 60 प्रतिशत उपयोग के पश्चात् तदनुसार जारी कर दी गई है; वित्त मंत्रालय की संस्वीकृति देरी से प्राप्त होने की वजह से निधि आवंटन में विलंब हुआ तथा यह भी बताया गया कि धनराशि का उपयोग 2016-17 के दौरान कर लिया जाएगा। नए ऑनलाइन पोर्टल तथा वित्तीयन शाखा को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी/डारेक्ट वेनिफिट ट्रांसफर) की शुरुआत (जुलाई 2016) हो जाने से नोडल बैंक स्तर पर निधियां अवरूद्ध नहीं होंगी।

प्रबंधन/मंत्रालय का जबाव निधि-निर्गमन प्रक्रिया एवं प्रचालन ईकाइयों के बीच समन्वय में अवसंरचनात्मक अंतर दर्शाता है। निधियों का निर्गमन, निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध था तथा उन सत्यापित दावों के आधार पर नहीं किया गया था जिनसे जल्द निर्गमन एवं निपटान हो सकता था। वास्तविक उपलब्धियों के बजाय लक्ष्यों की ओर निधि निर्गमन का इस प्रकार का एकत्रीकरण बगैर किसी अध्यवसाय (तत्परता) के ऋण संस्वीकृति की अधिकता को जन्म देता है। प्रबंधन का यह प्रत्युत्तर कि बैंक, नॉडल बैंक स्तर पर एमएम निपटान में देरी की वजह से निधियों का उपयोग नहीं कर पाए, माह के अंतिम दो कार्य दिसवों पर जारी की गई निधियों का उपयोग नहीं कर सकते थे। यहां पर यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि ₹276 करोड़ से ₹507 करोड़ तक की सीमा की निधियां भी नई गाइडलाइन्स के तहत एकल नोडल बैंक खाते के माध्यम से उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा में जुलाई 2016 (अर्थात् नोडल बैंक खातों के बंद होने के पश्चात्) से अक्टूबर 2016 तक केवीआईसी मुख्यालय में फ्लैक्सी टर्म डिपोजिट में पड़ी थी।

बीएफएल निधियों के बारे में तथ्य यह है कि उनके उपयोग/प्रतिदाय पर अनावश्यक रूप से काफी समय लिया गया था।

16.1.3.2 आरईजीपी निधियों का उपयोग

आरईजीपी, जिसे दो आईए नामतः केवीआईसी तथा केवीआईबी के माध्यम से लागू किया गया था, 31 मार्च 2008 से निष्प्रभावी हो गया। इसे पीएमआरवाई के साथ पीएमईजीपी को सम्मिलित कर लिया गया था। केवीआईसी ने (सितंबर 2009) आरईजीपी के तहत लंबित दावों के निपटान के लिए ₹72.95 करोड़ राशि की निधियां जारी करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ (नवंबर 2011) व्यय वित्त पोषित समिति तथा आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिति (सीसीईए) से ₹72.95 करोड़ की कैबिनेट कमेटी मंजूरी हेतु अंतिम स्वीकृति ले ली। इसमें से दिसंबर 2011 से फरवरी 2012 के दौरान केवीआईसी मुख्यालय द्वारा ₹36.82 करोड़ प्राप्त किए गए।

- मंत्रालय द्वारा जारी की गई धनराशि के मुकाबले वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान ₹30.03 करोड़ की राशि का संवितरण विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को लंबित दावों के निपटान हेतु किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय केवल ₹23.95 करोड़ का उपयोग ही कर पाए तथा मार्च 2014 से सितंबर 2016 के दौरान ₹6.08 करोड़ की धनराशि वापिस लौटाई गई। केवीआईसी द्वारा प्राप्त ₹6.79 करोड़ की शेष राशि, प्राप्त की तारीख से (अर्थात् दिसंबर 2011 से फरवरी 2012) केवीआईसी-मुख्यालय में अत्यधिक शेष के तौर पर पड़ी हुई थी। इस प्रकार ₹12.87 करोड़ की कुल धनराशि अभी तक (नवंबर 2016) निधि जारी होने तथा सीसीईए के अनुमोदन के चार वर्षों के पश्चात् अप्रयुक्त पड़ी रही।
- केवीआईसी मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी की गई निधियों के अतिरिक्त केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के नोडल बैंक खातों में आरईजीपी के अव्ययित शेष तौर पर ₹7.69 करोड़ की धनराशि थी जो जून 2016 के पश्चात् अर्थात् कार्यक्रम के बंद होने के आठ वर्षों के समय अंतराल के पश्चात् केवीआईसी मुख्यालय को वापिस लौटाई गई। इस प्रकार संबंधित राज्यों के केवीआईसी तथा केवीआईवी को योजना की समाप्ति के बावजूद आठ वर्षों से अवधि तक बड़ी अव्ययित राशि धारित करने दी गई।

प्रबंधन ने बताया कि (अगस्त 2016) मंत्रालय द्वारा धनराशि जारी की गई थी ताकि लंबित दावों का निपटान इस अनुबंध के साथ किया जा सके कि निधियों का निर्मुक्तिकरण केवल पीवी के पश्चात् ही किया जा सके जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूनिट कार्य कर रही थीं, यह भी कि मंत्रालय के अनुबंध की वजह से एमएम सब्सिडी का पूर्णतः उपयोग नहीं कर सका; निधियों का शेष अंतिम मूल्यांकन के पश्चात् वापिस किया जाएगा या मंत्रालय के निर्देशानुसार पीएमईजीपी के तहत उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय ने नवंबर 2016 में यह भी बताया कि उनके कार्यालयों में से 17 ने अपने आरईजीपी खाते बंद कर दिए हैं तथा अपने नोडल बैंक शेष छोड़ दिए हैं जबकि शेष 23 कार्यालयों के संबंध में पुष्टि होनी अभी बाकी है। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर की पुष्टि की (नवंबर 2016)।

16.1.4 कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य-रीति

16.1.4.1 वित्तीय शाखाओं द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने चौदह ऐसी वित्तीय शाखाओं की नमूना जांच की जिनमें पीएमईजीपी के तहत संस्वीकृतियों के 54 मामले चल रहे हैं तथा पाया कि:

(i) समग्र परियोजना ऋण पर ब्याज लगाना

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार एमएम की सीमा तक ऋण पाने पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। लेखापरीक्षा ने 14 मामलों में पाया कि बैंकों की तीन वित्तीय शाखाओं ने समग्र परियोजना ऋण पाने पर (अर्थात् एमएम सब्सिडी समेत) ब्याज प्रभारित किया जिससे कि लाभार्थी पर अतिरिक्त बोझ पड़ा तथा ऋण की सब्सिडी की प्रवृत्ति में बदलाव आया। प्रबंधन ने जबाव नहीं दिया कि (दिसम्बर 2016) क्या कार्यक्रम के तहत ऐसे तमाम मामलों की समीक्षा की गई थी? तथा क्या इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई नियंत्रण तंत्र बनाया गया था?

(ii) पात्रता से बढ़कर मार्जिन मनी (एमएम) का अधिक संवितरण:

मार्जिन मनी परियोजना की प्रतिशतता के तौर पर दी जानी है, इसलिए जब वास्तविक संवितरण, प्रारंभिक संस्वीकृतियों से कम हो तो कार्यक्रम के तहत लाभार्थी की पात्रता श्रेणी के अनुसार केवल अनुबंधित प्रतिशत (फ्रेमवर्क के अनुसार) का समायोजन ही वित्तीयन शाखा द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा दो मामलों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि प्रारंभिक संस्वीकृतियों की तुलना में ऋणों का कमतर संवितरण किया गया था तथा इसीलिए जारी की गई मार्जिन मनी (एमएम) (वास्तविक संस्वीकृति के अनुसार) कार्यक्रम के तहत निर्धारित पात्रता से अधिक थी। हालांकि प्रारंभ में जारी की गई एमएम की अधिक धनराशि वापिस नहीं ली गई थी। एक अन्य मामले में, एमएम, लाभार्थी को सौंपी गई थी तथा किसी प्रत्यक्ष सत्यापन को संचालित किए बिना ऋण समाप्त कर दिया गया था (मई 2015)। दूसरे मामले में जारी की गई उच्च धनराशि का आंशिक भाग एनपीए बन गया (अक्टूबर 2015) तथा एमएम राशि मियादी जमा के तौर पर बैंक द्वारा ही प्रतिधारित कर ली गई। इसकी वजह से वित्तीयन शाखा/लाभार्थी को गैर-इरादतन लाभ पहुंचा तथा अतिरिक्त एमएम राशि की यथानुपातिक वसूली ब्याज सहित की जानी चाहिए।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि मामले पर लाभार्थी के खाते से ब्याज नामे/डेबिट प्रतिवर्तित करने के संबंध में संबंधित बैंकों से चर्चा की गई है तथा निदेशक, एसओएम को मामले के निपटान के लिए संबंधित बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं।

16.1.4.2 प्रत्यक्ष सत्यापन (पीवी) प्रणाली में कमियां तथा पिछला बकाया कार्य

पीवी के आयोजन में (मई 2016 तक) समग्र बकाया जिसमें पिछले तीन आईए भी शामिल हैं, 44509 मामले हैं जिसमें वर्ष 2011-12 तक के वर्षों के लिए लगभग ₹835 करोड़ की एमएम शामिल है (संबंधित वर्षों की प्रति परियोजना औसत एमएम के आधार पर)। यह बकाया शेष कार्य, उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों, एजेंसी में बदलाव तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर निविदाकरण के प्रति कम रुझान की वजह से था। प्रत्यक्ष सत्यापन के महत्व की इस बात से भी प्रशंसा की जा सकती है कि वर्ष 2011-12 तक के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान इस बात का पता चला कि पीएमईजीपी के तहत प्रायोजित इकाइयों में से 13 प्रतिशत पीएमईजीपी में स्थापित 1,64,283 इकाइयों में से 22,446 इकाइयों का पता ही नहीं चल पा रहा था/कार्य नहीं कर रही थीं। ऐसी न पता लगाए जाने योग्य/गैर विद्यमान इकाइयों के संबंध में शामिल एमएम राशि ₹418.53 करोड़ थी (लगभग) (संबंधी) वर्षों की औसत लागत के आधार पर)। प्रबंधन समय पर पीवी सुनिश्चित कराने तथा एमएम समायोजन पत्र जारी करने में विफल रहा। वास्तव में, प्रबंधन के पास इतने सारे कार्यात्मक यूनिटों का समानुपात होने के बावजूद एमएम वापिस मंगाने के लिए वसूली पर नजर रखने तथा सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन की नमूना जांच के दौरान निम्नलिखित तथ्य सामने आये:-

- महाराष्ट्र राज्य कार्यालय में वर्ष 2011-12 से पीवी नहीं हो पाया। पीवी एजेंसी (अर्थात मैसर्स कृषि वित्त निगम लिमिटेड) द्वारा वर्ष 2008-09 हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी की वजह से बाद के वर्षों में पीवी में विलम्ब हुआ।
- महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के राज्य कार्यालय उन वर्षों के संबंध में भी कॉल बैक एवं रिकवरी का एजेंसीवार स्टेट्स नहीं उपलब्ध करा सके जिनका पीवी किया जा चुका था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन कार्यालयों में कॉल बैक पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं था।

- तमिलनाडु में, पीवी एजेंसी ने 2010-11 में 29 लाभार्थियों का न पता लगाए जाने योग्य माना। इन लाभार्थियों से ₹33.32 लाख की एमएम धनराशि की कॉल बैक मामलावार एवं वसूली (डीआईसी-23 मामले तथा केवीआईबी-तमिलनाडु-6 मामले) लेखापरीक्षा को नहीं बताए गए। इसी प्रकार त्रिपुरा राज्य के संबंध में पीएमईजीपी के 202 मामलों के संबंध में कॉल बैक एवं वसूली की स्थिति (2011-12) पीवी एजेंसी द्वारा "गैर-मौजूद" (इसमें ₹3.63 करोड़ की एमएम शामिल है) बताए गए तथा 2012-13 की जम्मू-कश्मीर में 6 संस्वीकृतियां (₹5.40 लाख की एमएम) जिन्हें पीवी के दौरान अक्रियाशील माना गया था, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।
- महाराष्ट्र स्थित डीआईसी के एक केंद्र ने नवंबर 2016 में लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किए जाने पर समायोजन/कॉल बैक पत्र जारी किए। केवीआईबी लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए 4 मामलों पर महाराष्ट्र, जोकि कार्यक्रम के आईए में से ही एक है, ने प्रतिकूल रिपोर्ट होने पर भी (अर्थात पीवी रिपोर्ट के अनुसार गैर-क्रियाशील इकाईयां) समायोजन पत्र जारी किए, जिसकी वजह लेखापरीक्षा को नहीं बताई गई।
- लेखापरीक्षा द्वारा जांची गई पीवी रिपोर्ट में निष्पादन/प्रदर्शन के मुख्य मापदंड दर्ज नहीं थे जो पीवी एजेंसियों की कमियों को तथा केवीआईसी द्वारा इनकी निगरानी का अभाव दर्शाता है।

प्रबंधन ने (अगस्त 2016) जबाव में बताया कि मैसर्स एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (कृषि वित्त निगम) ने वर्ष 2008-09 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी की जिसके कारण उत्तरवर्ती वर्षों की पीवी के आयोजन में विलम्ब हुआ, आगे के वर्षों की पीवी के लिए एसओएम पर तैनात एजेंसियों ने ढंग से समयबद्ध तरीके पर कार्य नहीं किया तथा यह भी कि आगामी वर्षों के लिए पीवी में तेजी आयेगी। यह भी कहा गया कि नये ऑनलाइन सिस्टम में प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार संबंधित आईए द्वारा यूनिट के दौरे किए जाने का प्रावधान है तथा पीवी डाटा ऑनलाइन भी कैप्चर किया जाएगा। एमएम कॉलबैक के ब्यौरे इकट्ठा करने के प्रयोजनार्थ केवीआईसी द्वारा एक ऑनलाइन इन हाउस रिकॉन्शीलेशन पोर्टल भी तैयार किया गया है जिसे अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्नत बनाया जा रहा है। मंत्रालय ने जबाव दिया कि (नवंबर 2016) पीवी, कार्यक्रम की सफलता का सूचक एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है अतः मंत्रालय समयबद्ध तरीके से पीवी का आयोजन करने तथा नोडल अधिकारियों द्वारा नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवधिक निरीक्षण करने पर जोर दे रहा है जिससे मुद्दे का निपटान होगा।

प्रस्तावित कार्रवाई उत्तरव्यापी कार्यान्वयन के लिए है तथा प्रणाली (सिस्टम) में मौजूदा कमियों के बारे में लेखापरीक्षा टिप्पणियों (प्रेक्षणों) की पुष्टि करती है।

16.1.4.3 ई-ट्रैकिंग सिस्टम एवं अन्य नियंत्रण प्रणाली की प्रभाविता

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-गवर्नेन्स को प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता माना गया है जो कि पीएमईजीपी के तहत आवेदनों की परिकल्पित ई-ट्रैकिंग, केवीआईसी द्वारा इनआउस तौर पर डेवलप किए गए पैकेज (संपुट) के माध्यम से प्रस्तुतिकरण से लेकर सब्सिडी के समायोजन तक निगरानी कर पाएगा।

प्रारंभिक वर्षों में आंकड़ा प्रविष्टि, बाहरी स्रोत से सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी से कराए जाने का प्रस्ताव था। वर्ष 2013-14 से ई-ट्रेकिंग को अनिवार्यतः आज्ञापक बना दिया गया था तथा समस्त आवेदनों को ई-ट्रेकिंग प्रणाली में प्रविष्टि किए जाने के पश्चात् संबंधित आईए के द्वारा वित्तीयन बैंकों को अग्रेषित किया जाना था। ई-ट्रेकिंग के माध्यम से प्राप्त न होने वाले आवेदनों हेतु बैंकों द्वारा किसी भी प्रकार की मार्जिन मनी सब्सिडी जारी नहीं की जानी थी। यह भी उल्लिखित था कि समस्त संवितरित मामलों (2008-09 से 2012-13) की प्रविष्टियां पूर्ण कर ली जाएंगी तथा बकाया प्रविष्टियां अविलंब पूरी की जाएंगी। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि क्रमशः वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए केवल 18, 25, 42 एवं 21 प्रतिशत संविरणों की प्रविष्टियां ही पूरी हो पाई थीं। वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए वास्तविक संवितरण की ट्रेकिंग इस तथ्य के होते हुए भी कि इन तीन वर्षों के दौरान ई-ट्रेकिंग अनिवार्य थी। केवल क्रमशः 39, 45 एवं 54 प्रतिशत तक ही पूरी हो पाई थी (दिसंबर 2016)।

- ई-ट्रेकिंग सिस्टम में केवल वित्तीयन शाखा के पहली किशत के संवितरण के बारे में ही डाटा अभिग्रहण (कैप्चर) हो पाया। आगे की किशतों तथा वास्तविक रूप से संवितरित कुल ऋण राशि के जारी किए जाने की निगरानी संबंधी कोई प्रावधान नहीं थे।
- यह भी देखा गया कि वित्तीयन ई-ट्रेकिंग सिस्टम में ऑनलाइन प्रविष्टियां नहीं कर रही थीं तथा ऋण संस्वीकृतियों एवं निर्गम से संबंधित समस्त प्रविष्टियां आईए पर बाहरी स्रोत (आउटसॉर्सड एजेंसी) के माध्यम से इंदराज की जा रही थीं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए नोडल बैंकखातों में आवधिक तौर पर डेबिट सत्यापन का कोई भी मौजूद नहीं था कि केवल प्रामाणिक लाभार्थी ही पीएमईजीपी तथा एमएम सहायता के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) में रिपोर्ट किए गए संवितरण, उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं नोडल बैंक शेष में भी अंतर था जिसका मिलान किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा कॉलबैक की वापसी हेतु नोडल खातों में क्रेडिट पर मामलेवार नजर नहीं रखी जा रही थी।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि जिस नए ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत की गई है उसमें इन मामलों के निवारण के लिए कई अंतर्निहित जांच बिंदु हैं। समस्त नोडल बैंक खातों को बंद किया जा चुका है तथा पुराने शेष का मिलान कार्य प्रक्रियाधीन है। मंत्रालय ने अपने जवाब में (नवंबर 2016) बताया कि केवीआईसी को 15 जुलाई 2016 तक नोडल बैंक खातों के मिलान करने संबंधी हिदायतें दे दी गई हैं।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि वहां पर नियंत्रण प्रणाली में कमियां हैं तथा प्रबंधन इस मुद्दों को सुलझाने की दिशा में प्रत्यनशील है। हालांकि, मुद्दों को सुलझाने की दिशा में प्रगति आशातीत नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने जो मिलान कार्य 15 जुलाई 2016 तक पूर्ण करने के निर्देश जारी किए थे वह कार्य 43 क्षेत्रीय कार्यालयों में से 34 के संबंध में अभी तक बाकी था (दिसंबर 2016)।

16.1.5 निष्पादन रिपोर्टिंग प्रणालियों में कमी

मई 2009 में केवीआईसी ने पीएमईजीपी निष्पादन के प्रमुख मानदंडों पर एक फार्म्यूलर पर आधारित रिपोर्टिंग अनुमोदित की। उत्पादन की रिपोर्ट, परियोजना लागत के 150 प्रतिशत, बिक्री, उत्पादन से 25% अधिक, वेतन/कमाई, के उत्पादन का 55% तथा रोजगार प्रति परियोजना 9-10 व्यक्ति के हिसाब से दी जाती थी (जिसे 2012-13 से प्रति परियोजना 8 रोजगार तक संशोधित किया गया)। इस प्रकार पीएमईजीपी के प्रदर्शन/निष्पादन के तमाम पैरामीटर नामतः उत्पादन, बिक्री, वेतन तथा रोजगार केवल सैद्धांतिक हैं तथा वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाते।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि निष्पादन मानदण्डों के कुछ नियम समय-समय पर आयोजित किए गए मूल्यांकन अध्ययन पर आधारित थे तथा यह भी कहा कि उद्योगों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग के (डीआरपीएससीआई) के निर्देशानुसार एक नया मूल्यांकन अध्ययन प्रक्रियाधीन है जो पीएमईजीपी इकाईयों के फीडबैक (प्रतिपुष्टि) तथा निष्पादन कैप्चर करने के उद्देश्य की पूर्ति करेगा। मंत्रालय ने (नवंबर 2016) लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकारते हुए कहा कि निष्पादन का वास्तविक डाटा प्रग्रहण (कैप्चर) करने के लिए कोई भी व्यवस्था मौजूद नहीं थी।

इस प्रकार, हालांकि निष्पादन मापदण्डों के माध्यम से नियमों के आधार पर कार्यक्रम की उपलब्धियां तो उजागर हुई हैं परंतु वास्तविक उपलब्धियों का सही ढंग से सत्यापन नहीं हो पाया।

16.1.6 निष्कर्ष

पीएमईजीपी की सफलता, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न अवसंरचनात्मक कमियों के कारण बाधित हुई। योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी की गई निधियां कई अभिकरणों (एजेंसियों) के पास बेकार पड़ी रहीं। कार्यक्रम कार्यकलापों का मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण बेहद खराब था। प्रत्यक्ष सत्यापन में काफी कार्य किया जाना बाकी था तथा जहां कहीं पर भी प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था वहां पर भी परिणामों पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने पीएमईजीपी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल बैंक के साथ नए ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत की थी तथा इसे कॉरपोरेशन बैंक के साथ एकल नोडल बैंक के तौर पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करके अगस्त 2016 से लागू किया गया था। नए सिस्टम की क्रियात्मक दक्षता का अभी प्रदर्शन किया जाना था। कार्यान्वयन में आगे का रास्ता एकदम स्पष्टता के साथ, बैंकों की सहमति एवं पारदर्शिता से अपनाया जाना चाहिए जिससे कि कार्यक्रम का प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय- XVII : खान मंत्रालय

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

17.1 सेवा प्रभारों की वसूली न होना

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जयपुर द्वारा बकाया राशि वसूल करने के लिए तंत्राविधि तैयार करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹1.67 करोड़ के सेवा प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), देश में भू-विज्ञान आंकड़ों को तैयार करने तथा अनुरक्षण करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, जीएसआई प्रभारों की अनुसूची (एमओसी) के आधार पर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कार्यालयों को सेवाएं प्रदान करता है। एसओसी समय-समय पर 1975, 1981, 1992 एवं 2001 में संशोधित की गई थी। 2001 की वर्तमान एसओसी अप्रैल 2001 से लागू है। एसओसी के आधार पर जीएसआई तथा संबंधित विभाग/परियोजना के बीच एक संज्ञापन-पत्र (एमओयू) हस्ताक्षरित होता है तथा प्रभार तदनुसार वसूल किए जाते हैं। जीएसआई और उसके क्लाइन्ट के बीच हुए एमओयू की शर्तों के अनुसार स्थल पर वास्तविक जांच, जांच की कुल अनुमानित लागत का 50% प्राप्त करने पर आरंभ की जानी थी जिसे अग्रिम के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्षेत्रिय जांच पूर्ण होने के पश्चात् रिपोर्ट को 60 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाना था। जीएसआई ने क्लाइन्ट विभाग को अंतिम बिल प्रस्तुत करना था तथा अंतिम बिल के अनुसार समस्त लागत वसूल करने के पश्चात् जांच की रिपोर्ट क्लाइन्ट विभाग को दी जानी थी। इस प्रकार जीएसआई का क्लाइन्ट विभाग को अंतिम बिल प्रस्तुत करने तथा रिपोर्ट सौंपने से पहले समस्त लागत वसूल करने का उत्तरदायित्व था। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली-2005 के नियम 12 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि कोई सरकारी राशियां पर्याप्त कारणों के बिना लम्बित नहीं रखी जाएंगी।

अभिलेखों की संवीक्षा करने पर वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए अपर महानिदेशक पश्चिम जोन जीएसआई, जयपुर कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान प्रकट हुआ कि जीएसआई ने 1978-79 से 2013-14 की अवधि के दौरान

क्लाइन्ट विभागों के साथ सर्वेक्षण कार्य हेतु कई एमओयू निष्पादित किए। तथापि, एमओयू के अनुसार किए गए सर्वेक्षण कार्य के प्रति ₹1.67 करोड़ के सेवा प्रभार बकाया थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि बकाया सेवा प्रभारों की वसूली हेतु संबंधित विभागों को न तो समय पर अनुस्मारक जारी किए गए और न ही मामला उच्च अधिकारियों के साथ उठाया गया। इस प्रकार, अंतिम बिलों को समयबद्ध रूप में प्रस्तुत करने में जीएसआई की ढिलाई के कारण तथा क्लाइन्ट विभागों के उच्च अधिकारियों साथ मामला आगे बढ़ाने में कमी के कारण ₹1.67 करोड़ की बकाया राशि का संचय हो गया था (31 मार्च 2016 को)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई/अगस्त 2016) कि:

- कार्य अग्रिम प्राप्त होने पर ही आरंभ किया गया था तथा किए गए कार्य के ब्यौरे तकनीकी विंग द्वारा उपलब्ध कराने तथा विशेष परियोजना के एमओयू की प्रति बजट अनुभाग में देने के बाद बजट अनुभाग द्वारा बिल तैयार किए गए थे।
- अधिकतर बिल समय पर प्रस्तुत किए गए थे तथा प्रचलित प्रभारों की अनुसूची के अनुसार तैयार किए गए थे तथा अंतिम बिल परियोजना के समापन के पश्चात् ही भेजे गए थे। तथापि, कुछ परियोजनाओं में प्रशासनिक कारणों से विलम्ब हुआ था।
- वसूली न होने के कारणों में से एक कारण यह था कि सभी परियोजनाएं पुरानी थी तथा बन्द हो चुकी हैं।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- सूचित मामलों में बिलों के जारी करने तथा उनके अनुवर्तन में कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण सेवा प्रभार समय पर वसूल नहीं किए जा सके। विभाग ने अग्रिम रूप में शुल्क के संग्रहण तथा कार्य-समाप्ति पर शुल्क की शीघ्र वसूली हेतु कोई तंत्रविधि तैयार नहीं की थी।

- तकनीकी विंग तथा बजट अनुभाग के बीच समन्वय की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप बिलों को जारी करने में विलंब हुआ।
- सभी क्लाइन्ट सरकारी विभाग ही थे जहाँ पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही कार्य सौंपे गए हैं तथा इस प्रकार की वसूली न होने के लिए कोई कारण नहीं होने चाहिए।

इस प्रकार, राशियों की तीव्र वसूली के लिए एक प्रभावशाली प्रक्रिया हेतु कोई उपाय करने में विफल रहने के कारण 31 मार्च 2016 तक ₹1.67 करोड़ की बकाया राशि का संचयन हुआ।

अगस्त 2016 में मामले की सूचना मंत्रालय को दी गई थी; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय- XVIII : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

18.1 त्रुटिपूर्ण योजना बनाने के कारण निष्फल व्यय

मंत्रालय ने आठ वे-इन-मोशन कम ऑटोमैटिक ट्रैफिक काउंटर कम क्लासीफॉयर्स की अधिप्राप्ति की (मार्च 2008) जबकि दो मशीने आठ वर्षों के विलम्ब के पश्चात् चालू की गई तथा शेष मशीने अभी तक अप्रतिस्थापित पड़ी थीं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मंत्रालय) ने, वाहनों के अतिभार पर नियंत्रण तथा इलैक्ट्रॉनिक डाटा के संग्रहण में सहायता करने के उद्देश्य से मंत्रालय के दिनांक 23 मार्च 2007 के खरीद आदेश द्वारा मैसर्स इंटरनेशनल रोड डायनामिक्स आई एनसी कनाडा (फर्म) से 462,659.00 सीएडी की लागत (₹2.16 लाख के परिवहन लागत सहित ₹1.89 करोड़) पर आठ वे-इन-मोशन कम ऑटोमैटिक ट्रैफिक आउंटर कम क्लासीफॉयर्स (डब्ल्यू आई एम कम एटीसीसी) की अधिप्राप्ति की। संविदा खरीद आदेश (मार्च 2007) की धारा 7(बी) के अनुसार यह माना गया था कि आठ प्रणालियों में प्रत्येक की बाधा रहित प्रचालन हेतु निष्पादन वारंटी विनिर्माण डिजाइन त्रुटियों के प्रति अंतिम प्रणाली के चालू होने की तिथि से अद्वाहरह कैलेण्डर माह या 1000 घंटे जो भी पहले हो, तक वैध होगी। संविदा की शर्तों के अनुसार फर्म को नवम्बर 2007 में कूल मूल्य का 70 प्रतिशत अर्थात् ₹1.30 करोड़ का प्रारंभिक भुगतान किया गया था। ये सिस्टम पांच राज्यों अर्थात् असम (01 नं.), छत्तीसगढ़ (01 नं.), गोवा (02 नं.), कर्नाटक (02 नं.), तथा राजस्थान (02 नं.) में लगाया जाना था। आपूर्तिकर्ता सिस्टम को प्रतिस्थापित तथा चालू करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार था। मंत्रालय ने (जुलाई 2007) संबंधित राज्यों के साथ उत्पाद की आवश्यक तकनीकी वर्णन तथा क्षमताओं के चर्चा की तथा उनसे स्थल की तैयारी हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया। मार्च 2008 तक सभी सिस्टम प्राप्त हो गए थे और पदनामित परेषितियों को सौंप दिए गए थे। गोवा को

भेजे गए दो सिस्टम 13 मई 2009 के स्थानान्तरण आदेश द्वारा पश्चिम बंगाल को स्थानांतरित किए गए थे।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कर्नाटक में हस्सन तथा कोप्पाल में केवल दो सिस्टम जो जनवरी 2016 तक राज्य परिवहन निगम को सौंपे नहीं गए थे, प्रतिष्ठापित किए और चालू किए गए थे (जनवरी 2016)। शेष सिस्टम अभी तक प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे (दिसम्बर 2016)। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि प्रतापगढ़, राजस्थान में सिविल निर्माण कार्य पर ₹0.87 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् सिस्टम तमिलनाडु में स्थानांतरित कर दिया गया था (सितम्बर 2014)। इस प्रकार, मंत्रालय की ओर से अदक्ष योजना बनाने तथा अप्रभावशाली मॉनीटरिंग करने के कारण अधिप्रापण की तिथि से आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी छः सिस्टम अभी तक प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2016) कि शेष सिस्टम के प्रतिष्ठापन तथा चालू करने का कार्य प्रगति पर था। प्रतापगढ़ (राजस्थान) में किए गए ₹0.87 करोड़ रु के निष्फल व्यय के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि राजस्थान सरकार में डील कर रहे उनके परियोजना जोन से उत्तर प्राप्त होने के बाद ही अपना उत्तर भेजा जाएगा।

उत्तर ने दर्शाया है कि मंत्रालय की ओर से अदक्ष योजना बनाने तथा अभावशाली मॉनीटरिंग करने के कारण अधिप्रापण की तिथि से आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी छः सिस्टम अभी प्रतिष्ठापित किए जाने थे। इस प्रकार, जबकि धुरी भार का इलैक्ट्रॉनिक डाटा संग्रहण करने का उद्देश्य तथा अतिभार को रोकने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका, ₹1.85¹ करोड़ का व्यय भी निष्फल रहा।

¹ 8 मशीनों के लिए ₹1.89 करोड़ की लागत के प्रति, मंत्रालय ने ₹1.89 करोड़ का 70 प्रतिशत अर्थात् ₹1.30 करोड़ जारी किए, 6 मशीनों के लिए कुल निष्फल व्यय - ₹0.98 करोड़ ((₹1.30 करोड़/8) * 6) भुगतान की राशि के बराबर है साथ ही प्रतापगढ़, राजस्थान में व्यर्थ व्यय - ₹0.87 करोड़ है।

अध्याय XIX : पोत-परिवहन मंत्रालय

मुंबई पतन न्यास

19.1 पार्किंग प्रभारों के संशोधन करने में विफलता के कारण राजस्व की हानि

पार्किंग प्रभारों के संशोधन करने में मुंबई पतन न्यास की विफलता का परिणाम पिछले छः वर्षों से केवल रात्रि पार्किंग प्रभारों पर ₹23.10 करोड़ की राजस्व की हानि में हुआ।

मुंबई पतन न्यास (एमबीपीटी) पत्तन क्षेत्र के भीतर कोटन डिपो में रात्रि पार्किंग प्रभारों का संग्रहण करता है। इन प्रभारों, जिन्हें एमबीपीटी सामान्य उप-नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है, को अप्रैल 1989, जब इसे ₹20 प्रति वाहन पर निर्धारित किया गया था, से संशोधित नहीं किया गया है। तथापि, एमबीपीटी संपूर्ण पत्तन क्षेत्र के भीतर दिन में पार्किंग अथवा पत्तन के भीतर अन्य क्षेत्रों (कोटन डिपो के अलावा) में रात्रि पार्किंग पर ऐसे प्रभारों का उद्ग्रहण नहीं करता है।

मार्च 2002 में, एमबीपीटी ने वाहनों हेतु पार्किंग स्थानों को चिन्हित करने तथा तदनुसार प्रभारित करने हेतु उप-नियमों का संशोधन करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) को प्रस्ताव प्रेषित किया। दीर्घकालिक पत्राचार के पश्चात्, एमओएस ने सूचित (जून 2010) किया कि मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 उप-नियमों में संशोधन को अनुमत नहीं करता था तथा एमबीपीटी को मौजूदा उप-नियमों को तुरत नवीन विनियमों से परिवर्तित करने का निर्देश दिया। तथापि, एमबीपीटी ने अब तक (दिसम्बर 2016) नए विनियमों का प्रारूप तैयार नहीं किया है। परिणामतः कॉटन डिपो से, अप्रैल 1989 में निर्धारित दरों पर रात्रि पार्किंग प्रभारों का प्रभारित किया जाना जारी रहा तथा पत्तन के भीतर दिन में किसी पार्किंग प्रभारों अथवा पत्तन के अन्य क्षेत्रों में रात्रि पार्किंग प्रभारों का उद्ग्रहण नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) समान स्थानों पर उच्च पार्किंग प्रभारों का संग्रहण करता है तथा आवधिक रूप से¹ दरों का संशोधन भी करता है। इसलिए, एमसीजीएम पार्किंग दरों को आधार के रूप में लेते हुए, एमबीपीटी को अकेले कोटन डिपो पर रात्रि पार्किंग प्रभारों के प्रति 2010-11 तथा 2015-16 के बीच ₹23.10 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

एमबीपीटी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि एमसीजीएम के साथ तुलना सही नहीं है क्योंकि एमसीजीएम ने 'पे एण्ड पार्क' नामित क्षेत्रों को चिन्हित किया है तथा प्रभारों को घण्टा तथा दैनिक आधार पर लागू किया गया है जबकि कोटन डिपो में वसूले जाने वाले प्रभार वाहनों की अप्राधिकृत रात्रि पार्किंग प्रति हैं। एमबीपीटी ने आगे बताया कि उप-नियमों को विनियमों से बदलने के प्रयास किए जा रहे थे परंतु यह एक विशाल कार्य था।

पोत-परिवहन मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2017) कि एमबीपीटी के न्यासी बोर्ड ने अब तक कॉटन डिपो में वसूल किये जाने वाले रात पार्किंग प्रभार में परिवर्तन नहीं किया है तथा एमबीपीटी, एमबीपीटी (पत्तन का सामान्य प्रबंधन) नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया में है, जहां पार्किंग प्रभार की वसूली के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। उसी के अंतिम रूप से लंबित होने से, एमबीपीटी ने मौजूदा दर जारी रखा और राजस्व हानि का निष्कर्ष काल्पनिक है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमबीपीटी ने वाहनों हेतु पार्किंग स्थानों को चिन्हित करने तथा तदनुसार प्रभारित करने का प्रस्ताव (मार्च 2002) अपने आप किया था। पोत-परिवहन मंत्रालय ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि एमबीपीटी, एमबीपीटी विनियम तैयार करने की प्रक्रिया में है, जहां पार्किंग प्रभार की वसूली के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। उप-नियमों को विनियमों से बदलने के प्रयासों को सामान्य रूप से छः वर्षों से अधिक नहीं लगने के भी होने चाहिए।

¹ ₹140 प्रति वाहन प्रति दिन (2010-11) जिसे ₹145 प्रति वाहन प्रति दिन (2012-13) तक संशोधित किया गया तथा बाद में ₹150 प्रति दिन (2014-15) तक संशोधित किया गया।

इस प्रकार, 1989 से रात्रि पार्किंग प्रभागों को संशोधित करने की विफलता का परिणाम एमसीजीएम द्वारा एक जैसे स्थानों पर उद्ग्रहित पार्किंग प्रभागों की तुलना में ₹23.10 करोड़ के राजस्व की हानि में हुआ।

कोलकाता पत्तन न्यास

19.2 एक निजी दल से आश्वासित सवार सह घाट भाड़ा प्रभागों की कम वसूली

प्रबंधन का एक निजी दल द्वारा पट्टा से संबंधित अन्य अनुबंध के प्रति सामरिक योजना के अंतर्गत आयातित माल हेतु क्रेडिट प्रदान करने के निर्णय का परिणाम ₹13.36 करोड़ की सीमा तक सवार सह घाट भाड़ा प्रभागों की कम वसूली में हुआ।

कोलकाता पतन न्यास (केओपीटी) के हलदिया गोदी परिसर (एचडीसी) ने पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति (जुलाई 2005) से एक कोक ओपन संयंत्र की स्थापना करने हेतु 28 अक्टूबर 2005 से 99 वर्षों हेतु पट्टे पर 6.88 लाख वर्ग मीटर के माप की भूमि का आवंटन करने के लिए हुगली मेट कोक तथा पॉवर कम्पनी लिमिटेड (एचएमसी) के साथ एक पट्टा अनुबंध किया (फरवरी 2006)। एचएमसी द्वारा देय पट्टा किराया में ₹77,170 प्रति 100 वर्ग मीटर का अग्रिम भुगतान तथा भूमि के पूर्ण भाग हेतु ₹1 प्रति वर्ष का टोकन किराया शामिल था। पोत परिवहन मंत्रालय की स्वीकृति तथा पट्टे की शर्तों के अनुसार, एचएमसी को एचडीसी के माध्यम से अपनी परियोजना का संचालन करने के लिए संबंधित भूमि पर एक मिलियन टन माल प्रति वर्ष के प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। इसको एक मिलीयन टन माल के प्रबंधन हेतु वार्षिक सवार सह घाट भाड़ा प्रभागों के बराबर ₹8.5 करोड़ की निष्पादन प्रत्याभूति प्रस्तुत करनी थी तथा इसे केओपीटी द्वारा वार्षिक सवार सह घाट भाड़ा प्रभागों की कम वसूली होने पर भुनाया जाना था। न्यूनतम माल प्रबंधन का निर्धारण तथा कमी की वसूली को 28 अक्टूबर 2010 अर्थात् पट्टे के प्रारम्भ की तिथि से 5 वर्षों के समापन के पश्चात्, लागू किया जाना था।

इसी बीच, अगस्त 2007 में, केओपीटी ने इस शर्त कि प्रत्येक दल 1.5 मिलीयन टन माल प्रति वर्ष की न्यूनतम आशवासित प्रवाह क्षमता प्रदान करेगा, के तहत, एचडीसी की घाट सं. 2 तथा 8 पर उनके कोकिंग कोल, लाईमस्टोन तथा कोक जलयानों की बाह्य निकास को प्राथमिकता प्रदान करके मुख्य ईस्पात उत्पादन उद्योगों की प्रवाह क्षमता को बढ़ाने के लिए एक सामरिक योजना तैयार की। टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) उन कम्पनियों में से एक कम्पनी थीं जिसने 15 मार्च 2008 से समय-समय पर अनुवर्ती विस्तारों सहित एक वर्ष के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया था।

मार्च 2010 में, एचएमसी को टीएसएल के साथ मिला दिया था जिससे एचएमसी की सभी देयताएं तथा उत्तरदायित्व टीएसएल के हो गए। इसलिए टीएसएल सामरिक योजना के अंतर्गत निष्पादन प्रत्याभूति के अतिरिक्त एचएमसी को पट्टे पर दी भूमि के संबंध में निष्पादन प्रत्याभूति की पूर्ति हेतु उत्तरदायी हो गया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि टीएसएल के पक्ष पर एमजीटी की दो अलग बाह्यताएं थीं फिर भी केओपीटी न्यासी बोर्ड ने, केन्द्र सरकार की स्वीकृति के तहत, टीएसएल द्वारा सामरिक योजना के अंतर्गत आयतित तथा बाद में एमजीटी से संबंधित पट्टे की भूमि के प्रति पहले के एचएमसी के कोक ओवन संयंत्र तक रेल द्वारा प्रेषित माल को क्रेडिट प्रदान करने (नवम्बर 2014) का निर्णय लिया जबकि टीएसएल द्वारा आयतित ऐसे माल को पहले ही एमजीटी के प्रति उनके जहाजों की बार्थिंग प्राथमिकता के विरुद्ध पहले ही दर्ज किया जा चुका था। इस प्रकार, 28 अक्टूबर 2010 से 27 अक्टूबर 2014 तक की अवधि हेतु पट्टे की भूमि के संबंध में एमजीटी के प्रति ₹34 करोड़² की राशि का दावा करने के बजाए केवल ₹20.64 का दावा (मई 2014 तथा जनवरी 2015) किया गया था तथा टीएसएल से वसूला गया था। बाद में अप्रैल 2015 में, केन्द्र सरकार की स्वीकृति की मांग की गई थी जिसे अभी भी प्राप्त किया जाना था (मार्च 2016)। इस प्रकार, टीएसएल को ₹13.36 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिसमें केओपीटी का वित्तीय हित शामिल था।

² ₹8.5 करोड़ × 4 वर्ष = ₹34 करोड़

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2015) कि पट्टा अनुबंध अथवा सामरिक योजना में टीएसएल के हलदिया संयंत्र हेतु सामरिक योजना के अंतर्गत लाए गए माल को इसे एमजीटी से संबंधित भूमि के प्रति क्रेडिट करने से अस्वीकार करने का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था। तदनुसार उन्होंने टीएसएल द्वारा सामरिक योजना के अंतर्गत लाए गए तथा बाद में इसे पिछली अवधि हेतु भूमि संबंधित निष्पादन प्रत्याभूति के अंतर्गत बाह्यता की पूर्ति के प्रति उनके कोक ओवन संयंत्र को प्रेषित माल के क्रेडिट को अनुमत किया। यह भी बताया गया था कि एमजीटी संबंधित भूमि के प्रति क्रेडिट पट्टे के वैधिक प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया था तथा केओपीटी एमजीटी की पूर्ति हेतु टीएसएल के कोक ओवन संयंत्र को प्रेषित माल का क्रेडिट प्रदान करने हेतु कानूनी रूप से बाध्य था।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य कि, भूमि अक्टूबर 2005 में पहले के एचएमसी को आवंटित की गई थी जबकि सामरिक योजना के अंतर्गत सुविधाएं मार्च 2008 से टीएसएल को प्रदान की गई थीं, को ध्यान में रखते हुए देखे जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, यह दो अलग वैधिक अस्तित्वों के साथ अनुबंधों पर आधारित दो अलग बाह्यताएं थीं। जिन्हें केवल मार्च 2010 में जाकर ही मिलाया गया था। इसलिए एकीकरण से पूर्व किए गए अनुबंध में ऐसे अस्वीकरण के विशिष्ट उल्लेख हेतु प्रबंधन का तर्क उचित नहीं था। प्रबंधन का दावा कि वह कानूनी रूप से बाध्य था भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केओपीटी के कानूनी सलाहकार ने सलाह दी थी (मई 2013) कि भूमि से जुड़ी एमजीटी को सामरिक योजना के लाभों जैसे अन्य एमजीटी के स्वाधीन के रूप में माना जाना चाहिए। कानूनी सलाहकार के ऐसे तर्क के बावजूद प्रबंधन ने इसके विपरीत कार्य किया जिसमें केओपीटी का वित्तीय हित शामिल है।

इस प्रकार, प्रबंधन के निर्णय का परिणाम ₹13.36 करोड़³ की सीमा तक आशवासित सवार सह घाट भाड़ा प्रभारों की कम वसूली में हुआ।

मामला अप्रैल 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

³ दावा की जाने वाली राशि-घटा-वास्तव में दावा की गई राशि = ₹34 करोड़ - ₹20.64 करोड़

महानिदेशक पोत परिवहन, मुंबई

19.3 प्रत्याशित लाभों की गैर-प्राप्ति तथा निधियों का अवरोधन

ई-गवर्नेंस परियोजना के कार्यान्वयन में कमियों का परिणाम ₹5.10 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् प्रत्याशित लाभों की गैर-प्राप्ति तथा नौ वर्षों के लिए कुल ₹3.85 करोड़ की निधियों के अवरोधन में हुआ है।

महानिदेशक पोत परिवहन, मुंबई (डीजीएस) ने सेवाओं की इलेक्ट्रानिक सुपुर्दगी हेतु सम्पर्क का एकल स्थान प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों में सूचना प्रणालियों को संघटित करने हेतु "ई-समुद्र" परियोजना (परियोजना) आरम्भ की थी। कार्य का प्रथम चरण राष्ट्रीय शिप डिजाईन तथा अनुसंधान केन्द्र (एनएसडीआरसी) विशाखापट्टनम (जिसे अब भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम), (आईएमयू-V के रूप में जाना जाता है) को टर्नकी आधार पर सौंपा (फरवरी 2005) था। इसे ₹5 करोड़ की अनुमानित लागत पर 15 महीनों के भीतर समाप्त किया जाना अपेक्षित था। अनुबंध के अनुसार डीजीएस को आईएमयू (वी) द्वारा पड़ाव की समाप्ति के प्रति भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- डीजीएस ने आईएमयू (V) द्वारा सभी मापदण्डों/पड़ावों के समापन के पहले अप्रैल 2004 से अप्रैल 2006 के बीच डीजीएस (V) को ₹4.49 करोड़ (चरण-I की लागत का 89 प्रतिशत) का भुगतान किया।
- चरण- I में समाप्त किए जाने की योजना किए गए 36 मापदण्डों में से केवल 14 को 2009 में क्रियात्मक किया जा सका था। तथापि, डीजीएस ने मंत्रालय को सूचित किया (सितम्बर 2006) कि परियोजना का प्रथम चरण सफल था तथा समय पर समाप्त किया गया था तथा परियोजना के चरण-II की अंतिम स्वीकृति का अनुरोध किया गया था। डीजीएस द्वारा चरण-II हेतु ₹4.96 करोड़ की राशि संस्वीकृत (दिसंबर 2006) की गई थी। चरण-II कार्य हेतु अनुबंध मार्च 2007 में डीजीएस तथा आईएमयू (V) के बीच किया गया था तथा अप्रैल 2007 में ₹4.40 करोड़ की राशि आईएमयू (V) को अदा की गई थी। इस राशि को आईएमयू (V) द्वारा आवधिक जमा में रखा गया था (जून 2008)।

- आईएमयू (V) ने चरण-I के अंतर्गत ₹5.10 करोड़ का व्यय किया था (चरण-II में से 0.56 करोड़, जिसका व्यय वार्षिक अनुरक्षण संविदा हेतु किया गया था, सहित)। 2007 में चरण-II हेतु संस्वीकृत निधियां आईएमयू (V) के पास आवधिक जमा में अप्रयुक्त पड़ी थीं। आवधिक जमा (मार्च 2016) में पड़ी राशि ₹7.98 करोड़ थी जिसमें ₹4.13 करोड़ की राशि सम्मिलित थी। इस प्रकार, नौ वर्षों से अधिक के लिए ₹3.85 करोड़ की निधियों का अवरोधन था। डीजीएस ने उत्तर (अगस्त/अक्टूबर 2016) में स्वीकार किया कि 2009 से केवल 14 माइयूनों को विकसित तथा क्रियात्मक किया गया था। यह भी बताया गया था कि हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के कुछ तकनीकी मुद्दों सहित विभिन्न कारणों के कारण इन माइयूनों का न तो पणधारकों और न ही डीजीएस, जीओआई द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग किया गया था। परिणामस्वरूप डीजीएस, जीओआई के कई कार्य को पार्ट मैनुअल तथा आधे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर किया जा रहा था।

डीजीएस ने यह भी बताया कि पिछले डेढ़ साल से नए माइयूनों को विकसित किया गया था तथा कि मौजूदा ई-गवर्नेंस प्रणाली का अब बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा था। डीजीएस ने आगे सूचित किया कि मर्चेंट शिपिंग अधिनियम का सुधार किया गया था जिसके कारण कुछ माइयूनों में विलम्ब हुआ तथा चरण-I व II में सम्मिलित सभी माइयूनों को एक नई ई-गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा। नई ई-गवर्नेंस परियोजना, जिसे 4 चरणों में विकसित किया जाना था, को 2017 में कार्यान्वित किया जाएगा। मौजूदा ई-गवर्नेंस प्रणाली को एक पूर्णतः नई, अद्यतित, उत्कृष्ट ई-गवर्नेंस परियोजना से बदला जाना था। इसके अतिरिक्त, मौजूदा ई-गवर्नेंस प्रणाली, 10 वर्षों से अधिक पुरानी होने से, अप्रचलित हो गई थी तथा सुधार किए जाने की आवश्यकता थी।

डीजीएस के उत्तर को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए देखे जाने की आवश्यकता है:

- डीजीएस की सशक्त तकनीकी सलाहकार समिति ने शीघ्रताशीघ्र अगस्त 2007 में सुझाव दिया था कि परियोजना के चरण-II में व्यय करना विवेकपूर्ण नहीं होगा जब तक कि अनुमापकता तथा निष्पादन जांच सहित चरण-I की कठिनाइयों तथा मुद्दों को हल नहीं किया जाता। यह लेखापरीक्षा तर्क को सिद्ध करता है कि चरण-II हेतु निधियों को जारी नहीं किया जाना चाहिए।
- परियोजना को एक दशक पहले (2005) प्रारम्भ किया गया था। यह तर्क कि विलम्ब मर्चेंट शिपिंग अधिनियम के सुधार के कारण था शामिल लम्बी अवधि को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत नहीं है।

फरवरी 2005 में नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु एकल सम्पर्क केन्द्र के लिए शुरू से अंत तक समाधान प्रदान करने के लिए चरण-I के अंतर्गत प्रारम्भ परियोजना ने 11 वर्षों के बीत जाने तथा ₹5.10 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् भी प्रत्याशित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया था। कुछ माइयूल्स को विकसित किया गया था जिन्हें पहले ही सुधार की आवश्यकता थी। मार्च 2007 में संस्वीकृत परियोजना के चरण-II को अप्रैल 2007 में ₹4.41 करोड़ के निर्गम के बावजूद 9 वर्षों के पश्चात् भी प्रारम्भ नहीं किया गया है।

इस प्रकार ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमियों का परिणाम ₹5.10 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् प्रत्याशित लाभों की गैर-प्राप्ति तथा नौ वर्षों के लिए कुल ₹3.85 करोड़ की निधियों के अवरोधन में हुआ (दिसम्बर 2016)।

मामला अगस्त 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

विशाखापट्टनम पत्तन न्यास

19.4 बकाया दावों की गैर-वसूली

विशाखापट्टनम न्यास, अनुबंध में प्रावधान के अभाव के कारण भारतीय रेल से ₹4.64 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा।

विशाखापट्टनम पत्तन न्यास (वीपीटी) तथा भारतीय रेल के बीच स्थायी औपचारिक अनुबंधों के अनुसार, आवक और जावक भाड़ा परिवहन डब्बों को प्राप्त एवं प्रेषण (आर एण्ड डी) यार्ड पर वीजीटी अथवा रेलवे, जैसा भी मामला हो, के साथ बदलता जाता है जो बाद में आगे के परिवहन हेतु उत्तरदायी है। वर्ष 2010 से तथा औपचारिक अनुबंध के बिना वीपीटी तथा रेलवे ने नई प्रक्रिया को कार्यान्वित किया जिसके द्वारा आरएण्डडी यार्ड का उपयोग करने के बजाए डिब्बों को सीधे वीपीटी तथा रेलवे यार्ड, विज़ाग में लदान तथा उतराई बिन्दु हेतु प्रेषित किया जाता है। वीपीटी तथा रेलवे ऐसे परिवहन हेतु एक दूसरे के प्रति आवधिक रूप से दावें प्रस्तुत करते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2015) कि जुलाई 2010 से अप्रैल 2015 की अवधि के लिए रेलवे के प्रति ₹4.64 करोड़ का निवल दावा बकाया था। वीपीटी ने बताया (दिसंबर 2015) कि बकाया दावों को अनुबंध में प्रावधान के अभाव के कारण वसूला नहीं जा सका था फिर भी उपयुक्त प्रावधानों को 2016 के अनुवर्ती अनुबंध में शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया (अप्रैल 2016)।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण वित्तीय आशयों को औपचारिक अनुबंध के बिना जोड़ा नहीं जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, ₹4.64 करोड़ की वसूली सन्देहास्पद थी।

19.5 शिक्षा शुल्क की अनियमित प्रतिपूर्ति

विशाखापट्टनम पत्तन न्यास ने श्रम निपटान के प्रावधानों के विपरीत महाविद्यालय पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा शुल्क के प्रति ₹1.47 करोड़ अधिक अदा/अनियमित रूप से अदा किए।

विशाखापट्टनम पत्तन न्यास (वीपीटी) कर्मचारी (शैक्षणिक सहायता) विनियम, 1990 अनुबंध करता है कि एक कर्मचारी बच्चों के शिक्षा भत्तों का आहरण करने का पात्र है जब वह अपने बच्चे को उस स्थान जहां वह तैनात है/तथा अथवा रहता है, में अपेक्षित कोटि के विद्यालय के अभाव के कारण स्थान से दूर विद्यालय में भेजने के लिए बाध्य है। विनियम आगे प्रावधान करते हैं कि एक कर्मचारी शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति का पात्र होगा बशर्ते उस बच्चों का शैक्षणिक भत्ता स्वीकार्य नहीं है। शिक्षा शुल्क की ऐसी प्रतिपूर्ति कक्षा-1 से लेकर इंटर, पूर्व विश्वविद्यालय तथा तकनीकी, चिकित्सा बहुशिल्प अथवा पत्राचार महाविद्यालय पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा की सीमाओं के अन्दर स्वीकार्य है।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने एक द्विपक्षीय मजदूरी मोल भाव समिति (बीडब्लूएनसी) का गठन किया (25 जनवरी 2007) जिसमें साथ-साथ वर्ग ग तथा वर्ग घ कर्मचारियों⁴ के मुख्य महासंघों के प्रतिनिधि तथा पत्तनों एवं गोदियों के कामगार शामिल थे। निपटान (19 जनवरी 2010)⁵ के अनुसार बच्चों के शिक्षा शुल्क तथा शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति को 'बच्चों की शिक्षा भत्ता योजना' के रूप में मिला दिया गया था। ऐसी प्रतिपूर्ति कक्षा नर्सरी से बारहवीं तक शिक्षा हेतु स्वीकार्य थी। वीपीटी ने मजदूरी अनुबंध को कार्यान्वित किया तथा मंत्रालय को मजदूरी अनुबंध के अनुसार विनियमों में व्यापक संशोधनों हेतु लिखा (नवम्बर 2012)। संशोधनों में विशेष रूप से कथित महाविद्यालय पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के संदर्भों को हटाने का प्रस्ताव था। तथापि, मंत्रालय को अभी भी संशोधन को स्वीकृत करना है (अगस्त 2016)।

इसी बीच, वीपीटी ने अपने कर्मचारियों को तकनीकी, चिकित्सा, बहुशिल्प तथा पत्राचार महाविद्यालय पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति करना जारी रखा। लेखापरीक्षा में इस पर आपत्ति किए जाने पर (नवम्बर 2015) वीपीटी ने 29 दिसम्बर 2015 से भुगतान को रोक दिया था। तथापि, अस्वीकार्य शिक्षा शुल्क के भुगतान की ₹1.47 करोड़⁶ (अगस्त 2016) की वसूली लम्बित है।

⁴ श्रेणी III तथा श्रेणी IV के कर्मचारियों के रूप में भी जाना जाता है

⁵ 1 जनवरी 2007 से लागू

⁶ अधिक भुगतान (1 जनवरी 2010 से 28 दिसंबर 2015)

वीपीटी ने उत्तर दिया (28 दिसंबर 2015) कि शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के मामले को अन्य पत्तनों में स्थिति का निर्धारण करने के पश्चात् भारतीय पत्तन संघ तथा यूनियनों के साथ उठाया जाएगा। उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत नहीं है कि मजदूरी अनुबंध के परिणामस्वरूप प्रारम्भ बच्चों की शिक्षा भत्ता योजना, महाविद्यालय शिक्षा के संबंध को छोड़कर, पहले की योजनाओं से अधिक उदारतावादी⁷ है। मजदूरी अनुबंध के अनुसार कर्मचारियों को नई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा उनके द्वारा पहले की योजना के अंतर्गत उपलब्ध खुले लाभों को उठाने तथा चयन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इसके प्रकाश में, वीपीटी को बच्चों के शिक्षा भत्ते के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को अधिक अदा/अनियमित रूप से अदा किए गए ₹1.47 करोड़ की वसूली करना अपेक्षित है।

मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

कोचीन पत्तन न्यास

19.6 पट्टा करार को तैयार करने में उचित सचेतना की कमी के कारण राजस्व की हानि

कोचीन पत्तन न्यास को भूमि के आवंटन हेतु पट्टा करार में असंगत शर्तों को शामिल करने के कारण ₹1.98 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) ने मैसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड को, सीमेन्ट प्रबंधन सुविधा के निर्माण हेतु 30 वर्षों की अवधि के लिए 10,000 वर्ग मीटर माप की भूमि का आवंटन किया (मार्च 2001)। आवंटन की शर्तों ने आवंटिती द्वारा भूमि का अधिकार लेने की तिथि से 3 लाख टन प्रति वर्ष के न्यूनतम आश्वासित प्रवाह क्षमता (एमजीटी) का प्रावधान किया। आवंटन को

⁷ नई योजना में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान शामिल है जो पहले की योजना में शामिल नहीं थे (i) यह बच्चों के अध्ययन के स्थान पर ध्यान दिए बिना सभी कर्मचारियों को एकसमान रूप से लागू है; (ii) इसमें नर्सरी कक्षा में शिक्षा शामिल है; (iii) इसमें पहले की सीमा जो ₹40 प्रति माह से ₹105 प्रतिमाह के बीच थी, की तुलना में ₹1000 प्रति बच्चा (₹2000 विक्लांग बच्चों के लिए) की उच्चतर मासिक सीमा जमा विज्ञान शुल्क जो ₹10 से ₹15 प्रतिमाह के बीच लागू है, शामिल है; (iv) यह मासिक सीमा में आवधिक वृद्धि का प्रावधान करती है; (v) इसमें पहले की योजना के तहत विशेष रूप से अपवर्जित पांच श्रेणियों सहित प्रतिपूर्ति हेतु पात्र दस श्रेणियां शामिल हैं; (vi) इनमें पाठ्य, नोटबुक, विद्यालय की वर्दी तथा जूतों की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

गैर-निर्माण तथा आवंटन पत्र के अनुसार एमजीटी के संबंध में शर्तों की गैर-पूर्ति के कारण अप्रैल 2008 में समाप्त कर दिया गया था परंतु फरवरी 2009 में फिर से बहाल कर दिया गया, जब आवंटिती ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दर्ज (मई 2008) की थी। सीओपीटी ने नवम्बर 2010 में मैसर्स अल्ट्रा टेक सीमेन्ट लिमिटेड (मैसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड की विघटित इकाई) के साथ पट्टा करार किया गया था। पट्टा अनुबंध की धारा 7 (छ) के अनुसार यदि पट्टेदार परियोजना को चालू करने की तिथि से प्रारम्भ एमजीटी का प्राप्त करने में विफल होता है तो पट्टेदार घाट-भाड़ा तथा बर्थ किराया प्रभारों में कमी को अदा करने को बाध्य था। भूमि के उद्धार के पश्चात् सीओपीटी द्वारा यह माना गया था (मार्च 2010) कि सीमेन्ट प्रबंधन सुविधा का निर्माण पट्टेदार द्वारा फरवरी 2011 तक समाप्त कर दिया जाएगा। सीओपीटी ने अक्टूबर 2011 से एमजीटी के भुगतान के तहत निर्माण अविधि को फरवरी 2011 से फरवरी 2013 तक फिर से बढ़ा दिया (दिसम्बर 2011)। परिणामस्वरूप, चूंकि पट्टेदार को अप्रैल 2013 में प्रथम शिपमेंट को सुनिश्चित करना था इसलिए सीओपीटी ने अक्टूबर 2011 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए ₹2.21 करोड़ (₹0.24 करोड़ के सेवा कर सहित) के एमजीटी भुगतान हेतु नोटिस भेजा (मई 2013)। तथापि पट्टेदार ने पट्टा करार की धारा 7 (i) जो अनुबंध करता है एमजीटी पट्टेदार को लागू नहीं था, को बताते हुए भुगतान करने से इंकार कर दिया था (जून 2013)। परिणामस्वरूप, पट्टा करार में असंगत शर्तों को शामिल करने के कारण वसूली नहीं की जा सकी थी जबकि पट्टेदार ने मार्च 2014 तक एमजीटी को प्राप्त नहीं किया था। इसके पश्चात् पट्टा करार को धारा 7 (i) को हटाते हुए तथा एमजीटी भुगतान को 1 अक्टूबर 2014 से लागू करते हुए संशोधित (24 फरवरी 2016) किया गया था। इस प्रकार, सीओपीटी की पट्टा अनुबंध तैयार करने में उचित सचेतना के सुनिश्चित करने की विफलता का परिणाम अक्टूबर 2011 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए ₹1.98 करोड़ (सेवा कर को छोड़कर) के राजस्व की हानि में हुआ। सीओपीटी ने तथ्यों को स्वीकार किया।

मामला सितंबर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय-XX : कपड़ा मंत्रालय

राष्ट्रीय जूट बोर्ड

20.1 पूंजीगत आर्थिक सहायता के संवितरण पर योजना उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में विफलता

राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा 16 जूट इकाइयों को ₹3.80 करोड़ की आर्थिक सहायता प्लांट एवं मशीनों के अधिग्रहण (पूंजीगत सहायता) के उल्लंघन में दी गई।

राष्ट्रीय जूट बोर्ड (एनजेबी) के माध्यम से कपड़ा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित “संयंत्र तथा मशीनरी अधिग्रहण (पूंजीगत आर्थिक सहायता) योजना” की शर्तों के अनुसार जूट मिलें नए संयंत्र तथा मशीनरी के अधिप्रापण लागत का 20 प्रतिशत की आर्थिक सहायता लेने के पात्र हैं। एनजेबी ने योजना के अंतर्गत 2007-08 तथा 2013-14 की अवधि के बीच 120 जूट मिलों को ₹104.36 करोड़ की आर्थिक सहायता संवितरित की। जूट आयुक्त, कोलकाता कार्यालय के लेखापरीक्षा कर्मचारियों तथा एनजेबी से बनी एक टीम ने 21 जूट मिलों, जिन्होंने 2007-08 तथा 2013-14 के बीच आर्थिक सहायता के रूप में ₹24.21 करोड़ प्राप्त किए थे, का एक संयुक्त निरीक्षण किया (मार्च-अप्रैल 2015 तथा जुलाई-अगस्त 2016 के दौरान)। लेखापरीक्षा ने पाया कि 16 जूट यूनिटों को ₹3.80 करोड़ की आर्थिक सहायता का भुगतान योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन था जिसका वर्णन नीचे विस्तार से किया गया है:

पुरानी मशीनों के लिए दी गई आर्थिक सहायता

निरीक्षित 21 यूनिटों में से 10 में, एनजेबी निरीक्षकों द्वारा दिए गए गलत प्रमाणन पर आधारित पुरानी मशीनों पर ₹1.92 करोड़ राशि की आर्थिक सहायता दी गई थी।

मिल में आर्थिक सहायता प्राप्त मशीनों का न पाया जाना

योजना के अनुसार जूट मिलों द्वारा उन मशीनरियों जिस पर आर्थिक सहायता संवितरित की गई थी आर्थिक सहायता की प्राप्ति की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के भीतर उनका बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 21 यूनिटों के संयुक्त निरीक्षण से प्रकट हुआ कि 34 मशीनें जिन पर ₹0.88 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी की गई थी, मिल परिसर में नहीं पाई गई थीं।

जूट का उत्पादन न करने वाली मशीनों पर वितरित आर्थिक सहायता

एक मामले में यह पाया गया था कि एक फर्म ने मार्च 2008 में ₹ 1 करोड़ राशि की पूंजीगत आर्थिक सहायता प्राप्त की थी जबकि उसने केवल सूती धागे का ही उत्पादन किया था तथा परिसर में लगाई गई सभी मशीनें केवल सूती धागे के उत्पादन हेतु उपयोग की गई थीं।

इसके बावजूद, एनजेबी निरीक्षक ने, योजना के अंतर्गत मशीनों को प्रमाणित किया था। एक अन्य मामले में, यह पाया गया था कि एक मशीन को छोड़कर अन्य सभी मशीनें जिन पर ₹6.32 लाख की आर्थिक सहायता संवितरित की गई थी, सिंथेटिक कपड़ा उत्पादन करने वाली थीं न कि जूट का उत्पादन करने वाली मशीनें।

एनजेबी ने उत्तर दिया (जून 2015) कि संबंधित निरीक्षकों के प्रमाणपत्रों के आधार पर आर्थिक सहायता जारी की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सुनिश्चित करना एनजेबी की जिम्मेदारी थी कि योजना की शर्तों का उपयुक्त रूप से पालन हो रहा है।

मामला दिसम्बर 2015 को सौंपा गया था; जनवरी 2017 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय XXI : जनजातीय मामले मंत्रालय

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमि. (टीआरआईएफईडी)

21.1 कार्यालयी परिसर के अधिग्रहण में हानि

जनजातीय मामला मंत्रालय द्वारा पर्याप्त आकलन के अभाव में तथा कार्यालयी परिसर हेतु लागू शर्तों के अनुसार टीआरआईएफईडी की विफलता के परिणामस्वरूप तीसरी किस्त (₹5.20 करोड़) का असामयिक भुगतान, ब्याज का समग्र घाटा (₹3.15 करोड़) तथा अपवर्तन प्रभारों (₹0.54 करोड़) का अनावश्यक भुगतान हुआ।

भारतीय जनजातीय सरकारी विपणन विकास संघ लिमि. (टीआरआईएफईडी) जनजातीय मामला मंत्रालय (मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक बहुराज्यीय सहकारी समिति है। मार्च 2013 में, मंत्रालय ने टीआरआईएफईडी को लक्ष्मी नगर नई दिल्ली में कार्यालयी स्थान के खरीद मूल्य (₹30 करोड़) को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए एक बार सहायता अनुदान के रूप में ₹15 करोड़ संस्वीकृत किए तथा शेष राशि टीआरआईएफईडी द्वारा एशियाई खेल गांव परिसर नई दिल्ली में अपने दो फ्लैटों की बिक्री करके प्राप्त करनी थी। जब खरीद सौदा फलदायक नहीं रहा तो मंत्रालय ने टीआरआईएफईडी को किदवई नगर, नई दिल्ली में ₹53.70 करोड़¹ पर एक वैकल्पिक परिसर खरीदने में राशि का उपयोग करने के लिए अनुमत किया (अगस्त 2013)। यद्यपि मंत्रालय को उसकी फाइलों से स्पष्ट था कि टीआरआईएफईडी खरीद मूल्य की शेष राशि पूर्ण रूप से अपने स्रोतों से ही पूरी करेगा, फिर भी वह टीआरआईएफईडी को उस समय यह तथ्य सूचित करने में विफल रहा। उस समय मंत्रालय ने 17 दिसम्बर 2013 को यह स्पष्ट किया और टीआरआईएफईडी ने परिसर की खरीद हेतु ₹5.11 करोड़ की प्रथम किस्त सहित एनबीसीसी (भारत) लिमिटेड (एनबीसीसी) को आवेदन किया (नवम्बर 2013)। तदन्तर टीआरआईएफईडी ने दूसरी और तीसरी किस्तों के ₹5.63 करोड़ (दिसम्बर 2013) तथा ₹5.20 करोड़ (जनवरी 2014) जमा कराए।

¹ शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एक लोक क्षेत्र उपक्रम है। इस राशि में अनुरक्षण प्रभार तथा सेवा कर शामिल नहीं है।

जब टीआरआईएफडी ने, एनबीसीसी को और किस्तों का भुगतान हेतु निधियां प्राप्त करने के लिए सम्पर्क किया (अप्रैल और जुलाई 2014) तो मंत्रालय ने टीआरआईएफडी को परियोजना को वापस लेने का निर्देश दिया (अगस्त 2014)। टीआरआईएफडी द्वारा एनबीसीसी को यह तथ्य सूचित करने (अगस्त 2014) पर एनबीसीसी ने ₹0.54 करोड़ (कुल बिक्री मूल्य का 1 प्रतिशत सेवा प्रभार) के अपवर्तन प्रभारों की कटौती करके ₹15.40 करोड़ टीआरआईएफडी को वापस कर दिए (मई 2015), जिसने मंत्रालय को ₹15.01 करोड़² का पुनर्भुगतान किया (मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- मंत्रालय इस बात से अवगत था कि टीआरआईएफडी मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदानों पर पूरी तरह से आश्रित था यहाँ तक की अपने सामान्य कार्यों³ के लिए भी तथा एशियाई खेल गांव⁴ में उसके दो फ्लैटों की बिक्री की राशि भी एनबीसीसी परिसर हेतु भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मंत्रालय को प्रारंभ से ही स्पष्ट था कि उसको पहले दिए गए ₹15 करोड़ के अतिरिक्त और कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद मंत्रालय ने ₹53.70 करोड़ की परिसरों की खरीद हेतु मुख्य अनुमोदन प्रदान किया तथा टीआरआईएफडी को समय पर निधियों की सीमा के बारे में न सूचित करके समस्या को और बढ़ा दिया।
- एनबीसीसी को जब परिसरों की खरीद हेतु आवेदन किया गया (नवम्बर 2013) तो टीआरआईएफडी ने यह माना था कि क्रय अनुबंध केवल अस्थायी था तथा औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् ही यह अंतिम तथा बाध्य बनेगा। औपचारिक अनुबंध के अभाव में टीआरआईएफडी द्वारा ₹5.20 करोड़ की तीसरी किश्त का भुगतान असामयिक था। इसके अतिरिक्त आवेदन के अनुसार तीसरी किश्त का भुगतान निर्धारित तिथि तक या खुदाई आरंभ होने के 30 दिनों के

² उसके द्वारा समय-समय पर रोकी गई उपर्युक्त राशि पर उसके द्वारा अर्जित ब्याज सहित।

³ 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान मंत्रालय से प्राप्त ₹32.29 करोड़ के सहायता अनुदान में से ₹35 करोड़ औसतन वार्षिक व्यय।

⁴ प्रारंभ में कुल ₹9.63 करोड़ पर अनुमानित मूल्य।

भीतर जो भी बाद में ही किया जाना था इसका अर्थ यह है कि उस समय तक टीआरआईएफईडी तीसरी किश्त के लिए पहले एनबीसीसी से मांग प्राप्त होना जरूरी था। तथापि, टीआरआईएफईडी ने एनबीसीसी से मांग प्राप्त हुए बिना 20 जनवरी, 2014 में तीसरी किश्त का भुगतान किया।

- इसके अतिरिक्त, ₹15 करोड़ तीन वर्षों से अधिक समय (मार्च 2013 से मार्च 2016 तक) के लिए भारत की समेकित निधि से बाहर रहे, जिससे ₹3.15 करोड़⁵ का ब्याज प्रभावित हुआ।

टीआरआईएफईडी ने सूचित किया (जून 2016) कि इस परियोजना से हटने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह फ्लैटों के लिए उपयुक्त मूल्य प्राप्त नहीं कर सका तथा मंत्रालय ने अतिरिक्त निधियां संस्वीकृत नहीं की थी। मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2016) कि उसने अगस्त 2013 में इस शर्त पर सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान किया कि अतिरिक्त निधियां टीआरआईएफईडी द्वारा अपने स्रोतों से पूरी की जाएगी इसके अतिरिक्त टीआरआईएफईडी अपने दोनों फ्लैट बेचने में असफल रहा।

पहले बताए गए कारणों से टीआरआईएफईडी तथा मंत्रालय के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं। इस प्रकार, सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान करते समय यथोचित कार्रवाई करने में मंत्रालय की विफलता तथा आबंटन हेतु लागू शर्तों का पालन करने में टीआरआईएफईडी की असफलता के परिणामस्वरूप ₹3.69 करोड़⁶ की हानि हुई।

⁵ भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की औसतन उधार दर पर परिकल्पित।

⁶ अपवर्तन प्रभारों के अनावश्यक भुगतान पर ₹0.54 करोड़ तथा तीन वर्षों से अधिक के लिए सी एफ आई से बाहर रहे ₹15 करोड़ पर ब्याज के ₹3.15 करोड़।

अध्याय XXII : शहरी विकास मंत्रालय

22.1 समापन-सह-अधिभोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होने के कारण वित्तीय हानि

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी), द्वारका, नई दिल्ली के स्टाफ क्वार्टरों हेतु समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के परिणामस्वरूप उनके निर्माण पर किया गया ₹2.81 करोड़ का व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त क्वार्टरों के अनुरक्षण तथा निगरानी तथा एचआरए के भुगतान पर ₹0.88 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया तथा ₹1.53 करोड़ राशि के लाइसेंस शुल्क की भी प्राप्ति नहीं हुई थी।

दिल्ली संघ शासित क्षेत्र भवन उप नियम, 1983, के खण्ड 7.5.1 के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, कोई व्यक्ति जब तक उसे अधिभोग प्रमाणपत्र उस भवन या उसके भाग के लिए नहीं मिल जाता है, तब तक किसी उद्देश्य हेतु किसी अन्य व्यक्ति को कोई भवन या भवन के किसी भाग को अधिकृत करने की अनुमति नहीं देगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मालिक को, भवन परमिट में वर्णित निर्माणकार्य समापन के संबंध में डीडीए को भवन के समापन कार्य का एक नोटिस प्रस्तुत करना होगा।

सीपीडब्ल्यूडी ने भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के लिए 57 क्वार्टरों का निर्माण किया और उसके लिए ठेकेदार को ₹2.81 करोड़ का भुगतान किया। निर्माण कार्य जो जनवरी 2005 में पूर्ण होना नियत था, वास्तव में अक्टूबर 2009 में पूर्ण किया था।

संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- डीडीए से समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र अभी प्राप्त होना था (जनवरी 2017)। इससे आईएमडी के स्टाफ को क्वार्टरों का आबंटन करने में बाधा आई।

- आईएमडी ने, डीडीए से समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को बार-बार अनुरोध किया (अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2013 तक)।
- सीपीडब्ल्यूडी ने डीडीए को समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए यह बताते हुए लिखा (जनवरी 2010) कि उसने सुसंगत दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र दिसम्बर 2009 में जमा कर दिया था। डीडीए ने सीपीडब्ल्यूडी को सूचित किया (मार्च 2010) कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्बन कॉपी आरेखणों के पूर्ण सैट तथा अपेक्षित शुल्क प्रस्तुत किए जाएं।
- सीपीडब्ल्यूडी ने, डीडीए को यह बताते हुए लिखा (मई 2010 तथा जून 2010) कि समापन सह अधिभोग प्रमाण जारी करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज संलग्न कर दिए थे। प्रत्युत्तर में, डीडीए ने सीपीडब्ल्यूडी को सूचित किया (अप्रैल 2011) कि उन्होंने केवल दिल्ली जल बोर्ड/दिल्ली नगर निगम को केवल सेवा योजनाएं ही भेजी थी तथा समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र हेतु अनुरोध उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं किया गया था।
- सीपीडब्ल्यूडी ने, समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने हेतु डीडीए में विभिन्न दस्तावेज पुनः प्रस्तुत किए (दिसम्बर 2011)। प्रत्युत्तर में डीडीए ने प्रस्तुत आवेदनपत्र में पाई गई कमियों, जिसमें समापन/प्रक्रिया शुल्क जमा कराने में विफलता, अपूर्ण दस्तावेज जैसे आरेखण सैट, दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) प्रपत्र, बाह्य समाप्ति प्रमाणपत्र विचलन प्रमाणपत्र, फॉर्म बी-3 आदि का प्रस्तुतीकरण तथा मॉडल फोटोसैट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अनुमोदित सेवा योजनाओं, वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) तस्वीरों तथा आवेदन सहित वास्तुकार द्वारा सत्यापित संस्वीकृत आरेखणों के पूर्ण सैट जैसे दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना शामिल था, के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी को सूचित किया (जून 2012)।

- डीडीए को दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति पर लेखापरीक्षा द्वारा पूछताछ करने पर सीपीडब्ल्यूडी ने सूचित किया (नवम्बर 2015) कि डीडीए की वांछनीयता के अनुसार जून 2012 में अपेक्षाओं का अभी अनुपालन किया जाना था क्योंकि संबंधित मंडल का अन्य निर्माण कार्यों में शामिल होने तथा परियोजना से संबंधित पुराने अभिलेखों को ढूंढने का एक भारी कार्य था। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अप्रैल 2016 तक इन कमियों को पूरा नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि डीडीए को दस्तावेजों को प्रस्तुतीकरण तथा औपचारिकताएं उनकी ओर से लम्बित थे।
- यह पाया गया था कि सीपीडब्ल्यूडी ने, भवन उपनियम 1983 के प्रावधानों का उल्लंघन करके डीडीए से समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना आईएमडी को 17 क्वार्टर सौंप दिए थे (मार्च 2014)। इन 17 क्वार्टरों में से 13 क्वार्टर आईएमडी के कर्मचारियों को आबंटित किए थे।

सीपीडब्ल्यूडी ने आगे बताया (जनवरी 2017) कि समापन-सह-अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उन्होंने डीडीए के साथ बहुत प्रयास किया था लेकिन डीडीए ने उसे जारी नहीं किया। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि जनवरी 2017 तक 21 क्वार्टर आईएमडी के स्टाफ द्वारा अधिकृत किए गए थे तथा सभी दस्तावेज डीडीए को 3 जनवरी 2017 को पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी ने, समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेज डीडीए को शीघ्र प्रस्तुत नहीं किए थे जिसके परिणामस्वरूप समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र निर्माण समाप्त होने के पश्चात सात वर्षों से अधिक समय तक अभी भी प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा इस मुद्दे का निरूत्साहपूर्ण निपटान करने से न केवल ₹2.81 करोड़ की लागत पर निर्मित परिसम्पत्तियां व्यर्थ पड़ी रही बल्कि आईएमडी के स्टाफ को रिहायशी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 2009-10 से 2015-16 तक इन क्वार्टरों के अनुरक्षण तथा निगरानी पर ₹0.88 करोड़ का व्यय भी किया गया

था। इससे आईएमडी के स्टाफ को एचआरए के भुगतान के प्रति ₹1.53 करोड़ (वेतनमान में न्यूनतम वेतन के आधार पर परिकल्पित) का परिहार्य व्यय भी हुआ तथा 31 मार्च 2016 तक लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति भी नहीं हुई।

मंत्रालय को सितम्बर 2016 में इस मामले की सूचना दी गई, जनवरी 2017 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)

22.2 विभागीय प्रभार वसूल करने में विफलता के कारण हानि

करेंसी नोट प्रैस तथा इंडिया सिक्योरिटी प्रैस, नासिक हेतु निर्माण कार्यों पर विभागीय प्रभारों की वसूली में सीपीडब्ल्यूडी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹0.59 करोड़ के राजस्व का कम संग्रहण हुआ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) नासिक केन्द्रीय मंडल ने मार्च 2014 तथा मार्च 2016 के बीच करेंसी नोट प्रैस (सीएनपी) और इंडिया सिक्योरिटी प्रैस (आईएसपी) हेतु ₹4.94 करोड़ के मूल्य पर विभिन्न निर्माण के कार्यों का दायित्व लिया। सीएनपी तथा आईएसपी भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा टकसाल निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), एक केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम के भाग हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीडब्ल्यूडी 12 प्रतिशत (अर्थात् ₹0.59 करोड़) के विभागीय प्रभार जो सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के पैराग्राफ 12.1 की शर्तों के अनुसार उदग्राह्य था, वसूल करने में विफल रहा।

सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि आईएसपी ने सूचित किया था कि वह पूर्णतः भारत सरकार (जीओआई) के स्वामित्व में है तथा जीओआई के प्रभुसत्ता कार्यों के अतिरिक्त न व्यापार या वाणिज्यिक क्रियाकलाप का निष्पादन नहीं करता है; जबकि सीएनपी ने बताया था कि उसको औपचारिक रूप से एसपीएमसीआईएल में स्थानांतरित नहीं किया गया था और वह जीओआई का ही भाग रहा है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः निधिबद्ध केवल केन्द्रीय सरकार या स्वायत्त निकायों को ही विभागीय प्रभारों को भुगतान करने से छूट प्राप्त है तथा आईएसपी और सीएनपी, जो कि (एसपीएमसीआईएल), भारतीय

कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक कम्पनी है, एसपीएमसीआईएन के भाग हैं, को छूट प्राप्त नहीं है,

मामला अगस्त 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था, तथा उनका उत्तर जनवरी 2017 को प्रतीक्षित था।

22.3 ठेकेदार को अनुचित लाभ

संविदा शर्तों का उल्लंघन करके केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार को ₹0.56 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अलीगंज, नई दिल्ली में पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए एक नए भवन का निर्माण कार्य ₹86.97 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को सौंपा (जनवरी 2011)। निर्माण कार्य नवम्बर 2013 में पूर्ण हो गया था।

अनुबंध के एक भाग “परिमाण सूची” के पैरा 1.6.1 की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को, जैसाकि अपेक्षित था, पम्प से पानी बाहर निकालने सहित पानी या पानी के नीचे तथा/या तरल कीचड़ के कारण 22,960 क्यूबिक मीटर (सीयूएम) की मात्रा हेतु ₹22.96 लाख का भुगतान करना था। अनुबंध के भाग के ‘अतिरिक्त विनिर्देशनों’ के पैरा 1.4 में बताया गया था कि ठेकेदार स्थल का निरीक्षण करेगा और निष्पादन के समय सामना कर सकने वाले अवमृदा जल स्तर के बारे में अपना स्वयं निर्धारण करेगा और तदनुसार अपनी दरें उद्धृत करेगा। सभी मर्दों की दर में पानी बाहर निकालना या पानी छोड़ना, यदि अपेक्षित हो, आदि शामिल है। ठेकेदार को किसी भी स्थिति में इसके प्रति किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 1,41,119.88 सीयूएम मात्रा के पानी को पम्प द्वारा निकालने के लिए ठेकेदार को कार्य निष्पादन के दौरान ₹79.25 लाख का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹0.56 करोड़ की सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।

सीपीडब्ल्यूडी ने, उत्तर में बताया (जून 2016) कि अवमृदा जल स्तर का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं था तथा इसका वास्तव में नींव की खुदाई के दौरान ही पता लगाना था तथा ढांचे की संरचनात्मक मजबूती के लिए पम्प द्वारा पानी निकालना अत्यन्त आवश्यक था। विचलन के कारणों पर विचार

किया गया था तथा तदनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्रशासनिक अनुमोदन तथा संशोधित अनुमानों हेतु व्यय संस्वीकृति प्राप्त की गई थी (मई 2014)।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ठेकेदार को पम्प द्वारा पानी बाहर निकालने की अपेक्षाओं का निर्धारण करने के पश्चात ही अपनी दरें उद्धत करना अपेक्षित था तथा इसके प्रति उसको और कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाना था। इन भिन्न-भिन्न शर्तों के कारण, सीपीडब्ल्यूडी ठेका सौंपने में प्रतियोगी शर्तों को सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, संशोधित अनुमानों हेतु प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्राप्त करने से संविदात्मक प्रावधानों जो दोनों पार्टियों के बीच बाध्यता थी, का अमान्यकरण नहीं हुआ।

इस प्रकार, संविदा शर्तों का सख्ती से पालन न करने के कारण सीपीडब्ल्यूडी ने अतिरिक्त व्यय किया तथा ठेकेदार को ₹0.56 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2016 में सूचित किया गया; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XXIII : युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय

23.1 नेहरू युवा केन्द्र संगठन में वित्तीय प्रबंधन (एनवाईकेएस)

वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक ₹46.73 करोड़ के अव्ययित शेष, जो युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय द्वारा भावी अनुदानों से समायोजित किया जाना अपेक्षित था, सामान्य प्रयोजन अनुदानों में असमायोजित पड़ा था। एनवाईकेएस में चिन्हित निधियों के दुरुपयोग के मामले देखे गए जिसके कारण निधियां व्यर्थ पड़ी रही। एनवाईकेएस ने 2012-13 से 2014-15 तक के वर्षों के वार्षिक लेखाओं को 12 से 19 महीनों तक के विलम्ब से अंतिम रूप दिया। लेखाओं को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से खरीदा गया टेली सॉफ्टवेयर का एनवाईकेएस द्वारा अनुकूलतम उपयोग नहीं किया गया था। 338 जिलों में, जिला युवा समन्वयक तथा लेखा लिपिक-सह-टंककों की भारी कमी थी। अलीपुर तथा भुवनेश्वर के भुगतान एवं लेखा कार्यालय में भी 13 महीनों से 9 वर्षों तक के लिए ₹1.66 करोड़ राशि की निधियों के व्यर्थ पड़े रहने के उदाहरण देखे गये थे।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय (एनवाईकेएस) के अंतर्गत 1987 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। एनवाईकेएस के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवकों के मूल्यों एवं कुशलताओं को विकसित करने के लिए, जिससे वे आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और तकनीकी राष्ट्र के लिए उत्पादनकारी और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए एनवाईकेएस सरकारी विभागों तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त वित्तीय सहायता से अपने क्षेत्रीय संघटनों, क्लबों, महिला मंडलों तथा स्वयंसेवकों के द्वारा विभागीय कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

एनवाईकेएस, गवर्नर (बीओजी) जिसका अध्यक्ष युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्री होता है, द्वारा प्रबंधित होता है। एनवाईकेएस की गतिविधियां संस्थापन प्रलेख (एमओए) तथा वित्तीय उपनियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है। छः¹ संघ

¹ नई दिल्ली (यूटी) के कार्यालय में 29 राज्य-आंचलिक कार्यालय शामिल हैं।

शासित कार्यालयों तथा 29 राज्य-आंचलिक कार्यालय (जेडओ) जिसका अध्यक्ष आंचलिक निदेशक होता है, द्वारा 623 जिला स्तर नेहरू युवा केन्द्रों, के देशव्यापी नेटवर्क का पर्यवेक्षण किया जाता है। केन्द्रों की अध्यक्षता जिला युवा समन्वयक (डीवाईसी) करते हैं जबकि जेडओ और यूटी क्षेत्रीय निदेशकों की देखरेख में हैं।

एनवाईकेएस से क्षेत्रीय कार्यालयों में निधियों के सरल प्रवाह तथा जिला स्तर कार्यालयों में किए गए व्यय के समेकन हेतु 29 राज्य-आंचलिक कार्यालयों तथा छः यू.टी. कार्यालयों को छः पीएओ अंचलों में विभाजित कर दिया गया है।

एनवाईकेएस के लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रबंधन पर संकेन्द्रित करते हुए 2012-13 से 2015-16 तक की अवधि को शामिल किया गया है। वर्ष 2015-16 के लेखाओं को लेखापरीक्षा समाप्त होने तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 की अवधि के दौरान दिल्ली स्थित एनवाईकेएस मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली में) के तीन भुगतान एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ), पूर्वी क्षेत्र (भुवनेश्वर में तथा दक्षिणी क्षेत्र (बंगलुरु में) तथा जयपुर और शिमला में दो आंचलिक कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

23.1.2 निधियों का आबंटन और उपयोग

एनवाईकेएस अपने (i) प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् एमवाईएस (ii) अन्य मंत्रालयों, विकास विभागों/एजेंसियों तथा (iii) जेडओ/केन्द्रों से निधियां प्राप्त करता है तथा राज्य सरकारों सहित स्थानीय स्रोतों से भी विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के लिए निधियां प्राप्त करता है।

लेखापरीक्षा ने चिन्हित निधियों का दुरुपयोग केन्द्रों से इनपुट मंगवाए बिना नियमित कार्यक्रमों हेतु बजट की तैयारी तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निधि संग्रहण में कमी के मामले पाए। एनवाईकेएस द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त निधियों के विवरण की निम्न प्रकार चर्चा की गई है:-

23.1.2.1 सामान्य प्रयोजन अनुदान

एनवाईकेएस, अपनी स्थापना, वेतन तथा नियमित कार्यक्रमों/गतिविधियों² हेतु मुख्यतः एमवाईएएस से प्राप्त अनुदानों द्वारा वित्तपोषित होता है। एनवाईकेएस के वार्षिक लेखाओं के अनुसार 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 वर्षों के लिए अथ शेष, प्राप्त अनुदान, प्राप्त ब्याज आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

तालिका 2: वर्षवार प्राप्त किए गए अनुदान तथा उपयोग की गई राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त अनुदान	प्राप्त ब्याज तथा अन्य आय	जोड़	उपयोग की गई राशि	अंत शेष
2012-13	26.76	134.67	6.20 ³	167.63	132.32	35.31
2013-14	35.31	149.24	5.19	189.74	143.71	46.03
2014-15	46.03	168.65	6.35	221.03	174.30	46.73

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनवाईकेएस के पास 2012-13 के दौरान ₹35.31 करोड़ राशि की अव्ययित निधियां थी जो 31 मार्च 2015 को बढ़कर ₹46.73 करोड़ हो गई थी। एमवाईएएस द्वारा एनवाईकेएस को भावी अनुदान जारी करते हुए इसका समायोजन किए जाने की आवश्यकता थी। लेकिन अनुवर्ती अनुदान संस्वीकृत करते हुए इसको लेखे में नहीं लिया गया था। एनवाईकेएस तथा एमवाईएएस की वास्तविक अव्ययित शेषों का संज्ञान में लेने की विफलता से 31 मार्च 2015 तक ₹ 46.73 करोड़ की सीमा तक निधियों का संचय हो गया।

एनवाईकेएस ने अभियुक्ति को स्वीकार किया और बताया (नवम्बर 2016) कि एमवाईएएस से प्राप्त चिन्हित निधियों के अंतर्गत ₹46.73 करोड़ के शेष ब्याज के ₹24.90 करोड़ तथा 2007-08 से 2014-15 के दौरान अर्जित

² नियमित या कोर प्रोग्राम एक श्रेणी है जिसके लिए एनवाईकेएस को एमवाईएएस से अनुदान प्राप्त होता है और इसमें विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियां (जैसे युवा क्लब विकास कार्यक्रम, युवा नेतृत्व और समुदाय विकास पर प्रशिक्षण, थीम आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम आदि) शामिल हैं। जो समान रूप से सभी जिलों में आयोजित किए जाते हैं या बड़े पैमाने पर एक विशेष क्षेत्र में, जो वर्षों से अपने आचरण की नियमितता रखते हैं। सभी नियमित कार्यक्रम एनवाईकेएस की वार्षिक कार्य योजना में शामिल किए गए हैं।

³ इसमें पीएओ को अंतरित ₹ 1.42 करोड़ शामिल है।

विविध आय शामिल है। उसने आगे बताया कि उसी राशि को 2016-17 में उपयोग करने के लिए मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया था। शेष ₹21.83 करोड़ की राशि में बैंक शेष, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के असमायोजित अग्रिम, जिनका समाधान किया जा रहा था, शामिल है।

23.1.2.2 विशेष कार्यक्रम

एनवाईकेएस विशेष कार्यक्रम⁴ शीर्ष के अंतर्गत आवृत अपनी विविध योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एमवाईएएस से भी चिन्हित निधियां प्राप्त करती है। शर्तों के अनुसार, निधियों की राशि केवल उस प्रयोजन, जिसके लिए वह संस्वीकृत थी, हेतु उपयोग की जानी चाहिए तथा अनुदानग्राही संस्थान द्वारा सहायता अनुदान का अव्ययित शेष कार्यक्रम का आयोजन करने के बाद तत्काल वापस किया जाना चाहिए। 2012-13 से 2014-15 के दौरान विशेष कार्यक्रमों के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 3: विशेष कार्यक्रम (विनिर्दिष्ट निधियां) के अंतर्गत वर्षवार प्राप्त निधियां तथा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	समायोजन	प्राप्त अनुदान	व्याज अन्य आय	कुल निधियां	उपयोग की गई राशि (उपयोग की प्रतिशत)	वापस की गई राशि	अव्ययित शेष
2012-13	36.99	-	51.81	1.22	90.02	25.83 (29)	1.45	62.74
2013-14	62.74	0.53	44.41	1.21	108.89	42.60 (39)	1.71	64.58
2014-15	64.58	0.50	44.39	1.19	110.66	48.43 (44)	0.07	62.16

उपर्युक्त ने निधियों का बहुत कम उपयोग दर्शाया है क्योंकि 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान कुल निधियों का केवल क्रमशः 29 प्रतिशत, 39 प्रतिशत तथा 44 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया था।

एनवाईकेएस ने अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2016) कि वर्ष 2012-13 के ₹36.99 करोड़ के अथ शेष में राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक/राष्ट्रीय सड़क योजना/नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन कॉर्पस की अकार्यात्मक

⁴ एनवाईकेएस द्वारा एमवाईएएस तथा अन्य मंत्रालयों को प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर विशेष तथा प्रायोजित कार्यक्रमों हेतु निधियां प्राप्त की गई थी। इन योजनाओं को एनवाईकेएस द्वारा वार्षिक कार्यकारी योजना तथा वार्षिक बजट की तैयारी हेतु माना गया था।

योजनाओं से संबंधित ₹23.82 करोड़ शामिल थे। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कोई राशि खर्च नहीं की जा सकी। उसने आगे बताया कि अनुदान की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के अनुमोदन के बिना ब्याज की राशि उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं थी। उसने यह भी बताया कि अनुदानों का 11 से 60 प्रतिशत अंश इन वर्षों के दौरान अंतिम तिमाही में प्राप्त किया गया था।

इसने यह दर्शाया कि योजनाओं का कार्यान्वयन न होने के पश्चात ₹23.82 करोड़ के अथ शेष को एमवाईएस को वापस किया जाना चाहिए तथा 2012-13 से 2014-15 के दौरान अथ शेषों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। 2012-13, 2013-14 और 2014-15 वर्षों के दौरान शेष बचे क्रमशः ₹13.17 करोड़, ₹38.92 करोड़ तथा ₹40.76 करोड़ के अथ शेष कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने के लिए उपलब्ध थे जिसका एनवाईकेएस द्वारा ब्याज की राशि का उपयोग करने के लिए मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता था जो नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अव्ययित राशि को एमवाईएस को वापस करने की बजाए एनवाईकेएस तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालय ने 2012-13 से 2015-16 के दौरान निधियां अपने बैंक खाते में रखीं जिसके कारण निधियां व्यर्थ पड़ी रहीं।

23.1.2.3 प्रायोजित कार्यक्रम

एनवाईकेएस को, अन्य मंत्रालयों विकास विभागों/एजेंसियों द्वारा भी निधियां दी जाती हैं जो प्रायोजित कार्यक्रमों के श्रेणी के अंतर्गत आवृत होते हैं। सहायता अनुदान की राशि का केवल उस उद्देश्य जिसके लिए वह संस्वीकृत किया गया था, के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए तथा अव्ययित सहायता अनुदान शेष को अनुदानग्राही संस्थान द्वारा कार्यक्रम पूर्ण होने के तत्काल बाद वापस किया जाना चाहिए। 2012-13 से 2014-15 वर्षों के दौरान प्रायोजित कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त निधियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

तालिका 4: प्रायोजित कार्यक्रम (चिन्हित निधियां) के अंतर्गत उपलब्ध वर्षवार निधियां तथा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	समायो जन	वर्ष के दौरान प्राप्ति	ब्याज/अ न्य व्यय	कुल निधियां	उपयोग की गई राशि	वापस की गई राशि	अव्ययित शेष
2012-13	24.66	-	10.96	0.11	35.73	16.43 (46)	0.85	18.45
2013-14	18.45	6.24	16.69	0.11	41.49	11.42 (28)	शून्य	30.07
2014-15	30.07	-0.59	15.98	0.12	45.58	16.86 (37)	3.50	25.22

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-13, 2013-14 और 2014-15 वर्षों के दौरान कुल निधियों का केवल क्रमशः 46 प्रतिशत, 28 प्रतिशत तथा 37 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया था।

एनवाईकेएस ने अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2016) कि 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के अथ शेष में छः अकार्यात्मक योजनाओं⁵ से संबंधित ₹19.37 करोड़ शामिल हैं, इस प्रकार 2012-13 से 2014-15 तक के वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कोई राशि खर्च नहीं की जा सकी। इन योजनाओं के शेषों में अग्रिम जिसके प्रति व्यय पहले ही किया जा चुका था, लेकिन उ.प्र. प्रस्तुत न करने के कारण पूर्व वर्षों के लेखाओं में लेखाबद्ध नहीं किया गया था, की राशि शामिल थीं। उन्होंने यह भी बताया कि अनुदान की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के अनुमोदन के बिना उपयोग हेतु ब्याज उपलब्ध नहीं था तथा अनुदानों का बड़ा भाग वर्ष के अंत में/अंतिम तिमाही में प्राप्त हुआ था।

इसने यह दर्शाया कि ₹19.37 करोड़ के अथ शेषों को योजनाओं के अकार्यान्वयन के बाद निधियन एजेंसियों को वापस कर देना चाहिए तथा 2012-13 से 2014-15 के दौरान अथ शेषों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 2012-13 तथा 2014-15 तक के वर्षों के दौरान क्रमशः ₹5.29 करोड़ तथा ₹10.71 करोड़ के शेष अथ शेष कार्यक्रमों पर खर्च किए जाने के लिए उपलब्ध थे लेकिन राशि का उपयोग नहीं किया गया और राशि अव्ययित रही। 2013-14 के संबंध में ₹19.37 करोड़ के आंकड़ों के प्रति अथ शेष ₹18.45

⁵ स्वर्ण ग्राम सड़क योजना (₹9.39 करोड़) जंग-ए-आजादी (₹1.80 करोड़) संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम -टीएएचए (₹0.44 करोड़) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (₹6.71 करोड़), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (₹0.43 करोड़) तथा रेड रिबबन एक्सप्रेस (₹0.60 करोड़)।

करोड़ था, इस प्रकार एनवाईकेएस का उत्तर असंगत था। इसके अतिरिक्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ब्याज की राशि का उपयोग किया जा सकता था जोकि नहीं किया गया इस प्रकार निधियों का कम उपयोग हुआ था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनवाईकेएस तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने अव्ययित राशि निधियन एजेंसियों को वापस करने की बजाए 2012-13 से 2015-16 के दौरान अव्ययित निधियों को अपने बैंक खाते में रखा। इससे निधियां व्यर्थ पड़ी रहीं।

23.1.2.4 निधियों का समाधान न होना

एनवाईकेएस के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं से पांच विशेष तथा प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों⁶ के शेषों का संबंधित योजना/कार्यक्रम की बैंक पास बुकों की नमूना जांच करने पर आंकड़ों के बीच अंतर प्रकट हुए जिसके विस्तृत ब्यौरे अनुबंध-IX में दिए गए हैं।

एनवाईकेएस ने अपने उत्तर में तथ्य स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा बताया कि योजनाएं रोक दी गई हैं तथा समायोजन हेतु समाधान का कार्य चल रहा है। आगे, बैंक शेषों के आंकड़े एनवाईकेएस में अनुरक्षित लेखाओं के अनुसार ही था लेकिन वार्षिक लेखे के अनुसार शेषों में पीएओ के पास पड़ी निधियां शामिल किया।

एनवाईकेएस के उत्तर से यह पुष्टि हो गई थी कि अप्रयुक्त राशियां निधियन एजेंसियों को वापस करने की बजाय एनवाईकेएस के पास पड़ी थी।

23.1.2.5 त्रुटिपूर्ण बजट बनाना

वित्तीय उपनियम के नियम 4 (ए) के अनुसार एनवाईकेएस को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि केन्द्रों के अनुमान समेकित अनुमानों में विधिवत रूप से समाविष्ट हो गए हैं। केन्द्रों को प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त तक अपने अनुमान एनवाईकेएस में भेजना अपेक्षित था।

⁶ स्वर्ण ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय पुनर्रचनात्मक कॉर्पस, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम मानव तस्करी और एचआईवी/एड्स, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और कश्मीरी ग्रामीण युवा सांस्कृतिक कार्यक्रम।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नियमित कार्यक्रमों हेतु बजट बनाने की प्रक्रिया केन्द्रों से अनुमानित व्यय मंगवाए बिना एनवाईकेएस में समाप्त कर दी गई थी।

एनवाईकेएस ने उत्तर दिया कि वार्षिक कार्य योजना तैयार करने से पहले क्षेत्रीय पदाधिकारियों से पुनरीक्षा-व-योजना बैठक के दौरान तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रतिपुष्टि प्राप्त कर ली जाती है। तथापि उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए रिकार्ड में बजट तैयारी हेतु केन्द्रों से प्राप्त कोई इनपुट नहीं दर्शाया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि एनवाईकेएस द्वारा कार्यक्रमों की संख्या का केन्द्रों/क्षेत्रीय कार्यालयों से इनपुट प्राप्त किए बिना या जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन करने की आवश्यकता का निर्धारण किए बिना अपने मानदण्डों के आधार पर निर्णय किया गया था।

23.1.3. व्यय नियंत्रण

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनवाईकेएस द्वारा अपनी क्षेत्रीय इकाइयों को जारी निधियों की मॉनीटरिंग त्रुटिपूर्ण थी। इन मामलों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

23.1.3.1 केन्द्रों द्वारा पीएओ को उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में एनवाईकेएस के अनुदेशों के अनुसार, सभी यूसी⁷ अगले वित्तीय वर्ष के 15 अप्रैल तक मंडलीय निदेशक द्वारा विधिवत् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित होकर पीएओ में पहुँच जाने चाहिए। दिल्ली और भुवनेश्वर में पीएओ के अभिलेखों से पता चला कि, 122 केन्द्रों में से केवल 27 प्रतिशत (33 केन्द्र) 2012-13 में निर्धारित तिथि तक यूसी प्रस्तुत किए। यह प्रतिशतता 2014-15 से 2015-16 के दौरान 1 प्रतिशत (1 केन्द्र) तथा 3 प्रतिशत (4 केन्द्र) तक घट गई थी। पीएओ दिल्ली के मामले में, 111 केन्द्रों में से केवल 4 प्रतिशत केन्द्रों (1 केन्द्र) ने निर्धारित तिथि तक यूसी प्रस्तुत किए जबकि 2014-15 तथा 2015-16 में यह प्रतिशतता क्रमशः 23 प्रतिशत (25 केन्द्र) तथा 24 प्रतिशत (27 केन्द्र) थी।

⁷ केन्द्रों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र, प्राप्ति एवं भुगतान लेखों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए (नवम्बर 2016) एनवाईकेएस ने विलम्ब के लिए स्टाफ की अत्याधिक कमी को उत्तरदायी ठहराया।

23.1.3.2 मंडलीय कार्यालयों द्वारा केन्द्रों के व्यय का सत्यापन न किया जाना।

केन्द्र जेडओ के माध्यम से संबंधित पीएओ को उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं। जेडओ को केन्द्रों के व्यय का उसकी लेखा-पुस्तिकों तथा बजटीय प्रतिमानों के साथ सत्यापन करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली, जयपुर और भुवनेश्वर के मंडलीय कार्यालयों में, केन्द्रों के मूल अभिलेखों से व्यय का सत्यापन नहीं किया गया था। यद्यपि, मंडलीय कार्यालय, दिल्ली ने सूचित किया कि व्यय का मूल अभिलेख से सत्यापन किया जा रहा है, सत्यापन हेतु अपनायी गई प्रक्रिया तथा सहायक दस्तावेज की जांच लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

जेडओ जयपुर ने सूचित किया (अक्टूबर 2016) कि सभी केन्द्रों का व्यय स्टाफ की कमी के कारण मूल अभिलेखों से सत्यापित नहीं किया जा सका। जेडओ, भुवनेश्वर ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत यूसी के साथ संलग्न अनुबंधों से उनके द्वारा केवल नमूना जांच की गई थी।

इस प्रकार, कार्यालयों द्वारा मूल अभिलेखों से व्यय का सत्यापन किए बिना यूसी, पीएओ को प्रस्तुत किए गये थे।

23.1.4 लेखाविधि तथा प्रलेखन

एनवाईकेएस ने, 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान एवं, आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त चाटर्ड एकाउंटेंट को वार्षिक लेखाओं, जिसमें प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा और तुलनापत्र (एनवाईकेएस मुख्या. तथा छः पीएओ के संबंध में) था, बनाने का कार्य सौंपा।

23.1.4.1 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब

वित्त मंत्रालय के ओ.एम. (नवम्बर 2009⁸) के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त निकाय को लेखाविधि वर्ष की समाप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अपने लेखे पूरे करके लेखापरीक्षण हेतु उपलब्ध करा देने चाहिए।

सभी छः पीएओ आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट तथा केन्द्रों से यूसी प्राप्त होने के पश्चात अपनी लेखा-पुस्तकें तैयार करते हैं। एनवाईकेएस के लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए छः पीएओ के लेखाओं के पूर्व सैट अपेक्षित होते हैं। एनवाईकेएस के समेकित लेखे वित्त समिति को और तदन्तर बीओजी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं।

यह पाया गया था कि एनवाईकेएस द्वारा अनुमोदित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में निरन्तर विलम्ब था जोकि निम्नलिखित है:

तालिका 6: वार्षिक लेखाओं में वर्षवार विलंब

वर्ष	प्रस्तुतीकरण की नियत तिथि	प्रस्तुतीकरण की तिथि	महीनों में विलम्ब
2012-13	30.6.2013	24.2.2015	19 माह से अधिक
2013-14	30.6.2014	24.7.2015	12 माह से अधिक
2014-15	30.6.2015	28.11.2016	16 माह से अधिक
2015-16	30.6.2016	नवम्बर 2016 तक प्रस्तुत नहीं किए गए	

एनवाईकेएस ने स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा बताया कि वार्षिक लेखे को अंतिम रूप देने में विलम्ब के लिए कई कारणों जैसे आंतरिक लेखापरीक्षा करने में विलम्ब, वित्त समिति तथा बीओजी से वार्षिक लेखे के अनुमोदन में विलम्ब, बड़ा देशव्यापी नेटवर्क तथा स्टाफ की कमी, को उत्तरदायी ठहराया।

23.1.4.2 टैली सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन न होना

केन्द्रों/मंडलीय कार्यालयों के लेखाओं के समेकन और तैयारी करने में लगने वाले समय को घटाने के विचार से एनवाईकेएस ने ₹38.34 लाख की लागत

⁸ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी ओएम सं. 8 (ii)/ ई .II-ए/09 दिनांक 17 नवम्बर 2009

पर टैली सॉफ्टवेयर खरीदा (अक्टूबर 2013) तथा उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) फोर्मेटों तथा तुलनपत्र को अनुकूलन बनाने, वेतन-चिठ्ठे के कार्यान्वयन, उपयोगिता प्रशिक्षण आदि पर और ₹2.58 लाख खर्च किए। सभी केन्द्रों में वर्ष 2015-16 से उपयोग प्रमाण-पत्र तैयार करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना था। तथापि, मई 2016 तक 652 में से केवल 556 मंडल कार्यालयों/केन्द्रों में यह सॉफ्टवेयर लगाया गया था।

दिल्ली, बंगलुरु तथा भुवनेश्वर के प्रति पीएओ में अभिलेखों की नमूना जांच करने से प्रकट हुआ कि टैली सॉफ्टवेयर का पीएओ में ही उपयोग किया जा रहा था लेकिन केन्द्रों/मंडलीय कार्यालयों में नहीं किया जा रहा था तथा उनके द्वारा यूसी को हाथ से ही तैयार किया जा रहा था।

एनवाईकेएस ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (नवम्बर 2016) कि सभी केन्द्रों में मानव शक्ति, अपग्रेडिट कम्प्यूटरों, इंटरनेट सेवा, पॉवर बैक-अप सहित अवसंरचना की कमी के कारण सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं बनाया जा सका। एनवाईकेएस ने भी स्वीकार किया कि 2015-16 के दौरान सॉफ्टवेयर के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, अक्टूबर 2013 में सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति होने के बाद भी उसका अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा लेखाओं के समेकन हेतु लगने वाले समय को घटाने का असली उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।

23.1.5 मानव शक्ति

23.1.5.1 मानव शक्ति प्रबंधन में कमी

केन्द्र स्तर पर जिला युवा समन्वयक (डीवाईसी), युवा विकास कार्यक्रमों और नीतियों के निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। लेखा लिपिक-सह-टंकक (एसीटी) द्वारा उनका सहयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीवाईसी और एसीटी के पद रिक्त पड़े थे। कुल 623 केन्द्रों के प्रति केवल 293 डीवाईसी⁹ तथा 465 एसीटी कार्यरत थे (नवम्बर

⁹ इसमें 17 डीवाईसी प्रतिनियुक्ति पर, 27 डीवाईसी संयुक्त राष्ट्र स्वयं सेवकों, 7 उप-निदेशक, डीवाईसी के रूप में कार्यरत तथा डीवाईसी प्रभारों के रूप में 2 एसीटी शामिल हैं।

2016 तक)। इसके अतिरिक्त पांच चयनित क्षेत्रों¹⁰ (अर्थात राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा दिल्ली) में डीवाईसी पदों में रिक्तियां 11-67 प्रतिशत की श्रेणी में थी। वैसे ही, एसीटी पदों में रिक्तियां नवम्बर 2016 तक 17-70 प्रतिशत की श्रेणी में थी।

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 9 सितम्बर 2003 के ओएम के अनुसार यदि कोई पद एक वर्ष या इससे अधिक समय तक रिक्त रहता है तो उसे समाप्त हुआ समझ लिया जाता है। चूंकि रिक्तियों को एक वर्ष से अधिक समय तक भरा नहीं गया था, इसलिए एमओएफ द्वारा जारी उक्त ओएम पर विचार करते हुए डीवाईसी के 325 पदों तथा एसीटी के 204 पदों को 'समाप्त होना' समझ लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने का मुख्य दायित्व डीवाईसी का था। चूंकि अधिकांश डीवाईसी के पास एक केन्द्र से अधिक केन्द्रों को अतिरिक्त प्रभार था, इसलिए उनके लिए प्रत्येक कार्यक्रम का निरीक्षण करना संभव नहीं था जिसके परिणामस्वरूप घटिया स्तर का कार्य हुआ। चूंकि डीवाईसी तथा एसीटी के पद आधार स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन/पर्यवेक्षण करने में एनवाईकेएस की भुजाएं हैं, इसलिए इसने एनवाईकेएस के मुख्य कार्यों तथा उसके उद्देश्यों की उपलब्धि में बाधा डाली। इसने लेखा रखने तथा नियमित रूप से सूचित करने से संबंधित कार्य पर भी प्रभाव डाला।

एनवाईकेएस ने अभियुक्ति को स्वीकार किया और बताया (नवम्बर 2016) कि इस संबंध में प्रयास किये जा रहे थे।

23.1.6 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कमियां नीचे दी गई हैं:

23.1.6.1 निर्माण हेतु जारी की गई निधियों का व्यर्थ रहना

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केन्द्रों/पीएओ सह ज़ोनल कार्यालयों को भवन के निर्माण हेतु जारी निधियों पर एनवाईकेएस द्वारा अपर्याप्त

¹⁰ चयनित क्षेत्रों में उन पीएओ/जेडओ (दिल्ली, बेंगलोर, भवनेश्वर तथा जयपुर एवं शिमला में जेडओ) जिनका लेखापरीक्षा के दौरान निरीक्षण किया गया था, को शामिल किया गया है।

मॉनीटरिंग करने के परिणामस्वरूप ₹1.66 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रही जो केन्द्रों/पीएओ के पास 13 माह से नौ वर्षों तक पड़ी रही थी। विवरण निम्नानुसार हैं:

(क) एनवाईकेएस ने अलीपुर, दिल्ली में एक भूखण्ड लिया था। पीएओ दिल्ली ने पीएओ अलीपुर दिल्ली में एक डाइनिंग हॉल, दो अतिथि कमरों आदि के निर्माण हेतु ₹2.09 करोड़ राशि के प्रारंभिक अनुमान का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एनवाईकेएस को अनुरोध किया (जनवरी 2015)। एनवाईकेएस ने मार्च 2015 में पीएओ दिल्ली को अनुमान के प्रति ₹1.46 करोड़ जारी किए। अप्रैल 2015 में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (पीडब्ल्यूडी) को प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृत सूचित की गई थी। तथापि, पीडब्ल्यूडी को निधियां जारी नहीं की गई थी। पीडब्ल्यूडी ने निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए राशि जमा कराने हेतु जनवरी 2016 तथा मार्च 2016 में एनवाईकेएस को स्मरण कराया। एनवाईकेएस से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात, पीएओ ने, मई 2016 के अंतिम सप्ताह में पीडब्ल्यूडी को ₹62.70 लाख जारी किए। इस प्रकार एनवाईकेएस के पास निधियों की उपलब्धता के बावजूद पीडब्ल्यूडी को निधियां जारी करने में 13 माह (अप्रैल 2015 से मई 2016) का विलम्ब था।

एनवाईकेएस (पीएओ, दिल्ली) ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2016) कि ₹83.30 लाख अप्रयुक्त पड़े थे।

(ख) एनवाईकेएस, राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर भवनों के निर्माण हेतु प्रारंभिक धनराशि के रूप में वित्तीय सहायता देता है। वित्तीय सहायता की राशि प्रति केन्द्र ₹2 लाख थी तथा भवन की शेष लागत की डीवाईसी द्वारा अन्य स्रोतों से व्यवस्था की जानी थी। 2002-03 में, प्रारंभिक धनराशि को प्रति केन्द्र बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच मामलों में, ₹20 लाख जारी करने के पश्चात भी और भूमि की अनुपलब्धता या अपर्याप्त निधियों के कारण केन्द्र भवनों का निर्माण नहीं किया गया था। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(i) एनवाईकेएस ने 2006-07 के दौरान पीएओ भुवनेश्वर (समस्तीपुर, संबलपुर तथा धनेकनाल स्थित केन्द्रों के लिए) को ₹12 लाख जारी किए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि राज्य सरकारों द्वारा भूमि केन्द्रों के नाम हस्तांतरित नहीं किये गये थे इसलिए न तो भवनों का निर्माण किया गया था और न ही एनवाईकेएस को राशि वापस की गई थी।

- (ii) मार्च 2007 में ऊना, (हिप्र) स्थित केन्द्र को रचार लाख जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹16.64 लाख के अनुमान के प्रति पीडब्ल्यूडी को केवल ₹3.95 लाख जारी किए गए थे। पीडब्ल्यूडी ने न तो भवन का निर्माणकार्य आरंभ किया और न ही उस तिथि तक ₹3.95 लाख वापस किए। एनवाईकेएस ने स्वीकार किया और बताया कि निर्माण आरंभ करने के लिए मामला आगे बढ़ाया जा रहा था।
- (iii) एनवाईकेएस ने, भवन निर्माण हेतु हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश स्थित केन्द्र को 2007 में रचार लाख जारी किए। केन्द्र ने राशि का उपयोग नहीं किया था तथा तीन वर्षों तक निधियां अप्रयुक्त रखने के पश्चात् मार्च 2010 में राशि वापस कर दी। एनवाईकेएस ने स्वीकार किया और बताया कि यह राशि, ₹13.03 लाख के प्रति केवल ₹ चार लाख ही जारी किया गया था जो प्रस्तावित अनुमान के प्रति भवन के निर्माण हेतु पर्याप्त नहीं थी इसलिए, यह राशि वापस कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि नौ मामलों¹¹ में 2015-16 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु जिला केन्द्रों को भूखण्ड आबंटित किए गए थे। तथापि, एनवाईकेएस ने, किसी भी केन्द्र को वित्तीय सहायता जारी नहीं की क्योंकि ₹4 लाख प्रति केन्द्र की वर्तमान वित्तीय सहायता निर्माण लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं समझा गया था। इस प्रकार, वित्तीय सहायता की संवीक्षा में विलम्ब होने के कारण उपर्युक्त केन्द्र वित्तीय किराए पर व्यय वहन कर रहे थे।

इस मुद्दे पर एनवाईकेएस का उत्तर मूक था।

¹¹ अलाप्रुजहा (केरल), सांघली (महाराष्ट्र), मैसूर (कर्नाटक), धर्मपुरी (तमिलनाडु), विशाखापतनम तथा गुन्टूर (आन्ध्र प्रदेश), वारंगल तथा करीमनगर (तेनंगाना) तथा डंग (गुजरात)


23.1.7 निष्कर्ष

चिन्हित निधियों के अंतर्गत अत्यधिक निधियां अव्ययित पड़ी थी जिनको योजना/कार्यक्रमों के चालू न होने के कारण निधियन एजेंसियों को वापस किया जाना अपेक्षित था। इससे एनवाईकेएस तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के पास भी निधियां व्यर्थ पड़ी रहीं। एमवाईएस, भावी अनुदानों से एनवाईकेएस के पास पड़ी अधिशेष निधियों को समायोजित करने में विफल रहा। वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब पाए गए थे। 338 जिलों में रिक्तियां होने के बावजूद पिछले दो दशकों से डीवाईसी की भर्ती नहीं की गई थी। भवनों के निर्माण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी की गई निधियों का भी उपयोग नहीं किया गया था परिणामस्वरूप निधियां व्यर्थ पड़ी रहीं।

मामले को अक्टूबर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

नई दिल्ली

दिनांक: 20 मार्च 2017



(मुकेश प्रसाद सिंह)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 24 मार्च 2017



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-I

(पैराग्राफ सं. 11.4.5.3 में संदर्भित)

सुपर स्पेशियलिस्ट चिकित्सक - रोगी अनुपात

सुपर स्पेशियलिटी का नाम	प्रति विशेषज्ञ प्रति वर्ष उपस्थित हुए रोगियों की सं.			
	(सहायक प्राध्यापक तथा उससे ऊपर के श्रेणी के)			
	2013-14	2014-15	2015-16	वर्ष 2013-14 के संबंध में प्रतिशतता वृद्धि
कार्डियोलॉजी	8060	12601	17643	119
कार्डियो-थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस)	2507	4931	7255	189
क्लीनिकल इम्यूनोलॉजी	14730	17627	23421	59
मेडिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी	9429	12410	15745	67
सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी	1531	2737	5098	233
प्लास्टिक सर्जरी	2009	2649	2873	43
नेफ्रोलॉजी	7980	12772	15334	92
यूरोलॉजी	8584	9389	11526	34
न्यूरोलॉजी	12097	18371	23843	97
न्यूरोसर्जरी	2207	3035	5283	139
पेडियाट्रिक्स सर्जरी	4819	4879	5106	6
एंडोक्रिनोलॉजी	5522	10974	14416	161
मेडिकल ऑन्कोलॉजी	12690	25088	28319	123
सर्जरी ऑन्कोलॉजी	1038	3438	7111	585

अनुबंध -II

(पैराग्राफ सं. 11.4.6.1 में संदर्भित)

अप्रयुक्त बेड दिनों का विवरण

वर्ष	कार्यात्मक बेडों की संख्या	बेड दिनों ¹ की कुल संख्या	अधिकृत आईपी दिनों की कुल संख्या	अप्रयुक्त बेड दिनों की कुल संख्या [(3) - (4)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
2012-13	1,618	5,90,570	5,69,035	21,535
2013-14	1,790	6,53,350	5,40,754	1,12,596
2014-15	1,855	6,77,075	6,14,875	62,200
2015-16	2,044	7,46,060	6,57,371	88,689
कुल		26,67,055	23,82,035	2,85,020

¹ एक वर्ष में बेड दिन = (उस वर्ष में कार्यात्मक बेडों की संख्या)*365 दिन

अनुबंध-III

(पैराग्राफ सं. 11.4.6.2 में संदर्भित)

सर्जरी का इंतजार कर रहे रोगियों की स्थिति

विभाग का नाम	सर्जरी का इंतजार कर रहे रोगियों की संख्या	बैकलॉग समाप्त करने के लिए अपेक्षित समय	बैकलॉग के लिए विभाग द्वारा बताए गए कारण तथा बैकलॉग समाप्त करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता।
न्यूरोसर्जरी	271	3 से 20 माह	<ol style="list-style-type: none"> ऑपरेशन थियेटर की पर्याप्त संख्या का अभाव। वर्तमान में केवल एक मामला प्रति ओ.टी. टेबल प्रति दिन आबंटित की जाती है जो दो तक बढ़ाया जा सकता है यदि एनेसनेसियोलॉजिस्ट तथा सहायक स्टाफ उपलब्ध हों। न्यूरोनेविगेशन, मल्टी पैरामीटर उत्पन्न पोर्टेशियल पैरामीटर तथा प्रतिदीप्ति सहित उन्नत परिचालन सूक्ष्मदर्शी जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों की गैर-संस्थापना।
ई.एन.टी	हानिकारक मामले - 9 गैर-हानिकारक मामले - 11	1 माह	<ol style="list-style-type: none"> ओटी की कमी जांच की गैर-उपलब्धता (ईजी. थाईरॉइड फंक्शन टेस्ट) जांच परिणामों में विलंब
सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी	10	1 माह	<ol style="list-style-type: none"> प्रतिबंधित ओटी दिवस (एक सप्ताह में 5 दिन आबंटित किए गए हैं) प्रतिबंधित ओटी समय (केवल दोपहर 12 बजे तक)
जनरल सर्जरी	350	2 सप्ताह से 16 सप्ताह	<ol style="list-style-type: none"> अपर्याप्त ऑपरेशन दिवस प्रतिबंधित ओटी समय (आधे दिन को एम्स तथा पीजीआईएमईआर की तरह पूरे

			दिन (प्रातः 8.00 से सांय 5.00 तक) तक बढ़ाया जाना चाहिए।
कार्डियो-थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस)	1404	36 माह	<ol style="list-style-type: none"> 1. एनिस्थियोलॉजिस्ट, विशेष रूप से कार्डियो एनिस्थियोलॉजिस्ट तथा अन्य पारा मेडिकल स्टाफ की कमी। 2. आईसीयू में सीटीवीएस हेतु केवल 6 बेड। 2 बेड वाला आईसीयू तथा 4 बेड वाला पेन क्लिनिक आईसीयू 2009 से कार्य नहीं कर रहे। 3. नर्सिंग स्टाफ की पर्याप्त संख्या की कमी। 4. निधियों की कमी।
पैडियाट्रिक सर्जरी	160	6 माह	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12 ओटी की उपलब्धता के बावजूद केवल 6-7 ओटी का उपयोग किया जा रहा है। 2). ओटी समय बढ़ाया जाना चाहिए (12.30 बजे दोपहर तक के बदले इसे 4.30 बजे शाम तक बढ़ाया जाना चाहिए)।
ऑपथलमोलॉजी	<p>पेनेट्रेटिंग केराटोप्लास्टी -24</p> <p>पेडियाट्रिक ऑपथल स्कविंट/ओक लोप्लास्टी - 05</p> <p>रेटीना - 25-30</p>	<p>4 से 5 माह</p> <p>1 माह</p> <p>1 से 2 माह</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओटी टेबुलों की संख्या का प्रतिबंध 2. उपभोग्य वस्तुओं की गैर उपलब्धता।
प्लास्टिक सर्जरी	200	12 माह	<ol style="list-style-type: none"> 1. ओटी की सीमित संख्याएं एवं समय 2. बेडों की सीमित संख्या

अनुबंध-IV

(पैराग्राफ सं. 13.1.2.1 में संदर्भित)

निधियों का न्यून उपयोग

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	कुल उपलब्ध निधि	उपयोग में आयी कुल निधि	अनुपयुक्त निधि
2011-12	40.79	135.12	36.65	212.56	103.98	108.58 51.08%
2012-13	108.58	68.52	30.83	207.93	106.54	101.39 48.76%
2013-14	101.39	143.53	37.86	282.78	139.51	143.27 50.66%
2014-15	143.27	88.51	17.01	248.79	122.74	126.05 50.66%
2015-16	126.05	128.35	26.18	280.58	156.16	124.42 44.34%

अनुबंध-V

(पैराग्राफ सं. 13.4.7.3 में संदर्भित)

रॉयल्टी के गैर/संक्षिप्त कटौती के मामले

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम (ठेकेदार का नाम)	बिल राशि/बिल सं.	रॉयल्टी की प्रभावी दर (%)	काटे जाने योग्य रॉयल्टी	वास्तविक काटी गयी रॉयल्टी	रॉयल्टी की शेष राशि जो काटे जाने योग्य है
1.	धातुकर्म इंजीनियरिंग विभाग का नवीनीकरण (मेसर्स वर्धमान फेब टेक)	44.97 (6 आरएबी)	1.5	0.67	0.34	0.33
2.	स्टाफ क्वार्टर्स बी-3, बी -12, डी-32 & एच-30 का नवीकरण कार्य (मेसर्स श्री गणपति कंस्ट्रक्शन)	12.30 (2 एफबी)	1.5	0.18	0.12	0.06
3.	सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण (मेसर्स एसएस इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन)	22.40 (1 आरएबी)	1.5	0.33	0.22	0.11
4.	स्टॉर्म जल निकासी और टेनिस कोर्ट के चारों ओर कम्पाउंड दीवार का निर्माण (मेसर्स वर्धमान फेब टेक)	10.19 (3 एफबी)	1.5	0.15	0.05	0.10
5.	रसायन विज्ञान प्रयोगशाला (1 और 2) और कमरे का नवीकरण कार्य (मेसर्स वर्धमान फेब टेक)	10.41 (3 एफबी)	1.5	0.16	0.09	0.07
6.	एसटीपी और एफ-ब्लॉक के पास सीमा की दीवार का निर्माण (मेसर्स रिद्धी सिद्धी एसोसिएट्स)	13.43 (3 एफबी)	1.5	0.20	0.13	0.07
7.	विभिन्न स्थानों पर पूर्व-निर्मित इस्पात संरचनाओं की डिजाइन, आपूर्ति और स्थापना (मेसर्स चोपड़ा एलम्यूनियम)	573.59 (8 एफबी)	1.0	5.73	1.51	4.22
8.	तीन नए सिंथेटिक (एक्रेलिक) टेनिस कोर्ट का निर्माण (मेसर्स सिंकाट्स इंटरनेशनल)	51.93 (3 आरएबी)	1.5	0.78	0.53	0.25
9.	इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग पर दूसरी	172.06	3.0	5.16	---	5.16

	मंजिल का निर्माण (मेसर्स किशन सहाय मीणा)	(7 आरएबी)				
10.	लड़कियों के छात्रावास के पीछे से 198 फ्लैटों की नई साइट पर सड़क का निर्माण (मेसर्स हिम्मत सिंह राठौर)	50.16 (3 आरएबी)	3.0	1.50	---	1.50
11.	गेस्ट हाउस नंबर 1 पर एक अतिरिक्त मंजिल और शौचालय और रसोईघर के नवीकरण का निर्माण (मेसर्स किशन सहाय मीणा)	146.09 (5 आरएबी)	2.0	2.92	---	2.92
12.	बिटुमिनस सड़क को पुनः बिछाना (मेसर्स किशन सहाय मीणा)	242.0 (6 एफबी)	1.5	3.63	---	3.63
	कुल			21.41	2.99	18.42

अनुबंध-VI

(पैराग्राफ सं. 13.4.7.3 में संदर्भित)

वैट के कम कटौती के मामले

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम (ठेकेदार का नाम)	बिल राशि	वैट की प्रभावी दर (%)	काटे जाने योग्य वैट	वास्तविक काटी गयी वैट	वैट की शेष राशि जो काटे जाने योग्य है
1.	स्टाफ क्वार्टर्स बी-3, बी-12, डी-32 & एच-30 का नवीकरण कार्य (मेसर्स श्री गणपति कंस्ट्रक्शन)	12.49 (2 एफबी)	6.0	0.75	0.37	0.38
2.	सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण (मेसर्स एसएस इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन)	72.43 (2 आरएबी)	6.0	4.35	2.17	2.17
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग पर दूसरी मंजिल का निर्माण (मेसर्स किशन सहाय मीणा)	20.50 (7 आरएबी)	6.0	1.23	0.62	0.61
4.	इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के पास आरयूएमएस के सीआईटीसी और केबल बिछाने के काम (मेसर्स विनायक इलेक्ट्रिकल)	43.93 (2 एफबी)	6.0	2.64	1.32	1.32
5.	लड़कियों के छात्रावास के पीछे से 198 फ्लैटों की नई साइट पर सड़क का निर्माण (मेसर्स हिम्मत सिंह राठौर)	10.69 (1 आरएबी)	3.0	0.32	0.11	0.21
		28.85 (2 आरएबी)	3.0	0.87	0.29	0.58
		10.62 (3 आरएबी)	6.0	0.64	0.11	0.53
कुल				10.80	5.00	5.80

अनुबंध-VII

(पैराग्राफ सं. 16.1 में संदर्भित)

पीएमईजीपी के कार्यान्वयन विधियों की मुख्य विशेषताएं

- पीएमईजीपी एक क्रेडिट लिंकड सब्सिडी है जिसमें, लाभार्थी अर्थात् पहली पीढ़ी के उद्यमी जिनकी अपनी नई परियोजना बैंक ऋण (क्रेडिट) के माध्यम से वित्तपोषित होती है, उनकी परियोजना की लागत के भाग के वित्तपोषण के लिए प्रतिशत सब्सिडी के साथ प्रदान किया जाता है।
- जीओआई निधि दो शीर्षों के अंतर्गत जारी किया जाएगा 'मार्जिन मनी' (एमएम) और 'बैकवर्ड और फॉरवर्ड के संबंध' (बीएफएल)। कार्यक्रम के तहत लाभार्थी उद्यमी को प्राप्त सरकारी अनुदान को एमएम कहा जाता है, जबकि बीएफएल के लिए निधि कार्यक्रम की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए है।
- सरकारी निधियों को (अर्थात् पीएमईजीपी के लिए योजना निधि), मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नोडल एजेंसी अर्थात् केवीआईसी मुख्यालय को प्रदान की जाएगी। बदले में केवीआईसी के मुख्यालय, एमएम फंड को राज्य/जिला स्तर में इसके कार्यालय (केवीआईसी) के मुख्य बैंक खाते के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रखेंगे। केवीआईसी के राज्य निदेशक को उसे केवीआईसी के मुख्य खाते में जमा करना है (अर्थात् केवीआईसी-एसओ पीएमईजीपी मुख्य खाता)। राज्य निदेशक, केवीआईबी और डीआईसी के परामर्श से, कार्यान्वयन से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नोडल बैंक बचत खाते खोलेंगे और उनके संबंधित वित्तपोषण शाखाओं को उनके द्वारा सब्सिडी के बाद जारी होने के लिए एकमुश्त जमा राशि जारी करेंगे।
- व्यक्तिगत उद्यमी लाभार्थी की परियोजनाओं के लिए निधियों का स्तर परियोजना लागत का 15-35% से भिन्न होता है, इस पर निर्भर करता है कि क्या लाभार्थी की श्रेणी 'विशेष' (अर्थात् महिला, एससी/एसटी/ओबीसी) या 'सामान्य' है और परियोजना का

स्थान अर्थात चाहे वह ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में स्थित हो।

- लाभार्थियों से परियोजना लागत का 5 या 10 प्रतिशत योगदान, उनके वर्ग के आधार पर अर्थात सामान्य या विशेष करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार, पीएमईजीपी के तहत प्रभावी बैंक वित्तपोषण परियोजना लागत का 60-75 प्रतिशत है।
- प्रत्येक जिला स्तर पर गठित जिला स्तर की कार्यदल समिति (डीएलटीएफसी) अनुभव, तकनीकी योग्यता, व्यवहार्यता आदि के आधार पर आवेदनों की संवीक्षा करेगी और स्वीकृति के लिए मामलों की अंतिम सूची की सिफारिश करेगी, जिसे संबंधित आईए से लाभार्थियों द्वारा अपने आवेदन में चुने गए बैंक में वित्तपोषण हेतु सूचित किया जाएगा।
- डीएलटीएफसी के अनुशंसित मामलों की प्राप्ति पर, संबंधित वित्तपोषण बैंक उनके व्यवहार्यता विश्लेषण और उचित परिश्रम के आधार पर अपना क्रेडिट निर्णय लेगा।
- पहली किस्त जारी करने से पहले, बैंक उद्देश्य के लिए नामित प्रशिक्षण संस्थानों में अनिवार्य 'उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण का समन्वय करेगा।
- प्रशिक्षण पूरा होने पर, लाभार्थी अपने वित्तपोषण शाखा के पास अपने योगदान को जमा कर देगा और उसके बाद, ऋण की पहली किस्त जारी की जाएगी, और एमएम के दावेदार को लाभार्थी द्वारा वित्तपोषण बैंक के माध्यम से अपने नोडल बैंक को उनके आईए की संबंधित प्रति के साथ जमा कर दिया जाएगा। आवश्यक चेक के प्रयोग के बाद नोडल बैंक एमएम जारी करेगा। फाइनैसिंग शाखा तीन वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा प्राप्ति (टीडीआर) के तहत एमएम रखेगी, जिसके दौरान कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा और ऋण की मिलान राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा।
- तीन वर्षों के पूरा होने से पहले पीएमईजीपी के तहत वित्तपोषित इकाइयों के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाएगा; और केवीआईसी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं के पीवी का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि एमएम पहले नामित नोडल बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, संबंधित आईए मापदण्ड की पूर्ति

के आधार पर दावे को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम प्राधिकरण है, जो वित्तपोषित परियोजना के पीवी रिपोर्ट पर विचार कर रहा है।

- पीवी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, संबंधित आईए को वित्तीय शाखा में एमएम समायोजन पत्र जारी करना है, यदि इकाई, कार्यक्रम के सभी मापदंडों को पूरा कर रही है, अन्यथा वित्तपोषण शाखा को सलाह दी जाएगी कि वह एमएम वापस भेज दें जिसे नोडल बैंक खाता के टीडीआर के तहत रखा गया था।
- मंत्रालय से निधि की रसीद के अनुसार केवीआईसी केंद्रीय कार्यालय द्वारा बीएफएल गतिविधियों के लिए राज्य-वार पृथक निधियां जारी की गई हैं।

अनुबंध-VIII

(पैराग्राफ सं. 16.1 में संदर्भित)

2008-09 से 2015-16 तक पीएमईजीपी के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धि		
		परियोजना की सं.	एमएम (₹ लाख में)	कर्मचारी (सं. लाख में)	परियोजना की सं.	एमएम (₹ लाख में)	कर्मचारी (सं. लाख में)
1.	2008-09	61662	74000.00	6.17	19166	35623.39	2.05
2.	2009-10	46640	55970.00	4.66	40918	76243.75	4.25
3.	2010-11	59714	83600.00	5.97	49064	89118.26	4.81
4.	2011-12	57143	80000.00	5.71	55135	105783.66	4.96
5.	2012-13	53826	123800.00	4.31	57884	108066.4	4.28
6.	2013-14	90672	114500.00	7.25	50493	107644.48	3.79
7.	2014-15	87924	109306.00	7.03	48168	112253.87	3.58
8.	2015-16	64529	128620.30	5.16	44340	102006.33	3.23
कुल		522110	769796.3	46.26	365168	736740.14	30.95
उपलब्धि की प्रतिशतता					70	95.71	67

अनुबंध-IX

(पैराग्राफ सं. 23.1.2.4 में संदर्भित)

गैर-परिचालित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार बैंक शेष

(₹ लाख में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वार्षिक लेखा के अनुसार प्रारंभिक शेष 2013-14 (अर्थात् 31.3.13)	बैंक शेष (तिथि को)	राशि
1.	एसजीएसवाई ²	855.01	31.03.2013	250.29
			31.03.2014	260.40
			31.03.2015	270.93
			31.03.2016	281.90
2.	एनआरसी ³	1120.77	31.03.2013	53.10
			31.03.2014	55.24
			31.03.2015	57.48
			31.03.2016	59.81
3.	यूएनडीपी एचआईवी/एड्स ⁴	44.49	31.03.2013	4.90
			31.03.2014	5.10
			31.03.2015	5.31
			31.03.2016	5.52
4.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान	102.67	31.03.2013	0.04
			31.03.2014	0.04
			31.03.2015	0.04
			31.03.2016	0.04
5.	केआरवाईसीईपी ⁵	(29.25)	31.03.2013	0.04
			31.03.2014	0.04
			31.03.2015	0.04
			31.03.2016	0.04

² स्वर्ण ग्राम सड़क योजना³ राष्ट्रीय रिकन्सट्रक्शन कॉपस⁴ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अवैध मानव व्यापार एवं एचआईवी/एड्स⁵ कश्मीरी ग्रामीण युवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(पैराग्राफ 1.3 में संदर्भित)

लंबित उपयोग प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक)	मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे	
		संख्या	राशि
कृषि मंत्रालय (i) (कृषि सहकारिता विभाग)	1992-08	40	288.00
	2008-14	341	69965.00
	2014-15	305	108174.00
	कुल	686	178427.00
(ii) पशुपालन एवं डेयरी विभाग	1992-08	0	0.00
	2008-14	121	11912.00
	2014-15	25	3959.00
	कुल	146	15871.00
एचयूपीए मंत्रालय	1992-08	30	3780.04
	2008-14	275	44574.23
	2014-15	238	260805.55
	कुल	543	309159.82
शहरी विकास मंत्रालय	1985-08	30	1403.91
	2008-13	66	11525.64
	2013-14	208	298437.04
	कुल	304	311366.59

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक)	मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे	
		संख्या	राशि
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ¹	1992-08		
	2008-14	6	306.65
	2014-15	1	30.00
	कुल	7	336.65
संस्कृति मंत्रालय	1990-08	2215	14994.59
	2008-14	1415	23504.98
	2014-15	34	1519.98
	कुल	3664	40019.55
पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	1983-08	402	2826.49
	2008-14	233	2497.9
	2014-15	262	21979.4
	कुल	897	27303.79
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	1987-08	5832	9191.26
	2008-14	389	30267.5
	2014-15	103	1058.52
	कुल	6324	40517.28
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1986-08	4028	23597.91
	2008-14	457	7735.12
	2014-15	128	1703.26
	कुल	4613	33036.29

¹ अब एमईए के साथ सुमेलित

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक)	मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे	
		संख्या	राशि
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	1992-08	12	51.07
	2008-14	385	3753.83
	2014-15	444	5325.76
	कुल	841	9130.66
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1987-08	8500	46330.98
	2008-14	1527	19349.63
	2014-15	848	9790.85
	कुल	10875	75471.46
एचआरडी मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)	1982-08	1158	42725.32
	2008-14	433	833139.6
	2014-15	80	9637.78
	कुल	1671	885502.70
उच्चतर शिक्षा विभाग	1977-08	1737	21570.97
	2008-14	510	16288.77
	2014-15	197	93965.82
	कुल	2444	131825.56
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	1992-08	31	3322.94
	2008-14	102	24342.34
	2014-15	306	85687.33
	कुल	439	113352.61
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	1992-08	2	0.6
	2008-14	6	1.32
	2014-15	-	-

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक)	मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	कुल	8	1.92
पोत परिवहन मंत्रालय	1992-08	-	-
	2008-14	2	40
	2014-15	1	9.24
	कुल	3	49.24
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	1979-08	301	1332.27
	2008-14	273	15647.89
	2014-15	198	4912.42
	कुल	772	21892.58
औषध विभाग	1992-08	-	-
	2008-14	18	3256.26
	2014-15	40	3729.55
	कुल	58	6985.81
एमएसएमई मंत्रालय	1992-08	2	2.2
	2008-14	184	3185.97
	2014-15	118	12731.52
	कुल	304	15919.69
पर्यटन मंत्रालय	2008-14	108	32883.22
	2014-15	76	20858.65
	कुल	184	53741.87
वस्त्र मंत्रालय	1978-08	771	3454.87
	2008-14	2439	10478.71

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक)	मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2014-15	1619	172320.21
	कुल	4829	186253.79
वाणिज्य विभाग	1992-08	10	198.04
	2008-14	38	9541.62
	2014-15	6	4415.67
	कुल	54	14155.33
उपभोक्ता कार्य विभाग	1992-08	36	31.7
	2008-14	31	514.44
	2014-15	14	851.08
	कुल	81	1397.22
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	1992-08	-	-
	2008-14	8	1224.8
	2014-15	8	1474.67
	कुल	16	2699.47
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1991-08	883	9936.81
	2008-14	956	14972.03
	2014-15	169	12885.82
	कुल	2008	37794.66
भारी उद्योग विभाग	1992-08	2	8020
	2008-14	6	97485
	2014-15	7	24687.65
	कुल	15	130192.65

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक)	मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे	
		संख्या	राशि
लोक उद्यम विभाग	1992-08		
	2008-14	19	129.72
	2014-15	16	124.36
	कुल	35	254.08
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	1992-08	1	45.88
	2008-14	18	17021.73
	2014-15	6	9562.41
	कुल	25	26630.02
रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग	2008-14	18	1908.57
	2014-15	13	1003.14
	कुल	31	2911.71
विधि एवं न्याय मंत्रालय	1992-08		
	2008-14	2	62500
	2014-15	5	250000
	कुल	7	312500.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय	1992-08	0	0.00
	2008-14	162	33493.58
	2014-15	206	96690.1
	कुल	368	130183.68
पीपीजी एवं पेंशन मंत्रालय	1992-08	1	0.05
	2008-14	23	66.55
	2014-15	27	199.26
	कुल	51	265.86

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2015 तक)	मार्च 2015 तक जारी अनुदान के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2016 तक देय थे	
		संख्या	राशि
खान मंत्रालय	1992-08	0	0.00
	2008-14	1	3.04
	2014-15	10	159.41
	कुल	11	162.45
कुल योग		42314	3115312.99

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 1.4 में संदर्भित)

ऐसे निकायों की सूची जिन्होंने तीन महीने की देरी के बाद लेखाओं को जमा किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	लेखाओं को जमा करने की तिथि	महीनों में विलंब
1.	उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद	29.10.2015	3
2.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	4.11.2015	4
3.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता	1.12.2015	5
4.	ए.बी. वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	4.12.2015	5
5.	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची	6.10.2015/अस्वीकृत	3
6.	सभ्यता अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली	24.11.2015	4
7.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	8.10.2015	3
8.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली	6.11.2015	4
9.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	12.10.2015	3
10.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल	1.10.2015	3
11.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	13.10.2015	3
12.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, इंफाल	2.12.2015	5
13.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़	30.11.2015	4
14.	राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नई	19.10.2015	3
15.	लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, क्वारत्ती	18.12.2015	5
16.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल	15.1.2016	6
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोझिकोड (कालीकट)	17.3.2016	8
18.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	8.1.2016	6

परिशिष्ट -III

(पैराग्राफ 1.5 में संदर्भित)

वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए लेखापरीक्षा किए गए लेखे के संबंध में ऐसे स्वायत्त निकायों की सूची जिन्हें 31 अक्टूबर 2016 को संसद में पेश नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम (मंत्रालय-वार)
वर्ष 2012-13 के लिए	
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	
1.	मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र
2.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चेन्नई
3.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोच्ची
4.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
5.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई
6.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, नई दिल्ली
7.	भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली
8.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
9.	विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
आयुष मंत्रालय	
10.	पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान
11.	उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान
वर्ष 2013-14 के लिए	
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	
1.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चेन्नई
2.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोच्ची
3.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, नई दिल्ली
4.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
5.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई
6.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली
7.	विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, विशाखापत्तनम

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम (मंत्रालय-वार)
आयुष मंत्रालय	
8.	उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान
9.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान
वर्ष 2014-15 के लिए	
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	
1.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
2.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	
3.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, नई दिल्ली
4.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली
5.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (एनएसईजेड)
6.	विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, विशाखापत्तनम
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय	
7.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना कार्यान्वयन सोसाइटी (एनीटसएईआ)
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	
8.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड
एचआरडी मंत्रालय/उच्चतर शिक्षा विभाग	
9.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलोंग
10.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलोंग
विद्युत मंत्रालय	
11.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद
संस्कृति मंत्रालय	
12.	नव नालंदा महाविहार नालंदा
13.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र उदयपुर

परिशिष्ट -IV

(पैराग्राफ 1.5 में संदर्भित)

वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं का स्वायत्त निकायों द्वारा संसद को प्रस्तुति में विलंब

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम (मंत्रालय वार)	लेखापरीक्षित लेखाओं का वर्ष	माह में विलंब
कृषि मंत्रालय			
1.	तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई	2014-15	2
2.	राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	2014-15	2
आयुष मंत्रालय			
3.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	2014-15	3
4.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	2014-15	4
5.	केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद	2014-15	3
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
6.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	2014-15	4
संस्कृति मंत्रालय			
7.	खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक पुस्तकालय, पटना	2013-14	4
8.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली	2013-14	7
9.	कलाश्रेष्ठ फाउंडेशन, चेन्नई	2014-15	2
10.	खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक पुस्तकालय, पटना	2014-15	2
11.	राजा राम मोहन राँय पुस्तकालय फाउंडेशन, कोलकाता	2014-15	2
12.	सलारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद	2014-15	2
13.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थंजावुर	2014-15	7
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
14.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर	2014-15	3
15.	भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	2014-15	2
16.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	2014-15	4

एचआरडी मंत्रालय			
17.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलोर	2014-15	2
18.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	2014-15	4
19.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	2014-15	4
20.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे	2014-15	4
21.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	2014-15	2
22.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर	2014-15	2
23.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	2014-15	2
24.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	2014-15	2
25.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	2014-15	2
26.	राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, धनबाद	2014-15	4
27.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2014-15	4
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	2014-15	2
29.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा	2014-15	2
30.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर	2014-15	2
31.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल	2014-15	2
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल.	2014-15	2
33.	संत लॉगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल	2014-15	4
34.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा	2014-15	2
35.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	2014-15	4
36.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली	2014-15	4
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय			
37.	खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग	2014-15	2
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
38.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, राय बरेली	2014-15	2
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
39.	लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, नई दिल्ली (कपार्ट)	2014-15	4

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय			
40.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, हैदराबाद	2014-15	2
41.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	2014-15	2
42.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक	2014-15	2
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय			
43.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली	2013-14	12

परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 1.6 के संदर्भ में)

अलग-अलग केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं के संबंध में महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां

1. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

(i) स्थायी परिसम्पत्तियां- ₹1186.35 करोड़

इसमें सीपीडब्ल्यूडी, वाराणसी को 2015-16 के दौरान निर्माण गतिविधियों हेतु प्रदान किए गए ₹65.44 करोड़ का अग्रिम शामिल है तथा पूर्ण राशि को शीर्ष 'बिल्डिंग'के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया था। इसका परिणाम शीर्ष बिल्डिंग के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के अधिक बताए जाने तथा तुलन पत्र की चालू परिसम्पत्तियों के अंतर्गत ₹65.44 करोड़ तक आग्रमों को कम बताए जाने में हुआ। विश्वविद्यालय द्वारा ₹1.31 करोड़ के मूल्यहास को भी अधिक प्रभारित किया गया था।

(ii) सामान्य

मार्च 2016 की बैंक समाधान विवरणी के अनुसार कुल ₹11.23 करोड़ के 799 समय बाधित चैकों को रद्द नहीं किया गया था तथा रोकड़ बही में वापिस नहीं लिखा था। इसका परिणाम प्राप्तियों तथा अंत शेष दोनों में ₹11.23 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ।

2. केन्द्रीय तिब्बतीय अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी

स्थायी परिसम्पत्तियां- ₹44.28 करोड़

नवीकरण कार्य पर किए गए ₹1.54 करोड़ के व्यय को पूंजीगत के स्थान पर राजस्व व्यय के रूप में माना गया था। इसका परिणाम ₹1.54 करोड़ तक 'आधिक्य' को कम बताए जाने में हुआ। परिणामस्वरूप 'स्थायी परिसंपत्तियों' तथा 'पूंजीगत निधि' को भी उस सीमा तक कम बताया गया था। इस विषय पर पिछले वर्ष भी सूचित किया गया था।

3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

सामान्य

नोएडा प्लॉटों में ₹9.35 करोड़ की कुल पट्टा भूमि राशि का पट्टा अवधि पर परिशोधन किया जाना चाहिए था परंतु संस्थान ने उपरोक्तित प्रावधानों के उल्लंघन में ₹9.35 करोड़ के पट्टा प्रीमियम के स्थान पर ₹2.57 करोड़ (वार्षिक किराया ₹2.86 लाख) के एकबार पट्टा किराया का परिशोधन किया।

4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश

चालू देयताएं तथा प्रावधान - ₹16.40 करोड़

उपर्युक्त शीर्ष को जीओआई से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान को न दर्शाने से ₹186.72 करोड़ तक कम बताया गया था। इसका परिणाम उसी राशि तक सामान्य रिजर्व को अधिक बताए जाने में भी हुआ है।

5. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

(i) मूर्त परिसम्पत्तियां- ₹2541.73 करोड़

विश्वविद्यालय ने चालू/प्रगतिशील परियोजनाओं से संबंधित ₹6.49 करोड़ (पुस्तके- ₹0.70 करोड़ तथा उपकरण- ₹5.78 करोड़) की स्थायी परिसम्पत्तियों को विश्वविद्यालय की 'स्थायी परिसंपत्तियों' में शामिल किया। चूंकि स्थायी परिसंपत्तियों चालू/प्रगतिशील परियोजनाओं से संबंधित थी इसलिए इन्हें परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों के रूप में माना जाना चाहिए था न कि विश्वविद्यालय की। इसका परिणाम ₹6.13 करोड़ (पुस्तके- ₹0.63 करोड़ तथा उपकरण- ₹5.49 करोड़) तक स्थायी परिसंपत्तियों को अधिक बताए जाने तथा ₹0.36 करोड़ (पुस्तके- ₹0.07 करोड़ तथा उपकरण- ₹0.29 करोड़) तक मूल्यहास को अधिक प्रभारित करने में हुआ।

(ii) प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

वर्ष 2015-16 के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के प्रारम्भिक शेष में विश्वविद्यालय ने ₹6.04 करोड़ वाले 10 खातों को दर्शाया था जिन्हें वर्ष 2014-15 के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के अंत शेष में नहीं दर्शाया गया था।

6. असम विश्वविद्यालय, सिलचर

(i) चालू देयताएं तथा प्रावधान: ₹98.83 करोड़

उपरोक्त राशि को छात्रावास अनुरक्षण निधि (₹2.69 लाख), एसओटी अनुदान (₹3.93 करोड़), ओबीसी अनुदान (₹6.68 करोड़) के अंतर्गत कुल ₹10.65 करोड़ के नकारात्मक शेषों तथा कुल ₹0.02 करोड़ तक आयकर के अधिक जमा का समायोजन करने के पश्चात प्राप्त किया गया था। इसका परिणाम ₹10.65 करोड़ तक दोनों चालू देयताओं तथा प्रावधान के साथ-साथ ऋण, अग्रिम एवं जमा को कम बताए जाने में हुआ था। पहले के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख करने के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा कोई शोधक उपाय नहीं किए गए थे।

(ii) ऋण, अग्रिम एवं जमा: ₹29.10 करोड़

दीपहू परिसर में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा नवम्बर 2008 से अक्टूबर 2009 के बीच ₹3.10 करोड़ के मूल्य के चार सिविल निर्माण कार्यों के समापन तथा जनवरी 2013 में एपीडीसीएल द्वारा ₹0.10 करोड़ की कीमत के मुख्य परिसर की विद्युत संस्थापनाओं के समापन के बावजूद अग्रिम राशि को स्थायी परिसम्पत्तियों को अंतरित करके इसका समायोजन नहीं किया गया था। पिछले वर्ष के प्रतिवेदन में उल्लेख करने के बावजूद विश्वविद्यालय ने कोई शोधक कार्रवाई नहीं की थी। इसका परिणाम ₹3.10 करोड़ की निर्धारित परिसम्पत्तियों को कम बताए जाने में भी हुआ।

7. केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम

प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹147.00 करोड़

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेख के बावजूद ₹67.78 करोड़ के भवन तथा अवसंरचनात्मक निर्माणकार्यों (वास्तुशिल्प शुल्क -₹1.77 करोड़ सहित) जो समाप्त हो चुके थे तथा पिछले 1 से 7 वर्षों से उपयोग में लाया गया था, के मूल्य को मूर्त परिसम्पत्तियों को अंतरित नहीं किया गया था। उसका परिणाम ₹67.78 तक प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यों का अधिक बताए जाने के साथ समान राशि तक निर्धारित परिसम्पत्तियों के अनुरूप कम बताए जाने में हुआ था।

8. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

चालू परिसम्पत्तियां: ₹10.39 करोड़

चालू खातों में प्रकट हो रहे ₹4.32 करोड़ के नकारात्मक शेष को चालू देयताओं एवं प्रावधानों (बैंक ओवरड्राफ्ट) के अंतर्गत दर्शाने के बजाए अन्य खातों/सावधि जमाओं में सकारात्मक बैंक शेषों के प्रति समायोजित किया गया था। इसका परिणाम ₹4.32 करोड़ तक दोनों चालू परिसम्पत्तियों तथा चालू देयताओं एवं प्रावधानों के कम बताए जाने में हुआ था।

9. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

ऋण, अग्रिम एवं जमा: ₹497.08 लाख

सीपीडब्ल्यूडी को अदा किए गए कुल ₹3.21 करोड़ के अग्रिम को ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत दर्शाने के बजाए, कार्य के समापन न करने के साथ-साथ उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बिना पूंजीकृत किया गया था। इसका परिणाम ₹3.21 करोड़ तक ऋण, अग्रिम एवं जमाओं के कम बताए जाने तथा निर्धारित परिसम्पत्तियों (पूंजीगत निर्माण कार्य प्रगति पर) के अधिक बताए जाने में हुआ।

10. तेजपुर विश्वविद्यालय, नापम, तेजपुर (असम)

पूंजीगत निधि: ₹370.03 करोड़

उपर्युक्त राशि को, अप्रयुक्त योजनागत अनुदान को प्रयुक्त के रूप में माने जाने के कारण ₹16.06 करोड़ तक अधिक बताया गया था। इसका परिणाम ₹16.06 करोड़ तक चालू देयताओं तथा प्रावधानों को कम बताए जाने में भी हुआ था।

11. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद

नामित/चिन्हित/अक्षय निधियां: ₹34.62 करोड़

‘नामित/चिन्हित निधि-अन्य’ तथा ‘एएससी’ के संबंध में ₹5.23 करोड़ का नकारात्मक शेष (निधियों में से अधिक व्यय की गई राशि) निधियन अभिकरण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से अधिक व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्राधिकरण तथा अनुमोदन के बिना, वसूलनीय के रूप में ऋण, अग्रिम एवं जमा को अंतरित किया गया था। इसका परिणाम ₹5.23 करोड़ तक प्रत्येक नामित/चिन्हित निधियों तथा ऋण, अग्रिम एवं जमा को अधिक बताए जाने में हुआ था।

12. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

ऋण, अग्रिम एवं जमा : ₹123.44 करोड़

इसमें जमा निर्माण कार्यों पर व्यय की गई ₹68.38 करोड़ की राशि शामिल है जिसे सीपीडब्ल्यूडी द्वारा व्यय के रूप में सूचित किया गया था तथा जिसे, प्रगति पर पूंजीकृत निर्माण कार्य के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया था। इसका परिणाम ₹68.38 करोड़ तक ऋण, अग्रिम एवं जमा के अधिक बताए जाने तथा प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य के कम बताए जाने में हुआ।

13. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

ऋण, अग्रिम एवं जमा: ₹34.50 करोड़

इसमें बाईस (22) जमा निर्माण कार्यों, पर किया गया ₹14.51 करोड़ का व्यय शामिल है जिसे सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पूर्ण तथा अंतिम बिल अदा किया गया सूचित किया गया था परंतु इसे अभी भी पूंजीकृत नहीं किया गया है। इसका परिणाम ₹14.51 करोड़ तक ऋण, अग्रिम एवं जमा के अंतर्गत सीपीडब्ल्यूडी का अग्रिम के अधिक बताए जाने तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने में हुआ।

14. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹169.18 करोड़

इसमें पूर्ण किए जमा निर्माण कार्यों, जिन्हें जुलाई 2015/जनवरी 2016 से उपयोग में लाया गया था परंतु पूंजीकृत नहीं किया गया था, पर ₹121.14 करोड़ का व्यय शामिल नहीं है। इसका परिणाम ₹121.14 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने तथा प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यों के अधिक बताए जाने तथा इस पर मूल्यहास को कम बताए जाने में हुआ है।

15. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹259.64 करोड़

स्थायी परिसम्पत्तियों पर प्रदान मूल्यहास को संस्थान द्वारा सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) जैसा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सारणी 23 (4च) तथा लेखा टिप्पण की सारणी 24(4) में बताया गया है, के बजाए हासित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) पद्धति द्वारा परिकलित किया गया था। इस प्रकार संस्थान ने एक वर्ष हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों पर ₹10.18 करोड़ के बजाए ₹6.84 करोड़ का मूल्यहास प्रदान किया जिसका परिणाम ₹3.34 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिक बताए जाने तथा इसी राशि तक आय एवं व्यय लेखे में व्यय के कम बताए जाने में हुआ।

16. भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर

मूर्त परिसम्पत्तियां: ₹1213.51 करोड़

₹7.68 करोड़ की परिसम्पत्तियां (वैज्ञानिक उपकरण) जिन्हें 31 मार्च 2016 की समाप्ति तक संस्थापित नहीं किया गया है उन्हें गलत प्रकार से स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्ज किया गया

था। परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹7.68 करोड़ तक अधिक तथा इसी राशि तक ऋण, अग्रिम एवं जमा को कम बताए गए थे।

17. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला

प्रगति पर पूंजीगत कार्य - ₹450.72 करोड़ (योजनागत) एवं ₹5.26 करोड़ (गैर-योजनागत)

उपर्युक्त शीर्षों को 13 निर्माण कार्यों का मूर्त परिसम्पत्तियों को अंतरण न किए जाने के कारण ₹175.43 करोड़ तक अधिक बताया गया था यद्यपि इन्हें निर्माण गतिविधियों के समापन के पश्चात जनवरी 2011 से मई 2015 के बीच एनआईटी, अगरतला द्वारा पहले ही अधिकार में ले लिया गया था। इसका परिणाम ₹169.19 करोड़ (योजनागत: ₹168.49 करोड़ तथा गैर-योजनागत: ₹0.70 करोड़) तक मूर्त परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने तथा ₹6.24 करोड़ (योजनागत: ₹6.16 करोड़ तथा गैर-योजनागत: ₹0.08 करोड़) तक संचित मूल्यहास के कम बताए जाने में भी हुआ है।

18. त्रिपुरा विश्वविद्यालय

बचत खाते - ₹45.01 करोड़

उपर्युक्त में कुल ₹2.55 करोड़ के मूल्य वाले 7 बैंक खातों से संबंधित 289 अवसित चैक शामिल नहीं है जिन्हें 4 नवम्बर 2011 को जारी आरबीआई के निर्देश के अनुसार 3 माह की वैध अवधि के समाप्ति के कारण दोबारा लिखे जाने की आवश्यकता थी। इसका परिणाम ₹2.55 करोड़ तक देयता के संगत कमकथन सहित ₹2.55 करोड़ तक चालू परिसंपत्तियों के कम बताने में हुआ है जिनके प्रति वास्तव में चैक जारी किए गए थे परंतु अदेय रहे थे।

19. पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलोंग

लेखांकन प्रणाली जिसे यूएलएस प्लेटफार्म पर कम्प्यूटरीकृत किया गया था, लेखाओं को पूर्णतः तथा उचित प्रकार से तैयार नहीं कर सकी थी। अब तक उपयुक्त लेखा पुस्तिकाओं के अनुरक्षण के संबंध में गंभीर संदेह है जैसा ऐसी पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रकट होता है जैसा नीचे बताया है:

(क) प्रारंभिक तथा अंत शेष को यूएमएस प्लेटफार्म, लेखांकन साफ्टवेयर जिसे अभी भी स्थिर नहीं किया गया था, के कारण उचित रूप से शामिल नहीं किया गया।

(ख) ₹3.27 करोड़ की चालू देयताओं का गलत परिकलन, लेखों में दर्शाई गई ₹54.30 करोड़ की लापता देयताएं, ₹3.01 करोड़ के व्यय का लेखा में दर्ज न होना तथा ₹5.57 लाख तक मूल्यहास का गलत परिकलन।

- (ग) बैंक शेष का उचित प्रकार से मिलान न करना अर्थात् बैंक को रद्द न करना जो समय बाधित था तथा मार्च 2015 से पूर्व बैंकों में जमा किये गए ₹5.08 करोड़ के बैंकों को बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया था।
- (घ) 1993-94 से 2015-16 तक बैंकों में बड़ी संख्या में बैंक जमा किए गए थे परंतु बैंकों द्वारा कोई क्रेडिट प्रदान नहीं किया गया था।
- (ङ) 1985-86 से 2015-16 तक बड़ी संख्या में बैंक जमा किये गए जिन्हें आज तक भुनाया नहीं गया है तथा जिन्हें लेखे में वापस नहीं लिया गया है।

20. इंदिरा गांधी उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलोंग

निवेश-अन्य: ₹21.26 करोड़

उपरोक्त बैंकों में सावधि जमा के रूप में रखे शेष को दर्शाता है। इसके प्रति, 31 मार्च 2016 को बैंकों में सावधि जमा में वास्तविक राशि ₹23.05 करोड़ थी। इसका परिणाम ₹1.79 करोड़ तक प्रत्येक निवेश-अन्य के कम बताए जाने तथा “उपार्जित आय” के अधिक बताए जाने में हुआ है।

21. राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलोंग

मूल्यहास: ₹8.48 करोड़

उपरोक्त में 33 प्रतिशत की दर पर परिकल्पित सीमा दीवार पर मूल्यहास होने से ₹2.48 करोड़ शामिल है। इसके प्रति, 2 प्रतिशत की निर्धारित दर से प्रभारित किए जाने वाला मूल्यहास ₹0.15 करोड़ था। इसका परिणाम वर्ष के दौरान ₹2.33 करोड़ तक मूल्यहास के अधिक बताए जाने तथा आधिक्य को कम बताए जाने में हुआ।

22. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी)

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि : ₹43.34 करोड़

उपरोक्त में वर्ष 2015-16 हेतु संस्वीकृत ₹132.73 करोड़ की राशि के कुल अनुदान में से अप्रैल 2016 के दौरान प्राप्त शीर्ष “प्राप्य अनुदान” के अंतर्गत कुल ₹49.58 करोड़ की योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदाने शामिल नहीं हैं। शीर्ष “प्राप्य अनुदान” के अंतर्गत प्राप्य अनुदान राशि को दर्ज न करने तथा अनुदान की कुल संस्वीकृत राशि को वर्तमान वर्ष की रोकड़ बही में पहले ही दर्ज करने

का परिणाम ₹49.58 करोड़ सीमा तक तुलन पत्र में “प्राप्य अनुदान” के कम बताए जाने तथा “बैंक में शेष” के अधिक बताए जाने में हुआ।

23. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोट (अरुणाचल प्रदेश)

(i) स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹41.06 करोड़

उपरोक्त में वर्ष 2015-16 हेतु मूर्त तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों पर प्रभारित मूल्यहास प्रभारित होने से ₹2.98 करोड़ शामिल है। लेखाओं के स्वीकृत प्रारूप के अनुसार, स्थायी परिसम्पत्तियों को मूल्यहास का निवल दर्शाया जाना है। स्थायी परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य से मूल्यहास की गैर-कटौती का परिणाम ₹2.98 करोड़ की सीमा तक “स्थायी परिसम्पत्तियों” के अधिक बताए जाने में हुआ।

(ii) प्राप्त अनुदान: ₹120 करोड़

उपरोक्त में वर्ष 2015-16 हेतु एनआईटी, अरुणाचल प्रदेश के लिए संस्वीकृत ₹20 करोड़ का अनुदान शामिल है परंतु इसे अप्रैल 2016 के दौरान प्राप्त किया गया था। चूंकि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा नगद आधार पर तैयार किया जाता है इसलिए ₹20 करोड़ के अनुदान की उपर्युक्त प्राप्ति को वर्तमान वर्ष की प्राप्तियों में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था जिसने ₹20 करोड़ की सीमा तक “प्राप्त अनुदान” तथा “बैंक में नगद का अंत शेष” को अधिक बताया।

24. भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद

(i) निवेश- ₹28.12 करोड़ पर उपार्जित आय

उपरोक्त लेखे को सावधि जमाओं पर त्रैमासिक संचयी आधार, जैसे बैंको द्वारा प्रस्तावित किया गया था, के बजाए सामान्य ब्याज के रूप में उपार्जित ब्याज के परिकलन के कारण ₹1.51 करोड़ तक कम बताया गया है। इसका परिणाम निवेशो से वर्तमान वर्ष की आय में ₹1.10 करोड़ तथा पूर्वावधि आय में ₹40.27 लाख के कम बताए जाने में भी हुआ है।

इस प्रकार निवेशों से आय तथा पूर्वावधि आय के कम कथन को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय विवरणी में क्रमशः ₹15.05 लाख तथा ₹5.50 लाख तथा 31 मार्च 2016 को तुलन पत्र की नामित/चिन्हित/अक्षय निधि में ₹1.30 करोड़ तक परिकलित किया गया।

(ii) अन्य - विविध प्राप्तियां (अनुसूची सं. 10) - ₹2.46 करोड़

लेखांकन मानक-5 के अनुसार, "अवधि, पूर्वावधि मदों हेतु निवल लाभ या हानि तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन", पूर्वावधि मदें आय अथवा अधिक पूर्वाविधियों की अंतिम विवरणियां तैयार करने में गलतियों या चूकों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उजागर होती हैं। जून 2013 में आईआईएम-अहमदाबाद परिसर में आग लगी थी। तदनुसार, बीमा कम्पनी को दावा प्रस्तुत किया गया था परंतु बीमा दावा के लिए लेखा पुस्तिकाओं में कोई प्रविष्टि पारित नहीं की गई थी। 2015-16 के दौरान आईआईएम-अहमदाबाद ने ₹53.04 लाख की राशि प्राप्त की थी जिसको पूर्वावधि आय के रूप में दर्ज किए जाने के बजाए अन्य आय (अनुसूची-12) के अन्तर्गत विविध आय में दर्ज किया गया था। इसका परिणाम ₹53.04 लाख की सीमा तक अन्य आय के अधिक बताए जाने तथा पूर्वावधि आय के कम बताए जाने में हुआ है।

25. गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर

प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) - ₹2.72 करोड़

उपर्युक्त राशि में केन्द्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) गांधीनगर को दिए गए ₹1.92 करोड़ का अग्रिम शामिल हैं, तथा समान राशि को सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम के तहत पूंजीगत लेखे में भी दर्शाना चाहिए। इसका परिणाम ₹1.92 करोड़ तक सीडब्ल्यूआईपी के अधिक बताने और ऋण एवं अग्रिमों (अनुसूची-8) के कम बताने में हुआ।

26. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर (आईआईटीजे)

प्रगति पर पूंजीगत कार्य ₹200.59 करोड़

₹2.02 करोड़ राशि का "अस्थायी अकादमी परिसर में अस्थायी पोर्टा केबिन संरचना के निर्माण के कार्य," जो सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पूर्ण किया गया था और 22 जनवरी 2013 को आईआईटीजे द्वारा अधिकृत कर लिया गया था, को ₹2.02 करोड़ तक अधिक बताया गया था। परिणामस्वरूप 2012-13 से 2015-16 तक 4 वर्षों हेतु 7.5% (एसएलएम) की दर पर कोई मूल्यहास अर्थात् ₹60.56 लाख (2012-13 से 2015-16 तक प्रत्येक वर्ष के लिए ₹15.14 लाख) को इन परिसम्पत्तियों पर प्रभारित नहीं किया जा सका था। इसका परिणाम ₹141.32 लाख (₹201.88 लाख - ₹60.56 लाख) तक निर्धारित परिसम्पत्तियों, ₹60.56 लाख तक घाटे के कम बताए जाने तथा ₹201.88 लाख तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य के अधिक बताए जाने में हुआ।

27. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹87.35 करोड़ (अनुसूची-8)

उपरोक्त में दिनांक 09 मार्च 2016 में, आदेश के माध्यम से मार्च 2016 में कुल ₹271.55 लाख का आईपीडी उपकरण खरीदा गया तथा स्थायी स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया गया, फिर भी भुगतान नहीं किया गया था, शामिल नहीं हैं। इसका परिणाम ₹71.55 लाख तक स्थायी परिसम्पत्तियों के साथ चालू देयताओं के कम बताए जाने में हुआ।

28. वस्त्र समिति

चिन्हित निधियां (अनुसूची-3): ₹9.85 करोड़

वस्त्र समिति ने गिनिंग एवं प्रैसिंग यूनिट के निर्धारण तथा श्रेणीकरण के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से ₹4.50 करोड़ की राशि प्राप्त (25 मार्च 2011) की थी। इसमें से, समिति ने वर्ष 2015-16 के दौरान एसबीआई, वर्ली (उत्तर), मुंबई में सावधि जमा में ₹50 लाख का पुनर्निवेश किया था। उपरोक्त राशि को लेखा बहियों के बाहर रखा गया है। इसलिए चिन्हित निधि तथा चिन्हित निधि से निवेश को ₹50 लाख तक कम बताया गया है।

29. मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी)

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान - ₹4647.76 करोड़

(i) एमबीपीटी ने सेवानिवृत्ति लाभ में कुल ₹3514.47 करोड़ के घाटे का प्रावधान नहीं किया है। इसका परिणाम ₹3514.47 करोड़ तक वर्तमान देयताओं तथा हानि को कम बताए जाने में हुआ है।

(ii) 31 मार्च 2016 को ₹7436.75 करोड़ की कार्पस निधि के प्रति निवेश केवल ₹7316.83 करोड़ के थे जिसका परिणाम ₹119.92 करोड़ तक कार्पस निधि के निवेश में कमी में हुआ।

30. चैन्नई पत्तन न्यास (सीपीटी)

सेवानिवृत्ति लाभ - ₹279.48 करोड़

31 मार्च 2016 को मौजूद कर्मचारियों तथा मौजूद पेंशनधारियों हेतु एलआईसी द्वारा पेंशन तथा उपदान देयताओं पर बीमांकिक मूल्य के अनुसार पेंशन तथा उपदान निधि हेतु देयताओं को ₹4646.60 करोड़ तक परिकलित किया गया था। पत्तन ने पेंशन तथा उपदान निधि के प्रति

₹2431.81 करोड़ की राशि प्रदान की थी। इसका परिणाम ₹2214.79 करोड़ तक प्रत्येक वर्तमान देयताओं तथा प्रावधान के कम बताए जाने तथा लाभ के अधिक बताए जाने में हुआ।

31. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

अक्षय निधि- ₹178.86 करोड़

अक्षय निधि तथा नकद एवं बैंक शेष को केवीआईसी के फील्ड कार्यालयों के पास अव्ययित शेष होने से ₹584.67 करोड़ की सीमा तक कम बताया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए योजना-वार उपयोग प्रमाणपत्र केवीआईसी फील्ड कार्यालयों के पास उपलब्ध इन अव्ययित शेषों के केवीआईसी के पास उपलब्ध अव्ययित शेष के भाग के रूप में नहीं दर्शाते हैं।

32. तेल उद्योग विकास बोर्ड

अनुदानों, आर्थिक सहायताओं आदि पर व्यय: ₹275.23 करोड़

इसे वर्ष 2015-16 हेतु राष्ट्रीय गैस हाईड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) आरएण्डडी अभियान-02 के प्रति ओआईडीबी द्वारा प्रतिपूर्ति करने योग्य व्ययों के भाग के प्रति ओएनजीसी द्वारा प्रस्तुत नकद मांगों का गैर-लेखांकन होने से ₹320.35 करोड़ तक कम बताया गया है। इसका परिणाम ₹320.35 करोड़ तक अनुदानों, आर्थिक सहायताओं आदि पर व्यय के कम बताए जाने तथा व्यय से अधिक आय होने से शेष को अधिक बताए जाने में हुआ है।

33. दिल्ली विकास प्राधिकरण

(i) चिन्हित निधियों के निवेश में कमी

वर्ष 2014-15 हेतु डीडीए की वित्तीय विवरणियों पर चिन्हित निधियों के प्रति कमी को दर्शाने वाले सीएजी के टिप्पण सं. ए 2.4 का संदर्भ लें। वर्ष 2015-16 में भी, 31 मार्च 2015 को सामान्य भविष्य निधि, शहरी विकास निधि, अवकाश नकदीकरण निधि, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना निधि, सिविल कार्य अनुरक्षण निधि तथा विद्युत कार्य अनुरक्षण निधि में उपलब्ध ₹7,405.28 करोड़ की कुल निधियों के प्रति किया गया वास्तविक निवेश केवल ₹7,030.08 करोड़ था। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2015-16 के दौरान उपर्युक्त संदर्भित निधियों के प्रति निवेश में कुल ₹375.20 करोड़ की कमी थी।

(ii) ठेकेदारों को अग्रिम: ₹512.99 करोड़

इसमें ठेकेदार को संग्रहण अग्रिमों के रूप में दिए गए परंतु व्यय के रूप में दर्ज ₹163.80 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। इसमें ठेकेदारों को संग्रहण अग्रिम के रूप में प्रदान की गई ₹53.22 करोड़ की राशि भी शामिल है जिसे दो बार दर्ज किया गया था। परिणामस्वरूप, अग्रिम को ₹110.58 करोड़ (₹163.80 करोड़- ₹53.22 करोड़) की सीमा तक कम बताया गया था तथा वर्तमान वर्ष तथा पिछले वर्ष हेतु व्यय को क्रमशः ₹70.89 करोड़ (₹110.58 करोड़-₹39.69 करोड़) तथा ₹39.69 करोड़ की सीमा तक अधिक बताया गया था।

34. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमइआर), पुदुचेरी

किए गए व्यय हेतु कार्पस निधि से अंतरण- ₹42.65 करोड़

लेखाओं के समरूप प्रारूप में दिए गए व्यापक रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा दिर्शानिर्देशों के अनुसार आय से अधिक व्यय को, आय एवं लेखे में घाटे के रूप में दर्शाया जाना चाहिए तथा इसे कार्पस/पूँजीगत निधि को अंतरित किया जाना होता है। तथापि, इसके विपरीत संस्थान ने आय से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए कार्पस निधि से आय के रूप में आय एवं व्यय लेखे को ₹42.65 करोड़ की राशि का अंतरण किया है।

35. तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सामान्य

संस्थान के पास 01.04.2015 तथा 31.03.2016 को क्रमशः कुल ₹73.75 करोड़ तथा ₹61.34 करोड़ के बैंक जमा है परंतु इन्हें आरएण्डपी लेखे में उजागर नहीं किया गया है जैसा समरूप प्रारूप द्वारा अपेक्षित है।

36. भारतीय विज्ञान, शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम

चालू देयताएं: ₹51.61 करोड़

संस्थान वर्ष के दौरान प्राप्त पूर्ण अनुदान का कार्पस में लेखांकन कर रहा है। इस प्रकार कुल ₹152.72 करोड़ की अप्रयुक्त सहायता अनुदान को गलत लेखांकन प्रक्रिया को अपनाने के कारण चालू देयताओं में दर्शाए जाने के बजाए इसे कार्पस निधि के भाग के रूप में दर्शाया गया था। इसका परिणाम उस सीमा तक कार्पस निधि के अधिक बताए जाने तथा चालू देयताओं के कम बताए जाने में हुआ।

37. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट

सामान्य

चालू देयताओं एवं प्रावधानों में 14 उचन्त लेखाओं में ₹16.02 करोड़ का शेष शामिल है। ये लेखे समाशोधन हेतु वर्षों से लंबित है। चालू देयताओं एवं प्रावधानों में 14 उचन्त लेखाओं में शेष के गैर-सामाधान के कारण हम संस्थान की लेखा पुस्तिकाओं में चालू देयताओं एवं प्रावधानों में दर्शाए गए शेष की यथार्थता की जांच करने में असमर्थ है।

38. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली

i) एम्स की विभिन्न इकाईयों की बैंक समाधान विवरणियों में गैर-समाधान किए गए शेष थे जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

ii) स्थायी परिसम्पत्तियों अर्थात् सयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण (₹ 958.87 करोड़), वाहन (₹ 3.89 करोड़), बिल्डिंग (₹ 667.97 करोड़) तथा पुस्तकालय की पुस्तकें (₹ 73.79 करोड़) पर कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया गया है जैसा कि आईसीएआई के लेखापरीक्षण मानक (एएस-6) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

39. केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद

सामान्य

प्लान (विकेन्द्रित इकाईयों) के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में वर्ष 2015-16 का नकद तथा बैंक में नकद का अथ शेष वर्ष 2014-15 के अंत शेष के साथ ₹ 6.57 करोड़ तक मेल नहीं खाता है।

40. संगीत नाटक अकादमी (एसएनए)

सामान्य

(i) वार्षिक लेखाओं के अनुसार, एसएनए द्वारा अनुरक्षित 12 खातों से संबंधित ₹11.68 करोड़ का शेष था। तथापि, बैंक प्रमाण-पत्रों के अनुसार शेष ₹ 14.25 करोड़ था। सभी बैंक खातों की बैंक समाधान विवरणियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(ii) एसएनए ने 2015-16 के दौरान 10 अस्थायी बैंक खाते खोले थे। इन बैंक खातों को 31.03.2016 तक बंद नहीं किया गया था। इन बैंक खातों से संबंधित उपलब्ध शेष को मुख्य लेखाओं के बीआरएस में दर्शाया जाना बताया गया था। तथापि, एसएनए सभी अस्थायी बैंक खातों

की बैंक विवरणियां/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी थी। केवल चार अस्थायी बैंक खातों को समेकित बीआरएस में पाया गया था परंतु आंकड़ों का बैंक विवरणियों से उपलब्ध शेषों से मिलान नहीं किया जा सका था।

41. राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद

चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 2) - ₹1.68 लाख

उपरोक्त में ₹1.41 करोड़ की अव्ययित सहायता अनुदान शामिल नहीं है जिसका परिणाम ₹1.41 करोड़ तक चालू देयताएं एवं प्रावधानों को कम बताए जाने तथा कार्पस/पूंजीगत निधि को अधिक बताए जाने में हुआ।

42. केन्द्रीय विद्यालय संगठन

चालू परिसम्पत्तियां: ₹710.22 करोड़

₹38.35 करोड़ की एफडीआर पर ₹4.70 करोड़ की उपार्जित ब्याज को आय एवं व्यय लेखे में आय के रूप में नहीं लिया गया है जिसका परिणाम ₹4.70 करोड़ तक आय तथा चालू परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने में हुआ।

43. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹14.89 करोड़

उपरोक्त में वर्ष के दौरान पूर्ण की गई क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ईमारत का मूल्य शामिल नहीं है। जनवरी 2014 से सितम्बर 2015 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी को जारी ₹4.32 करोड़ की राशि को ऋण, अग्रिम एवं जमाओं के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसका परिणाम ₹4.32 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों तथा उस पर मूल्यहास के कम बताए जाने तथा ऋण, अग्रिम एवं जमाओं के अधिक बताए जाने में हुआ।

44. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन

चालू देयताएं तथा प्रावधान: ₹102.57 करोड़

उपरोक्त में ₹3.86 करोड़ के अनुदानों का अव्ययित शेष शामिल नहीं है। इसका परिणाम ₹3.86 करोड़ तक चालू देयताओं के कम बताए जाने तथा पूंजीगत निधि के अधिक बताए जाने में हुआ।

45. कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(i) चालू देयताएं तथा प्रावधान (अनुसूची 7) - ₹2056.80 करोड़

उपरोक्त को बकाया व्यय हेतु परंतु मार्च 2016 तक अदा नहीं की गई देयता के गैर-प्रावधान के कारण ₹21.17 करोड़ तक कम बताया गया है। इसका परिणाम ₹21.17 करोड़ तक सामान्य रिजर्व (आधिक्य) के अधिक बताए जाने में भी हुआ है।

(ii) चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 11) - ₹6679.77 करोड़

उपरोक्त में 31.03.2016 को विभिन्न औषधालयों में शेष औषधि भण्डार का मूल्य ₹6.45 करोड़ शामिल नहीं हैं। इसका परिणाम इसी राशि तक चालू परिसम्पत्तियों तथा सामान्य रिजर्व (आधिक्य) के कम बताए जाने में हुआ है।

46. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

चालू देयताएं तथा प्रावधान (अनुसूची 6) - ₹14.50 करोड़

उपरोक्त में ₹26.56 करोड़ की अव्ययित सहायता अनुदान शामिल नहीं है जिसका परिणाम इसी राशि तक चालू देयताओं तथा प्रावधानों के कम बताए जाने तथा प्रतिबंधित-पूँजीगत निधि के अधिक बताए जाने में हुआ।

47. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, (आईसीएसएसआर) नई दिल्ली

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम आदि: ₹16.05 करोड़

आईसीएसएसआर ने 25 अनुसंधान संस्थानों को कुल ₹37.14 करोड़ की राशि के अनुरक्षण अनुदान जारी किए जिसे लेखाओं में सहायता अनुदान पर व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। 10 अनुसंधान संस्थानों के पास ₹1.77 करोड़ की अव्ययित सहायता अनुदान को लेखाओं में परिसम्पत्तियों के रूप में नहीं दर्शाया गया था। इसका परिणाम ₹1.77 करोड़ तक चालू परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने तथा व्यय के अधिक बताए जाने में हुआ।

48. श्री लाल बहादुर बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ

चालू देयताएं तथा प्रावधान: ₹9.54 करोड़

कुल ₹3.63 करोड़ की नई पेंशन योजना की देयताओं तथा परिसम्पत्तियों को न तो लेखाओं में दर्शाया गया है और न ही एनपीएस का अलग लेखा तैयार किया गया है। इसे 2010-11 से इंगित किया जा रहा है परंतु कोई शोधक कार्रवाई नहीं की गई है।

49. राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद

सामान्य

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परियोजना “इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में कौशल विकास” के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2013-14 तथा 2015-16 के दौरान एनसीपीयूएल को क्रमशः कुल ₹7.51 करोड़ तथा ₹5.81 करोड़ की अनुदाने जारी की थी। परिषद, परियोजना के केवल प्राप्ति एवं भुगतान लेखे का अनुरक्षण कर रही है।

वर्तमान वर्ष के दौरान ₹2.10 करोड़ की राशि को प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में पूंजीगत व्यय (प्रयोगशाला ढांचा) के रूप में दर्शाया गया है। ₹2.10 करोड़ की उपर्युक्त राशि को न तो लेखाओं में स्थायी परिसम्पत्तियों के रूप में दर्शाया गया था और न ही लेखे पर टिप्पणियों में कोई प्रकटन किया गया था। इसके अतिरिक्त, 31.03.2016 को ₹2.12 करोड़ की अप्रयुक्त सहायता अनुदान को लेखाओं में देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया है।

50. भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली

प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹152.03 करोड़

उपरोक्त में कुल ₹75.73 करोड़ की ईमारत शामिल है जिसे पूर्ण किया गया था तथा जनवरी 2014 तथा मार्च 2015 के बीच उपयोग में लाया गया था। इसे लेखाओं में पूंजीगत किया जाना चाहिए था। पूर्ण की गई ईमारतों के गैर-पूंजीकरण का परिणाम ₹75.73 करोड़, तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य को अधिक बताए जाने तथा ₹60.90 करोड़ (₹75.73 करोड़ घटा ₹14.83 करोड़ मूल्यहास के) तक बिल्डिंग के कम बताए जाने तथा ₹14.83 करोड़ तक मूल्यहास को कम तथा कार्पस निधि के अधिक बताए जाने में हुआ।

51. संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान, लॉगोवाल (पंजाब)

भवन: ₹45.58 करोड़

उपरोक्त में ₹1.49 करोड़ के निदेशक के आवास तथा महिला छात्रावास की सीमा दीवार के निर्माण/ऊँचा उठाना शामिल नहीं है जिसे 20 जून 2015 को पूरा कर लिया गया था। इसका परिणाम ₹1.49 करोड़, तक ऋण, अग्रिम तथा जमाओं के अधिक बताए जाने, ₹0.03 करोड़ तक मूल्यहास के कम बताए जाने तथा ₹1.46 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने में हुआ।

52. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी

प्रगति पर पूंजीगत कार्य: ₹145.19 करोड़

उपरोक्त में ₹22.13 करोड़ के मूल्य की छः बिल्डिंग शामिल है जिन्हें पूर्ण कर लिया गया था तथा जनवरी से मार्च 2016 के माह के दौरान कार्यकारी अभिकरण द्वारा संस्थान को सुपुर्द किया गया था। पूर्ण बिल्डिंगों के गैर-पूँजीकरण का परिणाम ₹22.13 करोड़ तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य के अधिक बताए जाने, ₹21.58 करोड़ (₹22.13 करोड़ घटा ₹0.55 करोड़ के मूल्यहास) तक बिल्डिंग के कम बताए जाने तथा ₹0.55 करोड़ तक घाटे के कम बताए जाने के साथ-साथ पूंजीगत निधि के अधिक बताए जाने में हुआ।

53. जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू

चालू देयताएं तथा प्रावधान: ₹5.55 करोड़

उपरोक्त में 31 मार्च 2016 को ₹86.82 करोड़ के सहायता अनुदान का अप्रयुक्त शेष शामिल नहीं है। इसका परिणाम ₹86.82 करोड़ तक चालू देयताओं के कम बताए जाने के साथ-साथ कार्पस/पूँजीगत निधि के अधिक बताए जाने में हुआ।

54. भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे

कार्पस/पूँजीगत निधि: ₹506.19 करोड़

₹40.82 करोड़ का घाटा जो वर्ष हेतु आय व्यय लेखे से आय से अधिक व्यय को दर्शाता है, का कार्पस में अंतरण नहीं किया गया था जैसा केन्द्रीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों हेतु लेखे के नए प्रारूप में निर्धारित है, परंतु चालू देयताओं को अंतरण किया गया था। इसका परिणाम ₹4081.91

लाख तक कार्पस के अधिक बताए जाने तथा इसी सीमा तक चालू देयताओं के कम बताए जाने में हुआ है।

55. राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹17.63 करोड़

संस्थान ने वर्ष के दौरान कुल ₹1.62 करोड़ की स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद का प्रावधान किया है जिसे परिसम्पत्तियों का प्रापण किए बिना तुलन पत्र में स्थायी परिसम्पत्तियों के सकल ब्लाक में जोड़ा गया था। इसके कारण ₹1.62 करोड़ तक संस्थान की आय कम बताने के साथ स्थायी परिसम्पत्तियों के साथ-साथ विविध लेनदारों को भी अधिक बताया गया।

56. भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बाम्बे (आईआईटी), मुंबई

प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य: ₹770.65 करोड़

उपरोक्त राशि 57 विभिन्न मुख्य निर्माण-कार्यों के साथ-साथ लघु निर्माण कार्यों, जो संस्थान के परिसर के भीतर है पर किए गए व्यय को दर्शाती है। 57 निर्माण कार्यों में से ₹449.89 करोड़ की लागत के 30 निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा परिसम्पत्तियों को उपयोग में लाया गया है। इसे 31/03/2016 तक पूंजीकृत नहीं किया गया है जिसका परिणाम मूल्यहास के कारण ₹8.90 करोड़ के व्यय के कम बताए जाने तथा उसी सीमा तक कार्पस के अधिक बताए जाने में हुआ।

57. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, अमरकंटक

निवेश से आय- ₹2.49 करोड़

इसमें सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज के ₹87.19 लाख शामिल नहीं है। इसे समायोजन प्रविष्टि के माध्यम से चिकित्सा भत्तों पर व्यय को क्रेडिट किया गया है। इसका परिणाम ₹87.19 लाख तक आय के साथ-साथ व्यय के कम बताए जाने में हुआ।

परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 1.6 (क) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2015-16 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गयी थी।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
2.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
4.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी
6.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड
7.	नागालैंड विश्वविद्यालय
8.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड
9.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
10.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
12.	भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
13.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
14.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
15.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
16.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
17.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
18.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
19.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर

20.	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
22.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
23.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
24.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बैंगलोर
25.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरोविज्ञान संस्थान, बैंगलोर
26.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतल्ला
27.	इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलौंग
28.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलौंग
29.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर
30.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर
31.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
32.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
33.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
34.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई
35.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
36.	अरुविले फाउंडेशन, अरुविले
37.	तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई
38.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर
39.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची
40.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड़
41.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
42.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टयम
43.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कवरत्ती
44.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर
45.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

46.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
47.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
48.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
49.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
50.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नरनौल
51.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
52.	राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव (नोवोड)
53.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलामसर, लेह-लद्दाख
54.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़
55.	मणिपुर विश्वविद्यालय
56.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
57.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे
58.	मसाला बोर्ड, कोच्ची
59.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची
60.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली
61.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
62.	कोलकाता पत्तन न्यास
63.	कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड
64.	वीओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास, थुथुकुडी, तमिलनाडु
65.	भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद
66.	भारतीय नर्सिंग परिषद
67.	भारतीय फार्मसी परिषद
68.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
69.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
70.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद
71.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद

72.	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद
73.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद
74.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान
75.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
76.	भारतीय चिकित्सा परिषद
77.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
78.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
79.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
80.	राष्ट्रीय महिला आयोग
81.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
82.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
83.	भारतीय भू पत्तन प्राधिकरण
84.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
85.	केन्द्रीय वक्फ परिषद
86.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
87.	भारतीय प्रवासी केन्द्र
88.	भारतीय विदेशी भारतीय विकास फाउंडेशन
89.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नयन परिषद, नई दिल्ली
90.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली
91.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
92.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
93.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
94.	भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
95.	भारतीय बाल भवन, नई दिल्ली
96.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

97.	भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद
98.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
99.	राष्ट्रीय ऊर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद
100.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
101.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
102.	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
103.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
104.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.6 (ख) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2015-16 के दौरान अचल परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर
2.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
3.	एबीवी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
4.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
5.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर
6.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
7.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
8.	इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, ईलाहाबाद
9.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी
10.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड
11.	नालन्दा विश्वविद्यालय
12.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड
13.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
14.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
15.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
16.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
18.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर

19.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
20.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
21.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
23.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
24.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
25.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
26.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
27.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
29.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
30.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बैंगलोर
31.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
32.	इंदिरा गांधी उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलोंग
33.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर
34.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
35.	केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद, चेन्नई
36.	अरुविले फाउंडेशन, अरुविले
37.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर
38.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं निर्माण संस्थान, कांचीपुरम
39.	तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई
40.	भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम
41.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड
42.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड़
43.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टयम
44.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर*

45.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
46.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
47.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलामसर, लेह-लद्दाख
48.	मणिपुर विश्वविद्यालय
49.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
50.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई
51.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे
52.	भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता
53.	मसाला बोर्ड, कोच्ची
54.	नाविक भविष्य निधि संगठन*
55.	तेल उद्योग विकास बोर्ड
56.	मुम्बई पत्तन न्यास
57.	कोलकाता पत्तन न्यास
58.	पारादीप पत्तन न्यास
59.	न्यू मेंगलोर पत्तन न्यास
60.	दिल्ली विकास प्राधिकरण
61.	वीओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास, थुथुकुड़ी, तमिलनाडु
62.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई
63.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (भुवनेश्वर एवं चेन्नई केन्द्र)
64.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
65.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद
66.	प्रसार भारती
67.	भारतीय प्रेस परिषद
68.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

* आंशिक तौर पर आयोजित

69.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
70.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी
71.	ललित कला अकादमी
72.	संगीत नाटक अकादमी
73.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
74.	राष्ट्रीय महिला आयोग
75.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
76.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
77.	राष्ट्रीय कला इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान संग्रहालय संस्थान
78.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
79.	दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय
80.	भारतीय प्रवासी केन्द्र
81.	भारतीय विदेशी भारतीय विकास फाउंडेशन
82.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
83.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
84.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
85.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
86.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
87.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
88.	भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
89.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
90.	दिल्ली विश्वविद्यालय
91.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 1.6 (ग) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2015-16 के दौरान वस्तु-सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
2.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
3.	एबीवी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
4.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर
5.	केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
6.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
7.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
8.	इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, ईलाहाबाद
9.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी
10.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड
11.	नालन्दा विश्वविद्यालय
12.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड
13.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
14.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
15.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
16.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
18.	हैदराबाद विश्वविद्यालय

19.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
20.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
21.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
22.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
23.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
24.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
25.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
26.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बेंगलोर
27.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलौंग
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
29.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर
30.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
31.	केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद, चेन्नई
32.	अरुविले फाउंडेशन, अरुविले
33.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं निर्माण संस्थान, कांचीपुरम
34.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर
35.	भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम
36.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
37.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर*
38.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
39.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
40.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नरनौल
41.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलामसर, लेह-लद्दाख
42.	मणिपुर विश्वविद्यालय

* आंशिक तौर पर आयोजित

43.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
44.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
45.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे
46.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई
47.	भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता
48.	मसाला बोर्ड, कोच्ची
49.	खादी एवं ग्राम उद्योग, मुम्बई
50.	दिल्ली विकास प्राधिकरण
51.	मुम्बई पत्तन न्यास
52.	कोलकाता पत्तन न्यास
53.	पारादीप पत्तन न्यास
54.	वीओ चिदम्बरनर पत्तन न्यास, थुथुकुड़ी, तमिलनाडु
55.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली
56.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
57.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद
58.	प्रसार भारती
59.	भारतीय प्रेस परिषद
60.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
61.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
62.	ललित कला अकादमी
63.	संगीत नाटक अकादमी
64.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
65.	राष्ट्रीय महिला आयोग
66.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
67.	राष्ट्रीय कला इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान संग्रहालय संस्थान
68.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

69.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
70.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
71.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
72.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद
73.	भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

परिशिष्ट - IX

(पैराग्राफ 1.6 (घ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां अनुदानों का लेखांकन प्राप्ति/नगद आधार पर किया गया है।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक
2.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
3.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
4.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी
6.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर
7.	केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
8.	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर
9.	नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा
10.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
11.	इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, ईलाहाबाद
12.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा
13.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून
14.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
15.	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना
16.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
17.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
18.	खुदाबखश ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
19.	नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर

20.	नव नालंदा महाविहार, नालंदा
21.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
22.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलौंग
23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
24.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड़
25.	संत लोंगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल
26.	केन्द्रीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, धर्मशाला
27.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव
28.	राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव
29.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला
30.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलामसर, लेह-लद्दाख
31.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़
32.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई
33.	खादी एवं ग्रामोद्योग, मुम्बई
34.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
35.	महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुम्बई
36.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
37.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
38.	केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी
39.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी
40.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
41.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

परिशिष्ट - X

(पैराग्राफ 1.6 (ड) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां ग्रेच्यूटी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखांकन नहीं किया गया है

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
2.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
3.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक
5.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
6.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
7.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी
8.	केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
9.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर
10.	नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा
11.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
12.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
13.	इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, इलाहाबाद
14.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी
15.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
16.	राष्ट्रीय दृश्य विकलांग संस्थान, देहरादून
17.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर
18.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
19.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार

20.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
22.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
23.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
24.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
25.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
26.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
27.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता
28.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
29.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
30.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
31.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
32.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
33.	राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद
34.	सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
35.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
36.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राऊरकेला
37.	केन्द्रीय ओडिशा विश्वविद्यालय, कोरापुट
38.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
39.	खुदाबखश ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
40.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल, मैंगलोर
41.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
42.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
43.	इंदिरा गांधी उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलोंग
44.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलोंग
45.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय

46.	उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलौंग
47.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
48.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
49.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
50.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
51.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई
52.	अरुविले फाउंडेशन, अरुविले
53.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं निर्माण संस्थान, कांचीपुरम
54.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर
55.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
56.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर
57.	तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई
58.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थंजावुर
59.	राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नई
60.	भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम
61.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची
62.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
63.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
64.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
65.	केन्द्रीय राजस्थान बंदर सिंदरी विश्वविद्यालय, किशनगढ़
66.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
67.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर
68.	केन्द्रीय पंजाब विश्वविद्यालय, भटिंडा
69.	संत लॉंगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉंगोवाल
70.	भारतीय एडवांस्ड स्टडी संस्थान, शिमला
71.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर

72.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
73.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
74.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नरनौल
75.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक
76.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
77.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
78.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
79.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
80.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव
81.	राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव
82.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलामसर, लेह-लद्दाख
83.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़
84.	मणिपुर विश्वविद्यालय
85.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
86.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे
87.	राष्ट्रीय उद्योग अभियंत्रिकी संस्थान, मुम्बई
88.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
89.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई
90.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे
91.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई
92.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति
93.	भारतीय हज समिति, मुम्बई
94.	भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता
95.	रबर बोर्ड, कोट्टयम, केरल
96.	मसाला बोर्ड, कोच्ची
97.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची

98.	काँफी बोर्ड, बेंगलोर
99.	खादी एवं ग्राम उद्योग, मुम्बई
100.	कांडला पत्तन न्यास
101.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई
102.	कोलकाता पत्तन न्यास
103.	पारादीप पत्तन न्यास
104.	वस्त्र समिति, मुम्बई
105.	भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद
106.	भारतीय नर्सिंग परिषद
107.	भारतीय फार्मसी परिषद
108.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
109.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
110.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद
111.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
112.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद
113.	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद
114.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद
115.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान
116.	भारतीय चिकित्सा परिषद
117.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
118.	भारतीय प्रेस परिषद
119.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
120.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र
121.	ललित कला अकादमी
122.	संगीत नाटक अकादमी
123.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

124.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी
125.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति
126.	साहित्य अकादमी
127.	राष्ट्रीय महिला आयोग
128.	राष्ट्रीय कला इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान संग्रहालय संस्थान
129.	भारतीय भू पत्तन प्राधिकरण
130.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
131.	राष्ट्रीय न्यास
132.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान
133.	भारतीय पुनर्वास परिषद
134.	केन्द्रीय वक्फ परिषद
135.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
136.	अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद
137.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन
138.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
139.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

परिशिष्ट - XI

(पैराग्राफ 1.6(च) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिसका अचल संपत्ति पर हास उपलब्ध नहीं कराया गया था।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
2.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
3.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
4.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
5.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई
6.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

अनुबंध - XII

(पैराग्राफ 1.6(छ) में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप उनके लेखाओं को संशोधित किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
2.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ओलटपुर, कटक
3.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
4.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलोर
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल, मैंगलोर
6.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
7.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
8.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बेंगलोर
9.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरोविज्ञान संस्थान, बेंगलोर
10.	केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद, चेन्नई
11.	राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नई
12.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं निर्माण संस्थान, कांचीपुरम
13.	पॉण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी
14.	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
15.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
16.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली
17.	तटीय जलीय संस्कृति प्राधिकरण
18.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
19.	कलाश्रेष्ठ फाउंडेशन, चेन्नई

20.	राष्ट्रीय बहु विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
21.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर
22.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
23.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़
24.	सिक्किम विश्वविद्यालय
25.	कॉफी बोर्ड, सामान्य निधि, बैंगलोर
26.	बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
27.	कोलकाता पत्तन न्यास
28.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

परिशिष्ट - XIII

(पैराग्राफ सं. 1.7 में संदर्भित)

दिसम्बर 2016 को मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित की गई कार्रवाई की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1.	कृषि	2013	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2015	-	-	-	2	1	1	2	1	1
2.	रसायन एवं उर्वरक	2013	2	-	2	-	-	-	2	-	2
3.	नागरिक उड्डयन	2015	1	1	-	-	-	-	1	1	-
4.	उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण	2011	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2014	4	-	4	-	-	-	4	-	4
		2015	2	2	-	-	-	-	2	2	-
5.	कोयला	2015	3	2	1	-	-	-	3	2	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचारा धीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचारा धीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचारा धीन
6.	वाणिज्य एवं उद्योग वाणिज्य विभाग	2015	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7.	भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	2014	1	-	1	-	-	-	1	-	1
8.	संस्कृति	2011	-	-	-	1	1	-	1	1	-
		2012	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2013	-	-	-	4	-	4	4	-	4
		2014	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2015	2	2	-	3	3	-	5	5	-
9.	पेयजल एवं स्वच्छता	2014	1	1	-	-	-	-	1	1	-
10.	विदेश	2015	3	-	3	-	-	-	3	-	3

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
11.	वित्त	2015	2	1	1	-	-	-	2	1	1
12.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2008	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2009	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2011	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2013	2	-	2	-	-	-	2	-	2
		2014	2	1	1	1	1	-	3	2	1
		2015	3	2	1	2	2	-	5	4	1
13.	गृह	2014	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2015	4	4	-	-	-	-	4	4	-
14.	मानव संसाधन विकास	2004	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2006	-	-	-	1	-	1	1	-	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
		2007	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2008	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2011	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2013	-	-	-	2	1	1	2	1	1
		2014	1	1	-	3	1	2	4	2	2
		2015	-	-	-	10	10	-	10	10	-
15.	सूचना एवं प्रसारण	2015	-	-	-	2	2	-	2	2	-
16.	श्रम एवं रोजगार	2014	-	-	-	2	-	2	2	-	2
17.	विधि एवं न्याय	2003	1	-	1	-	-	-	1	-	1
18.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2015	2	-	2	-	-	-	2	-	2

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
19.	अल्पसंख्यक कार्य	2015	1	-	1	-	-	-	1	-	1
20.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	2015	2	1	1	-	-	-	2	1	1
21.	विद्युत	2012	1	-	1						
		2013	1	-	1	-	-	-	2	-	2
		2015	1	1	-	-	-	-	1	1	-
22.	ग्रामीण विकास	2010	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2012	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2015	2	2	-	-	-	-	2	2	-
23.	पोत परिवहन	2013	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2015	1	1	-	-	-	-	1	1	-
24.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	2014	1	-	1	-	-	-	1	-	1
25.	सामाजिक न्याय एवं	1996	1	-	1	-	-	-	1	-	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
	अधिकारिता	2003	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2006	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2015	-	-	-	1	1	-	1	1	-
26.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	2014	-	-	-	2	-	2	2	-	2
27.	कपड़ा	2015	1	1	-	-	-	-	1	1	-
28.	पर्यटन	2015	1	1	-	-	-	-	1	1	-
29.	जनजातीय मामले	2014	2	-	2	-	-	-	2	-	2
30.	शहरी विकास	2015	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2016	-	-	-	1	1	-	1	1	-
31.	महिला एवं बाल विकास	2015	-	-	-	1	1	-	1	1	-
32.	युवा मामले एवं खेल	2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2011	1	1	-	-	-	-	1	1	-

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त मार्च वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	देय	बिल्कुल प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
		2012	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2013	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2014	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2015	-	-	-	1	1	-	1	1	-
	कुल		63	25	38	54	26	28	117	51	66

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in